ADB

नीति दस्तावेज

जून 2009

# सुरक्षा नीति कथन

एशियाई विकास बैंक

इस दस्तावेज को अधिक से अधिक श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए इसका अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है। हालांकि एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने अनुवाद की सटीकता का सत्यापन करने के प्रयास किए हैं लेकिन, एडीबी की कामकाजी भाषा अंग्रेजी है इसलिए इस दस्तावेज का मूल अंग्रेजी पाठ प्रमाणित (अर्थात् सरकारी तथा अधिकृत) है। किसी भी उद्धरण के लिए इस दस्तावेज के अंग्रेजी पाठ का ही उल्लेख करें।

# संक्षेपाक्षर

| | | |
|---|---|---|
| एडीबी | – | एशियाई विकास बैंक |
| सीएसएस | – | कंट्री सेफगार्ड सिस्टम |
| डीएमसी | – | विकासशील सदस्य देश |
| ईबीआरडी | – | यूरोपीय विनिर्माण एवं विकास बैंक |
| ईआईए | – | पर्यावरणीय संघात मूल्यांकन |
| ईएमपी | – | पर्यावरणीय प्रबंधन योजना |
| ईएसएमएस | – | पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रबंधन प्रणाली |
| एफआई | – | वित्तीय मध्यस्थ |
| आईईई | – | प्रारंभिक पर्यावरणीय जांच |
| आईएफसी | – | अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम |
| आईपीपी | – | देशज़ जन योजना |
| आईपीपीएफ | – | देशज़ जन नियोजन फ्रेमवर्क |
| एमएफएफ | – | मल्टीट्रैंच फाइनेंसिंग फैसिलीटी |
| एमएफआई | – | बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान |
| एनजीओ | – | गैर–सरकारी संगठन |
| ओसीआर | – | साधारण पूंजीगत संसाधन |
| ओईडी | – | प्रचालन मूल्यांकन विभाग |
| एसईएस | – | विशेष मूल्यांकन अध्ययन |
| एसआईए | – | सामाजिक संघात मूल्यांकन |
| एसपीएस | – | सुरक्षा नीति कथन |
| एसपीयू | – | सुरक्षा नीति अपडेट |
| यूएनडीआरआईपी | – | देशज़ जन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा |

| | |
|---|---|
| **उपाध्यक्ष** | यू. सेफर–प्रेयस, नॉलेज मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट |
| **महानिदेशक** | एक्स. योव, रीजनल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (आरएसडीडी) |
| **निदेशक** | एन.जे. अहमद, एन्वायरनमेंट एंड सेफगार्ड्स डिवीजन, आरएसडीडी |
| **टीम लीडर** | एक्स. मा, प्रधान पर्यावरण विशेषज्ञ, आरएसडीडी<br>जे. परेरा, प्रधान सुरक्षा विशेषज्ञ, दक्षिण एशिया विभाग<br>आई. सिम्बोलोन, प्रधान सामाजिक विकास विशेषज्ञ (सुरक्षा), आरएसडीडी |

# शब्दावली

**जैवविविधता** : अन्यों के साथ–साथ भूमध्यरेखीय, समुद्री तथा अन्य जलचर पारस्थितिकी तंत्रों में पाए जाने वाले सभी स्रोतों के सजीव जीवाणुओं के मध्य पाई जाने वाली परिवर्तनशीलता और उनकी स्वाभावगत पारिस्थितिकी जटिलताएं– इसमें प्रजातियों, एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच पाई जानी वाली विविधता शामिल है।

**प्रभावित देशज़ जनसमुदाय की सहमति** : नीतिगत प्रयोजन के लिए इसका संबंध प्रभावित देशज़ समुदाय द्वारा व्यक्तिगत रूप से तथा उनके मान्यताप्राप्त प्रतिनिधियों के माध्यम से परियोजना कार्यकलापों के लिए व्यापक सामाजिक सहायता की सामुहिक अभिव्यक्ति से है। ऐसा व्यापक सामाजिक सहयोग संभव है भले ही कुछ लोग या समूह परियोजना कार्यकलापों का विरोध करते हों।

**कंट्री सेफगार्ड सिस्टम** : किसी देश के राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय या सैक्टरगत कार्यान्वयन संस्थानों और संबद्ध कानूनों, नियमों तथा प्रक्रियाओं से बना हुआ कोई कानूनी या संस्थागत तंत्र जिसका संबंध पर्यावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा के नीतिगत के क्षेत्रों से हो।

**नाजुक पर्यावास** : प्राकृतिक तथा रूपांतरित दोनों प्रकार के पर्यावास का एक उपसमूह जिसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो। नाजुक पर्यावास में अधिक जैवविविधता मान वाले क्षेत्र आते हैं जिनमें अधिक संकट वाली या संकटग्रस्त प्रजातियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक पर्यावास; महामारी या प्रतिबंधित रेंज वाली प्रजातियों के लिए विशेष महत्व वाले स्थान; प्रवासी प्रजातियों के जीवित रहने के लिए अत्यावश्यक स्थल; सामूहिक प्रजातियों के प्राणियों के वैश्विक महत्व वाले संघों या सदस्यों की संख्या; विशेष तरह की प्रजातियों के जमा होने वाले स्थान या जो प्रमुख विकास प्रक्रियाओं से जुड़े हों या मुख्य पारिस्थितिकी की सेवाएं मुहैया कराते हों; तथा स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक महत्व की जैवविविधता वाले क्षेत्र शामिल हैं।

**विस्थापित व्यक्ति** : अस्वैच्छिक पुनर्वास के संदर्भ में विस्थापित व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें भौतिकरूप से (पुनर्वासन, रिहाशी भूमि या आश्रय स्थल का नुकसान) विस्थापित किया गया हो तथा/अथवा (i) भूमि के अस्वैच्छिक अधिग्रहण, या (ii) भूमि उपयोग पर अस्वैच्छिक प्रतिबंध या कानूनी रूप से पार्क तथा सुरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्रों के उपयोग पर अस्वैच्छिक प्रतिबंध के फलस्वरूप आर्थिक रूप से विस्थापित (भूमि, सम्पत्ति, सम्पत्ति के उपयोग, आय स्रोतों या आजीविका के साधनों के नुकसान की वजह से) किया गया हो।

**आर्थिक विस्थापन** : (i) भूमि के अस्वैच्छिक अधिग्रहण या (ii) भूमि उपयोग पर अस्वैच्छिक प्रतिबंध या कानूनी रूप से पार्क तथा सुरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्रों के उपयोग पर अस्वैच्छिक प्रतिबंध के फलस्वरूप भूमि का नुकसान, परिसंपत्तियों के उपयोग, आय स्रोतों या आजीविका के साधनों का नुकसान।

**बाह्य विशेषज्ञ** : वे विशेषज्ञ जो परियोजना के दैनिक कार्यान्वयन या पर्यवेक्षण से न जुड़े हों।

**अत्यंत जटिल तथा संवेदनशील परियोजनाएं** : वे परियोजनाएं जिन्हें एडीबी अत्यंत जोखिमपूर्ण अथवा विवादास्पद मानता हो या जिनमें गंभीर तथा बहु आयामी तथा साधारणतः संभावित सामाजिक तथा/अथवा पर्यावरण संघात से जुड़े मुद्दे शामिल हों।

**सार्थक परामर्श** : एक ऐसी प्रक्रिया जो (i) परियोजना की प्रारंभिक अवस्था में शुरू होती हो और परियोजना काल में अनवरत आधार पर सम्पन्न की जाती हो– (ii) प्रभावित लोगों को समझ में आने वाली तथा सहजरूप से सुलभ, संबद्ध तथा प्रासंगिक सूचनाओं को समायोचित ढंग से प्रकट करती हो– (iii) भय या उत्पीड़न मुक्त वातावरण में सम्पन्न की जाती हो– (iv) जिसमें स्त्री और पुरूष दोनों शामिल हों और उनकी समस्याओं को सुना जाता हो और उपेक्षित तथा कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई हों– और (v) सभी प्रभावित लोगों तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स के प्रासंगिक विचारों को

जैसे परियोजना डिजाइन, निवारक उपाय, विकास के लाभों और अवसरों के बंटवारे तथा कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने में सहायक हो।

**प्राकृतिक पर्यावास :** भूमि तथा जल क्षेत्र जहां प्राकृतिक पौधों और पशुओं की प्रजातियों के आधार पर जैविक समुदाय निर्मित होते हैं तथा जहां मानवीय कार्यकलापों के फलस्वरूप प्रदेश के प्राथमिक पारिस्थितिकी कार्यों में कोई रुपांतर न हुआ हो।

**भौतिक सांस्कृतिक संसाधन :** चल या अचल वस्तुएं, स्थल, ढांचे, ढांचा समूह तथा प्राकृतिक विशेषताएं और भूदृश्य जिनका पुरातत्वीय, पैलियोंटोलॉजिकल, ऐतिहासिक, वास्तुकला, धार्मिक, सौंदर्यात्मक या अन्य सांस्कृतिक महत्व हो। भौतिक सांस्कृतिक संसाधन शहरी या ग्रामीण परिवेश में पाए जा सकते हैं तथा वे भूमि के ऊपर या नीचे या पानी के नीचे स्थित हो सकते हैं। स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके सांस्कृतिक हित हो सकते हैं।

**भौतिक विस्थापन :** (i) भूमि के अस्वैच्छिक अधिग्रहण, या (ii) भूमि उपयोग या कानूनी रूप से पार्क तथा सुरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्रों के उपयोग पर अस्वैच्छिक प्रतिबंध के फलस्वरूप पुनर्वासन, रिहायसी भूमि का नुकसान या आश्रय स्थल का नुकसान।

**महत्वपूर्ण बदलाव या पतन :** (i) भूमि या जल के उपयोग में दीर्घकालिक परिवर्तन द्वारा पर्यावास के एकीकरण में अलगाव या गंभीर ह्रास–अथवा (ii) पर्यावास में रूपांतरण जिसकी वजह से अपनी मूल प्रजातियों की संख्या को बनाये रखने की उनकी क्षमता में बहुत कमी आ जाती है।

# विषय–सूची


| | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| I. | पृष्ठभूमि और प्रस्तावना | 1 |
| II. | बदलते संदर्भ | 2 |
| III. | वर्तमान सुरक्षा नीतियां और अनुभव | 4 |
| | क. एडीबी की वर्तमान सुरक्षा नीतियां | 4 |
| | ख. अनुपालन संबंधी चूक | 5 |
| | ग. एडीबी की सुरक्षा नीतियों के साथ अनुभव | 6 |
| IV. | मुख्य नीतिगत मुद्दे तथा आधार | 8 |
| | क. नीतिगत निर्माण और दायरा | 8 |
| | ख. नीति का प्रयोग और डिलीवरी मुद्दे | 10 |
| | ग. ग्राहक की बदलती अपेक्षाओं और सुरक्षा तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता के प्रति प्रतिक्रिया देना | 11 |
| V. | प्रारूप सुरक्षा नीति कथन | 13 |
| | क. एडीबी की वचनबद्धता और नीतिगत सिद्धांतों पर समग्र कथन | 13 |
| | ख. नीतिगत डिलीवरी प्रक्रिया | 19 |
| | ग. भूमिकाएं और दायित्व | 26 |
| VI. | कार्यान्वयन प्रबंध तथा संसाधन निहितार्थ | 27 |
| | क. कार्यान्वयन तथा निगरानी | 27 |
| | ख. संसाधन निहितार्थ | 27 |
| | ग. लागू होने की तारीख तथा संक्रमणकाल | 29 |
| | घ. नीतिगत समीक्षा | 29 |
| VII. | सिफारिश | 29 |


**परिशिष्ट**


| | | |
|---|---|---|
| 1 | सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 1 : पर्यावरण | 30 |
| 2 | सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 2 : अस्वैच्छिक पुनर्वास | 43 |
| 3 | सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 3 : देशज़ जन | 54 |
| 4 | सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 4 : विभिन्न वित्त प्रबंध औपचारिकताओं के लिए विशेष अपेक्षाएं | 65 |
| 5 | एडीबी प्रतिबंधित निवेश कार्यों की सूची | 75 |
| 6 | पर्यावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए देश के सुरक्षा तंत्रों को मजबूत बनाना और उपयोग करना | 76 |


**अनुलग्नक**


| | | |
|---|---|---|
| 1 | अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों का अनुभव | 82 |
| 2 | मध्यावधिक कार्य योजना (2010–2012) | 87 |

# I. पृष्ठभूमि और प्रस्तावना

1. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की प्रचालन नीतियों में तीन सुरक्षा नीतियां शामिल हैं: *अस्वैच्छिक पुनर्वास नीति (1995), देशज़ जन संबंधी नीति (1998) और पर्यावरण नीति (2002)*। सभी तीनों सुरक्षा नीतियों में संशोधन करने का समय आ गया है। एडीबी को अपने विकासशील सदस्य देशों में विकास की उभरती पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना पड़ता है, अपनी वर्तमान सुरक्षा नीतियों के संबंध में अपने पिछले अनुभव से ली गई शिक्षाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है और स्वयं को अपनी नई ऋण औपचारिकताओं तथा वित्त प्रबंधन तंत्र के अनुरूप ढालना पड़ता है। इसके अलावा, एडीबी की नीतियों में अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों तथा इक्वेटर प्रिंसिपल्स वित्तीय संस्थानों[1] जैसे निजी क्षेत्र के संस्थानों की बदलती श्रेष्ठ पद्धतियों को दर्शाना पड़ता है। दिसम्बर, 2004 में, एडीबी प्रबंधन ने एडीबी की सुरक्षा नीतियों की प्रभावशीलता को बढ़ाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये नीतियां ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं और नये व्यापार अवसरों के अनुकूल बनी रहें, सुरक्षा नीति अपडेट (एसपीयू) के लिए एक अवधारणा दस्तावेज को मंजूरी दी थी।

2. सुरक्षा नीति अपडेट में (i) सुरक्षा नीतियों की स्पष्टता, सुसंगतता और निरंतरता में सुधार करने के लिए सुरक्षा नीतियों के लिए बेहतर तालमेल; (ii) फ्रंटलोडिड प्रक्रियात्मक अवधारणा को किसी एक ऐसी अवधारणा के साथ संतुलित करना जो कार्यान्वयन के दौरान परिणामों पर भी केंद्रित हो; (iii) उधार उत्पादों और नई वित्तीय औपचारिकताएं तैयार करने के लिए नीतिगत कार्यान्वयन के साथ अनुकूलन स्थापित करन; (iv) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के बीच सुरक्षा नीतियों को लेकर अधिक सामजस्य स्थापित करने और अलग–अलग क्षमताओं वाले ग्राहकों के साथ सुरक्षा अवधारणाएं तैयार करने; और (v) आंतरिक प्रक्रियाओं और संसाधनों के आबंटन में सुधार करने पर बल दिया गया है।

3. सुरक्षा नीति अपडेट (एसपीयू) के फलस्वरूप नीति में सुदृढ़ता आई है जिसकी संरचना इस प्रकार है :

(i) सुरक्षा नीति कथन (एसपीएस) जिसमें एडीबी की सुरक्षा के सामान्य उद्देश्यों, नीतिगत सिद्धांतों तथा एडीबी की सुरक्षा नीति के लिए डिलीवरी प्रक्रिया का उल्लेख है। सुरक्षा नीति कथन को वर्तमान तथा भावी ऋण औपचारिकताओं और सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में विकासशील सदस्य देशों के ग्राहकों की भिन्न–भिन्न क्षमताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

(ii) विशेष सुरक्षा अपेक्षाओं का सेट जो कर्जदारों/ग्राहकों को सामाजिक तथा पर्यावरणीय संघातों और जोखिमों का समाधान करते समय पूरे करने होते हैं। एडीबी स्टाफ परिश्रम, समीक्षा और पर्यवेक्षण के द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि कर्जदार/ग्राहक परियोजना की तैयारी और कार्यान्वयन के दौरान इन अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं। समय के साथ–साथ एडीबी अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं अपना सकता है या वर्तमान अपेक्षाओं की प्रभावशीलता में सुधार करने, बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने और श्रेष्ठ पद्धतियों पर विचार करने के लिए वर्तमान अपेक्षाओं में सुधार भी कर सकता है।

(iii) संकलित *प्रचालन मैनुअल* खंड जिसमें पूरी परियोजना अवधि में यथोचित परिश्रम और पर्यवेक्षण के लिए एडीबी की आंतरिक समीक्षा प्रक्रियाओं का उल्लेख है।

4. एडीबी के निदेशक मंडल का अनुमोदन मिलने पर सुरक्षा नीति कथन और कर्जदारों/ग्राहकों के लिए सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं तीन वर्तमान सुरक्षा नीतियों का स्थान लेंगी तथा नया ओएम खंड वर्तमान ओएम खंड एफ1, एफ2 और एफ3 का स्थान लेगा। एडीबी अपनी *हैंडबुक ऑन रिसेटलमेंट*[2] तथा *एन्वायरनमेंट एसेस्मेंट गाइडलाइन्स (2003)* को अद्यतन बनाएगा और विस्तृत तकनीकी मार्गदर्शन का प्रावधान करने तथा श्रेष्ठ पद्धतियों की सिफारिश करने के लिए देशज़ जन पर एक हैंडबुक तैयार करेगा।

---

[1] ये ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जिन्होंने परियोजना वित्त प्रबंधन में पर्यावरणीय तथा सामाजिक संकटों के समाधान के लिए वित्तीय उद्योग फ्रेंमवर्क, इक्वेटर सिद्धांतों को अपनाया है।

[2] एडीबी. 2008. *हैंडबुक ऑन रिसेटलमेंट : ए गाइड टू गुड प्रैक्टिस,* मनीला।

5. सुरक्षा नीति कथन का परामर्श प्रारूप बाह्य परामर्श के लिए अक्तूबर, 2007 में एडीबी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था। परामर्श अवधि (नवम्बर, 2007 से लेकर अप्रैल, 2008) के दौरान एडीबी को प्रदेश के भीतर तथा बाहर आयोजित 14 मल्टीस्टेकहोल्ड्र्स परामर्श कार्यशालाओं में व्यापक टिप्पणियां और विस्तृत सुझाव प्राप्त हुए थे। एडीबी को अनेक लिखित निवेदनों, विषय से संबंधित परिचर्चाओं तथा औपचारिक बैठकों और टेलिकांफ्रेंसिस में भी फीडबैक प्राप्त हुए थे। परामर्श अवधि के समापन से पहले प्राप्त सभी टिप्पणियों को एडीबी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था। विस्तृत टिप्पणियों का जवाब देने के लिए एडीबी प्रबंधन ने बाह्य परामर्श से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर सुरक्षा नीति कथन का दूसरा प्रारूप तैयार करने और मनीला में स्टेकहोल्ड्र्स के लिए दूसरी परामर्श कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया ताकि संशोधित दस्तावेजों की समीक्षा का अवसर मिल सके।

6. सुरक्षा नीति कथन का दूसरा प्रारूप 3 अक्तूबर से 4 दिसम्बर, 2008 तक जनता की टिप्पणियों के लिए एडीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया था। विस्तृत टिप्पणी – प्रत्युत्तर सूचकांक 9 अक्तूबर, 2008 को एडीबी की एसपीयू वेबसाइट पर पोस्ट किया गया जिसमें 12 अक्तूबर, 2007 – 30 अप्रैल, 2008 की टिप्पणी अवधि के दौरान 14 देश/उप क्षेत्रीय परामर्शों से प्राप्त टिप्पणियां और लिखित प्रस्ताव शामिल थे। प्रारंभिक प्रारूप सुरक्षा समीक्षा प्रक्रिया (प्रारूप प्रचालन मैनुअल) को 24 अक्तूबर, 2008 को उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा, अनेक स्टेकहोल्डर्स के अनुरोध पर प्रारूप शब्दावली भी वेब पर पोस्ट की गई थी। द्वितीय प्रारूप सुरक्षा नीति कथन पर 18 से 21 नवम्बर, 2008 के दौरान मनीला में परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें द्वितीय प्रारूप सुरक्षा नीति कथन पर व्यापक तथा सारगर्भित परिचर्चा हुई और सुरक्षा नीति कथन के परामर्श प्रारूप पर स्टेकहोल्ड्र्स की टिप्पणियों पर बल दिया गया (स्टेकहोल्ड्र्स परामर्श पर रिपोर्ट के लिए एडीबी एसपीयू वेबसाइट देखें)।

7. सुरक्षा नीति कथन पर कार्यकारी दस्तावेज तैयार किया गया और जनवरी, 2009 में एडीबी बोर्ड को विचारार्थ और मार्गदर्शन के लिए परिचालित किया गया तथा फरवरी, 2009 में बोर्ड की परिचर्चा हुई। यह आर–दस्तावेज आंतरिक और बाह्य परामर्श प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें एडीबी बोर्ड तथा स्टाफ और विदेशी स्टेकहोल्ड्र्स ने भाग लिया जिसमें सरकारें, नागरिक समाज संगठन, निजी क्षेत्र तथा शिक्षाविद शामिल हैं।

## II. बदलते संदर्भ

8. विश्व का सबसे घनी आबादी वाला और सबसे तेज़ गति से बढ़ते एशिया और प्रशांत क्षेत्र में नाटकीय सामाजिक तथा पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहे हैं। कई एशियाई देशों में विकास की दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर चिन्ताएं उठी हैं। तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के साथ–साथ प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती मांग के चलते भूमि उपयोग तथा मानव बसाव में परिवर्तन हो रहे हैं, पानी की गुणवता और मात्रा में कमी आ रही है, जैवविविधता समाप्त हो रही है, वन नष्ट हो रहे हैं और रेगिस्थान बढ़ते जा रहे हैं, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है तथा मानव के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। इन खतरों की वजह से गरीबों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अधिक आबादी तथा शहरी विकास के लिए भूमि और अवस्थापनाओं की बढ़ती मांग की वजह से लोगों के अस्वैच्छिक पुनर्वास से जुड़े खतरों में बढ़ोतरी हुई है तथा गरीब और देशज़ लोगों के गरीब समूहों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विश्व में 250 मिलियन देशज़ लोगों की आबादी में से 70 प्रतिशत लोग एशिया और प्रशांत क्षेत्र में रहते हैं। 120 भाषाएं या तो संकटग्रस्त हैं या समाप्त हो गई हैं जो देशज़ लोगों की संस्कृति और एकीकरण के बढ़ते खतरे का प्रतीक है। पर्यावरण के पतन और अस्वैच्छिक पुनर्वास के फलस्वरूप होने वाली अधिक गिरावट की रोकथाम करना, सामाजिक जरूरतों को स्वीकार करना और देशज़ लोगों तथा अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों का सम्मान करना और नीतियों में सुधार करना तथा इन संघातों का समाधान करने के लिए विकासशील सदस्य देशों की क्षमता का निर्माण करना भारी चुनौती है।

9. विकासशील सदस्य देश उभरती हुई सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का अपने–अपने ढंग से मुकाबला कर रहे हैं। कुछ विकासशील सदस्य देशों ने अपनी पर्यावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा नीतियों में सुधार किए हैं तो कुछ अन्य देशों में आज भी कम विकसित तंत्र जारी हैं और वे प्रायः दानप्रदाता एजेंसियों की नीतियों और प्रक्रियाओं पर निर्भर रहते हैं। इस क्षेत्र में विकास प्रक्रियाओं के चलते सरकारी और निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा स्थानीय समुदायों की भूमिकाओं और दायित्वों में

सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से अनवरत विकास और पारदर्शिता तथा नागरिक भागीदारी को लेकर बढ़ती अपेक्षाओं के पक्ष में परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार, कारपोरेशन्स द्वारा अपने सामाजिक तथा पर्यावरण दायित्वों को गंभीरतापूर्वक लेने के लिए बढ़ते दबाव के अनुसार वाणिज्यिक बैंकिंग उद्योग और वित्तीय मध्यस्थों की भूमिकाओं में विस्तार हुआ है। विकासशील सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ पद्धतियों की ओर अपने मानकों में सुधार करने, वैश्विक तथा क्षेत्रीय पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का मुकाबला करने के लिए क्षमता का विकास करने और सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से अनवरत विकास का संवर्धन करने की आवश्यकता को पहचानने लगे हैं। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के परियोजना प्रस्तावक उन प्रगतिशील निवेश पद्धतियों को अपनाने के प्रति इच्छुक नज़र आते हैं जो सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार हैं। यदि उनके सामने स्पष्ट व्यापारिक उद्देश्य हों तो वे विनियमों के औपचारिक अनुपालन से भी आगे बढ़ सकते हैं।

10. बदलती आवश्यकताओं के अनुसार इन नीतियों की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान अपनी पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा नीतियों को अपडेट करते रहे हैं। 2005 में, विश्व बैंक ने बैंक सहायता प्रदत्त कार्यों[3] में सामाजिक तथा पर्यावरणीय सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कंट्री सिस्टम का प्रायोगिक इस्तेमाल करने का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। जनवरी, 2008 में विश्व बैंक ने कंट्री सिस्टम[4] के इस्तेमाल के प्रायोजित कार्यक्रम की प्रारंभिक चरण की मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के आधार पर विश्व बैंक ने अधिक सुरक्षा उपायों का प्रयोग करने और परियोजना स्तर पर व्यवहारिक पक्ष की अपेक्षा अधिक अनवरत आधार पर कर्जदार की क्षमता निर्माण करने के लिए कर्जदारों और अन्य विकास साझेदारों को शामिल करने हेतु कार्यक्रम को परियोजना स्तर से लेकर कंट्री स्तर तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। बदलती परिस्थितियों को दर्शाने के लिए विश्व बैंक ने 2005 में देशज़ लोगों से संबंधित अपनी सुरक्षा नीतियों तथा 2006 में भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों में भी संशोधन किया था। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) ने निजी क्षेत्र के लिए परिणाममूलक अपेक्षाओं और उत्तम पद्धतियों को प्रारंभ करने के लिए अपनी *पॉलिसी एंड परफोर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑन सोशल एंड एन्वायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी*[5] को अंगीकृत किया था। 60 से अधिक वाणिज्यिक वित्तीय संस्थानों ने परियोजना वित्त प्रबंध के लिए नए आईएफसी परफोर्मेंस मानक को स्वीकार किया है। इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक ने भी 2006 में अपनी पर्यावरण तथा सुरक्षा अनुपालन नीति[6] जारी की, उसमें भी कंट्री सिस्टम का चुनिंदा इस्तेमाल करने का प्रावधान है। मई, 2008 में यूरोपीय विनिर्माण एवं विकास बैंक ने अपनी 2003 की पर्यावरणीय नीति के स्थान पर 10 कार्यनिष्पादन अपेक्षाओं के साथ अपनी पर्यावरणीय तथा सामाजिक नीति[7] को अंगीकृत किया था। नई ईबीआरडी नीति तथा कार्यनिष्पादन अपेक्षाओं में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सुरक्षा नीति के समान अपेक्षाओं का प्रावधान किया गया है लेकिन ईबीआरडी के प्रचालन क्षेत्र और पर्यावरण के प्रति यूरोपियन सिद्धांतों के तहत अपनी वचनबद्धता को दोहराया है जिस पर ईबीआरडी हस्ताक्षरकर्ता देश है।

11. दानप्रदाताओं के साथ तालमेल और कंट्री सिस्टम के साथ सामंजस्य बनाये रखने पर अधिक बल दिया जाता रहा है। 2005 में सहायता की प्रभावशीलता पर पेरिस घोषणा में गरीबी तथा असमानता में कमी करने, विकास दर को बढ़ाने, क्षमता निर्माण, मिलेनियम विकास लक्ष्यों को तीव्रता से हासिल करने में सहायता प्रबंधन और प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए दानप्रदाता और साझेदार देशों की वैश्विक वचनबद्धता को सिद्ध किया था। घोषणा के 5 सिद्धांत हैं : देश के स्वामित्व को आश्वस्त करना, दानप्रदाता कार्यक्रमों को देश की विकास रणनीतियों, प्राथमिकताओं और प्रक्रिया से जोड़ना; दानप्रदाताओं की अवधारणाओं और कार्यों में तालमेल बिठाना; विकास परिणामों का प्रबंध करना और परस्पर जवाबदेही लाना। इन सिद्धांतों से दानप्रदाताओं को विकासशील देशों के साझेदारों की रणनीतियों और प्राथमिकताओं में सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के बेहतर एकीकरण को बढ़ावा देने में तथा सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान की दिशा में तालमेल लाने को लेकर अपने प्रयासों को तेज़ करने में मदद मिलती है। 2008 में अंगीकृत *एक्रा एजेंडा फॉर एक्शन* में इन सिद्धांतों की पुनः पुष्टि हुई है तथा कंट्री सिस्टम्स के महत्व को आगे बल मिला है। सामान्य पूंजीगत संसाधनों (ओसीआर) की सहायता में वृद्धि करने के एडीबी के प्रयासों के संदर्भ में किए गए परामर्शों से कर्जदारों ने सिद्ध कर दिया है कि सरकारी क्षेत्र के ग्राहक साधारणतः एडीबी के सुरक्षा उद्देश्यों और सिद्धांतों से सहमत होते हैं, हालांकि कुछ ओसीआर ग्राहकों की मान्यता है कि साझा

[3] वर्ल्ड बैंक 2005. पायलेटिंग द यूज़ ऑफ बोरोवर सिस्टम टू एड्रेस एन्वायारनमेंटल एंड सोशल सेफगार्ड इस्यूज़ इन बैंक–स्पोर्टेड परियोजनाएं वाशिंगटन, डीसी।

[4] वर्ल्ड बैंक 2008. इवेल्यूगेएन आफ द इनिशियल फेज़ आफ द पायलट प्रोग्राम फार यूज आफ कंट्री सिस्टम्स फार एन्वायारनमेंटल एंड सोशल सेफगार्डस. वाशिंगटन, डीसी।

[5] आईएफसी 2006. पॉलिसी एंड परफोर्मेंस स्टेड्र्डस ऑन सोशल एंड एन्वायारनमेंटल सस्टेंबिलिटी, वाशिंगटन, डीसी।

[6] इंटर–अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक 2006. एन्वायारनमेंटल एंड सेफगार्ड कम्पलाईंस पॉलिसी, वाशिंगटन, डीसी।

[7] ईबीआरडी 2008. ईबीआरडी एन्वायारनमेंटल एंड सोशल पॉलिसी, लंदन।

सुरक्षा सिद्धांतों को एडीबी प्रक्रिया की बजाय अपने स्वयं के देश की प्रणालियों के माध्यम से बेहतर ढंग से सही ठहराया जा सकता है।

12. एडीबी के कार्य की प्रकृति भी बदल रही है। अनुमानित आर्थिक वृद्धि और एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में विकास, सहायता तथा वित्तीय स्थिति के जवाब में एडीबी अपने मूल उद्देश्य : एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करने के प्रति समर्पित रहते हुए चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए स्वयं में बदलाव लाएगा। एडीबी समाहित विकास, पर्यावरण की दृष्टि से अनवरत वृद्धि तथा क्षेत्रीय एकीकरण पर ध्यान देते हुए अपनी अंतर्दृष्टि और मिशन को पूरा करने का प्रयास करेगा। एडीबी के दीर्घकालिक रणनीति फ्रेमवर्क 2008–2020 (रणनीति 2020)[8] में परिवर्तन के पांच संचालकों पर ध्यान दिया गया है : (i) निजी क्षेत्र का विकास और प्रचालन, (ii) सुशासन और क्षमता विकास, (iii) लिंग समानता, (iv) ज्ञान समाधान, और (v) भागीदारी। एडीबी अपने प्रचालनों में पांच प्रमुख विशेषताओं पर भी नए सिरे से ध्यान देगा : (i) अवस्थापना; (ii) जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरण; (iii) क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण; (iv) वित्तीय क्षेत्र का विकास और (v) शिक्षा। निजी क्षेत्र के प्रोग्राम में विस्तार, वित्तीय क्षेत्र तथा पूंजीगत बाजारों में निवेश और ग्राहकों में विविधता तथा सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव वाली अवस्थापना परियोजनाएं, जो बहुत जटिल और संवेदनशील हो सकती हैं। सुरक्षा नीतियों को अद्यतन बनाना आवश्यक होगा ताकि परियोजनाओं का सामाजिक और पर्यावरण संबंधी स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके। यह सकारात्मक विकास परिणाम का एक महत्वपूर्ण घटक है।

13. अगस्त, 2004 में एडीबी ने एक व्यापक सुधार कार्यसूची अपनाई थी और अपने प्रचालन की विकास प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए नई ऋण औपचारिकताएं और तंत्र शुरू किए थे। हाल के एडीबी प्रयासों – विकास परिणामों के प्रबंधन, नवीन तथा दक्ष प्रयास और मध्यम आय वाले देशों और ओसीआर के कर्जदारों के लिए एडीबी सहायता में वृद्धि करते हुए अधिक सहायता प्रभावशीलता की आवश्यकता पर अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति जुटाई गई। सुरक्षा नीतियों के वर्तमान ढ़ाँचे को तब प्रभावित किया गया जब प्रत्यक्ष परियोजना ऋण विकास सहायता की प्रमुख शर्त हुआ करता था। सुरक्षा नीतियां एडीबी की ऋण उत्पाद और नवीनतम वित्त प्रबंध औपचारिकताओं को तैयार करने की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं जो प्रायः परम्परागत परियोजना स्तर की सुरक्षा अवधारणा में सही ढंग से पूरी नहीं हो पाती। नई ऋण औपचारिकताएं तथा मल्टीट्रंच फाइनेंसिंग फैसिलिटी (एमएफएफ), जैसी वित्त प्रबंधन तंत्र प्रणाली की वजह से सुरक्षा नीतियों को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करने में जटिलता बढ़ गई है। नई औपचारिकताएं तथा अनवरत नव–निर्माण की संभावना और बदलती ग्राहक परिस्थितियों की वजह से एडीबी सुरक्षा की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है।

## III. वर्तमान सुरक्षा नीतियां और अनुभव

### क. एडीबी की वर्तमान सुरक्षा नीतियां

**14. एडीबी की सुरक्षा नीति फ्रेमवर्क :** सुरक्षा नीतियों का अर्थ सामान्यतः प्रचालन नीतियों से लिया जाता है जिनमें विकास प्रक्रियाओं से प्रभावित होने या सीमांतवर्ती लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सहित पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव से दूर रहने, कमी लाने या प्रतिकूल प्रभावों का उपशमन करने का प्रयास किया गया है। एडीबी के सुरक्षा नीति फ्रेमवर्क में पर्यावरण[9], देशज़ लोगों और अस्वैच्छिक पुनर्वास संबंधी तीन प्रचालन नीतियां शामिल हैं। इनके साथ एडीबी कार्यों[10], अस्वैच्छिक पुनर्वास [11] और देशज़ लोगों[12] में पर्यावरणीय आधार पर प्रचालन मैनुअल खंड हैं। एडीबी *हैंडबुक ऑन रिसेटलमेंट* (पद टिप्पणी 2) तथा एन्वायरनमेंटल एसेस्मेंट गाइडलाइन्स (2003) में सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए उत्तम पद्धति अवधारणाओं से संबंधित सूचनाएं दी गई हैं। तीन सुरक्षा नीतियों के अलावा कई सेक्टर की नीतियों में पर्यावरण सुरक्षा के तत्व शामिल हैं, उदाहरण के लिए जल, ऊर्जा तथा वानिकी से संबंधित तत्व।

---

[8] एडीबी, 2008. स्टेटजी 2020 : द लॉग टर्म स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक 2008–2020, मनीला।

[9] द एन्वायरेमेंटल पॉलिसी में पांच मुख्य तत्व हैं, लेकिन केवल पांचवें का संबंध सुरक्षा मुद्दे के रूप में पर्यावरण से है (इंटीग्रेटिंग एन्वारोंमेंटल कंसीडरेशन्स इन एडीबी ऑपरेशन्स, पैरा 30 और 50–70)।

[10] एडीबी. 2006. ऑपरेशन मैनुअल सेक्शन एफ1 : एन्वायरनमेंटल कंसीडरेशन्स इन एडीबी ऑपरेशन्स, मनीला।

[11] एडीबी. 2006. ऑपरेशन मैनुअल सेक्शन एफ2 : इंवोल्यूनेंटरी रिसेंटलमेंट, मनीला।

[12] एडीबी. 2006. ऑपरेशन मैनुअल सेक्शन एफ3 : इंडीजन्स पीपल्स, मनीला।

15. **सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं :** तीनों सुरक्षा नीतियों में परियोजनाकाल के दौरान परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव का समाधान करने के लिए संघात मूल्यांकन, नियोजन और उपशमन की ढांचागत प्रक्रिया शामिल है। सुरक्षा नीतियों में अपेक्षा की गई है कि (i) संघातों का परियोजनाकाल के प्रारंभ में पता लगाकर उनका मूल्यांकन किया जाए; (ii) संभावित प्रतिकूल प्रभावों से बचने, कम करने, समाप्त करने या उनका मुआवजा करने के लिए योजनाएं बनाई और लागू की जाएं; और (iii) परियोजना तैयार और लागू करते समय प्रभावित लोगों को सूचित किया जाए और उनकी सलाह ली जाए। ये नीतियां एडीबी वित्त प्रबंधन वाले निजी क्षेत्र के कार्यों सहित सभी परियोजनाओं तथा सभी परियोजना घटकों पर लागू होती हैं। आंतरिक प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं का उल्लेख प्रचालन मैनुअल खंडों (पाद टिप्पणी 10–12) में किया गया है और इनमें निम्नलिखित कार्यान्वयन प्रक्रियाएं शामिल हैं : (i) एडीबी वित्त प्रबंधन के लिए संभावित परियोजनाओं का पता लगने के बाद से परियोजनाकाल के दौरान मुख्य मुद्दों के रूप में जांच; (ii) संघातों का मूल्यांकन किया जाता है, सुरक्षा योजनाएं बनाई जाती हैं जिनमें निवारण उपायों, मॉनीटरिंग प्रोग्राम और संस्थागत प्रबंधों का सारांश होता है तथा सुरक्षा उपायों को परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन में एकीकृत करने के लिए प्रबंध किए जाते हैं; (iii) परियोजना तैयार और कार्यान्वित करते समय प्रभावित लोगों से परामर्श लिया जाता है तथा निर्धारित प्रारूप ढंग और भाषा में सूचना उपलब्ध कराई जाती है; और (iv) जनसाधारण को सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी जाती है तथा सूचना को परियोजना अवधि में विभिन्न अवस्थाओं पर अपडेट किया जाता है[13]। एडीबी की सुरक्षा नीतियों में अपेक्षा की जाती है कि एडीबी तथा विकासशील सदस्य देशों की सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए।

16. **भूमिका तथा दायित्व :** तीन वर्तमान सुरक्षा नीतियों का बुनियादी सिद्धांत यह है कि नीतियों के प्रावधानों का कार्यान्वयन करना कर्जदार/ग्राहक का दायित्व है। कर्जदारों/ग्राहकों से सामाजिक तथा पर्यावरण संबंधी मूल्यांकन करने, प्रभावित लोगों और समुदायों के साथ परामर्श करने, सुरक्षा योजनाएं तैयार और कार्यान्वित करने, इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। एडीबी की भूमिका कर्जदारों/ग्राहकों की नीतिगत अपेक्षाओं का स्पष्टीकरण करने, कर्जदारों/ग्राहकों को परियोजना प्रोसेसिंग और कार्यान्वयन के दौरान क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से उन अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता देना, उचित कर्मठता और समीक्षा सुनिश्चित करना और मॉनीटरिंग और निगरानी करना शामिल हैं। परियोजना प्रोसेंसिंग और परियोजना साइकिल के अनुमोदनकाल में पर्याप्त ध्यान दिया जाता है हालांकि एडीबी की भूमिका परियोजना कार्यान्वयन के दौरान सुरक्षा उपायों के अनुपालन पर निगरानी रखना है। एडीबी की परियोजना समापन रिपोर्ट और परियोजना कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें जिनमें सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा शामिल हैं।

## ख. अनुपालन संबंधी चूक

17. **अनुपालन प्रणाली :** 2002 में पुनर्गठन होने पर[14] एडीबी ने अपनी सुरक्षा नीतियों के साथ परियोजना के अनुपालन की मॉनीटरिंग के प्रबंध किए थे। सुरक्षा अनुपालन तथा संबद्ध प्रचालन प्रक्रिया और दिशानिर्देशों पर प्रबंधन और प्रचालन विभागों को सलाह देने के लिए पर्यावरण तथा सुरक्षा प्रभाव की सहायता से एडीबी का मुख्य अनुपालन अधिकारी जिम्मेदार होता है। सुरक्षा नीतियों के अनुपालन पर पूरे परियोजनाकाल में निगरानी रखी जाती है। यदि परियोजना में गैर–अनुपालन का कोई जोखिम हो तो प्रबंध समीक्षा बैठक में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जाती है तथा स्टाफ समीक्षा समिति की बैठक में परियोजना अनुपालन की पुनः समीक्षा की जाती है। प्रचालन विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाते हैं कि बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने से पहले बकाया सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं पूरी की जाएं। कानूनी समझौतों के सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन पर निगरानी रखने तथा यदि गैर–अनुपालन का जोखिम हो तो समुचित कार्रवाई करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन के दौरान समीक्षा मिशन चलाए जाते हैं।

---

[13] एडीबी की पब्लिक कम्यूनिकेशन्स पॉलिसी (2005) में विभिन्न एडीबी कार्यकलापों (सुरक्षा उपायों सहित) के लिए डिस्क्लोज़र अपेक्षाओं का उल्लेख है।

[14] एडीबी. 2001. रिकॉगनाइजेशन ऑफ द *एशियन डेवलपमेंट बैंक*, मनीला।

18. **जवाबदेही तंत्र :** मई, 2003 में एडीबी ने नया जवाबदेही तंत्र[15] अपनाया था जिसके द्वारा एडीबी वित्तीय सहायता प्रदत्त परियोजनाओं द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोग अपनी शिकायतें व्यक्त कर सकते हैं; उनका समाधान पा सकते हैं; और एडीबी की सुरक्षा नीतियों सहित प्रचालन नीतियों और प्रक्रिया के कथित उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं। जवाबदेही तंत्र ने एडीबी के *निरीक्षण कार्य* (1995)[16] का स्थान लिया। एडीबी के जवाबदेही तंत्र में दो पृथक लेकिन संबद्ध कार्य हैं : (i) एडीबी सहायता प्रदत्त परियोजनाओं द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता देने के लिए एडीबी के विशेष परियोजना सूत्रधार के नेतृत्व में परामर्श; और (ii) एक ऐसी प्रक्रिया मुहैया कराना जिसके द्वारा परियोजनाओं से प्रभावित एडीबी के अनुपालन समीक्षा पेनल द्वारा अनुपालन समीक्षा के लिए अनुरोध दायर कर सकते हैं।

## ग. एडीबी की सुरक्षा नीतियों के साथ अनुभव

19. **पर्यावरण :** एडीबी ने अपने उधार कार्यों में पर्यावरण मूल्यांकन की औपचारिक शुरूआत 1979[17] में की थी। 2002 में जब वर्तमान पर्यावरण नीति अपनाई गई थी तब तक एडीबी के पास पर्यावरण मूल्यांकन और प्रबंधन का दो दशक से अधिक का अनुभव संचित हो चुका था। इस अवधि के दौरान तकनीकी मूल्यांकन तथा निवारक उपायों पर प्रारंभिक फोकस देने से लेकर एक व्यापक पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार और कार्यान्वित करने पर बल दिए जाने के फलस्वरुप नीतिगत सिद्धांतों और पर्यावरणीय सुरक्षा का दायरा तैयार हुआ है। पर्यावरण प्रबंध योजना के प्रमुख तत्वों में निवारक उपाय, मॉनीटरिंग प्रोग्राम, लागत अनुमान, बजट तथा कार्यान्वयन के लिए संस्थागत प्रबंध शामिल हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया में सार्वजनिक परामर्श, सूचनाओं का डिस्कॉलोजर और विकल्पों पर विचार पर बल दिया जाता है। प्रक्रियागत अनुपालन में समय के साथ–साथ सुधार हुआ है जब कि अनुपालन के सारगर्भित पहलुओं – पर्यावरण मूल्यांकन के निष्कर्षों और सिफारिशों का परियोजना डिजाइन में एकीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना के कर्जदार/ग्राहक स्वामित्व और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का प्रभावशाली कार्यान्वयन अब भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

20. 2006 प्रचालन मूल्यांकन विभाग (ओईडी) *पर्यावरण सुरक्षा उपायों*[18] पर *विशेष मूल्यांकन अध्ययन* (एसईएस) ने निष्कर्ष निकाला था कि एडीबी की पर्यावरणीय नीति का सुरक्षा तत्व प्रासंगिक है और एडीबी–सहायता प्रदत्त परियोजनाओं से प्रमुख प्रतिकूल पर्यावरण संघातों से बचने में असरकारक रहा है। हालांकि उसकी लेन देन लागत की वजह से परियोजना प्रोसेंसिंग की क्षमता में कमी आई है। इस अध्ययन में *पर्यावरण नीति* में संशोधन करके (i) ''फ्रंट एंड लोन प्रोसेंसिंग से लेकर परिणाम डिलीवरी के अनुमोदन पर प्रयासों'' को रिफोकस करने, (ii) कंट्री सिस्टम और प्रक्रियाओं को पर्यावरण मूल्यांकन की नीति के साथ बेहतर तालमेल, (iii) परियोजना से क्षमता निर्माण तक नीतिगत उपयोग के फोकस को व्यापक बनाना और (iv) अनवरत विकास पर अधिक फोकस के लिए पर्यावरणीय तथा सामाजिक उपायों के साथ बेहतर तालमेल लाने की सिफारिश की गई है। इस अध्ययन में यह भी सिफारिश की गई थी कि एडीबी (i) रजिडेंट मिशनों की पर्यावरणीय दक्षता को सुदृढ़ बनाने; (ii) गैरसरकारी संगठनों (एनजीओ) को मॉनीटरिंग में अधिक भूमिका प्रदान करने; (iii) पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील श्रेणी 'ख' परियोजना वर्गीकरण के अनुप्रयोग और श्रेणी 'क' प्रोजेक्ट्स के लिए 120 दिन के डिसक्लोजर नियम की समीक्षा करने; (iv) कंट्री सिस्टम्स को सुदृढ़ बनाने; और (v) एडीबी की क्षमता और नीतिगत अपेक्षाओं के बीच उचित मेल सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देने सहित संशोधित पर्यावरण नीति को कार्यान्वित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने पर विचार कर सकता है।

21. **अस्वैच्छिक पुनर्वास :** अस्वैच्छिक पुनर्वास नीति का प्रतिपादन 1995 में विश्व बैंक की अस्वैच्छिक पुनर्वास नीति के आधार पर किया गया था। जैसे–जैसे एडीबी सहायता परियोजनाएं अधिक जटिल होती गइ वैसे–वैसे उनमें विशेष तौर पर उन शहरी क्षेत्रों में जहां अनौपचारिक रूप से बसने वाले अनेक लोग रहते हैं, भौतिक पुनर्वास किए बिना संपत्ति, परिसंपत्तियों और आजीविका के साधनों के नुकसान पर होने वाले संघात का समाधान करना पड़ा। इस नीति के कार्यान्वयन से जुड़े अनुभव से

[15] एडीबी. 2003. रिव्यू आफ द इंस्पेक्शन फंक्शन : एस्टेब्लिशमेंट आफएन्यू एडीबी एकाउंटेबिलिटी मेकैनिज्म, मनीला।
[16] एडीबी. 1995. एस्टेब्लिशमेंट आफ इंस्पेक्शन फंक्शन, मनीला।
[17] एडीबी. 1979. एन्वायरनमेंटल कंसीडरेशन्स इन एडीबी ऑपरेशन्स, मनीला।
[18] एडीबी. 2006. स्पेशियल इवेल्यूशन स्टेडी ऑन एन्वायरनमेंटल सेफगार्ड्स, मनीला।

पता चलता है कि इसके कई पहलुओं में सुधार किया जा सकता है जिनमें (i) बिना स्पष्ट भूस्वामित्व वाले लोगों (उदाहरण के लिए पट्टरी वासियों या अन्य अनौपचारिक रूप से बसने वाले लोगों के साथ व्यवहार; (ii) समुचित पुनर्वास लागत, जीर्णोद्धार तथा/अथवा पुनर्वास तथा आजीविकाओं को शामिल करते हुए पुनर्वास मुआवजे की संभावना; (iii) प्रभावित बनाम विस्थापित लोगों की सुस्पष्ट परिभाषा; तथा (iv) संघात मूल्यांकन तथा पुनर्वास नियोजन और कार्यान्वयन के लिए विकासशील सदस्य देशों की क्षमता का विकास शामिल है।

22. अस्वैच्छिक पुनर्वास सुरक्षा उपायों[19] पर 2006 ओईडी एसईएस में यह निष्कर्ष निकला था कि *अस्वैच्छिक पुनर्वास नीति* अनेक विकासशील सदस्य देशों में प्रभावित लोगों के लिए परिणाम हासिल करने और पुनर्वास क्षमता का सृजन करने में व्यापक तौर पर सफल रही है। तथापि इसके निवेश और प्रक्रियाओं को क्षमता से कम आंका गया है और वर्तमान नीतिगत अवधारणा को एडीबी और उसके कर्जदारों/ग्राहकों को होने वाली लेन–देन लागत को ध्यान में रखते हुए वाजिब ठहराए जाने की संभावना कम है। परिणामस्वरूप एसईएस में सिफारिश की गई है कि सुरक्षा नीति अपडेट के दौरान (i) एडीबी को 1995 की *अस्वैच्छिक पुनर्वास नीति* और *प्रचालन मैनुअल* के बीच के अंतर का मिलान करना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि नीति के दायरे में भौतिक और आर्थिक विस्थापन दोनों आते हैं या नहीं; (ii) अस्पष्ट मुख्य शब्दों और कार्यान्वयन औपचारिकताओं का स्पष्टीकरण करना, जिनमें पुनर्वास लागत, मुआवजा तथा पुनर्वास सहायता, पट्टरीवासियों के अधिकार और भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाएं शामिल हैं, का स्पष्टीकरण करना चाहिए; (iii) कार्यनिष्पादन मानकों के साथ परिणाम मूलक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए; (iv) भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास सुरक्षा उपायों के लिए विकासशील सदस्य देशों की क्षमता तथा कंट्री सिस्टम पर निर्भरता में वृद्धि करना; तथा (v) अस्वैच्छिक पुनर्वास कार्यों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन और प्रक्रिया का प्रावधान करना शामिल हैं। एसईएस में नीतिगत अपेक्षाओं तथा उपलब्ध स्टाफ संसाधनों के बीच विसंगति की भी पहचान की गई थी और सिफारिश की गई थी कि सुरक्षा नीति अपडेट में नीतिगत कार्यान्वयन योजना को शामिल किया जाए।

23. **देशज़ लोग :** एडीबी ने 1998 में *देशज़ लोगों से संबंधित अपनी नीति* को अंगीकृत किया था। देशज़ लोगों की स्थूल परिभाषा में हाल ही के दशकों में उभर कर सामने आई अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा देशज़ लोगों के सामान्य वर्गीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यताप्राप्त देशज़ लोगों की स्थिति का अनुसरण किया गया है। देशों के इतिहास, संस्कृति, विचारधाराओं, आर्थिक संसाधनों, जनसांख्यिकी, तथा राजनैतिक – संस्थागत फ्रेमवर्क में व्याप्त भारी अंतर की वजह से नीति को कार्यान्वित करने में इस क्षेत्र में विशेष चुनौतियां मौजूद हैं। देशों के राष्ट्रीय कानून और देशज़ लोगों की परिभाषा, यदि कोई हो, एडीबी की नीति से पूरी तरह मेल नहीं खाती। नीति के कार्यान्वयन से जुड़े अनुभव मिले–जुले रहे हैं और निम्नलिखित सहित प्रमुख चुनौतियां आज भी बरकरार हैं : (i) देशज़ लोगों की सांस्कृतिक पहचान और उनके पैतृक भूमि और संसाधनों से जुड़े अधिकारों को मान्यता देना, (ii) प्रभावित देशज़ लोगों के समुदायों और शेष समाज के बीच विकास के लाभों का उचित बंटवारा तथा (iii) उनके जीवन को प्रभावित करने वाली परियोजना के नियोजन और कार्यान्वयन में देशज़ लोगों के समुदायों के साथ सार्थक तथा सांस्कृतिक रूप से उचित परामर्श।

24. देशज़ लोगों के सुरक्षा उपायों[20] पर 2007 ओईडी एसईएस में यह निष्कर्ष निकला था कि यह नीति एडीबी और उसके कर्जदारों/ग्राहकों के लिए प्रासंगिक तो है लेकिन कम असरकारक है। एडीबी सहायता प्रदत्त परियोजनाओं में साधारणतः प्रतिकूल संघातों की अवहेलना होती है या उनका उपशमन किया जाता है लेकिन यह व्यापक तौर पर देशज़ लोगों की योजनाओं की बजाय पुनर्वास योजनाओं और पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन का परिणाम माना जाता रहा है। एसईएस के अनुसार अन्य सुरक्षा योजनाओं के बावजूद देशज़ लोगों को अतिरिक्त महत्व न दिए जाने के कारण वर्तमान नीतिगत अवधारणा कम कारगर सिद्ध हुई है और एडीबी तथा उसके कर्जदारों/ग्राहकों को होने वाली लेन–देन लागत की वजह से इसके टिकाऊ होने की संभावना कम है। एसईएस में सिफारिश की गई है कि सुरक्षा नीति अपडेट के दौरान एडीबी को (i) देशज़ लोगों से संबंधित नीति में उन क्षेत्रों का स्पष्टीकरण करना चाहिए जिन पर देशज़ लोगों की परिभाषा सहित भ्रम या संदेह है; (ii) पुनर्वास योजनाओं या ईएमपी में देशज़ लोगों के मुद्दों को शामिल करना जहां देशज़ लोगों को मुख्यतः पुनर्वास या पर्यावरण क्षति को लेकर जोखिम हो; (iii) परियोजना बनाने या कार्यान्वित करने के दौरान परामर्श प्रक्रियाओं के

[19] एडीबी. 2006. स्पेशियल इवेल्यूशन स्टेडी ऑन इन्वोलेंटरी रिसेटलमेंट सेफगार्ड्स, मनीला।
[20] एडीबी. 2007. स्पेशियल इवेल्यूशन स्टेडी ऑन इंडिजिन्स पीपल्स सेफगार्ड्स, मनीला।

बारे में अपेक्षाओं का स्पष्टीकरणकरना; और (iv) देशज़ लोगों से संबंधित सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए। एडीबी प्रबंधन द्वारा दिए गए जवाबों और देशज़ लोगों के सुरक्षा उपायों से संबंधित विशेष मूल्यांकन अध्ययन पर बोर्ड की विकास प्रभावशील समिति की सिफारिशों के साथ–साथ पर्यावरण तथा अस्वैच्छिक पुनर्वास सुरक्षा उपायों पर मूल्यांकन अध्ययनों को एडीबी की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है[21]।

25. **सम्बद्ध मुद्दे :** हाल के वर्षों में एडीबी की पर्यावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन की आंतरिक समीक्षाओं में अच्छे कार्यनिष्पादन की आवश्यकता को भी उजागर किया गया है। परियोजना तैयार करने और उन पर कार्यवाही के लिए प्रांसगिक मुद्दों में (i) परामर्श और डिसक्लोजर की गुणवता, (ii) विकासशील सदस्य देशों के फ्रेमवर्क और क्षमताओं का समुचित मूल्यांकन, (iii) परियोजना अवधि के दौरान सुरक्षा नियोजन का उचित क्रम निर्धारण; तथा (iv) सुरक्षा दस्तावेजों की गुणवता में अंतर शामिल है। सुरक्षा उपायों के लिए बजट प्रावधानों की पर्याप्तता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे (i) सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए बजट प्रावधान (डिजाइन परिवर्तन, मुआवजा भुगतान आदि); (ii) निवारक उपायों को लागू करना; (iii) विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन और दायरे में परिवर्तनों के आधार पर सुरक्षा योजनाओं को अद्यतन बनाया जाना सुनिश्चित करना; (iv) ठेकेदार के स्तर पर एजेंसी की चूक में सुधार करना; तथा (v) धरातल पर विशेष तौर पर चूक के मामले में एडीबी पर्यवेक्षण तथा अनुपालन मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने पर आधारित हैं।

## IV. मुख्य नीतिगत मुद्दे तथा आधाार

### क. नीति निर्माण और दायरा

26. **स्पष्टता, सुसंगति और प्रासंगिकता में सुधार :** हालांकि तीनों सुरक्षा नीतियों में कुछ तत्व और सिद्धांत एक जैसे हैं लेकिन कुछ अस्पष्टता, दोहराव और विसंगतियां स्पष्ट दिखाई देती हैं उदाहरण के लिए, (i) पर्यावरण मूल्यांकन में सामाजिक तत्वों के लाभान्वयन को स्पष्ट करने की आवश्यकता है; (ii) देशज़ लोगों से संबंधित नीति के कुछ तत्व अस्वैच्छिक पुनर्वास नीति में भी शामिल हैं; (iii) तीनों नीतियों में डिसक्लोजर और परामर्श अपेक्षित है, लेकिन अपेक्षाएं और प्रक्रियाएं मेल नहीं खाती; (iv) किन–किन नीतियों में कौन–कौन से उधार और कौन–कौन से प्रक्रियात्मक जवाब हैं, इसमें कोई तालमेल नहीं है; (v) प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं प्रमुख नीतिगत सिद्धांतों के साथ मिश्रित हैं जिसके चलते कभी–कभी नीतियों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन प्रक्रियाओं के अनुपालन पर अनुचित बल दिया जाता है जो आवश्यक नहीं हैं; और (vi) वर्तमान नीतियां और प्रचालन प्रक्रियाएं एडीबी स्टाफ के लिए अनुदेशों से मिलती–जुलती हैं जिनके चलते प्रायः दायित्वों और जवाबदेही की सीमाएं अकसर अस्पष्ट हो जाती हैं। सुरक्षा नीतियों में अधिक सुसंगति और उनके नीतिगत सिद्धांतों, कर्जदारों/ग्राहकों के लिए अपेक्षाओं की पूरी स्पष्टता तथा आंतरिक कार्यान्वयन प्रक्रियाएं एडीबी स्टाफ तथा कर्जदारों/ग्राहकों को यह भलीभांति समझने में सहायक होंगी कि सुरक्षा नीतियों के उद्देश्यों को हासिल करने तथा उनकी भूमिका और दायित्वों को पृथक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ताकि विकास परिणामों की गुणवता में वृद्धि हो सके।

27. **सुरक्षा उपायों को अभिलाषी विकास उद्देश्यों से अलग करना :** तीन सुरक्षा नीतियों में इस समय अपेक्षात्मक विकास उद्देश्यों के साथ सुरक्षा से जुड़े सुरक्षा के निष्कंटक तत्वों का अलग–अलग सीमा तक समावेश है। उदाहरण के लिए, एडीबी की *पर्यावरण नीति* में पांच मुख्य तत्व हैं : (i) गरीबी कम करने के लिए पर्यावरणीय हस्तक्षेपों का संवर्धन करना; (ii) पर्यावरणीय आधारों को आर्थिक वृद्धि की मुख्य धारा में शामिल करना; (iii) वैश्विक तथा क्षेत्रीय जीवन सुरक्षा तंत्र को कायम रखना; (iv) साझेदारी विकसित करना; तथा (v) पर्यावरण सुरक्षा उपायों को एडीबी कार्यों के साथ जोड़ना। तथापि, पहले चार तत्वों का संबंध एडीबी की कारपोरेट पर्यावरण रणनीति से है और पांचवें तत्व में परियोजना स्तर पर पर्यावरण संबंधी सुरक्षा मुद्दों और मूल्यांकन का समाधान किया गया है। परस्पर जुड़े, विषयगत पर्यावरण मुद्दों को सुरक्षा अपेक्षाओं से अलग करने से प्रत्येक मुद्दे का इस ढंग से समाधान हो सकेगा जिससे कि समुचित कार्यान्वयन पर तथा उसकी ओर उचित ध्यान दिया जा सके। इसी तरह पर्यावरण नीति के अभिलाषी तत्वों को कारपोरेट स्तर की पर्यावरण रणनीति के तहत पूरा किया जा सकेगा। इसी तरह देशज़ लोगों से संबंधित नीति की विकास अभिलाषाओं का व्यापक रणनीति स्तर पर समाधान करना सुरक्षा उपायों के

[21] एडीबी. ओईडी एबीडी की सुरक्षा नीतियों का स्वतंत्र मूल्यांकन करता है। http://www.adb.org/Evaluation/safeguard-policies.asp देखें।

अनुपालन के सीमित संदर्भ के बजाय अधिक उपयोगी होगा। अतः सुरक्षा पर अभिलाषात्मक उद्देश्यों की बजाय एसपीएस पर स्पष्ट ध्यान देना उचित समझा गया है।

28. **अन्य नीतियों तथा रणनीतियों में पर्यावरण सुरक्षा तत्वों का समाधान :** पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़ी कई सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं अनेक एडीबी सेक्टर और विषयगत नीतियों तथा रणनीतियों में फैली हुई हैं[22]। इन अन्य नीतियों और रणनीतियों के संबंध में सुरक्षा अपेक्षाओं को अलग–अलग ढंग से पेश किया जाता है तथा आंशिक तौर पर यह एडीबी की पर्यावरण नीति की कार्यान्वयन प्रतिक्रिया पर निर्भर करता हैं। इसके फलस्वरूप होने वाले वर्गीकरण से परियोजना के प्रभाव को संपूर्ण रूप से समझने के अवसरों में कमी आती है। इसके अलावा वर्तमान पर्यावरण नीति के सुरक्षा घटक का ध्यान पर्यावरण मूल्यांकन के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। इस नीति में परियोजना के प्रभावों तथा प्रदूषण की रोकथाम (ग्रीन हाऊस गैस के धुएं सहित), जैवविविधता तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों से जुड़े जोखिमों के समाधान के लिए नीतिगत सिद्धांतों और अपेक्षाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। परियोजना के पर्यावरणीय मूल्यांकनों में इन मुद्दों का तदर्थ आधार पर समाधान किया गया है। अतः एडीबी को फिलहाल अन्य सेक्टर की नीतियों और रणनीतियों में शामिल पर्यावरणीय सुरक्षा तत्वों को संघटित करना चाहिए। पर्यावरणीय सुरक्षा सिद्धांतों और अपेक्षाओं को स्पष्ट करते हुए उनमें निम्नलिखित सेक्टरगत मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए (i) पर्यावरण मूल्यांकन, (ii) प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, (iii) जैवविविधता तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, (iv) व्यावसायिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, तथा (v) भौतिक सांस्कृतिक संसाधन।

29. **प्रमुख श्रम मानकों तथा लिंग संबंधी मुद्दों को सामाजिक आयामों में शामिल करना :** कुछ स्टेकहोल्ड्र्स ने सुरक्षा नीति कथन के अंग के रूप में प्रमुख श्रम मानकों और लिंग संबंधी मुद्दों पर नीतिगत प्रावधान प्रारंभ करने की मांग की है। प्रमुख श्रम मानक और स्थूलतर सामाजिक सुरक्षा मुद्दे पहले ही एडीबी की *सोशियल प्रोटेक्शन स्ट्रटेजी (2001)* में शामिल हैं। एडीबी के कार्यों[23] में सामाजिक आयामों को शामिल करने संबंधी *ऑपरेशन मैनुअल* के माध्यम से सामाजिक आयामों को भी संचालित किया जाता है। लिंग संबंधी मुद्दों पर एडीबी की पॉलिसी ऑन जेंडर एंड डेवलपमेंट (1998) तथा उसके साथ संलग्न लिंग और विकास संबंधी ऑपरेशन मैनुअल खंड के कार्यान्वयन के माध्यम से एडीबी कार्यों में पहले से ही विशेष और केंद्रित ध्यान दिया जाता है[24]। तथापि, यह माना गया है कि लिंग आधारों को सुरक्षा नीतियों में भी उन स्थानों पर दर्शाया जाना आवश्यक है जहां इनका संबंध विशेष तौर पर सुरक्षा पहलुओं से हो।

30. **नीति के दायरे और ट्रिगर्स के बारे में स्पष्टता में सुधार :** एडीबी *अस्वैच्छिक पुनर्वास नीति* तथा देशज़ लोगों से संबंधित *नीति के कार्यान्वयन से जुड़े एडीबी के अनुभव* से पता चलता है कि प्रत्येक नीति के दायरे और ट्रिगर्स में अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। विशेष मूल्यांकन अध्ययन (पाद टिप्पणी 19) द्वारा किए गए संकेत के अनुसार यह स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण करना आवश्यक है कि भूमि के अस्वैच्छिक अधिग्रहण और भूमि संबंधी परिसंपत्तियों, भूमि उपयोग प्रतिबंध और कानूनी रूप से निर्धारित सुरक्षित क्षेत्रों तक पहुंच पर प्रतिबंधों के फलस्वरूप स्वैच्छिक पुनर्वास नीति का प्रादुर्भाव हुआ है। यह स्पष्टीकरण भी आवश्यक है कि वर्तमान नीति में भौतिक तथा आर्थिक विस्थापन दोनों शामिल हैं और इन शब्दों की स्पष्ट रूप से परिभाषा करनी जरूरी है। परियोजनाओं की वजह से कभी–कभी प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जैसे मत्स्य पालन स्थलों तक पहुंच पर प्रतिबंध और जलापूर्ति में कमी। इन संघातों को, जो भूमि अधिग्रहण की उपज नहीं है, सुरक्षा नीतियों में शामिल किया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट करना होगा कि इन संघातों से बचाव किया जाएगा, या उनके बदले मुकावजा दिया जाएगा।

31. देशज़ लोगों से संबंधित नीति के वर्तमान स्वरूप में देशज़ लोगों की स्पष्ट कार्यात्मक परिभाषा नहीं दी गई है। नीति को लागू करने के प्रयोजन से देशज़ लोगों की पहचान करने में शामिल परेशानियां परिस्थितिजन्य विश्लेषण तथा उनके पुश्तैनी क्षेत्र और समुदायिक अधिकारों के संबंध में देशज़ समुदायों के बीच अलग–अलग अवधारणाओं के चलते और भी गहरी हो जाती है और इस प्रकार देशज़ लोगों की पहचान करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विशेषताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित

---

[22] इसमें *बैंक्स पॉलिसी ऑन फोरेस्टरी (1995); बैंक्स पॉलिसी इनीसिएटिव फार द एनर्जी सेक्टर (1995);* और *द वाटर पॉलिसी ऑफ़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक (2001)* जैसी नीतियां शामिल हैं।

[23] एडीबी. 2007. *ऑपरेशन मैनुअल.* खंड सी3 : सामाजिक आयामों को एडीबी कार्यों में शामिल करना, मनीला।

[24] एडीबी. 2006. *ऑपरेशन मैनुअल.* खंड सी2 : जेंडर एंड डेवलपमेंट, मनीला।

करना होगा। इसके अलावा, नीति प्रादुर्भाव संबंधी कारणों को भी देशज़ लोगों की गरिमा; मानव अधिकार; आजीविका उपार्जन प्रणालियां; संस्कृति; पुश्तैनी व्यवसाय; सामुदायिक परिसंपत्तियों; तथा प्रादेशिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों के रूप में स्पष्ट करना होगा।

32. **परामर्श और भागीदारी में वृद्धि करना :** परामर्श और भागीदारी सुरक्षा नीति के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए परम आवश्यक हैं। एडीबी की वर्तमान सुरक्षा नीतियों में अलग–अलग प्रकार की परामर्श अपेक्षाएं की गई हैं। उन सब में सुरक्षा नियोजन के संदर्भ में प्रभावित लोगों और समुदायों के साथ पूर्व और सजग परामर्श तथा परियोजना कार्यान्वयन के दौरान पैदा होने वाले सुरक्षा मुद्दों की पहचान और उनका समाधान करने में सहायता देने के लिए लगातार परामर्श की आवश्यकता दर्शाई गई है। एडीबी को यह स्पष्ट करना होगा कि सभी तीनों सुरक्षा नीतियों के कार्यान्वयन में प्रभावित लोगों और समुदायों के साथ सार्थक परामर्श करने के लिए उसे कर्जदारों/ग्राहकों की आवश्यकता पड़ेगी। एडीबी को ''सार्थक परामर्श'' के अर्थ को भी स्पष्ट करना होगा। नीति को लागू करने के लिए इसका अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से लगाया जाएगा (i) जो परियोजना को तैयार करने की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभ हो और पूरे परियोजनाकाल में अनवरत आधार पर जारी रखी जाए; (ii) प्रभावित लोगों को आसानी से समझ में आने वाली और तत्काल सुलभ प्रासंगिक तथा पर्याप्त सूचनाओं को समय पर उपलब्ध कराना; (iii) जो भय या उत्पीड़न मुक्त माहौल में सम्पन्न की जाती हों; (iv) जिसमें स्त्री और पुरूष दोनों शामिल हों और उनके प्रति जवाबदेह हों और उपेक्षित तथा कमजोर वर्गों की जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई हो; और (v) जो प्रभावित लोगों तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स के सभी प्रासंगिक विचारों को परियोजना डिजाइन, निवारक उपायों, विकास संबंधी लाभों और अवसरों के आदान–प्रदान तथा कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों जैसी निर्णय प्रक्रियाओं में शामिल करने में सहायक हों।

33. सितम्बर, 2007 में संयुक्त राष्ट्र की 61वीं साधारण सभा में देशज़ जन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (यूएनडीआरआईपी) को अंगीकृत किया गया था जिसका संबंध देशज़ लोगों के समुदायों को प्रभावित करने की किसी भी परियोजना को मंजूरी देने से पहले उनसे निःशुल्क, पूर्व तथा सोचसमझ कर सहमति प्राप्त करने" से है। एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के देशों ने इस गैर–बाध्यकारी घोषणाओं का समर्थन किया था। देशज़ लोगों को अपने स्वयं के विकास का मार्ग दिखाने तथा एडीबी बोर्ड द्वारा की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए देशज़ जन अधिकारों को मान्यता देते हुए एडीबी की सुरक्षा नीति में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए : निम्नलिखित परियोजना कार्यकलापों से प्रभावित देशज़ लोगों की सहमति प्राप्त करना बशर्ते कि देशज़ लोगों को विशेष तौर पर कमजोर माना जाता हो : (i) देशज़ लोगों के सांस्कृतिक संसाधनों और ज्ञान का वाणिज्यिक विकास; (ii) परम्परागत या सामुहिक भूमि से देशज़ लोगों का भौतिक पुनर्वास; और (iii) इस्तेमाल की जा रही सामुहिक भूमि के भीतर आने वाले प्राकृतिक संसाधनों का वाणिज्यिक विकास जिसका असर आजीविका अथवा संस्कृति, भूमि के समारोह या आध्यात्मिक उपयोग पर पड़ता हो। जिससे देशज़ लोगों की पहचान और समाज की परिभाषा की जाती हो। नीति को लागू करने के प्रयोजन के लिए यह प्रस्ताव है कि प्रभावित देशज़ लोगों के समाज द्वारा व्यक्तिगत तथा/अथवा उनके मान्यताप्राप्त प्रतिनिधियों के माध्यम से परियोजना कार्यकलापों के लिए व्यापक सामूहिक समर्थन देने की सहमति को सामूहिक अभिव्यक्ति से जोड़ा जाए। ऐसा व्यापक जनसमर्थन संभव है भले ही कुछ व्यक्ति या समूह परियोजना कार्यकलापों का विरोध करते हों।

## ख. नीति का प्रयोग और डिलीवरी मुद्दे

**34. फ्रंट लोडिड प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का कार्यान्वयन के साथ संतुलन कायम करना :** वर्तमान सुरक्षा नीतियों में परियोजना प्रोसेसिंग के दौरान प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं और उपलब्धियों को पूरा करने पर बहुत बल दिया जाता है। इन नीतियों में पर्यवेक्षण और परियोजना कार्यान्वयन के दौरान परिणाम हासिल करने पर कम ध्यान दिया जाता है। फ्रंट लोडिड प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का समय और क्रमनिर्धारण हमेशा अनुकूल नहीं होता इसलिए इन अपेक्षाओं को हासिल कर लेने मात्र से संतोषजनक सुरक्षा परिणाम सुनिश्चित नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए, परियोजना प्रोसेसिंग के दौरान तथा परियोजना मूल्यांकन से पहले परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्टों के आधार पर प्रारूप पुनर्वास योजनाएं तैयार करने का बहुत प्रयास किया जाता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पुनर्वास नियोजन और कार्यान्वयन क्रियाकलाप विस्तृत डिजाइन कार्यों के अंग के रूप में किए जाते हैं जो परियोजना कार्यान्वयन के दौरान किए जाते हैं। इसी प्रकार, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील परियोजनाओं के लिए डिसक्लोजर संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रारूप सारांश पर्यावरण संघात मूल्यांकन रिपोर्टें तैयार करने के लिये

आवश्यक स्टाफ इनपुट प्रदान किया जाता है लेकिन पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, जो परियोजना कार्यान्वयन का आधार होती हैं, को अंतिम रूप देने और लागू करने की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन से जुड़े एडीबी के अनुभव और हाल ही में किए गए ओईडी एसईएस से पता चला है कि परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान सुरक्षा उपायों की ओर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। नीतिगत अपेक्षाओं में सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा अधिक पर्यवेक्षेण, स्थानीय शिकायत निवारण तंत्रों की स्थापना, मॉनीटरिंग रिपोर्टों के सत्यापन के लिए बाह्य विशेषज्ञों का प्रयोग और स्वतंत्र सलाहकार पेनलों के प्रयोग संबंधी प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए।

35. **सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाना :** सेक्टर लोन तथा एमएफएफ (नामतः पर्यावरणीय मूल्यांकन तथा समीक्षा फ्रेमवर्क, पुनर्वास फ्रेमवर्क, और देशज़ लोगों के नियोजन फ्रेमवर्क) पर फिलहाल जो सुरक्षा फ्रेमवर्क लागू होते हैं उनमें उपपरियोजनाओं के लिए अपनाई जाने वाली सुरक्षा जांच, मूल्यांकन, संस्थागत प्रबंध तथा प्रक्रियाओं अथवा बोर्ड की मंजूरी के बाद तैयार की जाने वाली ट्रेंचेज़ के लिए दिशानिर्देशों का प्रावधान है। सुरक्षा फ्रेमवर्क में पात्रता के मापदंड का भी उल्लेख है जिससे यह सुनिश्चित हो पाता है कि अच्छी किस्म की उपपरियोजनाओं की पहचान की जाती है तथापि, वर्तमान अस्वैच्छिक पुनर्वास नीति तथा देशज़ लोगों से संबंधित नीति में फ्रेमवर्क के इस्तेमाल को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है और न ही एमएफएफ अपेक्षाओं का समाधान करने के लिए सुरक्षा नीतियां दी गई हैं। इसके अलावा, जहां बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद विस्तृत डिजाइन तैयार किए जाते हैं वहां पर परियोजना के गैर–संवेदनशील घटकों के लिए फ्रेमवर्क के इस्तेमाल के लिए कोई औपचारिक प्रावधान नहीं हैं। पॉलिसी अपडेट में इन कमियों का समाधान किया गया है। इसके अलावा, इस अवधारणा से जुड़ा एक प्रमुख मुद्दा यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद उपपरियोजनाओं के लिए सुरक्षा योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करते समय कर्जदार/ग्राहक सुरक्षा फ्रेमवर्क का सही ढंग से उपयोग करेंगे। सुरक्षा फ्रेमवर्क को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कर्जदारों/ग्राहकों की संस्थागत क्षमता का निर्धारण करने, परियोजना डिजाइन में शामिल करने के लिए क्षमता निर्माण के तंत्र और उपायों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा सुरक्षा नीतियों के गैरअनुपालन के जोखिम से बचने के लिए उपपरियोजनाओं की मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षेण की ओर अधिक ध्यान देना होगा।

**36. वित्तीय मध्यस्थता में पर्यावरणीय तथा सामाजिक जोखिमों का प्रबंधन :** एडीबी के पास मुख्यतः उसके निजी क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में वित्तीय मध्यस्थताओं वाली परियोजना का विशाल पोर्टफोलियो है। वित्तीय मध्यस्थता वाली परियोजना में सुरक्षा परिप्रेक्ष्य से विशेष चुनौतियां आती हैं : एडीबी को उपपरियोजनाओं के संबंध में कोई प्रत्यक्ष चूक या बड़ा लाभ नहीं होता क्योंकि उप परियोजनाएं प्रायः अज्ञात होती हैं जब वित्तीय मध्यस्थता का मूल्यांकन होता है और कई उपपरियोजनाओं को धनराशि का वितरण किया जाता है तथा वित्तीय मध्यस्थतता फाइनेंसिंग में मध्यस्थता के कई स्तर होते हैं जिससे सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिम का प्रबंधन जटिल हो जाता है। वैसे तो वर्तमान पर्यावरण नीति में वित्तीय मध्यस्थता से संबंधित कुछ प्रावधान हैं लेकिन *अस्वैच्छिक पुनर्वास नीति* और *देशज़ लोगों से संबंधित नीति* इस बारे में मौन हैं। इन नीतिगत खामियों का समाधान करना होगा। इसके अलावा, (i) वित्तीय संस्थानों के स्तर और उपपरियोजना स्तर से संबंधित अपेक्षाओं; तथा (ii) एडीबी और वित्तीय संस्थान ग्राहक की भूमिकाओं और दायित्वों का स्पष्टीकरण करना आवश्यक होगा। संभावित सामाजिक तथा पर्यावरणीय संघात तथा/अथवा जोखिमों के आधार पर वित्तीय मध्यस्थतों के लिए अपेक्षाएं निर्धारित करना वांछनीय होगा। इसके अलावा वित्तीय मध्यस्थ तीन अलग–अलग प्रणालियों की बजाय एक एकीकृत पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) को अधिक उपयोगी मान सकते हैं। अंत में, हालांकि एडीबी को फिलहाल किसी निषेध निवेश सूची की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी अपेक्षा प्रारंभ करना उपयोगी होगा।

### ग. ग्राहक की बदलती अपेक्षाओं और सुरक्षा तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता के प्रति प्रतिक्रिया देना

**37. कंट्री सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना और उनका उपयोग करना :** ओसीआर कर्जदारों को सहायता में वृद्धि करने के लिए एडीबी के प्रयासों के संदर्भ में शुरू किए गए परामर्शों से पता चला है कि अनेक कर्जदार/ग्राहक मानते हैं कि एडीबी की सुरक्षा नीति का अनुपालन करने की लेनदेन लागत बहुत अधिक है तथा मध्य आय वाले देशों के प्रतिनिधियों का मानना है कि एडीबी के प्रक्रिया की बजाय उनकी अपने देश की प्रणालियों के माध्यम से साझा सुरक्षा सिद्धांतों को कायम रखना बेहतर होगा। उनकी मान्यता है कि विभिन्न ग्राहकों की आवश्यकताओं को और विकासशील सदस्य देशों की अत्यंत विविध क्षमताओं

को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए एडीबी की प्रक्रिया और अवधारणाओं में सुधार किया जा सकता है। एडीबी ने माना है कि विकासशील सदस्य देशों के सुरक्षा संबंधी अपने स्वयं के तंत्र हैं और विकासशील सदस्य देशों के तंत्र को सुदृढ़ बनाने और उनका उपयोग करने से उस देश का स्वामित्व बढ़ेगा, विकास संबंधी संघातों में वृद्धि होगी और लेनदेन लागत में कमी आएगी। यह अनुदान की प्रभावशीलता तथा *एकरा एजेंडा फॉर एक्शन* पर पेरिस घोषणा के तहत कंट्री स्वामित्व तथा कंट्री तंत्र के साथ अधिक तालमेल के साथ बढ़ती प्रवृत्ति के भी अनुरूप है। विश्व बैंक के सीएसएस के उपयोग में प्रायोजित अनुभव को ध्यान में रखते हुए एडीबी को कंट्री सुरक्षा तंत्र (सीएसएस) को मजबूत बनाने और अपनी परियोजनाओं में उनका उपयोग करने के लिए अपनी अवधारणा विकसित करनी होगी। यह एक ऐसी आवश्यकता है जिसके चलते यह सुनिश्चित हो सकेगा कि एडीबी के सुरक्षा सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं होता तथा सीएसएस से जुड़े जोखिमों का समाधान किया जाता है। अतः यह अवधारणा क्रमिक होगी और इसमें निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाएगाः (i) सीएसएस पर लागू होने वाली शर्तें; (ii) सीएसएस मूल्यांकनों की पद्धति; (iii) परामर्श तथा मान्यता प्रक्रियाएं; (iv) एडीबी और कर्जदारों की भूमिकाएं और दायित्व; (v) खामियों का निस्तारण जैसी प्रक्रियाएं तथा अन्य संबद्ध अपेक्षाएं; और (vi) संसाधनों के निहितार्थ।

38. **अन्य बहुपक्षीय वित्त संस्थानों के सुरक्षा नीतियों के साथ तालमेल :** पिछले पांच वर्षों या अधिक समय से कई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से अपनी सुरक्षा नीतियों को अपडेट किया है या इस समय अपडेट कर रहे हैं। इन संस्थानों द्वारा तैयार की गई नीति तथा सर्वोत्तम पद्धतियां एडीबी कार्यों के लिए प्रासंगिक हैं। उन अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा नीतियों के साथ एडीबी के सुरक्षा नीति सिद्धांतों और अपेक्षाओं का समंजस्य बैठाना भी विकास संघात में वृद्धि करने, लेनदेन लागत में कमी लाने तथा सहयोगी व्यवहार को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक है। बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों ने पर्यावरण मूल्यांकन[25] के लिए सिद्धांतों के संयुक्त फ्रेमवर्क को परिभाषित करने में कुछ प्रगति की है लेकिन बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के बीच सुरक्षा पद्धतियों के साथ तालमेल जारी रखना आवश्यक है। एडीबी मानता है कि उसे प्रमुख नीतिगत सिद्धांतों के संबंध में, जहां बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के बीच विभिन्न ग्राहकों और परिस्थितियों को पूरा करना अपेक्षित होता है, सामंजस्य बैठाना चाहिए। अतः सुरक्षा नीति अपडेट में यह सुनिश्चित किया गया है कि पर्यावरण, अस्वैच्छिक पुनर्वास और देशज़ लोगों से संबंधित नीतिगत सिद्धांत और अपेक्षाएं अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, विशेषतौर पर विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम तथा ईबीआरडी की नीतियों के अनुसार तैयार की जाएं।

39. **निजी क्षेत्र के ग्राहकों के साथ कार्य करना :** एडीबी के निजी क्षेत्र के निवेश कार्यक्रम में पिछले पांच वर्षों के दौरान बहुत वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र के ग्राहक एक विविध प्रकार का समूह हैं जिसकी पर्यावरणीय तथा सामाजिक जागरूकता और क्षमताएं अलग–अलग प्रकार की हैं इसलिए वे जिन परियोजनाओं के लिए धन जुटा सकते हैं उनका आकार तथा प्रकृति भी अलग–अलग होती है, उदाहरण के लिए छोटे तथा मझौले आकार के कम ऊर्जा दक्षता या अक्षय ऊर्जा उद्योगों से लेकर निष्कर्षण उद्योगों, ऊर्जा तथा अवस्थापना के क्षेत्र में बड़ी कंपनियों तक। इनकी प्रचालन अवधि सरकारी क्षेत्र के परियोजनाओं की तुलना में बहुत थोड़ी होती है तथा सुरक्षा उपायों को सीमित समय अवधि के भीतर बहुत कर्मठता से लागू करना पड़ता है। सुरक्षा कार्यों या बहुस्तरीय वित्तीय मध्यस्थतों के लिए विशेष प्रयोजन वाले वाहनों जैसे जटिल वित्त प्रबंधन ढांचों की वजह से कुछ कठिन प्रश्न पैदा होते हैं कि एडीबी के सुरक्षा उपायों को कैसे लागू किया जाए। हालांकि वर्तमान सुरक्षा प्रक्रियायां परम्परागत अवस्थापना वित्त प्रबंध के लिए प्रासंगिक हैं लेकिन सदैव परिवर्तनशील व्यापारिक परिवेश, विविध प्रकार के वित्तीय उत्पादों की उपलब्धता तथा वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजारों में एडीबी के हस्तक्षेपों की बढ़ती जटिलता के चलते भिन्न–भिन्न अवधारणाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। सुरक्षा नीति के सिद्धांत सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों प्रकार के परियोजनाओं पर समान रूप से लागू होने चाहिएं भले ही परियोजनाओं की प्रोसेंसिंग प्रक्रियायां अलग अलग क्यों न हों।

40. **एडीबी की क्षमता, निर्माण और संसाधन नियतन को अनुकूल बनाना :** सुरक्षा की प्रभावशीलता में सुधारों के लिए एडीबी की अधिक क्षमता विशेषकर परियोजनाओं कार्यान्वयन, सीएसएस मूल्यांकन तथा विकासशील सदस्य देशों में क्षमता निर्माण के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। इसके लिए विकासशील सदस्य देशों को अपने स्वयं के सुरक्षा फ्रेमवर्क को समझने, सुरक्षा कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा सुरक्षा कार्यान्वयन की वास्तविकताओं का समाधान करने में कर्जदारों/ग्राहकों को शामिल करने के लिए एडीबी की क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता पड़ेगी। विशेषकर परियोजना टीमों को सुरक्षा नीतियों के लक्ष्यों और सिद्धांतों पर मजबूत पकड़ बनानी होगी क्योंकि, वे फ्रंट लाइन पर मौजूद होते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि

[25] पर्यावरण पर बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों का कार्यसमूह, 2005. ए कॉमन फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरनमेंटल एसेस्मेंट : ए गुड प्रैक्टिस नोट।

नीतियों को लागू किया जाए। गत कई वर्षों से एडीबी ने तीन सुरक्षा नीतियों पर अपने स्टाफ को प्रशिक्षण दिया है तथा ऐसा प्रशिक्षण मुख्यालय तथा रेजिडेंट मिशन दोनों स्तरों पर जारी रखना आवश्यक है, साथ ही प्रचालन विभागों तथा क्षेत्रीय एवं सस्टेनेबल डिपार्टमेंट के कार्यों में सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए स्टाफ संसाधनों का सही रूप से उपयोग करना पड़ेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाओं, कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षेण की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है तथा परियोजनाओं की प्रोसेसिंग संबंधी जरूरतों को भी सही ढंग से तथा उचित दक्षता से लागू किया जाता है। यह सुनिश्चित करना भी परम आवश्यक है कि विशेषकर जटिल तथा संवेदनशील परियोजनाओं के व्यापक पोर्टफोलियो वाले विकासशील सदस्य देशों रेजिडेंट मिशन सही ढंग से संबद्ध दक्षता से सुसज्जित हैं। नीति के कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए संसाधनों का उचित नियतन उत्तम सुरक्षा डिलीवरी का अभिन्न अंग रहेगा।

41. **लेनदेन में कमी लाना :** हालांकि सुरक्षा नीतियों की ओर ध्यान देने के फलस्वरूप एडीबी की सहायता प्रदत्त परियोजनाओं की प्रभावशीलता में बहुत सुधार हुआ है लेकिन कुछ कर्जदारों/ग्राहकों ने प्रश्न उठाए हैं कि एडीबी की सुरक्षा नीतियों का अनुपालन करने से लेनदेन लागत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है या एडीबी और मेजबान देशों की समानांतर अपेक्षाओं की वजह से अनावश्यक लागत आ रही है। सुरक्षा नीतियों को लागू करने की लागत और फायदों की जांच करने वाले अध्ययनों का निष्कर्ष है कि ये नीतियां परियोजनाओं की स्थिरता को सुनिश्चित करने वाले सकारात्मक उपाय हैं[26]। जहां पर सुरक्षा नीतियों का कार्यान्वयन निक्रिय रहा है और अनावश्यक लागत आई है इसके मूल कारण (i) ऐसी अपेक्षाएं लागू करना है जिन्हें कार्यान्वित करना कर्जदार की क्षमता से परे है, (ii) प्रमुख नीतिगत अपेक्षाओं में अस्पष्टता, (iii) सुरक्षा योजनाओं की मंजूरी में अनिर्णय और विलंब, (iv) प्रयोग में कठोरता (व्यवसायिक फैसले की बजाय नीति की व्याख्या को कानूनी पेचिदगियों में उलझाना), तथा (v) क्षमता में कमी (आवश्यकता से अधिक "सतर्क" अवधारणा) आना है। नीतियों के विकास संबंधी प्रभाव में वृद्धि करने तथा लागत में कमी लाने के लिए सिफारिशों का आधार अधिक रणनीतिक अवधारणाओं पर आधारित रखे गए हैं जिनमें (i) अधिक जोखिम वाले कार्यों की ओर विशेष ध्यान देते हुए बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों तथा कर्जदारों के बीच दायित्वों को लेकर खुलासा; (ii) नीतियों में अस्पष्टता को दूर करना; (iii) भ्रांति दूर करने के लिए अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के साथ नीतियों पर सामंजस्य बैठाना; (iv) आंतरिक कौशल संवर्धन तथा विस्तरित परियोजना पर्यवेक्षेण के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना; (v) सुरक्षा विश्लेषण को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना; तथा (vi) कर्जदार का क्षमता निर्माण कंट्री तंत्र का उपयोग करना शामिल है। एडीबी की सुरक्षा नीतियों पर ओईडी के विशेष मूल्यांकन अध्ययनों में इसी प्रकार के निष्कर्ष और सिफारिशें दी गई थीं। सुरक्षा नीति अपडेट में इन आधारों पर विचार किया गया है तथा सुरक्षा नीति अपडेट (पैरा 2) के पांच आवश्यक तत्वों के माध्यम से उन पर चर्चा की गई है।

## V. प्रारूप सुरक्षा नीति कथन

### क. एडीबी की वचनबद्धता और नीतिगत सिद्धांतों पर समग्र कथन

42. एडीबी मानता है कि पर्यावरणीय तथा सामाजिक स्थिरता एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और गरीबी उपशमन का आधार स्तंभ है। अतः एडीबी की रणनीति 2020 में पर्यावरण की दृष्टि से स्थिर तथा समाहित आर्थिक विकास करने के लिए विकासशील सदस्य देशों को सहायता देने पर बल दिया गया है। इसके अलावा, एडीबी जिन परियोजनाओं के लिए सहायता देता है उनकी सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है। इस संदर्भ में सुरक्षा नीति कथन का उद्देश्य पर्यावरण तथा लोगों को परियोजनाओं के संभावित प्रतिकूल असर से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान करके परियोजनाओं के परिणामों की स्थिरता का संवर्धन करना है।

43. एडीबी की सुरक्षा नीतियों के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) जहां संभव हों पर्यावरण और प्रभावित लोगों को परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना;

[26] विश्व बैंक, 2001. कॉस्ट ऑफ डूईंग बिजनेस. वाशिंगटन, डीसी।

(ii) जब बचाव करना संभव न हो तो पर्यावरण तथा प्रभावित लोगों पर परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, निवारण करना तथा/अथवा उनका मुजावजा देना; तथा
(iii) कर्जदारों/ग्राहकों को अपने सुरक्षा तंत्र मजबूत करने तथा पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों का प्रबंध करने की क्षमता विकसित करने के लिए सहायता देना।

44. एडीबी सुरक्षा उपायों के लक्ष्यों और उनकी डिलीवरी का अनुपालन करता है। एडीबी सुरक्षा नीति कथन में उल्लिखित सिद्धांतों और अपेक्षाओं के अनुरूप एडीबी की परियोजना अवधि में परियोजनाओं की समीक्षा, निगरानी और सुपरवाइजिंग के लिए उचित सावधानी बरतने के दायित्व को मानता है। अपने सामाजिक तथा पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए एडीबी अपने कार्यों और निर्णय प्रक्रिया के पूर्वानुमान, पारदर्शिता तथा जवाबदेही में वृद्धि करता है; कर्जदारों/ग्राहकों को सामाजिक तथा पर्यावरणीय संघातों और जोखिमों से बचाव में मदद करता है तथा निवेश की दीर्घकालिक स्थिरता को बढावा देता है। इस प्रतिबद्धता को वास्तविकता के धरातल पर परिणामों में बदलना एडीबी और उसके कर्जदारों/ग्राहकों द्वारा किए गए साझा लेकिन अलग–अलग प्रयासों पर निर्भर करता है।

45. एडीबी के सुरक्षा नीति कथन में तीन प्रमुख सुरक्षा क्षेत्रों के लिए नीतिगत उद्देश्य, दायरा और ट्रिगर्स निर्धारित किए गए हैं :

(i) पर्यावरण से जुड़े सुरक्षा उपाय,
(ii) अस्वैच्छिक पुनर्वास सुरक्षा उपाय, तथा
(iii) देशज़ लोगों के लिए सुरक्षा उपाय।

46. नीतिगत उद्देश्यों को हासिल करने और नीतिगत सिद्धांतों को लागू करने के लिए एडीबी निम्नलिखित उपखंडों ("ख. नीति डिलीवरी प्रक्रिया") में उल्लिखित कार्य करता है। कर्जदारों/ग्राहकों तथा उनकी परियोजनाओं के वांछित परिणाम हासिल करने में सहायता देने के लिए एडीबी ने विशेष सुरक्षा अपेक्षाओं को अंगीकृत किया है जिन्हें कर्जदारों/ग्राहकों को पर्यावरण तथा सामाजिक संघात और जोखिम का समाधान करते हुए पूरा करना होगा। एडीबी स्टाफ, अपने उचित परिश्रम समीक्षा, और पर्यवेक्षेण के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि कर्जदार/ग्राहक परियोजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के दौरान इन अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे। ये सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं इस प्रकार हैं :

(i) सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 1 : पर्यावरण (परिशिष्ट 1)
(ii) सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 2 : अस्वैच्छिक पुनर्वास (परिशिष्ट 2)
(iii) सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 3 : देशज़ जन (परिशिष्ट 3), और
(iv) सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 4 : विभिन्न वित्त औपचारिकताओं के लिए विशेष अपेक्षाएं (परिशिष्ट 4)

47. एडीबी उन परियोजनाओं के लिए वित्त प्रबंध नहीं करेगा जो उसके सुरक्षा नीति कथन का अनुपालन नहीं करती, न ही उन परियोजनाओं के लिए वित्त प्रबंध करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मेजबान देश के कानूनों को लागू करने सहित मेजबान देश के सामाजिक और पर्यावरणीय कानूनों और विनियिमों का अनुपालन नहीं करते। इसके अलावा, एडीबी निषिद्ध निवेश कार्यसूची (परिशिष्ट 5) में शामिल कार्यों के लिए भी वित्त व्यवस्था नहीं करेगा।

48. यह सुरक्षा नीति कथन सभी एडीबी सहायता प्रदत्त तथा/अथवा एडीबी शासित प्रधान तथा गैर–प्रधान परियोजनाओं और उनके घटकों पर लागू होता है भले ही वित्त प्रबंध (जिसमें ऋण, तथा/अथवा अनुदान; तथा/अथवा अन्य साधन, जैसे इक्विटी तथा/अथवा गारंटी (जिसे यहां के बाद प्रोजेक्ट्स कहा गया है) का स्रोत कुछ भी क्यों न हो।

## 1. पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपाय

**उद्देश्यः** पर्यावरण की सुदृढ़ता तथा परियोजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करना और पर्यावरण आधारों को परियोजनाओं की निर्णय प्रक्रिया के साथ जोड़ने में सहायता देना।

**दायरा तथा मूलक कारणः** पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपाय तभी लागू होते हैं जब किसी परियोजना से पर्यावरण को कोई नुकसान या प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना हो।

**नीतिगत सिद्धांतः**

1. पर्यावरण मूल्यांकन की समुचित सीमा तथा श्रेणी का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक प्रस्तावित परियोजना के लिए यथाशीघ्र जांच प्रक्रिया का इस्तेमाल करना ताकि संभावित प्रतिकूल प्रभाव और हानि के अनुरूप समुचित अध्ययन किए जा सकें।
2. भौतिक, जीव वैज्ञानिक, सामाजिक–आर्थिक (पर्यावरण मीडिया, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, कमजोर वर्गों और लिंग मुद्दों के जरिए आजीविका पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों सहित) को होने वाले संभावित प्रत्यक्ष, परोक्ष, संचयी और प्रभावित संघातों और हानियों का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक प्रस्तावित परियोजना का पर्यावरण संबंधी मूल्यांकन करना। जलवायु परिवर्तन सहित परस्पर सीमा और ग्लोबल संघात का मूल्यांकन करना। जहां उचित हो रणनीतिक पर्यावरण मूल्यांकन का प्रयोग करना।
3. परियोजना का स्थान, डिजाइन टेक्नोलॉजी तथा घटकों और उनके संभावित पर्यावरणीय संघातों के विकल्पों की जांच करना तथा प्रस्तावित किसी विशेष विकल्प का चयन करने के लिए औचित्य को लेखबद्ध करना। परियोजना के विकल्प पर भी विचार करना।
4. प्रतिकूल प्रभावों से बचना और जहां बचाव संभव न हो तो उन्हें कम करना, उपशमन करना तथा/अथवा ऑफसेट करना और पर्यावरण नियोजन तथा प्रबंधन द्वारा सकारात्मक प्रभावों को बढ़ावा देना। पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करना जिसमें प्रस्तावित निवारक उपाय, पर्यावरण मॉनीटरिंग तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाएं, संबद्ध संस्थागत या संगठनात्मक प्रबंध, क्षमता निर्माण और परीक्षण उपाय, कार्यान्वयन सूची, लागत आकलन तथा कार्यनिष्पादन प्रतीक शामिल हैं। पर्यावरण प्रबंध योजना तैयार करने के लिए प्रमुख आधार जिनमें संभावित प्रतिकूल प्रभावों से लेकर तीसरे पक्ष को कोई विशेष नुकसान नहीं और प्रदूषण फैलाने वालों को भुगतान करना अनिवार्य बनाने का सिद्धांत अनिवार्य होगा।
5. प्रभावित लोगों के साथ सार्थक परामर्श करना और उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित करना। परामर्श में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। प्रभावित लोगों तथा गैरसरकारी संगठनों सहित स्टेकहोल्ड्र्स को परियोजना तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उनके विचार और परेशानियों को नीति निर्माता जानें और समझें और उन्हें ध्यान में रखें। पर्यावरण मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए पूरे परियोजना कार्यान्वयन के दौरान स्टेकहोल्ड्र्स के साथ परामर्श जारी रखना। परियोजना के पर्यावरण संबंधी कार्यनिष्पादन के लिए प्रभावित लोगों की परेशानियों और समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना।
6. परियोजना के मूल्यांकन से पहले समयोचित ढंग से प्रारूप पर्यावरण मूल्यांकन (पर्यावरण प्रबंधन योजना सहित) प्रभावित लोगों तथा अन्य स्टेकहोल्ड्र्स को किसी सुगम स्थान पर और उन्हें समझ में आने वाले स्वरूप और भाषा में डिसक्लोज़ करना। अंतिम पर्यावरण मूल्यांकन तथा उसके अपडेट, यदि कोई हों, प्रभावित लोगों तथा अन्य स्टेकहोल्ड्र्स को डिसक्लोज करना।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना को कार्यान्वित करना तथा उसकी प्रभावशीलता को मॉनीटर करना। सुधारात्मक कार्रवाई सहित मॉनीटरिंग परिणामों को लेखबद्ध करना और मॉनीटरिंग रिपोर्टों को डिसक्लोज करना।
8. नाजुक पर्यावास वाले क्षेत्रों में परियोजना कार्यों को लागू न करें, बशर्ते कि (i) नाजुक पर्यावास पर कोई मापयोग्य प्रतिकूल प्रभाव न हो जो उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सके, (ii) संकटग्रस्त या अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों की आबादी में कोई कमी न आई हो, तथा (iii) कम प्रतिकूल प्रभावों का उपशमन न कर दिया गया हो। यदि कोई परियोजना कानूनी तौर पर संरक्षित क्षेत्र के उद्देश्यों में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम लागू करें। प्राकृतिक पर्यावास के किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या पतन नहीं होना चाहिए जब तक कि (i) विकल्प उपलब्ध न हों, (ii) परियोजना के समग्र लाभ पर्यावरण लागत से अधिक न हों और किसी भी प्रकार के परिवर्तन या पतन का समुचित रूप से समाधान न कर दिया जाए। अक्षय प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग, विकास और प्रबंधन के लिए सावधानीपूर्ण अवधारणा का प्रयोग करें।
9. विश्व समूह के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशानिर्देशों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त मानकों में यथा उल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय उत्तम पद्धतियों के अनुरूप प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण टेक्नोलॉजी और पद्धतियों का पालन करें। स्वच्छतर उत्पादन प्रक्रियाएं और उत्तम ऊर्जा दक्ष पद्धतियों को अपनाएं। प्रदूषण से बचें या जब बचाव संभव न हो तो प्रदूषण फैलाने वाले धुएं और कचरे (प्रत्यक्ष या परोक्ष ग्रीन हाऊस गैसों के धुएं, कूड़ा उत्पादन तथा खतरनाक सामग्री को उनके उत्पादन, ढुलाई,

उत्तराई और भंडारण से निकलने सहित) की तीव्रता को कम या नियंत्रित करें। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के अनुसार खतरनाक सामग्रियों का इस्तेमाल करने से परहेज करें। एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन अवधारणाओं के आधार पर कीटनाशकों की खरीद, उपयोग और प्रबंधन करें तथा सिंथेटिक, रसायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करें।

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्य परिस्थितियों से जुड़े कामगारों को सुरक्षा प्रदान करें तथा दुर्घटनाओं, चोट और रोगों की रोकथाम करें। प्रतिरोधक तथा आपातकालीन तैयारी करें और जहां बचाव संभव न हो तो स्थानीय समुदाए के स्वास्थ्य और सुरक्षा को होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करें।
11. भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और फील्ड आधारित सर्वे का प्रयोग करते हुए उन्हें नष्ट या क्षतिग्रस्त करने से परहेज करें। अवसर खोज प्रक्रिया का प्रयोग करने का प्रावधान करें जिसमें परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान खोजी गई सामग्री के लिए पूर्व अनुमोदित प्रबंध और संरक्षण अवधारणा शामिल हों।

## 2. अस्वैच्छिक पुनर्वास सुरक्षा उपाय

**उद्देश्य :** जहां संभव हो अस्वैच्छिक पुनर्वास से बचें; परियोजना तथा डिजाइन विकल्पों का अन्वेषण करते हुए अस्वैच्छिक पुनर्वास को कम करना; सभी विस्थापित लोगों को परियोजना से पहले के स्तरों तक आजीविका के साधनों में वृद्धि करना या कम से कम उन्हें बहाल करना; और विस्थापित गरीबों तथा अन्य कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार करना।

**दायरा तथा मूलक कारण :** (i) अस्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण या (ii) कानून रूप से निर्धारित या सुरक्षित क्षेत्र के प्रयोग या एक्सेस पर अस्वैच्छिक प्रतिबंधों के फलस्वरूप अस्वैच्छिक पुनर्वास सुरक्षा उपायों में भौतिक विस्थापन (पुनर्वास, रिहायशी भूमि का विनाश या आश्रय का विनाश) तथा आर्थिक विस्थापन (भूमि संपत्ति का नुकसान, संपत्ति आय स्रोतों या आजीविका साधनों के इस्तेमाल पर रोक)। इसमें वे सब नुकसान और स्वैच्छिक प्रतिबंध शामिल हैं जो पूर्ण या आंशिक, स्थायी या अस्थायी प्रकृति के हों।

**नीतिगत सिद्धांत :**

1. विगत, वर्तमान तथा भारी अस्वैच्छिक पुनर्वास प्रभाव और नुकसानों की शीघ्र पहचान करने के लिए परियोजना की जांच। विस्थापित लोगों के सर्वेक्षण तथा/अथवा जनगणना करवाकर पुनर्वास योजना के दायरे को निर्धारित करें जिसमें पुनर्वास संघात और जोखिमों से जुड़े लिंग विश्लेषण शामिल हों।
2. विस्थापित लोगों, मेजबान समुदायों तथा संबंधित गैरसरकारी संगठनों के साथ सार्थक परामर्श करें। सभी विस्थापित लोगों को उनके अधिकारों और पुनर्वास विकल्पों से अवगत कराएं। सुनिश्चित करें कि पुनर्वास कार्यक्रमों के नियोजन, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन में उनकी भागीदारी हो। कमजोर वर्गों विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों, भूमिहीनों, महिलाओं और बच्चों तथा देशज़ लोगों और जमीन के कानूनी अधिकार से वंचित लोगों की आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान दें और परामर्श में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रभावित लोगों की परेशानियों की जानकारी लेने और उनका समाधान उपलब्ध कराने के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करें। विस्थापित लोगों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थानों और उनकी मेजबानी करने वाले लोगों को सहायता दें। जहां अस्वैच्छिक पुनर्वास के प्रभाव और जोखिम बहुत जटिल और संवेदनशील हों, स्थानीय तैयारी प्रक्रिया से पहले मुआवजा तथा पुनर्वास निर्णय लिए जाने चाहिएं।
3. सभी विस्थापित व्यक्तियों की आजीविका को (i) यदि प्रभावित आजीविकाओं के साधन भूमि पर आधारित हों तो भूआधारित पुनर्वास रणनीतियों के माध्यम से या यदि आजीविकाओं पर भूमि के नुकसान को कोई प्रभाव न हो तो प्रतिस्थापन कीमत पर नकद मुआवजा दिया जाना चाहिए, (ii) समान या अधिक मूल्य वाली परिसंपत्तियों का तत्काल प्रतिस्थापन, (iii) जो परिसंपत्तियां बहाल नहीं की जा सकती उनके बदले पूर्ण स्थापना लागत वाली संपत्तियों का तत्काल मुआवजा, तथा (iv) जहां संभव हो लाभ के बंटवारे वाली योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व और सेवाएं।
4. भौतिक तथा आर्थिक रूप से विस्थापित लोगों को अपेक्षित सहायता मुहैया कराना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : (i) यदि दूसरी जगह बसने का विकल्प हो तो जमीन की पुनःआबंटन सुरक्षित अवधि, पुनर्वास स्थल पर बेहतर आवास, रोजगार तथा उत्पादन अवसरों की समतुल्य पहुंच, पुनर्वासित लोगों को आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से अपने मेजबान समुदायों के साथ एकीकरण तथा मेजबान समुदायों को परियोजना लाभों का विस्तार प्रदान करना; (ii) संक्रामक सहायता तथा विकास सहायता जैसे भूमि विकास, क्रेडिट सुविधाएं, प्रशिक्षण या रोजगार अवसर; तथा (iii) यथाअपेक्षित सिविक अवस्थापना तथा सामुदायिक सेवाएं।
5. महिलाओं सहित विस्थापित गरीबों तथा अन्य कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में कम से कम राष्ट्रीय न्यूनतम मानकों तक सुधार करना। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें भूमि तथा संसाधनों तक कानूनी और संभावित पहुंच सुलभ कराएं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें समुचित आय स्रोत और कानून तथा उपयुक्त एक्सेस वाले समुचित आवासों का प्रावधान करें।
6. यदि भूमि का अधिग्रहण किसी समझौते के माध्यम से हुआ हो तो स्पष्ट, सुसंगत तथा उचित ढंग से प्रक्रिया तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग ऐसे समझौते करते हैं वे उन्हें कायम रखें या बेहतर आय तथा आजीविका का स्तर बनाए रखें।
7. सुनिश्चित करें कि विस्थापित लोगों के पास भूमि या अन्य मान्यताप्राप्त कानूनी अधिकार वाली जमीन उपलब्ध हो तथा वे पुनर्वास सहायता तथा गैर–भूमि संपत्तियों के नुकसान के लिए पुनर्वास सहायता और मुआवजे के लिए पात्र हों।
8. विस्थापित लोगों के अधिकारों, आय तथा आजीविका बहाली रणनीति, संस्थागत प्रबंधों, मॉनीटरिंग तथा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बजट तथा समयबद्ध कार्यान्वयन समय–सारणी का उल्लेख करते हुए पुनर्वास योजना तैयार करें।
9. परियोजना के मूल्यांकन से पहले समयोचित ढंग से प्रारूप, पर्यावरण मूल्यांकन (पर्यावरण प्रबंधन योजना सहित) प्रभावित लोगों तथा अन्य स्टेकहोल्ड्र्स को किसी सुगम स्थान पर और उन्हें समझ में आने वाले स्वरूप और भाषा में डिसक्लोज़ करना। अंतिम पर्यावरण मूल्यांकन तथा उसके अपडेट, यदि कोई हों, प्रभावित लोगों तथा अन्य स्टेकहोल्ड्र्स को डिसक्लोज करना।
10. विकास परियोजना या प्रोग्राम के अंग के रूप में स्वैच्छिक पुनर्वास की योजना तैयार और कार्यान्वित करें। परियोजना की लागत तथा फायदों की प्रस्तुति में पुनर्वास की पूरी लागत शामिल करें। अधिक अस्वैच्छिक पुनर्वास प्रभाव वाली किसी परियोजना के लिए एकाकी कार्य के रूप में परियोजना को अस्वैच्छिक पुनर्वास घटक का कार्यान्वित करने पर विचार करें।
11. भौतिक या आर्थिक विस्थापन से पहले मुआवजे का भुगतान करें तथा अन्य पुनर्वास अधिकारों का प्रावधान करें। पूरे परियोजना कार्यान्वयन के दौरान गहन पर्यवेक्षेण के तहत पुनर्वास योजना को लागू करें।

12. पुनर्वास परिणामों, विस्थापित व्यक्ति के जीवन स्तर पर उनके प्रभाव को मॉनीटर और मूल्यांकन करें और यह देखें कि क्या आधारभूत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास योजना के उद्देश्य पूरे हो गए हैं या नहीं तथा पुनर्वास के परिणामों की मॉनीटरिंग करें। मॉनीटरिंग रिपोर्टों का स्पष्टीकरण करें।

## 3. देशज़ लोगों के सुरक्षा उपाय

**उद्देश्य :** परियोजना को इस ढंग से कार्यान्वित करना ताकि देशज़ लोगों द्वारा स्वयं दी गई परिभाषा के अनुसार उनकी पहचान, गरिमा, मानव अधिकारों, आजीविका तंत्र और सांस्कृतिक विशेषताओं का पूरी तरह सम्मान करती हों, ताकि वे (i) सांस्कृतिक रूप से सामाजिक तथा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें, (ii) परियोजना के फलस्वरूप उन्हें कोई प्रतिकूल प्रभाव न झेलना पड़े, और (iii) उन्हें प्रभावित करने वाली परियोजना में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

**दायरा तथा मूलक कारण :** देशज़ लोगों के सुरक्षा उपाय तभी लागू होते हैं जब किसी परियोजना से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देशज़ लोगों की गरिमा, मानव अधिकार, आजीविका तंत्र या संस्कृति प्रभावित होती हो या देशज़ लोगों के स्वामित्व, उपयोग, कब्जे या पुश्तैनी व्यवसाय के रूप में दावे वाली प्रोदेशिक या राष्ट्रीय सांस्कृतिक संसाधन प्रतिभावित होते हों। देशज़ लोग शब्द का प्रयोग किसी विशेष कमजोर सामाजिक तथा सांस्कृतिक समूह के संदर्भ में जातीय अर्थ में किया जाता है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं विभिन्न मात्रा में शामिल हों : (i) विशेष देशज़ सांस्कृतिक समूह के सदस्यों के रूप में स्वयं की पहचान तथा अन्य लोगों द्वारा इस पहचान को मान्यता देना; (ii) परियोजना क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि से विशेष पर्यावास या पुश्तैनी प्रदेशों और उन पर्यावासों और प्रदेशों के प्राकृतिक संसाधनों के साथ सामूहिक संबंध; (iii) परम्परागत सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक संस्थान जो प्रमुख समाज या संस्कृति को उनसे पृथक करे; तथा (iv) एक अलग भाषा जो प्रायः देश या प्रदेश की सरकारी भाषा से अलग हो। इन विशेषताओं पर विचार करते हुए राष्ट्रीय कानून, परम्परागत कानून तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायचार जिसका वह देश एक पक्ष हो, को ध्यान में रखा जाएगा। वह समूह जिसने परियोजना क्षेत्र में बलपूर्वक लागू किए गए भौगोलिक दृष्टि से विशेष पर्यावास या पुश्तैनी प्रदेश के साथ सामूहिक संबंध समाप्त कर दिए हों वह इस नीति के तहत लाभ के लिए पात्र होगा।

**नीतिगत सिद्धांत :**

1. यह निर्धारित करने के लिए शीघ्र जांच करना कि (i) क्या देशज़ लोग परियोजना क्षेत्र में वर्तमान हैं या उनका उस स्थान से सामूहिक लगाव है; तथा (ii) देशज़ लोगों पर परियोजना के किन प्रभावों की संभावना है।
2. देशज़ लोगों पर सकारात्मक तथा प्रतिकूल दोनों प्रकार के संभावित परियोजना प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए सांस्कृतिक दृष्टि से समुचित तथा लिंग संवेदनशील सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन या अन्य इसी प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग करना। परियोजना लाभों के प्रावधान तथा निराकरण उपायों के डिजाइन के प्रावधानों के संबंध में प्रभावित देशज़ लोगों की पसंद के अनुसार विकल्पों को पूरा महत्व दिया जाए। प्रभावित देशज़ लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक लाभों की पहचान करें जो सांस्कृतिक दृष्टि से उपयुक्त हों तथा अंतरपीढ़ी की दृष्टि से समाहित हों तथा देशज़ लोगों पर प्रतिकूल प्रभावों से बचें, कम करें या उनका उपशमन करें।
3. प्रभातिव देशज़ लोगों के समुदाय तथा संबंधित देशज़ लोगों के संगठनों के साथ सार्थक परामर्श के लिए (i) डिजाइन कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग उपायों में उनकी भागीदारी प्राप्त करना ताकि प्रतिकूल प्रभावों से बचा जा सके अथवा जब बचाव संभव न हो तो ऐसे प्रभाव को न्यूनतम रखना, उपशमन करना या मुआवजा देना; तथा (ii) सांस्कृतिक रूप से समुचित तरीके से प्रभावित देशज़ लोगों के परियोजना लाभों का निर्धारण करना। देशज़ लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रभावित करने वाली परियोजनाओं में सांस्कृतिक रूप से समुचित तथा स्त्री और पुरूष दोनों की क्षमता विकास के प्रावधान किए जाएंगे। देशज़ लोगों की परेशानियों का समाधान करने के लिए सांस्कृतिक रूप से समुचित तथा स्त्री पुरूष दोनों के लिए शिकायत तंत्र स्थापित करना।
4. निम्नलिखित परियोजना कार्यों के लिए देशज़ लोगों के समुदायों की सहमति प्राप्त करें (i) देशज़ लोगों के सांस्कृतिक संसाधनों और ज्ञान का वाणिज्यिक विकास; (ii) परम्परागत या सीमावर्ती प्रदेश से भौतिक प्रतिस्थापन; तथा (iii) सीमावर्ती भूमि के भीतर आने वाले प्राकृतिक संसाधनों का वाणिज्यिक विकास जहां, आजीविका या सांस्कृतिक, समारोह या आध्यात्मिक उपयोग हो रहा हो जो देशज़ लोगों की पहचान और समाज को परिभाषित करते हों, नीति को लागू करने के उद्देश्यों के लिए प्रभावित देशज़ लोगों के

समाज की सहमति का अर्थ प्रभावित देशज़ लोगों के समाज द्वारा व्यक्तिगत तथा/अथवा उनके मान्यताप्राप्त प्रतिनिधियों के माध्यम से अभिव्यक्त सामूहिक अभिव्यक्ति से है। स्थूल सामाजिक सहायता तब भी संभव है भले ही कुछ व्यक्ति या समूह परियोजना कार्यों का विरोध करते हों।

5. प्रतिकूल प्रभावों से बचना और जहां बचाव संभव न हों तो उन्हें कम करना, उपशमन करना तथा/अथवा ऑफसेट करना और पर्यावरण नियोजन तथा प्रबंधन द्वारा सकारात्मक प्रभावों को बढ़ावा देना। पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करना जिसमें प्रस्तावित निवारक उपाय, पर्यावरण मॉनीटरिंग तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाएं, संबद्ध संस्थागत या संगठनात्मक प्रबंध, क्षमता निर्माण और परीक्षण उपाय, कार्यान्वयन सूची, लागत आकलन तथा कार्यनिष्पादन प्रतीक शामिल हैं। पर्यावरण प्रबंध योजना तैयार करने के लिए प्रमुख आधार जिनमें संभावित प्रतिकूल प्रभावों से लेकर तीसरे पक्ष को कोई विशेष नुकसान नहीं होना और प्रदूषण फैलाने वालों को भुगतान करना अनिवार्य बनाने का सिद्धांत अनिवार्य होगा।
6. देशज़ लोगों के लिए योग्य तथा अनुभवी विशेषज्ञों की सहायता से एक योजना तैयार करें और प्रभावित देशज़ लोगों के समुदायों के देशी ज्ञान और भागीदारी का फायदा उठाएं। आईपीपी में प्रभावित देशज़ लोगों के समुदायों के साथ परियोजना कार्यान्वयन के दौरान लगातार परामर्श; फ्रेमवर्क शामिल हैं; यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाते हैं कि देशज़ लोगों को सांस्कृतिक रूप से समुचित फायदे मिलें; परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों की पहचान करने, उनसे बचने, उपशमन करने या मुआवजा देने के उपाय किए जाएं; तथा सांस्कृतिक रूप से समुचित शिकायत निवारण प्रक्रियाएं तथा मॉनीटरिंग मूल्यांकन प्रबंध तथा बजट और नियोजित उपायों को लागू करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान शामिल होगा।
7. परियोजना के मूल्यांकन से पहले समयोचित ढंग से प्रारूप पर्यावरण मूल्यांकन (पर्यावरण प्रबंधन योजना सहित) प्रभावित लोगों तथा अन्य स्टेकहोल्ड्र्स को किसी सुगम स्थान पर और उन्हें समझ में आने वाले स्वरूप और भाषा में डिसक्लोज़ करना। अंतिम पर्यावरण मूल्यांकन तथा उसके अपडेट, यदि कोई हों, प्रभावित लोगों तथा अन्य स्टेकहोल्ड्र्स को डिसक्लोज करना।
8. जब परियोजना में (i) जिन जमीनों तथा प्रदेशों पर देशज़ लोगों का पारम्परिक या सामुहिक स्वामित्व, कब्जा हों उन्हें कानूनी रूप से स्वीकार्य अधिकार स्थापित करने संबंधी कार्य, अथवा (ii) इस भूमि का अस्वैच्छिक अधिग्रहण करना हो तो भूमि तथा प्रदेशों या पैतृक क्षेत्रों के सामुहिक अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना।
9. योग्य तथा अनुभवी विशेषज्ञों की सेवाएं लेकर देशज़ जन योजना के कार्यान्वयन पर निगाह रखना; यथासंभव सहभागी मॉनीटरिंग अवधारणा को अपनाना; और यह मूल्यांकन करना कि क्या आधारभूत परिस्थितियों और आईपीपी परिणामों को ध्यान में रखते हुए आईपीपी के उद्देश्य और वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं या नहीं। मॉनीटरिंग रिपोर्टों को प्रकट करें।

## ख. नीतिगत डिलीवरी प्रक्रिया

### 1. सामान्य अपेक्षाएं

**49. जांच और वर्गीकरण :** एडीबी परियोजना तैयार करने की प्रारंभिक अवस्थाओं में जब इस कार्य के लिए पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध होती है तब परियोजना की जांच और वर्गीकरण करेगा। (i) परियोजना के संभावित संघात या जोखिम को दर्शाने;
(ii) सुरक्षा उपायों के लिए अपेक्षित मूल्यांकन तथा संस्थागत संस्थानों के स्तर की पहचान करने; और (iii) डिसक्लोजर अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए जांच और वर्गीकरण किया जाता है।

50. **पर्यावरण वर्गीकरण :** किसी परियोजना के संभावित पर्यावरण संघात के महत्व को उजागार करने के लिए एडीबी वर्गीकरण प्रणाली का प्रयोग करता है। परियोजना के वर्ग का निर्धारण परियोजना श्रेत्र के प्रभाव में प्रत्यक्ष, परोक्ष, संचयी, तथा उत्पन्न प्रभावों सहित उसके पर्यावरण की दृष्टि से सबसे संवेदनशील घटक की श्रेणी के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक प्रस्तावित परियोजना की जांच उसकी श्रेणी, स्थान, पैमाने तथा संवेदनशीलता और उसके संभावित पर्यावरणीय संघातों की मात्रा के हिसाब से की जाती है। परियोजनाओं को निम्नलिखित चार में से किसी एक श्रेणी में रखा जाता है:

(i) **श्रेणी क.** यदि किसी प्रस्तावित परियोजना का प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव स्थायी, विविध या अप्रत्याशित हो तो उसे श्रेणी क में रखा जाता है। यह प्रभाव भौतिक कार्य के अनुसार स्थलों और सुविधाओं की तुलना में बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय संघात मूल्यांकन आवश्यक होता है।

**(ii)** **श्रेणी ख.** यदि किसी प्रस्तावित परियोजना का प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव श्रेणी 'क' के परियोजनाओं की तुलना में कम प्रतिकूल हो तो उसे श्रेणी ख में रखा जाता है। ये प्रभाव स्थल के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं, यदि उनमें से कोई स्थायी हों और अधिकांश मामलों में उपशमन उपायों को श्रेणी 'क' की परियोजनाओं की तुलना में अधिक आसानी से निश्चित किया जा सकता है। प्रारंभिक पर्यावरणीय जांच की आवश्यकता होती है।

(iii) **श्रेणी ग.** यदि किसी प्रस्तावित परियोजना का प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम या बिल्कुल न हो तो उसे श्रेणी ग में रखा जा सकता है। पर्यावरणीय आकलन की आवश्यकता नहीं होती हालांकि पर्यावरणीय निहितार्थों की समीक्षा करनी पड़ती है।

**(iv)** **श्रेणी एफ1.** यदि किसी प्रस्तावित परियोजना में एडीबी के फंड का निवेश शामिल हो या एफ1 के माध्यम से हो (पैरा, 65–67), तो उसे श्रेणी एफ1 में रखा जाता है।

51. **अस्वैच्छिक पुनर्वास :** यह देखने के लिए कि परियोजनाओं में अस्वैच्छिक पुनर्वास का मुद्दा शामिल है या नहीं एडीबी सभी परियोजनाओं की जांच करेगा। अस्वैच्छिक पुनर्वास वाली परियोजना के लिए प्रभाव की सीमा और मात्रा के अनुसार पुनर्वास योजना तैयार की जाएगी। प्रभाव की डिग्री का निर्धारण (i) भौतिक तथा आर्थिक विस्थापन, तथा (ii) प्रभावित लोगों की कमजोरी के आधार पर किया जाएगा। एफ1 परियोजनाओं के लिए पैरा. 65–67 देखें।

52. **देशज़ लोग :** यह देखने के लिए कि परियोजनाओं में देशज़ लोगों पर संभावित प्रभाव शामिल हैं या नहीं, एडीबी सभी परियोजनाओं की जांच करेगा। देशज़ लोगों पर प्रभाव वाली परियोजनाओं के लिए एक देशज़ योजना तैयार की जाएगी। योजना का ब्योरा और व्याक्ता का स्तर प्रभाव की मात्रा के अनुसार होगा। प्रभाव की मात्रा का निर्धारण (i) भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और एक्सेस पर देशज़ लोगों के परम्परागत अधिकारों; सामाजिक आर्थिक स्थिति; सांस्कृतिक और सामुदायिक एकीकरण; स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका प्रणालियों, और सामाजिक सुरक्षा स्थिति; या देशज़ ज्ञान; और (ii) प्रभावित देशज़ लोगों की कमजोरी के आधार पर किया जाता है। एफ1 परियोजनाओं के लिए पैरा. 65–67 देखें।

53. **सूचना को प्रकट करना :** एडीबी की सार्वजनिक संचार नीति के अनुसार एडीबी कर्जदार/ग्राहक के साथ कार्य करने के लिए वचनबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया सके कि सामाजिक और पर्यावरण सुरक्षा मुद्दों के बारे में सभी संगत सूचनाएं (सकारात्मक या नकारात्मक) समायोचित ढंग से तथा प्रभावित लोगों और साधारण जनता सहित अन्य स्टेकहोल्ड्र्स को समझ में आने वाले रूप या भाषा में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराई जाएं जिससे कि वे परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन में सार्थक जानकारी प्रदान कर सकें। एडीबी निम्नलिखित सुरक्षा दस्तावेजों को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करेगाः

(i) पर्यावरण श्रेणी क परियोजनाओं के लिए बोर्ड द्वारा विचार से कम से कम 120 दिन पहले प्रारूप पर्यावरण संघात मूल्यांकन रिपोर्टें;

(ii) परियोजना मूल्यांकन से पहले प्रारूप पर्यावरण मूल्यांकन तथा समीक्षा फ्रेमवर्क, प्रारूप पुनर्वास फ्रेमवर्क और/अथवा योजनाएं, तथा प्रारूप देशज़ लोग नियोजन फ्रेमवर्क और/अथवा योजनाएं;

(iii) प्राप्त होने पर अंतिम अथवा अद्यतन पर्यावरण संघात मूल्यांकन तथा/अथवा प्रारंभिक पर्यावरण जांच, पुनर्वास योजनाएं तथा देशज़ जन योजनाएं;

(iv) प्राप्त होने पर कर्जदारों/ग्राहकों द्वारा परियोजना कार्यान्वयन के दौरान प्रस्तुत की गई पर्यावरण, अस्वैच्छिक पुनर्वास तथा देशज़ लोगों की मॉनीटरिंग रिपोर्टें।

54. **परामर्श तथा भागीदारी :** एडीबी कर्जदारों/ग्राहकों के साथ कार्य करने और सार्थक परामर्श प्रक्रियाओं को व्यवहार में लाने के प्रति वचनबद्ध है। नीति को लागू करने के लिए सार्थक परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जो (i) परियोजना तैयार करने की प्रारंभिक अवस्था में शुरू होकर पूरी परियोजना अवधि में अनवरत आधार पर जारी रहती है; (ii) जिसमें प्रासंगिक और पर्याप्त सूचनाएं प्रभावित लोगों को समझ में आने योग्य तथा सहज सुलभ तरीके से समायोचित ढंग से प्रकट की जाती हैं;

(iii) यह प्रक्रिया भय या उत्पीड़न मुक्त माहौल में की जाती है; (iv) इसमें स्त्री और पुरूष दोनों के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और उपेक्षित तथा कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की जाती है तथा; (v) जो प्रभावित लोगों तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स के सभी प्रासंगिक विचारों को परियोजना डिजाइन, निवारक उपायों, विकास संबंधी लाभों और अवसरों के आदान प्रदान तथा कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों जैसी निर्णय प्रक्रियाओं में शामिल करने में सहायक हो। एडीबी को प्रस्तावित परियोजनाओं द्वारा प्रभावित समुदायों, समूहों या लोगों तथा नागरिक समाज के साथ सूचना के डिसक्लोजर, परामर्श और प्रभावित समुदाय के जोखिम और प्रभावों के अनुरूप सूचित भागीदारी के द्वारा वार्तालाप करने के लिए कर्जदारों/ग्राहकों की आवश्यकता पड़ेगी। अधिक विपरीत पर्यावरण, अस्वैच्छिक पुनर्वास या देशज़ लोगों के प्रभाव वाली परियोजनाओं के लिए एडीबी की परियोजना टीमें प्रभावित लोगों की परेशानियों को समझने के लिए परामर्श कार्यकलापों में भाग लेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि परियोजनाओं के डिजाइन तथा सुरक्षा योजनाओं में उन परेशानियों का समाधान किया जाए।

55. इसके अलावा, एडीबी, मानता है कि देशज़ लोग कुछ परियोजना परिस्थितियों में विशेष रूप से कमजोर होते हैं। अतः, निम्नलिखित परियोजनाओं कार्यों के लिए सार्थक परामर्श द्वारा प्रभावित देशज़ लोगों के समुदायों की सहमति प्राप्त की जाएगीः (i) देशज़ लोगों के सांस्कृतिक संसाधनों और ज्ञान का वाणिज्यिक विकास; (ii) परम्परागत या सीमावर्ती भूमि से देशज़ लोगों का भौतिक पुनर्वास; और (iii) इस्तेमाल की जा रही सीमावर्ती भूमि के भीतर आने वाले प्राकृतिक संसाधनों का वाणिज्यिक विकास जिसका असर आजीविका अथवा संस्कृति, भूमि के समारोह या अध्यात्मिक उपयोग पर पड़ता हो जिससे देशज़ लोगों की पहचान और समाज की परिभाषा की जाती हो। नीति को लागू करने के प्रयोजन के लिए यह प्रस्ताव है कि प्रभावित देशज़ लोगों के समाज द्वारा व्यक्तिगत तथा/अथवा उनके मान्यताप्राप्त प्रतिनिधियों के माध्यम से परियोजना कार्यकलापों के लिए व्यापक सामूहिक समर्थन देने की सहमति को सामूहिक अभिव्यक्ति से जोड़ा जाए। ऐसा व्यापक जनसमर्थन संभव है भले ही कुछ व्यक्ति या समूह परियोजना कार्यकलापों का विरोध करते हों। कर्जदार/ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रभावित देशज़ जन समुदाय परियोजना कार्यकलापों को व्यापक सहयोग प्रदान करें, और जहाँ ऐसा व्यापक सामुदायिक सहयोग मौजुद हो, परामर्श प्रक्रिया का आईपीपी में स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। एडीबी कर्जदार/ग्राहक की परामर्श प्रक्रिया की समीक्षा करेगा और इसके अलावा अपनी जाँच द्वारा स्वयं जाँच करेगा कि प्रभावित देशज़ समुदायों द्वारा परियोजना कार्यों के लिए व्यापक जन समर्थन दर्शाया गया है। यदि व्यापक जन सहयोग मौजुद न हो तो एडीबी परियोजन के लिए पैसा नहीं देगा।

56. **उचित परिश्रम और समीक्षा :** वित्त प्रबंध के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए एडीबी अपने समग्र उचित परिश्रम के अंग के रूप में कर्जदारों/ग्राहकों के सुरक्षा दस्तावेजों की समीक्षाओं सहित सुरक्षा समीक्षाएं करेगा। एडीबी के सुरक्षा उपायों के उचित परिश्रम और समीक्षा में सुरक्षा प्रावधानों को लेखबद्ध करने के साथ–साथ पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। उचित परिश्रम और समीक्षाओं में डेस्क समीक्षाओं के साथ–साथ फील्ड के ब्योरे भी शामिल हैं। ऐसे उचित परिश्रम और समीक्षा के जरिए एडीबी पुष्टि करेगा कि (i) परियोजना के सभी प्रमुख संभावित सामाजिक तथा पर्यावरण से जुड़े संघात और जोखिमों का पता लगा लिया है; (ii) प्रतिकूल प्रभावों से बचने, कम करने या उपशमन करने या उनका मुकावजा देने के लिए सुरक्षा योजनाओं और परियोजना डिजाइन में उन्हें शामिल किया गया है; (iii) सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 1 से 4 में उल्लिखित एडीबी की सुरक्षा नीति सिद्धांतों और अपेक्षाओं को कर्जदार/ग्राहक समझते हैं और उनके पास सामाजिक और पर्यावरण संघात तथा/अथवा जोखिमों का समुचित ढंग से प्रबंध करने के लिए आवश्यक प्रतिबद्धता और सक्षता है; (iv) सुरक्षा योजनाओं में तीसरे पक्ष की भूमिका को सही ढंग से परिभाषित किया गया है; और (v) एडीबी की अपेक्षाओं के अनुसार प्रभावित लोगों के साथ परामर्श किए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां मूल्यांकन और नियोजन प्रक्रिया अथवा सुरक्षा दस्तावेज एडीबी की सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते, वहां कर्जदार/ग्राहक को अतिरिक्त मूल्यांकन तथा/अथवा सुरक्षा योजनाओं में सुधार करने पड़ेंगे जब कर्जदार/ग्राहक के पास प्रस्ताव परियोजना के लिए सुरक्षा योजनाएं तैयार करने की पर्याप्त क्षमता होती है तो परियोजना में उस क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए घटक शामिल किए जाएंगे। जिन परियोजनाओं को एडीबी द्वारा अत्यंत जटिल और संवेदनशील[27] माना जाता है उनमें एडीबी को परियोजना तैयार करने और कार्यान्वयन के दौरान स्वतंत्र सलाहकार पेनल से बातचीत करने के लिए कर्जदार/ग्राहक की आवश्यकता पड़ेगी।

[27] अत्यंत जटिल तथा संवेदनशील परियोजनाएं वे परियोजनाएं होती हैं जिन्हें एडीबी बहुत जोखिमपूर्ण अथवा विवादपूर्ण मानता हो या जिनमें गंभीर तथा बहुआयामी और साधारणतः संभावित सामाजिक तथा/अथवा पर्यावरणीय संघात परस्पर पर जुड़े हों।

57. **मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग :** कर्जदार/ग्राहक तथा एडीबी दोनों की अपने अलग–अलग मॉनीटरिंग दायित्व हैं। मॉनीटरिंग कार्यों के दायरे और अवधि सहित उनकी सीमा परियोजना के जोखिमों और संघातों के अनुरूप होगी। कर्जदारों/ग्राहकों को कानूनी संविदाओं में किए गए उल्लेख के अनुसार सुरक्षा उपाय तथा प्रासंगिक सुरक्षा योजनाएं लागू करनी पड़ती हैं और अपने कार्यान्वयन निष्पादन के संबंध में समय–समय पर मॉनीटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है। एडीबी चाहेगा कि कर्जदार/ग्राहक :

(i) सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगाह रखने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करके रखेंगे,
(ii) सुरक्षा उपायों के अनुपालन और वांछित परिणामों के प्रति उनकी प्रगति का सत्यापन करेंगे,
(iii) मॉनीटरिंग परिणामों को लेखबद्ध और प्रकट करेंगे तथा समय–समय पर मॉनीटरिंग रिपोर्टों में आवश्यक सुधारात्मक तथा निवारक कार्रवाई तय करेंगे,
(iv) वांछित परिणामों की तरफ प्रगति सुनिश्चित करने के लिए इन कार्रवाइयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे,
(v) अधिक प्रभाव और जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए सूचनाओं की मॉनीटरिंग का सत्यापन करने के लिए योग्य तथा अनुभवी बाह्य विशेषज्ञ[28] या योग्य एनजीओ की सेवाएं लेंगे,
(vi) अत्यंत जटिल तथा संवेदनशील परियोजनाओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी हेतु स्वतंत्र सलाहकार पेनल का सहारा लेंगे, और
(vii) एडीबी के साथ हुए समझौते के अनुसार सुरक्षा उपायों पर समय–समय पर मॉनीटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

58. कानूनी दस्तावेजों में हुई सहमति के अनुसार एडीबी कर्जदारों/ग्राहकों की वचनबद्धता के हिसाब से परियोजना निष्पादन की समीक्षा करता है। एडीबी के मॉनीटरिंग तथा पर्यवेक्षण कार्यों की सीमा परियोजनाओं के जोखिम और संघातों के अनुरूप होगी। सामाजिक तथा पर्यावरण सुरक्षा उपायों की मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण परियोजना कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली के साथ जुड़े हैं जब तक परियोजनाओं की समापन रिपोर्ट जारी नहीं की जाती तब तक एडीबी अनवरत आधार पर परियोजनाओं को मॉनीटर करेगा। परियोजना कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए एडीबी निम्नलिखित मॉनीटरिंग कार्रवाई करेगा :

(i) विपरीत सामाजिक अथवा पर्यावरण संबंधी संघात वाली परियोजनाओं के लिए समय–समय पर स्थल दौरे करना;
(ii) बहुत प्रतिकूल सामाजिक अथवा पर्यावरण संघात वाली परियोजनाओं के लिए एडीबी द्वारा सुरक्षा विशेषज्ञों/अधिकारियों या परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत समीक्षा के साथ पर्यवेक्षण मिशन चलाना;
(iii) योजना तथा एडीबी के साथ हुए समझौते के अनुसार प्रतिकूल प्रभाव और जोखिम को समाप्त करना सुनिश्चित करने के लिए कर्जदारों/ग्राहकों द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत मॉनीटरिंग रिपोर्टों की समीक्षा;
(iv) कानूनी समझौतों में किए गए प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा प्रतिबंधों के अनुपालन में हुई किसी असफलता को यथासंभव सीमा तक दुरूस्त करने के लिए कर्जदारों/ग्राहकों के साथ कार्य करना और समुचित अनुपालन पुनः स्थापित करने के लिए सुधारात्मक प्रयास करना; और
(v) परियोजना समापन रिपोर्ट तैयार करना जिसमें यह मूल्यांकन किया जाता है कि आधारभूत परिस्थितियों और मॉनीटरिंग के परिणामों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा योजनाओं के उद्देश्य और वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं या नहीं।

59. **स्थानीय शिकायत निवारण तंत्र :** एडीबी चाहता है कि कर्जदार/ग्राहक के सामाजिक और पर्यावरणीय निष्पादन के बारे में प्रभावित लोगों की परेशानियों को परियोजना स्तर पर प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाए। शिकायत निवारण तंत्र में परियोजना के जोखिम और संघातों का अन्दाजा लगाया जाना चाहिए। इसमें आसानी से समझ में आने वाली और पारदर्शी प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए प्रभावित लोगों की परेशानियों और शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में स्त्री और पुरूष दोनों की परेशानियों को जवाब दिया जाए, यह सांस्कृतिक रूप से उचित हो और प्रभावित लोगों के सभी वर्गों के लिए सहज सुलभ होनी चाहिए।

[28] बाह्य विशेषज्ञों का अर्थ उन विशेषज्ञों से है जो परियोजना के रोजमर्रा कार्यान्वयन या पर्यवेक्षण न जुड़े हों।

60. **जवाबदेही तंत्र :** परियोजना प्रभावित लोग एडीबी के जवाबदेही तंत्र को भी अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। जवाबदेही तंत्र एक स्वतंत्र मंच और प्रक्रिया है जिसके द्वारा एडीबी की सहायता प्रदत्त परियोजनाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोग अपनी समस्याएं उठाकर उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही एडीबी की प्रचालन नीतियों और प्रक्रिया के कथित उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं। जवाबदेही तंत्र में दो पृथक लेकिन जुड़े हुए चरण हैं, नामतः (i) परामर्श चरण, जिसका नेतृत्व एडीबी का विशेष परियोजना सूत्रधार करता है जो परियोजनाओं से प्रभावित लोगों की समस्याओं के समाधन ढूंढ़ने में मदद करने के लिए सीधे एडीबी अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है; तथा (ii) अनुपालन समीक्षा चरण जिसका नेतृत्व तीन सदस्य पेनल करता है जो निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। अनुपालन समीक्षा पेनल निदेशक मंडल द्वारा परिभाषित एडीबी की प्रचालन नीतियों और प्रक्रिया के कथित उल्लंघन की जांच करता है जिसमें वे सुरक्षा नीतियां भी शामिल हैं जो परियोजना प्रभावित लोगों को हुए प्रत्यक्ष विपरीत और महत्वपूर्ण नुकसान के फलस्वरूप पैदा हुई हैं या होने की संभावना है और सिफारिश करता है कि उन नीतियों तथा प्रक्रियाओं के साथ परियोजना का अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जाए।

## 2. विशेष अपेक्षाएं

61. मानक परियोजना ऋणों, जिनमें पैरा. 49 से 60 में निर्धारित साधारण अपेक्षाओं का पालन किया जाता है, के अलावा कई विशेष मामलों में सामाजिक तथा पर्यावरण संबंधी संघात और जोखिमों के समाधाान के लिए विशेष अवधारणाओं की आवश्यकता पड़ती है। परिशिष्ट 4 में प्रोग्राम ऋण, सेक्टर ऋण, मल्टीट्रैंच फाइनेंसिंग सुविधाओं, आपातकालीन सहायता ऋण, वर्तमान सुविधाओं, वित्तीय मध्यस्थों और साधारण कारपोरेट फाइनेंस के लिए अतिरिक्त अपेक्षाओं का उल्लेख है। जब भी नई ऋण औपचारिकताएं तैयार की जाती हैं उनका समाधान करने के लिए परिशिष्ट 4 को अपडेट किया जाएगा।

### क. सुरक्षा फ्रेमवर्क

62. सुरक्षा फ्रेमवर्क सेक्टर ऋणों, एमएफएफ, आपातकालीन सहायता ऋणों या उनपरियोजनाओं सहित अन्य ऋण औपचारिकताओं के माध्यमों से डिलीवर की गई परियोजनाओं पर लागू होते हैं जहां उपपरियोजनाओं या परियोजना घटक बोर्ड के अनुमोदन के बाद तैयार किए जाते हैं। सुरक्षा फ्रेमवर्क का प्रयोजन यह सुनिश्चित करता है कि फ्रेमवर्क के तहत कार्यान्वित उप परियोजनाओं या परियोजना घटक एडीबी के सुरक्षा उद्देश्यों, सिद्धांतों और अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं। सुरक्षा फ्रेमवर्क (पर्यावरण मूल्यांकन और समीक्षा फ्रेमवर्क, पुनर्वास फ्रेमवर्क तथा देशज़ लोगों के नियोजन फ्रेमवर्क सहित) परियोजना के अनुमोदन से पहले तय हो जाने चाहिएं ताकि बोर्ड के अनुमोदन के बाद तैयार की जाने वाली उपपरियोजनाओं तथा/अथवा घटकों के लिए जांच और वर्गीकरण, मूल्यांकन, नियोजन, संस्थागत प्रबंध, और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में दिशानिर्देश मिल सकें। एडीबी और कर्जदार/ग्राहक के बीच हुए समझौते में सुरक्षा फ्रेमवर्क के अनुसार संघात मूल्यांकन और सुरक्षा योजनाएं उपपरियोजना या घटक निर्माण के दौरान तैयार किए जाते हैं। सेक्टर लोन या एमएफएफ के सेक्टर लोन ट्रैंच की अत्यंत जटिल तथा संवेदनशील उपपरियोजनाओं के लिए सुरक्षा फ्रेमवर्क का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

63. प्रत्येक सुरक्षा क्षेत्र के लिए सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे और उनमें :

(i) उपपरियोजनाओं तथा/अथवा घटकों की तैयारी और कार्यान्वयन पर लागू होने वाले नीतिगत उद्देश्यों और प्रासंगिक नीतिगत सिद्धांतों तथा सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरी तरह दर्शाया जाएगा;
(ii) प्रस्तावित परियोजनाओं के तहत धन दिए जाने वाली उपपरियोजनाओं तथा/अथवा घटकों के सामान्य अनुमानित संघातों का स्पष्टीकरण किया जाएगा;
(iii) उपपरियोजनाओं की जांच और वर्गीकरण के लिए अपनाई जाने वाली अपेक्षाओं का उल्लेख किया जाएगा जिनमें महिलाओं सहित कमजोर वर्गों को शामिल करने के लिए सूचनाओं के डिसक्लोजर, सार्थक परामर्श, शिकायत निवारण तंत्र और जहां लागू होंगे वहां उपपरियोजनाओं तथा/अथवा घटकों के चयन में इस्तेमाल किए जाने वाले सुरक्षा मानदंड भी शामिल किए जाएंगे;
(iv) बजट, संस्थागत प्रबंधों और क्षमता निर्माण अपेक्षाओं सहित कार्यान्वयन प्रक्रिया का उल्लेख होगा;
(v) मॉनीटरिंग तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का उल्लेख होगा; और

(vi) उपपरियोजनाओं सुरक्षा दस्तावेजों को तैयार करने, प्रस्तुत करने, समीक्षा करने और मंजूरी देने तथा सुरक्षा योजना कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण के संबंध में कर्जदार/ग्राहक, एडीबी और संबद्ध सरकारी एजेंसियों के दायित्वों और अधिकारों का उल्लेख होगा।

64. सुरक्षा फ्रेमवर्क का प्रयोग उचित है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए एडीबी कर्जदार/ग्राहक की पर्यावरण तथा सामाजिक संघातों और जोखिमों का प्रबंध करने और राष्ट्रीय कानूनों तथा एडीबी की अपेक्षाओं को लागू करने की क्षमता का मूल्यांकन करेगा। यदि एडीबी की अपेक्षाओं और देशों के कानूनों के बीच कोई अंतर पाया जाता है अथवा ऋणदाताओं की क्षमता में कोई अंतर दिखाई देता है तो सुरक्षा फ्रेमवर्क में उन अंतर की पूर्ति करने वाली विशेष अपेक्षाओं के ब्योरे शामिल किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीतिगत सिद्धांतों और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है।

### ख. वित्तीय मध्यस्थ

65. वित्तीय मध्यस्थों को या उनके जरिए एडीबी फंड के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए एडीबी (एफआई) के वर्तमान और संभावित भावी पोर्टफोलियो तथा सामाजिक और पर्यावरण प्रबंधन में उसकी वचनबद्धता और क्षमता के साथ जुड़े संभावित पर्यावरणीय तथा सामाजिक संघातों और जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए सतकर्ता बरतता है। सभी वित्तीय मध्यस्थ यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके निवेश लागू राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुकूल हों और एडीबी द्वारा वित्त प्रबंध वाली उपपरियोजनाओं के लिए निषिद्ध निवेश कार्यसूची (परिशिष्ट 5) लागू करेंगे। जहां वित्तीय मध्यस्थतों के निवेश न्यूनतम हैं अथवा कोई प्रतिकूल पर्यावरण या सामाजिक जोखिम शामिल नहीं हैं, वहां वित्तीय मध्यस्थ परियोजनाओं को श्रेणी ग परियोजना माना जाएगा और उस पर किसी अन्य विशेष अपेक्षाओं को लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी अन्य वित्तीय मध्यस्थतों को अपने समग्र प्रबंधन तंत्र के भाग के रूप में कायम किए जाने वाले भावी पोर्टफोलियो की प्रकृति और जोखिम के अनुरूप समुचित पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) स्थापित करनी पड़ेगी।

66. ईएसएमएस में निम्नलिखित तत्वों का समावेश होगा : (i) पर्यावरणीय तथा सामाजिक नीतियां; (ii जांच, वर्गीकरण और समीक्षा प्रक्रियाएं; (iii) पर्यावरणीय तथा सामाजिक क्षेत्रों में कौशल और क्षमताओं सहित संगठनात्मक ढांचा और स्टाफ; (iv) प्रशिक्षण आवश्यकताएं; और (v) मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग। इस प्रणाली के बारे में एडीबी तथा एफआई के बीच समझौता होगा। जहां एफआई के उपपरियोजनाओं एडीबी द्वारा क्रेडिट लाइन, अन्य ऋणों, इक्विटी, गारंटी या अन्य वित्त प्रबंध तरीकों से की जानी है और जिनमें बहुत अधिक पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव होने की संभावना है, उनके लिए एफआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी उपपरियोजनाएं एडीबी की सुरक्षा नीति अपेक्षाओं पर खरी उतरें जिनमें सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 1–3 में उल्लिखित शर्तें शामिल हैं। एफआई के पोर्टफोलियो तथा मेजबान देश की सुरक्षा प्रणालियों के आधार पर एडीबी एफआई की गतिविधियों के लिए अतिरिक्त शर्तें भी तय कर सकता है। एडीबी अपनी पर्यावरण तथा सामाजिक प्रबंधन प्रणाली के आधार पर एफआई के कार्यनिष्पादन पर निगाह रखेगा।

67. एडीबी एफआई की पर्यावरण और सामाजिक संघात और जोखिम को संभालने की क्षमता की पर्याप्तता का मूल्यांकन करेगा यदि एफआई की क्षमता में कहीं कोई खामियां हैं तो उनका समाधान करने के लिए एडीबी और एफआई एक समयबद्ध योजना तैयार करेंगे। एडीबी पर्यावरण तथा सामाजिक जोखिमों के समाधान करने की ग्राहकों की समग्र क्षमता में सुधार करने के लिए कार्य करेगा।

### ग. कंट्री सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाना और उनका उपयोग करना

68. एडीबी मानता है कि विकासशील सदस्य देशों ने अपनी स्वयं की सुरक्षा प्रणालियां विकसित की हैं इसलिए उनकी प्रणालियों को मजबूत बनाने और उनका प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने के लिए विकासशील सदस्य देशों के प्रयासों को समर्थन देने से देश के स्वामित्व में वृद्धि होगी, लेनदेन लागत में कमी आएगी और विकास के प्रभाव लंबे समय तक जारी रहेंगे। एडीबी कर्जदारों की विकास क्षमता पर ध्यान देते हुए विकासशील सदस्य देशों की कंट्री सुरक्षा प्रणालियों (सीएसएस) को मजबूत बनाने और उनका प्रभावी उपयोग करने के प्रति वचनबद्ध है। साथ ही एडीबी को यह सुनिश्चित करना पड़ता है

कि एडीबी परियोजनाओं में कंट्री सुरक्षा प्रणालियों (सीएसएस) के प्रयोग से एडीबी के नीतिगत उद्देश्यों और सिद्धांतों की उपलब्धियों को कम करके न आंका जाए। एडीबी की सीएसएस को मजबूत बनाने और उनका उपयोग करने की समग्र रणनीति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं और इसमें एक चरणबद्ध अवधारणा पर बल दिया गया है:

(i) **परिभाषा.** सीएसएस का संबंध देश के कानूनी और संस्थागत फ्रेमवर्क से है, जिसमें सुरक्षा नीति क्षेत्रों से संबंधित राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय या सेक्टरगत कार्यान्वयन संस्थानों और संबद्ध कानूनों, विनियमों, नियमों तथा प्रक्रियाओं का समावेश होता है।

(ii) **कंट्री सुरक्षा प्रणालियों के प्रयोग की शर्तें – समता और स्वीकार्यता मूल्यांकन.** एडीबी की सहायता वाली परियोजनाओं में सीएसएस का प्रयोग स्वतः या अनिवार्य नहीं है। एडीबी राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय, सेक्टर या एजेंसी स्तर पर एडीबी सहायता प्रदत्त परियोजनाओं से जुड़े सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और प्रबंध करने के लिए कर्जदार की सीएसएस के प्रयोग पर विचार कर सकता है बशर्ते कि (क) सीएसएस एबीडी के (समता मूल्यांकन) के समतुल्य हो, अर्थात सीएसएस का डिजाइन नीति के दायरे, मूलक कारणों और इस एसपीएस (पृष्ठ 16–18) में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया हो; और (ख) कर्जदार के पास स्वीकार्य कार्यान्वयन पद्धति, ट्रैक रिकार्ड तथा क्षमता (स्वीकार्यता मूल्यांकन), और देश, किसी विशेष सेक्टर या संबंधित एजेंसी में प्रचलित कानूनों, विनियमों, नियमों तथा प्रक्रियाओं को लागू करने के प्रति वचनबद्धता हो।

(iii) **सीएसएस को मजबूत बनाने और क्षमता निर्माण की आवश्यकता का समाधान.** यदि कर्जदार को उद्देश्यों को पूरा करने तथा इसे एसपीएस (पृष्ठ 16–18) में उल्लिखित नीति के दायरे, मूलक कारणों और लागू सिद्धांतों को पूरा करने के लिए अपनी सीएसएस को मजबूत करना हो और विशेष उपायों द्वारा किसी कार्य योजना को लागू करके ऐसा करने के लिए वचनबद्ध हो तो एडीबी समता का निर्धारण करते समय इन उपायों पर विचार कर सकता है। ऐसे उपाय कर्जदार द्वारा संबद्ध परियोजना कार्यों को लागू करने से पहले किए जाएंगे और उनमें एडीबी समर्थित प्रयास शामिल किए जा सकते हैं।

(iv) **कंट्री सुरक्षा प्रणालियों के उपयोग का दायरा.** चूंकि समता और स्वीकार्यता की सीमा विशेष सुरक्षा उपायों तक है, इसलिए कोई देश, सेक्टर या एजेंसी सीएसएस मूल्यांकनों के परिणाम के आधार पर एक, दो या सभी तीन सुरक्षा क्षेत्रों के लिए सीएसएस अवधारणा के तहत अर्हता प्राप्त कर सकती हैं।

(v) **सीएसएस का निषेध.** एडीबी द्वारा सहायता प्रदत्त अत्यंत जटिल और संवेदनशील परियोजनाओं पर सीएसएस लागू नहीं होगा।

(vi) **डिसक्लोजर और परामर्श**. सम्पन्न होने पर राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय सेक्टर या एजेंसी स्तर के प्रारूप समता तथा स्वीकार्यता मूल्यांकनों (खामी निवारण उपायों सहित, यदि कोई हों) को लेखबद्ध करके सार्वजनिक टिप्पणी के लिए एडीबी की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा। एडीबी स्टेकहोल्ड्र्स (सरकारों और एनजीओ सहित) से टिप्पणियां और फीडबैक प्राप्त करने के लिए अंतर्देशीय परामर्श कार्यशालाएं आयोजित करेगा। सम्पन्न होने पर अंतिम समता और स्वीकार्यता मूल्यांकन रिपोर्टें एडीबी की वेबसाइट पर दर्शाई जाएंगी। परियोजना स्तर के स्वीकार्यता मूल्यांकनों से जुड़े डिसक्लोजर और परामर्श में पैरा. 53 से 55 में किए गए उल्लेख के अनुसार परियोजनाएं तैयार करने के लिए अपनाए गए साधारण सुरक्षा दस्तावेज डिसक्लोजर और परामर्श प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(vii) **एडीबी की भूमिका और दायित्व.** एडीबी सीएसएस की समता और कर्जदार के कार्यान्वयन की पद्धति और क्षमता की पर्याप्तता का मूल्यांकन और निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है। समता और स्वीकार्यता मूल्यांकन[29] तैयार करते समय एडीबी अन्य संभावित विकास साझेदारों के साथ घनिष्ठ तालमेल रखता है। जिन परियोजनाओं में सीएसएस का प्रयोग होता है उनके लिए एडीबी के दायित्व सुरक्षा उपायों की समीक्षा तथा उचित परिश्रम अन्य एडीबी सहायता प्रदत्त परियोजनाओं के समान ही हैं। परिश्रम और समीक्षा सीएसएस के तहत निर्धारित अपेक्षाओं और कार्य योजना के समझौते (एडीबी की अपेक्षाओं की बजाय) पर आधारित होगी। सीएसएस वाली परियोजना को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद एडीबी पर्यवेक्षण में किसी अन्य एडीबी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए अपनाई जानी वाली प्रक्रिया का ही पालन किया जाएगा।

[29] अन्य विकास साझेदारों द्वारा हाल ही में किए गए विश्लेषण कार्य और नैदानिक मूल्यांकन, जिन्हें आवश्यकतानुसार अपडेट किया जाता है, का प्रयोग किया जा सकता है। अन्य विकास साझेदारों के साथ संयुक्त मूल्यांकन को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(viii) **कर्जदार की भूमिका और कर्त्तव्य.** कर्जदार समता बनाए रखने तथा एडीबी के मूल्यांकन के अनुसार स्वीकार्य कार्यान्वयन पद्धतियां, ट्रैक रिकार्ड और क्षमता विकासित करने के लिए जिम्मेदार है। किसी विशेष परियोजना के लिए कर्जदार सीएसएस के उन प्रावधानों की पहचान करता है जो एसपीएस में उल्लिखित नीतिगत उद्देश्यों और सिद्धांतों को पूरा करने और सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। यह प्रावधान सीएसएस की संरक्षण और कार्य प्रकृति जैसे कारकों के आधार पर एक परियोजना से दूसरी परियोजना में अलग अलग हो सकते हैं। सभी मामलों में ये सभी प्रावधान तथा कर्जदार द्वारा समता और स्वीकार्य कार्यान्वयन क्षमता हासिल करने के लिए अपनाए गए कोई अन्य उपाय एडीबी के प्रति संविदात्मक उपायों का कर्जदार के संविदात्मक दायत्वि का हिस्सा बन जाएंगे।

(ix) **एडीबी का जवाबदेही तंत्र.** सीएसएस के प्रयोग करने से एडीबी की दायित्व तंत्र की भूमिका में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।

(x) **चरणबद्ध अवधारणा.** सीएसएस के प्रयोग में इस नीति के लागू होने से प्रथम तीन वर्षों के दौरान उपराष्ट्रीय, सेक्टर, या एजेंसी स्तरों पर ध्यान देने वाले विकासशील सदस्य देशों की सीमित संख्या को शामिल किया जाएगा। उपयोग की प्रभावशीलता और सीएसएस के उपयोग की कार्यात्मक समीक्षा नीति के लागू होने से 3 वर्ष बाद की जाएगी।

69. परिशिष्ट 6 में सीएसएस को मजबूत बनाने और उपयोग करने की अवधारणा का उल्लेख है।

### घ. सहवित्त प्रबंध वाली परियोजनाएं

70. एडीबी अपने तथा सहवित्त प्रबंधकों के सुरक्षा सिद्धांतों और अपेक्षाओं की संतुष्टि के लिए एकल सामाजिक तथा पर्यावरण मूल्यांकन और नियोजन प्रक्रिया तथा एकीकृत सुरक्षा दस्तावेज, परामर्श और डिसक्लोजर अपेक्षाओं को अपनाने के लिए कर्जदार/ग्राहक और सहवित्त प्रबंधकों के साथ सहयोग करने के प्रयास करेगा।

### ग. भूमिकाएं और दायित्व

#### 1. एडीबी की भूमिकाएं और दायित्व

71. एडीबी अपनी सुरक्षा अपेक्षाओं को स्पष्ट करने; उचित सावधानी बरतने; और कर्जदार/ग्राहक के सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यांकनों और योजनाओं की समीक्षा करते हुए परियोजनाओं की जांच करने हेतु जिम्मेदार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एडीबी के सुरक्षा नीति सिद्धांतों और सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 1–4 के अनुपालन में यथासंभव प्रतिकूल सामाजिक तथा पर्यावरणीय संघातों बचाव, निवारण और भरपाई करने, एडीबी वित्त प्रबंध की व्यवहार्यता का निर्धारण करने; परियोजना अवधि के दौरान कर्जदार/ग्राहक के सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यनिष्पादन की मॉनीटरिंग तथा पर्यवेक्षण करने; सुरक्षा उपायों में कर्जदार/ग्राहक की क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए एडीबी जिम्मेदार है। एडीबी सामाजिक तथा पर्यावरणीय मूल्यांकन तथा मॉनीटरिंग रिपोर्ट्स सहित अपने सामाजिक तथा पर्यावरणीय मूल्यांकन एवं मॉनीटरिंग रिपोर्ट सहित सुरक्षा योजनाएं और फ्रेमवर्क अपनी वेबसाइट पर प्रकट करता है।

72. यदि कोई कर्जदार/ग्राहक सुरक्षा योजना और फ्रेमवर्क में उल्लिखित शर्तों सहित सुरक्षा अपेक्षाओं से संबंधित कानूनी समझौतों का पालन नहीं कर पाता तो एडीबी सुधारात्मक उपाय करते हुए उनका अनुपालन करवाने के लिए कर्जदार/ग्राहक के साथ मिलकर कार्य करेगा। यदि कर्जदार/ग्राहक फिर भी अनुपालन नहीं कर पाया तो एडीबी निलंबन, निरस्तीकरण या परिपक्वता पर मूल्य वृद्धि सहित कानूनी उपाय कर सकता है जो एडीबी के कानूनी समझौतों के तहत उपलब्ध हैं। ऐसे उपाय करने से पहले एडीबी कानूनी समझौतों का अनुपालन करवाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ वार्तालाप करने सहित कानूनी समझौतों के सभी पक्षों की संतुष्टि के अनुसार स्थिति को सुधारने के लिए अन्य उपलब्ध साधनों का प्रयोग करता है।

### 2. कर्जदारों/ग्राहकों की भूमिकाएं और दायित्व

73. कर्जदार/ग्राहक परियोजना तथा उनके पर्यावरण और सामाजिक संघातों का मूल्यांकन करने, सुरक्षा योजनाएं तैयार करने और सूचना डिसक्लोजर, परामर्श तथा सभी नीतिगत सिद्धांतों और सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन करते हुए सजग भागीदारी के जरिए प्रभावित समुदायों के साथ कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। कर्जदार/ग्राहक मूल्यांकन रिपोर्ट, सुरक्षा योजनाएं/फ्रेमवर्क तथा मॉनीटरिंग रिपोर्ट सहित सभी अपेक्षित सूचनाएं समीक्षा के लिए एडीबी को प्रस्तुत करेगा। कर्जदार/ग्राहक को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मेजबान देश के दायित्वों सहित वहां प्रचलित कानूनों, विनियमों और मानकों का अनुपालन करना होगा। इसके अलावा, कर्जदार/ग्राहक को सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 1–4 में उल्लिखित नीतिगत सिद्धांतों का निर्वहन और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एडीबी के साथ हुए समझौते के अनुसार सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित करना होगा। समझौते के उपायों को ठेकेदार सही ढंग से कार्यान्वित करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कर्जदार/ग्राहक को बोली दस्तावेजों तथा सिविल कार्य के ठेकों में सुरक्षा अपेक्षाओं को शामिल करेगा। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियां और विनियमन सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 1–4 एडीबी की सुरक्षा नीति कथन से मेल नहीं खाती तो एडीबी और कर्जदार/ग्राहक एडीबी की सुरक्षा नीति, सिद्धांतों और अपेक्षाओं का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय करेंगे और उन पर अपनी सहमति जताएंगे।

## VI. कार्यान्वयन प्रबंध तथा संसाधन निहितार्थ

### क. कार्यान्वयन तथा निगरानी

74. कारपोरेट स्तर पर एसपीएस का कार्यान्वयन 3 वर्ष की मध्यम कार्य योजनाओं के अनुसार होगा जिसका प्रारंभ 2010–2012 की अवधि से होगा। कार्य योजनाएं निम्नलिखित प्रमुख तत्वों के आधार पर तैयार की जानी चाहिएं : (i) सुरक्षा उपायों की डिलीवरी के लिए कर्जदारों/ग्राहकों की क्षमता विकास के लिए सहायता देना; (ii) एसपीएस को कार्यान्वित करने में सहायता देने के लिए औजार और यंत्र (दिशानिर्देश और हैंडबुक आदि) तैयार करना और उनका रखरखाव; (iii) एसपीएस कार्यान्वयन के लिए एडीबी की संगठनात्मक क्षमता और संसाधन सुनिश्चित करना; तथा (iv) एडीबी के आंतरिक समीक्षा और अनुपालन मॉनीटरिंग सिस्टम में सुधार करना। प्रस्तावित कार्यों, संबद्ध परिणामों तथा अपेक्षित संसाधनों सहित 2010–2012 की कार्य योजना का अनुलग्नक 2 में उल्लेख किया गया है।

75. एडीबी एसपीएस के उद्देश्यों के हिसाब से अपने समग्र सुरक्षा कार्यनिष्पादन का मॉनीटर और मूल्यांकन करेगा। एडीबी अपने सुरक्षा नीति कथन के अनुसार बैंक और परियोजना स्तर के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आंतरिक समीक्षा और अनुपालन मॉनीटरिंग सिस्टम रखेगा।

### ख. संसाधन निहितार्थ

76. एसपीएस का प्रभावशील कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एडीबी समुचित संसाधन मुहैया कराएगा। संसाधनों के उपयोग और नियतन को अनुकूल बनाने के लिए निम्नलिखित आधारों के संदर्भ में विभिन्न विकल्पों की जांच की जा रही है: (i) एडीबी और कर्जदार/ग्राहक के बीच दायित्व विभाजन द्वारा निर्धारित आंतरिक प्रशासनिक बजट, तकनीकी सहायता और ऋणों में संसाधनों की बढ़ती अपेक्षाओं की सक्षम और प्रभावित तैनाती; (ii) क्षमताएं और सरलीकृत आंतरिक प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाएं जिनके बल पर एडीबी के उद्देश्य पूरे होते हैं और एसपीएस के सिद्धांतों का पालन किया जाता है; और (iii) दक्षता उपाय, जिनमें कौशल और दक्षताओं में सुधार, मुख्यालय तथा रेजिडेंट मिशनों में सुरक्षा विशेषज्ञों की संख्या को तर्कसंगत बनाना तथा सेक्टर की विशेषताओं में वृद्धि करना और विशेषज्ञ संसाधनों को पूल करना शामिल होंगे।

77. सुरक्षा नीति कथन में विकासशील सदस्य देशों को अपनी सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने की क्षमता विकसित करने में सहायता देने पर बहुत बल दिया गया है। ऐसे क्षमता विकास को विकासशील सदस्य देशों की मांग के आधार पर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। मध्यावधि में बाह्य संसाधन जुटाकर 80–100 मिलियन अमरीकी डालर के लक्षित संसाधनों का एक ट्रस्ट फंड बनाने पर जोर दिया जाएगा ताकि (i) विकासशील

सदस्य देशों को अपनी सुरक्षा नीतियों, कानूनी फ्रेमवर्क, विनियमनों, नियमों और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने में सहायता दी जा सके; (ii) राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय, सेक्टर, एजेंसी और परियोजना स्तर पर विकासशील सदस्य देशों की सरकारी एजेंसियों, कर्जदारों/ग्राहकों और नागरिक समाज को क्षमता निर्माण के लिए सहायता दी जा सके; तथा (iii) मांग के आधार पर डीएमसी के साथ सीएसएस समता और स्वीकार्यता मूल्यांकन तथा नैदानिक कार्य किए जा सकें।

78. एडीबी ने गत वर्षों के दौरान सुरक्षा विशेषज्ञों की भर्ती में व्यवस्थित प्रगति की है। 2002 में जब से पर्यावरण नीति को मंजूर किया गया है तब एडीबी के पास 19 पर्यावरण विशेषज्ञ (18 व्यावसायिक स्टाफ तथा 1 राष्ट्रीय अधिकारी) पहले से थे, तब से 14 पर्यावरण विशेषज्ञों (8 व्यावसायिक स्टाफ तथा 6 राष्ट्रीय अधिकारी) की वृद्वि हुई है। 1995 में अस्वैच्छिक पुनर्वास नीति को मंजूरी मिलने तथा उसके बाद 1998 में देशज़ लोगों से संबंधित नीति को मंजूरी मिलने से लेकर मई, 2009 तक सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञता वाले कर्मचारियों की संख्या 1 व्यावसायिक स्टाफ से बढ़कर 22 व्यावसायिक स्टाफ और 9 राष्ट्रीय अधिकारियों तक जा पहुंची है। इस समय सुरक्षा समीक्षा कार्य के लिए एडीबी के पास कुल 48 व्यावसायिक स्टाफ पद हैं, जिनमें 26 पर्यावरण विशेषज्ञ के पद और 22 सामाजिक विकास विशेषज्ञ के पद शामिल हैं[30]। एडीबी के पास सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए 17 अतिरिक्त स्थानीय स्टाफ के पद हैं जिनमें 8 पर्यावरण अधिकारी, 9 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी स्तर के पद शामिल हैं और 12 पदों में से 7 पद रेजिडेंट मिशनों को आबंटित हैं।

79. एडीबी के भीतर सेफगार्ड ड्यू डिलीजेंस, समीक्षा तथा परिवेक्षण के लिए आंतरिक सर्वेक्षण तथा कर्मचारी–सप्ताह गुणांक के प्रयोग के संदर्भ में संसाधनों के निहितार्थों की जांच की गई है। अनुमानों से संकेत मिलता है कि तत्काल से मध्यावधि (2010–2012)[31] में सुरक्षा समीक्षा कार्य के लिए 1253–1749 व्यक्ति–सप्ताह तक वृद्विशील स्टाफ संसाधनों की आवश्यकता होगी। सुरक्षा स्टाफ संसाधनों में अनुमानित वृद्धि मुख्यतः गत कुछ वर्षों में कार्य की मात्रा में तीव्र वृद्वि के साथ–साथ पांचवीं सामान्य पूंजीगत वृद्वि की वजह से हुई है। यह आकलन आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया, एडीबी के भीतर स्टाफ संसाधनों की पुनः तैनाती, सुरक्षा उपायों पर कर्मचारियों का वास्तविक समय निवेश तथा परियोजना पाइपलाइन[32] संबंधी अनुमानों पर आधारित है। अतिरिक्त संसाधनों को तीन वर्ष की समयावधि समय–सीमा में स्टाफ पदों (व्यावसायिक स्टाफ तथा राष्ट्रीय अधिकारी) तथा स्टाफ परामर्शदाताओं को मिलाकर भरा जाएगा। जहां उपयुक्त होगा, रेजिडेंट मिशनों को स्टाफ क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है। उन्हें तीन प्रमुख क्षेत्रों में पहल करनी होगीः (i) उन वर्तमान नीतिगत अपेक्षाओं के कार्यान्वयन में वृद्वि करना जिन्हें सुरक्षा नीति कथन के तहत कायम रखा जाएगा; (ii) सामुदायिक कार्यों के लिए नई अपेक्षाएं लागू करना; और (iii) अधिक संघात और जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा समीक्षा मिशनों को शुरू करना। इसके अलावा, सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन के कानूनी पहलुओं का समाधान करने और सीएसएस के समता मूल्यांकनों की समीक्षा करने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय में कानूनी विशेषज्ञता के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ सकती है।

80. मध्यावधि में सीएसएस पर अधिक खर्चा होगा। मांग के आधार पर सीएसएस के समता मूल्यांकन के लिए प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यावसायिक स्टाफ सप्ताह की आवश्यकता होगी। इसमें प्रत्येक समता मूल्यांकन के लिए 5–12 स्टाफ सप्ताह तथा स्वीकार्यता मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त स्टाफ सप्ताहों की आवश्यकता शामिल हो सकती है। संसाधनों की आवश्यकता में संभावित वृद्वि को आवश्यकता के आधार पर स्टाफ कन्सलटेंसी द्वारा आंशिक रूप से पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा, सीएसएस नैदानिक कार्यों के लिए कार्य पद्धतियां विकसित करने और लागू करने में विश्व बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसके क्षेत्र में संयुक्त कार्य के लिए महत्वपूर्ण हित जुड़े हैं। विश्व बैंक जैसे साझेदार संस्थानों के साथ कार्य करने से भी प्रभावशीलता में वृद्धि होगी और संसाधनों की अतिरिक्त कार्यक्षमता सुनिश्चित होगी।

---

[30] ये कर्मचारी केवल सुरक्षा उपायों पर ही कार्य नहीं करते बल्कि सुरक्षा उपायों पर उनका 30 से 90 प्रतिशत समय रखा गया है।

[31] अपेक्षित स्टाफ संसाधनों का आकलन (i) नई नीति में जारी रखी जाने वाली मौजूदा सुरक्षा अपेक्षाओं को कार्यान्वित करने में स्टाफ संसाधनों की पर्याप्तता का आकलन करने; (ii) सुरक्षा नीति अपडेट के संसाधन निहितार्थों की पहचान करने; और (iii) सुरक्षा कार्य के लिए मौजूदा मानव संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और आबंटन के विकल्प तलाशने के लिए किए गए विश्लेषण पर आधारित है।

[32] संसाधन आकलन के लिए प्रयुक्त अनुमानित परियोजना की संख्या परियोजना प्रोसेसिंग इन्फार्मेशन सिस्टम (पीपीआईएस) डाटा पर आधारित है।

### ग. लागू होने की तारीख तथा संक्रमणकाल

81. सुरक्षा नीति कथन तथा परिशिष्ट 1–6 निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख से छः महीने बाद लागू होंगे। जो परियोजना नीति के लागू के होने के बाद शुरू होंगे तथा उन पर सुरक्षा नीति कथन और परिशिष्ट 1–6 लागू होंगे। जिन परियोजनाओं की प्रबंधन बैठक या किसी वर्तमान एमएफएफ के तहत कोई ट्रैंच पहले ही पूरा हो गया हो जिसके लिए प्रबंधन समीक्षा के सावधिक वित्त प्रबंधन अनुरोध लागू होने की तारीख तक पूरे हो चुके हों, उन पर एडीबी की *अस्वैच्छिक पुनर्वास नीति* (1995), *देशज़ जन नीति* (1998) तथा *पर्यावरण नीति* (2002) के उपयोग की शर्त लागू होगी।

### घ.. नीतिगत समीक्षा

82. एडीबी के सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए सुरक्षा नीति कथन के लागू होने की तारीख के 5 वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, नीति के लागू होने से 3 वर्ष बाद एक कार्यात्मक समीक्षा की जाएगी जिसमें (i) सीएसएस के प्रयोग संबंधी प्रगति तथा सीएसएस के प्रभावशीलता; (ii) एफआई परियोजनाओं के लिए सुरक्षा अपेक्षाओं के कार्यान्वयन और ऐसी अपेक्षाओं की प्रभावशीलता पर बल दिया जाएगा। 3 वर्षीय और 5 वर्षीय दोनों समीक्षाएं स्वतंत्र मूल्यांकन विभाग द्वारा की जाएंगी और उनकी रिपोर्टें निदेशक मंडल तथा एडीबी प्रबंधन को प्रस्तुत की जाएंगी। 3 वर्षीय समीक्षा की सिफारिशों और बोर्ड की विकास प्रभावशीलता समिति के विचारों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन सीएसएस के प्रयोग और एफआई परियोजनाओं के लिए सुरक्षा अपेक्षाओं के कार्यान्वयन पर बोर्ड के अनुमोदन के लिए एक पेपर पेश करेगा। प्रबंधन 5 वर्षीय समीक्षा को ध्यान में रखते हुए 1 पेपर बोर्ड को भी पेश करेगा।

## VII. सिफारिश

83. अध्यक्ष की सिफारिश है कि अध्याय V और VI, तथा परिशिष्ट 1–6, सहित इस पेपर में यथाउल्लिखित एडीबी सुरक्षा नीति कथन को बोर्ड मंजूरी प्रदान करे, जो *अस्वैच्छिक पुनर्वास नीति* (1995), *देशज़ लोगों से संबंधित नीति* (1998), *पर्यावरण नीति* (2002), तथा *जनसंचार नीति* (2005) के पैरा 73 के दूसरे वाक्य, पैरा 77–85 और 92 का स्थान लेगा।

# सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 1: पर्यावरण

## क. प्रस्तावना

1. सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 1 में उन अपेक्षाओं का उल्लेख है जो कर्जदार और ग्राहकों को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा सहायता प्रदत्त परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय सुरक्षाओं को पूरी करनी पड़ती हैं। इसमें प्रयोग के उद्देश्यों और दायरे पर चर्चा की गई है तथा पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रतिक्रिया के लिए पूरी की जाने वाली अपेक्षाओं को रेखांकित किया गया है। इन अपेक्षाओं में प्रभाव मूल्यांकन, प्रभाव निवारण नियोजन और प्रबंधन, पर्यावरण मूल्यांकन रिपोर्टें तैयार करना, सूचनाएं प्रकट करना और परामर्श लेना, शिकायत तंत्र की स्थापना तथा मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग शामिल हैं। इस दस्तावेज में जैवविविधता, संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, व्यावसायिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा व भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी विशेष पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं भी शामिल हैं। विशेष अपेक्षाओं का प्रयोग पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा तय होता है तथा अपेक्षाओं का अनुपालन एडीबी और कर्जदार/ग्राहक के बीच हुए समझौते के अनुसार पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं को कार्यान्वित करके किया जाता है।

## ख. उद्देश्य

2. उद्देश्य परियोजनाओं की पर्यावरणीय सुदृढ़ता और स्थायित्व को सुनिश्चित करना तथा परियोजना निर्णय प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय आधारों को शामिल करने के लिए सहायता देना है।

## ग. प्रयोग का दायरा

3. यह अपेक्षाएं एडीबी सहायता प्रदत्त तथा/अथवा एडीबी प्रशासित सभी सोवरेन तथा नॉनसोवरेन परियोजनाओं तथा उनके घटकों पर लागू होती हैं भले ही परियोजनाओं का वित्त प्रबंधन ऋण; तथा/अथवा अनुदान; तथा/अथवा अन्य साधन जैसे इक्विटी तथा/अथवा गारंटी (जिन्हें इसके बाद मोटे तौर पर परियोजनाएं कहा गया है) सहित वित्त का स्रोत कोई भी हो।

## घ. अपेक्षाएं

### 1. पर्यावरणीय मूल्यांकन

4. पर्यावरणीय मूल्यांकन किसी परियोजना के पर्यावरणीय संघात और जोखिमों का समाधान करने के लिए पर्यावरणीय विश्लेषण और नियोजन की प्रक्रिया का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त एकजातीय शब्द है। परियोजना तैयार करने की प्रारंभिक अवस्था में कर्जदार/ग्राहक भौतिक, जीव वैज्ञानिक, सामाजिक–आर्थिक, तथा भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर संभावित प्रत्यक्ष, परोक्ष, संचयी तथा अनुमानित पर्यावरणीय संघात और जोखिम की पहचान करेगा और प्रभावित लोगों और संबंधित एनजीओ सहित स्टेकहोल्ड्र्स के परामर्श से उनके महत्व और दायरे का निर्धारण करेगा। यदि संभावित रूप से प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव और जोखिम का पता चलता है तो कर्जदार/ग्राहक परियोजना अवधि में यथाशीघ्र पर्यावरण मूल्यांकन करवाएगा। जिन परियोजनाओं में विविध, स्थायी या अप्रत्याक्षित प्रतिकूल प्रभाव की संभावना हो उनमें कर्जदार/ग्राहक परियोजना के स्थान, डिजाइन, टेक्नोलॉजी तथा घटकों के विकल्प की जांच करेगा ताकि प्रतिकूल पर्यावरणीय संघात और जोखिम से बचा जा सके, और यदि बचाव संभव न हो तो यह प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम हों। किसी विशेष परियोजना स्थल, डिजाइन, टेक्नोलॉजी तथा घटकों के चयन के औचित्य को पर्यावरण लागत तथा विभिन्न विकल्पों के लाभ को ध्यान में रखते हुए लागत लाभ विश्लेषण सहित समुचित ढंग से लेखबद्ध किया जाएगा। ""लाभ नहीं तो परियोजना नहीं" विकल्प पर भी विचार किया जाएगा।

5. मूल्यांकन प्रक्रिया वर्तमान सूचना पर आधारित होगी जिसमें परियोजनाओं का सही विवरण, तथा समुचित पर्यावरणीय और सामाजिक आधारभूत डाटा शामिल हैं। पर्यावरणीय मूल्यांकन में भौतिक, जीव वैज्ञानिक, सामाजिक–आर्थिक (व्यावसायिक

स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, कमजोर वर्गों और लिंग संबंधी मुद्दों, पर्यावरण मीडिया [परिशिष्ट 2, (पैरा. 6)] के माध्यम से आजीविकाओं तथा भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव पर समन्वित रूप से विचार किया जाएगा। परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय संघातों और जोखिमों की इस दस्तावेज में पेश अपेक्षाओं तथा परियोजना के अधिकार क्षेत्र से संबंधित पर्यावरणीय मामलों, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत मेजबान देश के दायित्वों सहित लागू कानूनों व विनियमों के हिसाब से समीक्षा की जाएगी।

6. प्रभावों और जोखिमों का परियोजना के प्रभाव क्षेत्र के संदर्भ में विश्लेषण किया जाएगा। इस प्रभाव विश्लेषण में (i) प्राथमिक परियोजना स्थल तथा संबद्ध सुविधाएं जो कर्जदार/ग्राहक (उसके ठेकेदारों सहित) विकसित या नियंत्रित करना चाहता हो जैसे विद्युत वितरण मार्ग, पाइपलाइन, नहरें, सुरंगें, संपर्क मार्ग, बोरो पिट्स तथा निस्तारण क्षेत्र और निर्माण शिविर; (ii) संबद्ध सुविधाएं, जिनका वित्त प्रबंध परियोजना के भाग के रूप में नहीं होता (वित्त प्रबंध कर्जदार/ग्राहक या किसी तीसरे पक्ष द्वारा अलग से किया जा सकता है), तथा जिसकी व्यवहार्यता और स्थाईत्व केवल परियोजना पर निर्भर करता हो और जिसका माल और सेवाएं परियोजना के सफल संचालन के लिए अनिवार्य हों; (iii) परियोजना की भावी विकास योजना से होने वाले संचयी प्रभाव से संभावित रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्र और समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र में इसी तरह के प्रभाव के अन्य स्रोत, वर्तमान परियोजना या स्थिति तथा अन्य परियोजना संबद्ध विकास जो मूल्यांकन के समय वास्तविक रूप से परिभाषित किए गए हों; तथा (iv) परियोजना अनियोजित लेकिन संभावित विकास, जो बाद में या अलग–अलग स्थानों पर उत्पन्न हो सकते हों, से होने वाले प्रभाव से प्रभावित होने की संभावना वाले क्षेत्र और समुदाय शामिल हैं। प्रभाव क्षेत्र में वे संभावित प्रभाव शामिल नहीं हैं जो परियोजना के बिना या परियोजना के होते हुए भी पैदा हो सकते हों। परियोजना अवधि की विभिन्न अवस्थाओं के लिए, जिनमें निर्माण से पहले, निर्माण, प्रचालन, कार्यबंद तथा समय से पहले कार्य का बंद होना जैसे पुनर्वास या बहाली शामिल हैं, पर्यावरणीय संघात और जोखिमों का विश्लेषण भी किया जाएगा।

7. मूल्यांकन में संभावित सीमा पार प्रभावों जैसे वायु प्रदूषण, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गो का अधिक प्रयोग या संदूषण और वैश्विक प्रभाव जैसे ग्रीन हाऊस धूएं और संकटग्रस्त प्रजातियों तथा पर्यावासों पर होने वाले प्रभाव की पहचाान की जाएगी।

8. पर्यावरणीय मूल्यांकन में यह भी जांच की जाएगी कि परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का असर किसी विशेष व्यक्ति और समूहों पर उनकी अपेक्षित या कमजोर स्थिति, विशेषकर, गरीबों, महिलाओं और बच्चों तथा देशज़ लोगों पर तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसे लोगों या समूहों की पहचान की जाती है तो पर्यावरणीय मूल्यांकन में लक्षित तथा विशेष प्रकार के उपायों की सिफारिश की जाएगी ताकि प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव उन पर गैरअनुपातिक ढंग से न पड़ें।

9. परियोजना के प्रभाव और जोखिमों की तीव्रता के आधार पर मूल्यांकन में श्रेणी क परियोजनाओं के लिए विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रारंभिक पर्यावरणीय जांच अथवा श्रेणी ख परियोजनाओं के लिए समता प्रक्रिया या डेस्क समीक्षा की जाती सकती है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रमुख तत्वों को शामिल किया जा सकता है : (i) कार्यकारी सारांश; (ii) परियोजना विवरण; (iii) पर्यावरण विवरण (व्यापक बेसलाइन डाटा सहित); (iv) अनुमानित पर्यावरणीय प्रभाव और निवारक उपाय; (v) विकल्पों का विश्लेषण; (vi) पर्यारणीय प्रबंधन योजनाएं; (vii) परामर्श तथा सूचना प्रकटीकरण; तथा (viii) निष्कर्ष और सिफारिशें। इस परिशिष्ट के साथ संलग्न अनुलग्नक में अन्य ब्योरे दिए गए हैं। इक्का–दुक्का और सामान्यतः स्थलगत और आम तौर पर स्थायी लेकिन निवारक उपायों से सहज रूप से समाधान होने वाले सीमित प्रभाव वाली परियोजनाओं के लिए संकुचित दायरे में प्रारंभिक पर्यावरणीय जांच की जा सकती है।

10. जब परियोजना में वर्तमान कार्य या सुविधाएं शामिल हों तो संबद्ध बाह्य विशेषज्ञ पर्यावरणीय ऑडिट करेंगे जिससे ऐसे किसी क्षेत्र के स्थाईत्व का पता लगेगा जहां परियोजनाओं से कोई पर्यावरणीय जोखिम या प्रभाव हो सकता है या नहीं। यदि परियोजना में किसी नए बड़े विस्तार की योजना न हो तो ऑडिट परियोजना के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन का कार्य करेगी। विशिष्ट पर्यावरण ऑडिट रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल होते हैंः (i) कार्यकारी सारांश; (ii) सुविधाओं का विवरण जिनमें पहले और वर्तमान कार्यकलाप शामिल हैं; (iii) राष्ट्रीय, स्थानीय तथा कोई अन्य लागू पर्यावरणीय कानून, विनियमन तथा मानक का सारांश; (iv) ऑडिट तथा स्थल जांच प्रक्रिया; (v) निष्कर्ष तथा परेशानियां; और (vi) सुधारात्मक कार्ययोजना जिसमें प्रत्येक परेशानी के लिए लागत और समयसारणी सहित समुचित सुधारात्मक कार्रवाई का प्रावधान हो।

11. जब किसी परियोजना में नीतियों, योजनाओं और प्रोग्राम्स के विकास या परिवर्तन करना शामिल हो जिनका प्रादेशिक या सेक्टरगत अधिक पर्यावरणीय प्रभाव होने की संभावना हो तो रणनीतिक पर्यावरणीय मूल्यांकन करना आवश्यक होगा। रणनीतिक पर्यावरण मूल्यांकन रिपोर्ट में (i) परिदृश्य का विश्लेष; (ii) दीर्घावधिक तथा परोक्ष प्रभावों का मूल्यांकन; (iii) परामर्श प्रक्रिया का विवरण; तथा (iv) विकल्प चयन का स्पष्टीकरण शामिल होगा।

## 2. पर्यावरणीय नियोजन और प्रबंधन

12. कर्जदार/ग्राहक एक पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करेगा जिसमें पर्यावरण मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संभावित प्रभावों और जोखिमों का समाधान किया जाएगा। ईएमपी में प्रस्तावित निवारण उपाय, पर्यावरण मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग अपेक्षाएं, आपातकालीन जवाबी प्रक्रियाएं, संस्थागत तथा संगठनात्मक प्रबंध, क्षमता विकास और प्रशिक्षण उपाय, कार्यान्वयन सारणी, लागत अनुमान तथा कार्यनिष्पादन संकेत शामिल होंगे। यदि प्रभावों और जोखिमों से बचाव या उनकी रोकथाम मुमकीन न हो तो निवारक उपाय और कार्रवाई करनी होगी ताकि परियोजना को प्रचलित कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हुए डिजाइन, निर्माण और संचालन किया जाए और इस दस्तावेज में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। पर्यावरणीय नियोजन दस्तावेजों के ब्यौरे और जटिलताओं का स्तर तथा निर्धारित उपायों और कार्रवाई की प्राथमिकता परियोजना के प्रभाव और जोखिमों के अनुरूप होगी। प्रमुख निवारक उपायों में संभावित प्रतिकूल प्रभावों को किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई हानिकारक रहित स्तर तक उपशमन करना, प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माने के सिद्धांत, ऐतिहाती अवधारणा तथा अनुकूल प्रबंधन शामिल हैं।

13. यदि निवारण के बाद भी कुछ प्रभाव शेष रह जाएं तो ईएमपी में समुचित मुआवजा उपायों (ऑफसेट) को भी शामिल किया जाएगा जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। उदाहरण के लिए ऐसे उपाय पर्यावास तथा जैवविविधता के संरक्षण, तथा आसपास की स्थिति का संवर्धन तथा ग्रीन हाऊस गैसों के धुएं की रोकथाम से संबंधित हो सकते हैं। ऑफसेट के बदले मौद्रिक मुआवजा अपवादस्वरूप परिस्थितियों में ही स्वीकार्य है बशर्ते कि मुआवजे का प्रयोग उसी प्रकृति के पर्यावरण लाभों की व्यवस्था करने के लिए किया जाए और परियोजना के शेष प्रभाव के अनुकूल हो।

14. ईएमपी में अपेक्षित परिणामों को यथासंभव सीमा तक औसत दर्जे की घटनाओं के रूप में परिभाषित किया जाएगा और उनमें उन निष्पादन संकेतों या लक्ष्यों को शामिल किया जाएगा जिन पर निर्धारित अवधि तक निगरानी रखी जा सके। यह परियोजना डिजाइन में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप होगा, जैसे परियोजना स्थल या मार्ग में या टेक्नोलॉजी, अदृश्य घटनाओं तथा मॉनीटरिंग परिणामों में भारी फेरबदल।

15. साथ ही किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी का ईएमपी के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ेगा। तीसरे पक्ष में अन्य बातों के साथ–साथ सरकारी एजेंसी, ठेकेदार या संबद्ध सुविधा का संचालन शामिल हो सकता है। जब तीसरे पक्ष का जोखिम अधिक हो और कर्जदार/ग्राहक का तीसरे पक्ष के कार्यों और प्रभाव पर नियंत्रण या प्रभाव हो तो कर्जदार/ग्राहक तीसरे पक्ष को कर्जदार/ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुसार परिणाम हासिल करने में सहयोग करेगा। विशेष कार्रवाई का निर्धारण मामला–दर–मामला आधार पर किया जाएगा।

16. पर्यावरण मूल्यांकन तथा ईएमपी तैयार करने के लिए कर्जदार/ग्राहक योग्य तथा अनुभवी विशेषज्ञ सेवाओं का उपयोग करेगा। अधिक जटिल और संवेदनशील परियोजनाओं के लिए परियोजना तैयार करने तथा कार्यान्वयन के दौरान उन स्वतंत्र सलाहकार विशेषज्ञों के पेनल की सेवाओं का प्रयोग किया जाएगा जो परियोजनाओं से न जुड़े हों।

## 3. सूचना प्रकटीकरण

17. कर्जदार/ग्राहक एडीबी की वेबसाइट पर दर्शाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज एडीबी को प्रस्तुत करेगाः

(i) प्रारूप विस्तृत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (प्रारूप ईएमपी सहित) एडीबी बोर्ड द्वारा विचार करने से कम से कम 120 दिन पहले, तथा/अथवा पर्यावरणीय मूल्यांकन तथा समीक्षा फ्रेमवर्क परियोजना मूल्यांकन से पहले, जहां लागू हो;
(ii) अंतिम पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन/आईईई;
(iii) नई अथवा अपडेट की गई ईआईए/आईईई तथा सुधारात्मक कार्य योजना, यदि कोई हो, जो परियोजना कार्यान्वयन के दौरान तैयार की गई हो; और
(iv) पर्यावरणीय मॉनीटरिंग रिपोर्टें।

18. कर्जदार/ग्राहक प्रभावित तथा अन्य स्टेकहोल्ड्र्स को प्रासंगिक सूचनाएं, जिनमें दस्तावेज के पैरा. 17 में उल्लिखित सूचनाएं शामिल हैं, समयोचित ढंग, सुगम स्थान तथा रूप और समझने में आने वाली भाषाओं में उपलब्ध कराएगा। अनपढ़ लोगों के लिए संचार की अन्य समुचित पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा।

## 4. परामर्श और भागीदारी

19. कर्जदार/ग्राहक प्रभावित लोगों तथा अन्य संबंधित स्टेकहोल्ड्र्स, जिनमें नागरिक समाज शामिल है, के साथ सार्थक परामर्श करेगा और उनकी भागीदारी को सुगम बनाएगा। सार्थक परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जो : (i) परियोजना को तैयार करने की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभ होती है और पूरे परियोजनाकाल में अनवरत आधार पर जारी रहती है[1]; (ii) प्रभावित लोगों को आसानी से समझ में आने वाली और तत्काल सुलभ प्रासंगिक तथा पर्याप्त सूचनाओं को समय पर उपलब्ध कराती है; (iii) जो भय या उत्पीड़न मुक्त माहौल में सम्पन्न की जाती है; (iv) जिसमें स्त्री और पुरूष दोनों शामिल हों और उनके प्रति जवाबदेह हों और उपेक्षित तथा कमजोर वर्गों की जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई हो; और (v) जो प्रभावित लोगों तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स के सभी प्रासंगिक विचारों को परियोजना डिजाइन, निवारक उपायों, विकास संबंधी लाभों और अवसरों के आदान–प्रदान तथा कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों जैसी निर्णय प्रक्रियाओं में शामिल करने में सहायक हो। परामर्श प्रभावित समुदाय पर हुए प्रभावों के अनुरूप किया जाएगा। परामर्श प्रक्रिया और उनके परिणामों को लेखबद्ध किया जाएगा और पर्यावरणीय मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्शाया जाएगा।

## 5. शिकायत निवारण तंत्र

20. कर्जदार/ग्राहक सामाजिक और पर्यावरणीय निष्पादन के बारे में प्रभावित लोगों की परेशानियों को परियोजना स्तर पर प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करेगा। शिकायत निवारण तंत्र में परियोजना के जोखिम और संघातों का अनुमान लगाया जाएगा। इसमें आसानी से समझ में आने वाली और पारदर्शी प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए प्रभावित लोगों की परेशानियों और शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाएगा। इस प्रक्रिया में स्त्री और पुरूष दोनों की परेशानियों को जवाब दिया जाएगा, यह सांस्कृतिक रूप से उचित होगी और प्रभावित लोगों के सभी वर्गों के लिए सहज सुलभ होगी और इसमें कोई खर्चा नहीं होगा और न ही किसी दंड का प्रावधान होगा। यह तंत्र देश के न्यायिक या प्रशासनिक उपायों का प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं डालेगा। प्रभावित लोगों को इस तंत्र के बारे में समुचित जानकारी दी जाएगी।

## 6. मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग

21. कर्जदार/ग्राहक ईएमपी के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करेगा। मॉनीटरिंग कार्यों की सीमा परियोजना के जोखिमों और प्रभावों के अनुरूप होगी। इसके अलावा, सूचाओं को दर्ज करने से लेकर प्रगति तक टोह रखने के लिए कर्जदार/ग्राहक ईएमपी के कार्यान्वयन और अपेक्षित परिणामों की ओर प्रगति का सत्यापन करके निरीक्षण करेगा। जिन

[1] पर्यावरण श्रेणी क परियोजनाओं के लिए ऐसे परामर्शों में ईआईए फील्डवर्क की प्रारंभिक अवस्था में किए गए परामर्शों तथा जब परियोजना तैयार करने के दौरान प्रारूप ईआईए रिपोर्ट उपलब्ध होने पर तथा एडीबी द्वारा परियोजना का मूल्यांकन करने से पहले किए गए परामर्शों को आवश्य शामिल किया जाएगा।

परियोजनाओं का पर्यावरण पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो उनके लिए कर्जदार/ग्राहक सूचनाओं की मॉनीटरिंग हेतु योग्य तथा अनुभवी बाह्य विशेषज्ञों या योग्य एनजीओ की सेवाएं लेगा। कर्जदार/ग्राहक मॉनीटरिंग परिणामों को दर्ज करेगा, आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई तय करेगा तथा उन्हें सुधारात्मक योजना में दर्शाएगा। कर्जदार/ग्राहक इन सुधारात्मक कार्यों की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कार्यान्वित करेगा और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

22. कर्जदार/ग्राहक समय–समय पर मॉनीटरिंग रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें ईएमपी तथा अनुपालन मुद्दों और सुधारात्मक कार्यों, यदि कोई हों, के कार्यान्वयन की प्रगति का उल्लेख होगा। कर्जदार/ग्राहक बहुत प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव की संभावना वाली परियोजनाओं के निर्माण के दौरान कम से कम अर्धवार्षिक मॉनीटरिंग रिपोर्ट और अत्यंत जटिल तथा संवेदनशील परियोजनाओं के लिए तिमाही मॉनीटरिंग रिपोर्ट पेश करेगा। जिन परियोजनाओं का प्रचालन के दौरान प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव होने की संभावना हो उनकी रिपोर्टिंग कम से कम वार्षिक आधार पर जारी रहेगी। ऐसी सावधिक रिपोर्टों को सुगम स्थान पर जनता के लिए पोस्ट किया जाएगा। परियोजना बजट में मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की लागत दर्शाई जाएगी।

## 7. अप्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव

23. यदि परियोजना कार्यान्वयन के दौरान अप्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव दिखाई दें तो कर्जदार/ग्राहक संभावित प्रभाव का अनुमान लगाने, विकल्पों का मूल्यांकन करने तथा निवारक उपायों की व्यवस्था करने और उन प्रभावों का समाधान करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन और ईएमपी को अपडेट करेगा या नया पर्यावरण मूल्यांकन तथा ईएमपी बनाएगा।

## 8. जैवविविधता संरक्षण और स्थायी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

24. कर्जदार/ग्राहक पैरा 4–10 में उल्लिखित पर्यावरण मूल्यांकन प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में जैवविविधता[2] तथा प्राकृतिक संसाधनों पर परियोजना के प्रभाव और जोखिम का अनुमान लगाएगा। इस मूल्यांकन में जैवविविधता से होने वाले बड़े खतरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिसमें पर्यावास का विनाश और आक्रामक विदेशी प्रजातियों के हमले तथा गैर–टिकाऊ ढंग से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग शामिल है। कर्जदार/ग्राहक को संभावित प्रतिकूल प्रभावों और जोखिमों से बचने, कम करने या निवारण करने के उपाय ढूंढने होंगे तथा अंतिम प्रयास के रूप में मुआवजा उपायों का प्रस्ताव करना होगा जैसे जैवविविधता ऑफसेट, प्रभावित जैवविविधता को न हानि और न लाभ की स्थिति प्राप्त करना आदि।

### क. रूपांतरित पर्यावास

25. रूपांतरित पर्यावास के क्षेत्र में, जहां कृषि क्षेत्रों में विदेशी प्रजाति के पौधों और पशुओं द्वारा प्राकृतिक पर्यावास में बदलाव किया गया हो, कर्जदार/ग्राहक को परियोजना की प्रकृति और स्तर के आधार पर ऐसे पर्यावास में आगे परिवर्तन या पतन को कम करने की ओर ध्यान देना होगा, पर्यावास में वृद्धि करने तथा परियोजनाओं प्रचालन के अंग के रूप में जैवविविधता की सुरक्षा और संरक्षण के अवसरों की पहचान करनी होगी।

### ख. प्राकृतिक पर्यावास

26. प्राकृतिक पर्यावास[3] के क्षेत्रों में परियोजना की वजह से ऐसे पर्यावास में कोई परिवर्तन या तोड़फोड़[4] नहीं की जाएगी

---

[2] सभी स्रोतों के सजीव प्रणालियों में होने वाले अंतर से अन्य बातों के साथ–साथ प्रादेशिक, समुद्री तथा अन्य जलीय इकोसिस्टम्स तथा पारिस्थितिकी संरचनाएं, जिनके वे अंग हैं, इसमें प्रजातियों, प्रजातियों के बीच और इकोसिस्टम्स की विविधिता शामिल हैं।

[3] ऐसे भूमि और जलीय क्षेत्र जहां प्राकृतिक पौधों और पशुओं की प्रजातियां जैववैज्ञानिक समुदायों का निर्माण करती हैं और जहां मानवीय कार्यकलाप की वजह से क्षेत्र के मूल पारिस्थितिकी कार्यों से कोई छोड़छाड़ नहीं हुइ हो।

[4] भारी परिवर्तन या छोड़छाड़ का तात्पर्य (i) भूमि और जल के प्रयोग में दीर्घकालिक परिवर्तन द्वारा पर्यावास में कोई गंभीर परिवर्तन से है; अथवा (ii) पर्यावास के रूपांतरण से है जिसकी वजह से मौलिक प्रजाजियों की बाजिव आबादी बनाए रखने में पर्यावास की क्षमता बहुत कम हो गई हो। भारी परिवर्तन में

जब तक कि निम्नलिखित परिस्थितियों का पालन नहीं किया जाताः

(i) अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न हो।
(ii) विस्तृत विश्लेषण से यह ज्ञात हो कि परियोजना के समग्र लाभ उसकी पर्यावरण लागत सहित कुल लागत से कहीं अधिक हों।
(iii) किसी भी प्रकार के परिवर्तन या तोड़फोड़ का सही ढंग से निवारण न किया गया हो।

27. निवारण उपायों को इस ढंग से बनाया जाएगा कि जैवविविधता को कम से कम कोई नुकसान न हो। उनमें परियोजना के बाद पर्यावासों की बहाली, पारिस्थितिकी दृष्टि से समतुल्य क्षेत्रों के सृजन या प्रभावी संरक्षण से नुकसान की भरपाई ऐसे कार्यों का मिश्रण शामिल किया जा सकता है जैसे वे क्षेत्र जहां देशज़ व्यक्तियों या परम्परागत समुदायों द्वारा जैवविविधता का प्रबंधन और उसके सीधे प्रयोग करने वालों के प्रति समुचित न्याय करना।

### ग. नाजुक पर्यावास

28. नाजुक पर्यावास[5] वाले क्षेत्रों में कोई भी परियोजना कार्य कार्यान्वित नहीं होगा जब तक कि निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाताः

(i) नाजुक पर्यावासों को कोई प्रत्याशित प्रतिकूल प्रभाव या संभावना नहीं है जिससे उसकी उच्च जैवविविधता मूल्य या कार्य करने की क्षमता को नुकसान पहुंच सकता हो।
(ii) परियोजना की वजह से किसी भी मान्यताप्राप्त संकटग्रस्त प्रजातियों[6] की आबादी में कमी आने की या ऐसे पर्यावासों के क्षेत्र में कमी आने की संभावना हो जो कि व्यवहारिक और प्रतिनिधात्मक मेजबान के इकोतंत्र के साथ कोई समझौता करना पड़े।
(iii) अन्य मामूली प्रभावों का पैरा. 27 के अनुसार निस्तारण किया जाता है।

29. यदि परियोजना की बजह से नाजुक पर्यावास में कोई कार्य करने हों तो कर्जदार/ग्राहक मूल्यांकन में सहायता करने के लिए योग्य तथा अनुभवी बाह्य विशेषज्ञों की सेवाएं लेगा।

### घ. कानूनी रूप से सुरक्षित क्षेत्र

30. जहां कुछ परियोजना कार्य कानूनी रूप से सुरक्षित क्षेत्रों में स्थित हों, पैरा. 28 में उल्लिखित अपेक्षाओं के अलावा कर्जदार/ग्राहक को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगाः

(i) परिभाषित सुरक्षित क्षेत्र की प्रबंधन योजनाओं के अनुसार कार्य करना।
(ii) प्रस्तावित परियोजना पर सुरक्षित क्षेत्र के प्रायोजकों तथा प्रबंधकों, स्थानीय समुदायों और अन्य प्रमुख स्टेकहोल्ड्र्स के साथ परामर्श करना।
(iii) सुरक्षित क्षेत्र के संरक्षण उद्देश्यों का संवर्धन करने के लिए उचित अतिरिक्त कार्यक्रमों को लागू करना।

---

उदाहरण के लिए भूमि खाली करना; प्राकृतिक वनस्पतियों के स्थान पर अन्य वनस्पतियां लगाना (उदाहरण के लिए फसल या वृक्षारोपण); स्थायी बाढ़ (उदाहरण के लिए जलाशय द्वारा); जल निकास तलमार्जन, मिट्टी का भराव या नमीयुक्त जमीन में नहरें खोदना या सतही खनन।

[5] नाजुक पर्यावास प्राकृतिक तथा रूपांतरित पर्यावास का मिला–जुला रूप है जिसकी ओर खास ध्यान देना आवश्यक है। नाजुक पर्यावास में अधिक जैवविविधता मूल्य वाले क्षेत्र शामिल हैं जो अत्यंत दुर्लभ या संकटग्रस्त प्रजातियों के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं; ऐसे क्षेत्र जहां प्रवासी प्रजातियों के बहुत से पक्षी अकेले या झुंड में आते हैं अथवा जो प्रमुख विकास प्रक्रियाओं से जुड़े हों या प्रमुख इकोसिस्टम सुविधा मुहैया कराते हों ऐसे क्षेत्र जो स्थानीय समुदाय के लिए बहुत अधिक सामाजिक आर्थिक या सांस्कृतिक महत्व की जैवविविधता से भरपूर हों। नाजुक पर्यावासों में वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें कानूनी रूप से संरक्षित या अधिकारिक रूप से सुरक्षित रखे जाने का प्रस्ताव हो। जैसे विश्व संरक्षण संघ के वर्गीकरण को पूरा करने वाले क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नमीयुक्त भूमि की रामसर सूची, यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल।

[6] विश्व संरक्षण संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची द्वारा यथापरिभाषित या किसी राष्ट्रीय कानून द्वारा यथापरिभाषित।

### ङ. आक्रामक विदेशी प्रजातियां

31. कर्जदार/ग्राहक जानबूझकर किसी नई विदेशी प्रजाति (अर्थात वे प्रजातियां जो परियोजना के देश या प्रदेश में फिलहाल जानी पहचानी न हो) पेश नहीं करेगा जबकि इसके लिए वर्तमान नियामक फ्रेमवर्क, यदि ऐसा कोई फ्रेमवर्क इस समय मौजूद हो, के अनुसार ऐसा न किया जाए या ऐसा करने पर आक्रामक व्यवहार की संभावना का निर्धारण करने के लिए जोखिम आकलन (पर्यावरणीय मूल्यांकन के अंग के रूप में) न किया गया हो। किसी भी परिस्थिति में आक्रामक मानी जाने वाली प्रजातियों को नए परिवेश में पेश नहीं किया जाएगा। कर्जदार/ग्राहक को ऐसी आक्रामक विदेशी प्रजातियों को आकस्मिक या अनजाने में पेश करने की संभावना का मूल्यांकन करना होगा और उसे मुक्त करने की संभावना को समाप्त करने के लिए प्रयास करने होंगे।

### च. अक्षय प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और प्रयोग

32. अक्षय प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध स्थायी ढंग से किया जाएगा। टिकाऊ संसाधनों का प्रबंधन संसाधनों के प्रयोग, विकास और सुरक्षा का इस ढंग से प्रबंध करना या उस गति से उपभोग करना है जिसकी वजह से भावी पीढ़ियों की अनुमानित जरूरतों को सही ढंग से पूरा करने के लिए उन संसाधनों की क्षमता को कायम रखते हुए उनकी वर्तमान सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक खुशहाली के लिए देशज़ लोगों सहित लोग और समुदायों को सहायता मिल सके। इसमें वायु, जल तथा मिट्टी पारिस्थितिकी जीवन रक्षक क्षमताएं शामिल हैं जहां संभव होगा कर्जदार/ग्राहक स्वतंत्र प्रमाणन पद्धति के माध्यम से संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन को प्रदर्शित करेगा।

## 9. प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण

33. परियोजना के डिजाइन, निर्माण और प्रचालन के दौरान कर्जदार/ग्राहक विश्व बैंक समूह के पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा दिशानिर्देशों[7] जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों में यथाउल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय उत्तम पद्धतियों के अनुसार *प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण पद्धतियों* तथा प्रथाओं के अनुरूप लागू करेगा। इन मानकों में कार्यनिष्पादन स्तर पर और उपाय किए गए हैं जो सामान्यतः परियोजनाओं के लिए स्वीकार्य और लागू होते हैं। जब मेजबान देश के नियम इन स्तरों और नियमों से मेल नहीं खाते तो कर्जदार/ग्राहक अधिक कठिन विकल्प का चयन करेंगे। यदि विशेष परियोजना परिस्थितियों के मद्देनजर कम कठोर या उपाय वाले विकल्प उचित माने जाते हैं तो कर्जदार/ग्राहक इस दस्तावेज में पेश की गई अपेक्षाओं के लिए प्रस्तावित विकल्पों का पूरा और विस्तृत औचित्य मांग सकता है।

### क. पर्यावरण रोकथाम, संसाधन संरक्षण तथा ऊर्जा दक्षता

34. कर्जदार/ग्राहक प्रदूषक उत्सर्जन की तीव्रता तथा डिस्चार्ज से बचेगा या जहां बचाव असंभव हो, वहां उसे कम या नियंत्रित करेगा। इसके अलावा, कर्जदार/ग्राहक अपने प्रचालनों, संसाधन संरक्षण तथा ऊर्जा बचत उपायों में स्वच्छ उत्पादन के सिद्धांतों के अनुरूप शामिल करेगा। जब पहले से घटिया क्षेत्र में उत्सर्जन का बड़ा स्रोत बनने की संभावना हो तो ऐसी रणनीतियां पेश की जाएंगी जिनसे आसपास की वायु में सुधार करने में सहायता मिलेगी, जैसे वैकल्पिक परियोजना स्थल और ऑफसेट उत्सर्जन की मात्रा।

### ख. कचरा

35. कर्जदार/ग्राहक परियोजना कार्यों से पैदा होने वाले खतरनाक और गैरखतरनाक कचरे से परहेज करेगा, यदि ऐसा करना संभव न हुआ तो कमी लाएगा या उसे नियंत्रित करेगा। जहां कचरे को ढकना या उसका पुनः इस्तेमाल करना संभव न हो तो उसका पर्यावरण अनुकूल ढंग से शोधन, विनाश तथा निपटान करेगा। यदि पैदा हुआ कचरा हानिकारक माना जाता है

[7] विश्व बैंक समूह, 2007. *पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश,* वाशिंगटन, डीसी।

तो ग्राहक उसके सीमा पार आवागमन[8] की सीमाओं पर विचार करते हुए पर्यावरण अनुकूल ढंग से उसका निपटान करने के तर्कसंगत विकल्पों की तलाश करेगा। यदि तीसरे पक्ष द्वारा कचरे का निपटान किया जाता हो तो कर्जदार/ग्राहक प्रसिद्ध तथा संबद्ध नियामक एजेंसियों के लाइसेंस प्राप्त वैद्य ठेकेदारों का प्रयोग करेगा।

### ग. खतरनाक सामग्री

36. कर्जदार/ग्राहक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के अनुसार खतरनाक पदार्थों के निर्माण, कारोबार और उपयोग से परहेज करेगा और सजीव प्रणालियों के प्रति उनकी अधिक विषाक्तता, पर्यावरण को नुकसान, जैव संचयन या ओजोन परत[9] की कमी के कारण उन्हें धीरे–धीरे समाप्त करेगा तथा ऐसे रसायनों और सामग्री के कम खतरनाक विकल्पों के प्रयोग पर विचार करेगा।

### घ. कीटनाशकों का प्रयोग और प्रबंधन

37. पर्यावरण मूल्यांकन में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना से संबंधित कीटनाशक तथा/अथवा वेक्टर प्रबंधन कार्य समन्वित कीट प्रबंधन अवधारणाओं पर आधारित हों और उनका उद्देश्य कृषि तथा जन स्वास्थ्य परियोजनाओं में कृत्रिम रसायन कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करना है। कीटनाशकों के अस्वीकार्य नुकसान के स्तर की रोकथाम करने के लिए कर्जदार/ग्राहक के समन्वित कीटनाशक/वेक्टर प्रोग्राम में कल्चरल प्रैक्टिस, जीव विज्ञानिक, सजातिय और अंतिम विकल्प के रूप में रसायन उपायों सहित उपलब्ध कीटनाशक/वेक्टर नियंत्रण पद्धतियों के साथ कीटनाशक तथा पर्यावरण संबंधी सूचनाओं का समन्वित प्रयोग किया जाएगा। कीटनाशकों के वितरण और प्रयोग को नियमित और मॉनीटर करने में सहायता देने तथा समन्वित कीट प्रबंधन के प्रयोग में वृद्धि करने के लिए कीट प्रबंधन से जुड़े स्वास्थ्य और पर्यावरण जोखिमों में आवश्यकतानुसार सहायता देकर कमी लाई जानी चाहिए।

38. यदि परियोजना मेजबान देश में रसायनिक पदार्थों के वितरण और उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है या वे बिना प्रशिक्षण, उपकरण या सहायता के लाने ले जाने, रखने, उपयोग करने तथा सही ढंगे से निपटान करने के लिए कर्मचारियों को सुलभ होने की संभावना हो तो कर्जदार/ग्राहक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित खतरनाक श्रेणी एलए (अत्यंत खतरनाक) तथा एलबी (बहुत खतरनाक) या श्रेणी 2 (साधारण रूप से खतरनाक) के रूप में की गई सिफारिश कीटनाशकों के वर्गीकरण में आने वाले उत्पादों का प्रयोग नहीं करेगा। कर्जदार/ग्राहक खाद्य तथा कृषि संगठन के कीटनाशकों के वितरण और उपयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अचारसंहिता के अनुसार कीटनाशकों का रखरखाव, भंडारण, उपयोग और निपटान करेगा।

### ड. ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन

39. कर्जदार/ग्राहक परियोजना कार्यों और प्रभावों की प्रकृति और पैमाने के लिए अनुरूप परियोजना संबंधी एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाऊस गैसों में कमी लाने का प्रयास करेगा। उन परियोजनाओं के विकास और प्रचालन के दौरान जिनसे बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाऊस गैसों[10] के पैदा होने की संभावना हो या पैदा हो रही हों, कर्जदार और ग्राहक परियोजना की भौतिक चारदीवारी के भीतर प्रत्यक्ष उत्सर्जन की मात्रा तथा परियोजना द्वारा बिजली के ऑफसाइट उत्पादन से जुड़े उत्सर्जन का माप करेगा। कर्जदार/ग्राहक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त पद्धतियों[11] के अनुसार ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन की वर्ष में एक बार मात्रा निर्धारण और मॉनीटरिंग करेगा। इसके अलावा कर्जदार/ग्राहक परियोजना के डिजाइन और प्रचालन के दौरान ऑफसाइट परियोजना से जुड़े ग्रीन हाऊस उत्सर्जनों को कम करने के लिए तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से व्यवहारिक तथा किफायती विकल्पों का मूल्यांकन करेगा।

---

[8] खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही के नियंत्रण संबंधी बेस कन्वेंशन के उद्देश्यों के अनुरूप।

[9] ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले सतत जैविक प्रदूषक तत्वों और मोन्ट्रीयल प्रोटोकॉल और स्टॉकहोम कन्वेंषन ऑन परसिस्टेंट पॉल्युटेंट्स के उद्देश्यों के अनुरूप।

[10] हालांकि ग्रीन हाऊस गैसों में परियोजना के अंशदान उद्योग, सेक्टर के बीच अलग–अलग प्रकार का होता है, लेकिन इन अपेक्षाओं के लिए माना जाने वाला मूल स्तर प्रत्यक्ष स्रोत तथा अपने स्वयं की खपत के लिए खरीदी गई बिजली से जुड़े परोक्ष स्रोत का कुल उत्सर्जन प्रतिवर्ष 100,000 टन कार्बनडाइऑक्साइड के बराबर माना गया है।

[11] अनुमान पद्धतियां इंटर गवर्नमेंटल पेनल ऑन क्लाइमेट चैंज (आईपीसीसी), विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा संबद्ध मेजबान देश की एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

## 10. स्वास्थ्य और सुरक्षा

### क. व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

40. कर्जदार/ग्राहक के कार्य क्षेत्रों में किसी विशेष सेक्टर या रसायनिक पदार्थ की विशेष श्रेणी में निहित भौतिक, रसायनिक, जीव वैज्ञानिक तथा रेडियोलॉजिकल जोखिमों सहित अन्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए कामगारों[12] को सुरक्षित तथा स्वस्थ कार्य परिवेश मुहैया कराएगा। कर्जदार/ग्राहक कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं, चोट और बीमारियों की रोकथाम के लिए (i) कामगारों को होने वाले संभावित खतरों के कारणों की यथासंभव व्यवहारिक सीमा तक पहचान और रोकथाम; (ii) खतरनाक स्थितियों और पदार्थों के रूपांतरण, विकल्प या समापन सहित निवारक तथा सुरक्षा उपायों के प्रावधान; (iii) जोखिम को कम करने के लिए समुचित उपकरणों की व्यवस्था करके और उनके प्रयोग को लागू करके; (iv) कामगारों को प्रशिक्षण देने और उन्हें स्वास्थ्य तथा सुरक्षा कार्यपद्धतियों और रक्षात्मक उपकरणों का अनुपालन करने के लिए समुचित प्रोत्साहन; (v) व्यावसायिक दुर्घटनाओं, बीमारियों तथा दुर्घटनाओं का रिकार्ड और रिपोर्टिंग करके; और (vi) आपातकालीन निवारण, तैयारी और प्रतिक्रियात्मक प्रबंधों द्वारा कदम उठाएगा।

41. कर्जदार/ग्राहक विश्व बैंक समूह की *पर्यावरण, स्वास्थ तथा दिशानिर्देश* (पदटिप्पणी 7) जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त मानकों में यथाउल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय उत्तम पद्धतियों के अनुसार निवारक तथा सुरक्षा उपाय करेगा।

### ख. सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

42. कर्जदार/ग्राहक परियोजना की डिजाइन, निर्माण, प्रचालन तथा कार्यबंद होने से लोगों की सुरक्षा पर पड़ने वाले जोखिम तथा संभावित प्रभावों की पहचान और मूल्यांकन करेगा। इन उपायों में जोखिम की रोकथाम और कमी की वजाय उनके निवारण और बचाव पर बल दिया जाएगा। विशेष तौर पर जहां परियोजना के ढांचागत तत्व प्रभावित समाज के सदस्यों को सुलभ हों या अथवा उनकी विफलता के फलस्वरूप समुदाय को कोई नुकसान हो सकता हो तो आकस्मिक तथा प्राकृतिक दोनों प्रकार के संभावित खतरों को महत्व दिया जाएगा। कर्जदार/ग्राहक परियोजना कार्यों की वजह से भूस्खलन या बाढ़ जैसे प्राकृतिक खतरों द्वारा होने वाले प्रभावों से बचने या उन्हें कम से कम रखने को महत्व देगा।

43. कर्जदार/ग्राहक अधिक संभावित खतरों के बारे में प्रभावित समुदाय को सांस्कृतिक दृष्टि से उचित जानकारी देगा। कर्जदार/ग्राहक आकस्मिक तथा आपातकालीन स्थितियों में जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगा। इस तैयारी में प्रतिक्रिया योजना दस्तावेज जिसमें प्रशिक्षण, संस्थानों, दायित्वों, संवाद, कार्यपद्धतियों तथा अन्य पहलुओं का समाधन होगा। आपातकालीन तैयारी तथा जवाबी कार्यों, संसाधनों तथा दायित्वों के बारे में प्रभावित समुदायों को समुचित जानकारी दी जाएगी।

44. जब बांध, अवशेष बांध या राख के पौंड जैसे ढांचागत तत्व या घटक अधिक जोखिम वाले स्थान पर स्थित हों तथा उनकी असफलता या खराबी से समुदायों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है तो कर्जदार/ग्राहक परियोजना डिजाइन और निर्माण के लिए जिम्मेदार विशेषज्ञों के अलावा योग्य तथा अनुभवी विशेषज्ञों को तैनात करेगा ताकि पूरे परियोजना डिजाइन, निर्माण और चालू होने के दौरान यथाशीघ्र समीक्षा कर सकें।

[12] परियोजना साइट पर कार्य करने या परियोजना के प्रमुख कार्यों से जुड़े प्रत्यक्ष कार्यों को करने के लिए ठेकेदारों अथवा अन्य मध्यस्थतों द्वारा नियुक्त गैरकर्मचारी कामगारों सहित।

## 11. भौतिक सांस्कृतिक संसाधन

45. भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों[13] को नुकसान से बचाने के लिए परियोजना की स्थापना और डिजाइन के लिए कर्जदार/ग्राहक जिम्मेदार है। परियोजना से प्रभावित होने की आंशका वाले ऐसे संसाधनों की पहचान की जाएगी तथा योग्य और अनुभवी विशेषज्ञ पैरा. 4–10 में उल्लिखित पर्यावरण मूल्यांकन प्रतिक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में फील्ड आधारित सर्वेक्षणों का प्रयोग करके इन संसाधनों पर परियोजना के संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करेंगे।

46. जब किसी परियोजना से भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो कर्जदार/ग्राहक दीर्घकालिक सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए और उन संसाधनों के बारे में कर्जदार/ग्राहक की निर्णय प्रक्रिया में प्रभावित समुदायों के विचारों को शामिल करने के लिए प्रभावित समुदायों के साथ परामर्श करेगा जो भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों के महत्व की पहचान करने के लिए अपनी याद में इस्तेमाल करते हों या कर चुके हों। परामर्श में संबद्ध राष्ट्रीय या स्थानीय नियामक एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें भौतिक सांस्कृति संसाधनों की सुरक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। निष्कर्ष पर्यावरण मूल्यांकन रिपोर्ट के अंग के रूप में तथा उसी ढंग में प्रकट किए जाते हैं इसके सिवाय जब इस प्रकार के डिसक्लोजर से भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों की सुरक्षा या सत्यनिष्ठा पर कोई समझौता या कुठाराघात न किया जाए।

47. जब परियोजना की वजह से भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो कर्जदार/ग्राहक पैरा. 12–16 में उल्लिखित पर्यावरण नियोजन प्रक्रिया के अंग के रूप में इन प्रभावों से बचने या उनका निराकरण करने के लिए समुचित उपायों की तलाश करेगा। ऐसे उपायों में साइट को पूरे साइट की सुरक्षा से लेकर चुनिंदा निराकरण तक का बचाव शामिल है जिनमें सभी भौतिक सांस्कृतिक संसाधन या उनका कोई अंश नष्ट हो गया हो तो उनका बचाव और लेखबद्ध उल्लेख शामिल है।

48. यदि प्रस्तावित परियोजना स्थल ऐसे क्षेत्रों में हो जहां भौतिक सांस्कृतिक संसाधन पर्यावरण मूल्यांकन के दौरान यथानिर्धारित होने की उम्मीद हो तो मौकागत कार्य प्रक्रियाओं को ईएमपी में शामिल किया जाएगा जब तक सक्षम विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाता और इन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्रवाई का स्पष्टीकरण नहीं होता तब तक मौकागत प्रक्रियाओं पर व्यवधान नहीं आने दिया जाएगा।

49. निम्नलिखित परिस्थितियों का पालन किए बिना किसी भी भौतिक सांस्कृतिक संसाधन को परियोजना से हटाया नहीं जाएगा :

(i) हटाने के अलावा कोई विकल्प उपलब्ध न हो।
(ii) परियोजना के समग्र लाभ हटाने से होने वाले संभावित सांस्कृतिक विरासत के नुकसान से कहीं अधिक हों।
(iii) हटाने की कार्रवाई राष्ट्रीय तथा/अथवा स्थानीय कानूनों, विनियमों के संगत प्रावधानों तथा सुरक्षित क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार की जाए और उसके लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीकों का उपयोग किया जाए।

[13] चल या अचल वस्तुओं, साइट, ढांचों, ढांचा समूहों तथा प्राकृतिक विशेषताओं और भूदृश्यों के रूप में परिभाषित जिनमें पुरातत्व, पैलियोंटोलॉजिकल, इतिहासिक, वास्तुकला, धार्मिक, सौंदर्य परक या अन्य सांस्कृतिक महत्व हों। भौतिक सांस्कृतिक संसाधन शहरी या ग्रामीण परिवेश में तथा भूमि के ऊपर या नीचे या जल के भीतर स्थित हो सकते हैं। उनके सांस्कृतिक हित स्थानीय, प्रादेशिक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हो सकते हैं।

## पर्यावरणीय संघात मूल्यांकन रिपोर्ट की रूपरेखा

यह रूपरेखा सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 1 का अंग है। सभी पर्यावरण श्रेणी क और ख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन रिपोर्ट अपेक्षित होती है। इसके ब्योरे का स्तर और व्यापकता संभावित पर्यावरणीय संघात तथा जोखिमों के महत्व के अनुरूप होती है। सदृश्य ईआईए रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रमुख तत्व होते हैं और प्रारंभिक पर्यावरण जांच (आईईई) का दायरा परियोजना की प्रकृति के आधाार पर संकुचित हो सकता है। इस रूपरेखा के स्थायी पहलुओं से पर्यावरणीय संघात मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता मिलेगी, हालांकि आवश्यक नहीं कि यह दर्शाए गए क्रम में हो।

### क. कार्यकारी सारांश

इस खंड में संक्षिप्त महत्वपूर्ण तथ्यों, महत्वपूर्ण निष्कर्षों और अनुशंसित कार्रवाई का उल्लेख होता है।

### ख. नीतिगत, विधायी और प्रशासनिक फ्रेमवर्क

इस खंड में राष्ट्रीय तथा स्थानीय विधायी और संस्थागत फ्रेमवर्क की चर्चा होती है जिसके भीतर पर्यावरणीय मूल्यांकन किया जाता है। इसमें परियोजना के लिए प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों का भी स्पष्टीकरण होता है जिसमें वह देश एक पक्ष होता है।

### ग. परियोजना का विवरण

इस खंड में प्रस्तावित प्राजेक्ट; उसके प्रमुख घटक; उसके भौगोलिक, पारिस्थितिकी, सामाजिक तथा अस्थायी संदर्भ, परियोजना के लिए/द्वारा अपेक्षित अन्य संबद्ध सुविधा (उदाहरण के लिए, संपर्क मार्ग, विद्युत संयंत्र, जल आपूर्ति तथा खद्यान और गड्डे तथा मिट्टी का निपटान) का उल्लेख होता है। सामान्यतः इसमें नक्शे और मानचित्र होते हैं जिनमें परियोजना का लेआउट तथा घटक, परियोजना स्थल तथा परियोजना का प्रभाव क्षेत्र दर्शाया जाता है।

### घ. पर्यावरण (बेसलाइन डाटा) का विवरण

इस खंड में अध्ययन क्षेत्र के तहत आने वाली प्रासंगिक भौतिक जीव विज्ञानिक तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का उल्लेख होता है। इसमें परियोजना के प्रभाव क्षेत्र के तहत आने वाली वर्तमान तथा प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ साथ उन गतिविधियों का भी उल्लेख होता है जिनका सीधा तालुक परियोजना से नहीं होता। इसमें डाटा की सटीकता, विश्वसनीयता और स्रोत का भी उल्लेख होता है।

### ड. प्रत्याशित पर्यावरणीय संघात और निवारण उपाय

इस खंड में यथासंभव सीमा तक मात्रात्मक अर्थ में भौतिक, जीववैज्ञानिक, सामाजिक आर्थिक (व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, कमजोर वर्गों और लिंग संबंधी मुद्दों तथा पर्यावरण माध्यमों द्वारा आजीविका पर होने वाले प्रभावों सहित [परिशिष्ट 2, पैरा. 6]), तथा परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर परियोजना के संभावित सकारात्मक और नकारात्मक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभावों का पूर्वानुमान और मूल्यांकन होता है; निवारक उपायों तथा अन्य शेष नकारात्मक प्रभावों की पहचान की जाती है जिनका निवारण संभव नहीं होता; संवर्धन उपायों के अवसर तलाशे जाते हैं, उपलब्ध डाटा की सीमा और गुणवता, प्रमुख डाटा खामियों और पूर्वानुमानों से जुड़ी अनिश्चित्ताओं तथा उन विशेष विषयों का उल्लेख होता है जिनकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती; समुचित वैश्विक, सीमा पार तथा संचयी प्रभावों की पड़ताल की जाती है।

## च. विकल्पों का विश्लेषण

इस खंड में संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के अर्थ में – लाभ नहीं तो परियोजना नहीं सहित – प्रस्तावित परियोजना स्थल, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और प्रचालन से जुड़े विकल्पों की जांच की जाती है; इन प्रभावों के निवारण की व्यवहार्यता, उनकी पूंजीगत तथा आवर्ती लागत; स्थानीय परिस्थितियों के तहत उनकी उपर्युक्तता; उनकी संस्थागत, प्रशिक्षण तथा मॉनीटरिंग अपेक्षाओं का उल्लेख होता है। इसमें किसी विशेष प्रस्तावित परियोजना डिजाइन के चयन के आधार का भी वर्णन होता है और अनुशंसित उत्सर्जन स्तरों तथा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के प्रति अवधारणाओं का औचित्य समझाया जाता है।

## छ. सूचना डिसक्लोज़र, परामर्श और भागीदारी

इस खंड में:

(i) परियोजना डिजाइन और तैयारी के दौरान सूचना, डिसक्लोज़र तथा प्रभावित लोगों और अन्य स्टेकहोल्ड्र्स सहित स्टेकहोल्ड्र्स के साथ बातचीत करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का उल्लेख होता है;

(ii) प्रभावित लोगों तथा अन्य स्टेकहोल्ड्र्स से प्राप्त टिप्पणियों और चिन्ताओं का सारांश होता है और यह बताया जाता है कि परियोजना डिजाइन तथा निवारक उपायों में महिलाओं, गरीबों तथा देशज़ लोगों सहित कमजोर वर्गों की जरूरतों और चिन्ताओं की तरह विशेष ध्यान देते हुए इन टिप्पणियों का कैसे समाधान किया जाएगा; और

(iii) नियोजित सूचना डिसक्लोज़र उपायों (प्रचारित की जाने वाली सूचना की श्रेणी और पद्धति सहित) और प्रभावित लोगों के साथ परामर्श करने की प्रक्रिया और परियोजना कार्यान्वयन के दौरान उनकी भागीदारी को सुगम बनाने का उल्लेख होता है।

## ज. शिकायत निवारण तंत्र

इस खंड में शिकायत निवारण तंत्र (औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों चैनल), पर्यावरण निष्पादन के संबंध में शिकायतों के समाधान के लिए समय सीमा और तंत्र का स्पष्टीकरण किया जाता है।

## झ. पर्यावरणीय प्रबंधन योजना

इस खंड का ताल्लुक उन निवारण और प्रबंधन उपायों से है जिनसे प्रतिकूल पर्यावरणीय संघातों के लिए परियोजना कार्यान्वयन के दौरान परहेज रखना, कमी लाना, निवारण करना या भरपाई करना होता है (प्राथमिकता के उस क्रम में)। इसमें अनेक प्रबंधन योजना और कार्यों को शामिल किया जा सकता है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख घटक (परियोजना के संघात और जोखिमों के अनुरूप ब्योरों सहित) होते हैं:

(i) निवारण:

(क) प्रत्याशित प्रमुख प्रतिकूल पर्यावरणीय संघात और जोख़िम की पहचान और सारांश;

(ख) प्रत्येक निवारक उपाय के साथ संघात की श्रेणी तथा किन परिस्थितियों में अपेक्षित है सहित तकनीकी ब्योरों का उल्लेख होता है (उदाहरण के लिए, लगातार या आकस्मिकता की स्थिति में), साथ ही डिजाइन, उपकरण विवरण तथा यथोचित प्रचालन प्रक्रिया का उल्लेख होता है;

(ग) परियोजना के लिए अपेक्षित किसी अन्य निवारक योजना के साथ लिंक्स दिए जाते हैं (उदाहरण के लिए, अस्वैच्छिक पुनर्वास, देशज़ लोग या आपातकालीन प्रतिक्रिया)।

(ii) मॉनीटरिंगः

(क) तकनीकी ब्योरों सहित मॉनीटरिंग उपायों का उल्लेख किया जाता है जिसमें अपनाए जाने वाले पैरामीटर, प्रयोग की जाने वाली पद्धतियों, नमूना स्थानों, उपायों की बारम्बारता, पहचान सीमाओं तथा आधारभूत स्तर की परिभाषा जहां से सकारात्मक कार्रवाई के संकेत मिलेंगे, शामिल हैं; और

(ख) स्थितियों का शीघ्र पता लगाना सुनिश्चित करने के लिए उन मॉनीटरिंग तथा रिपोर्टिंग प्रक्रिया का उल्लेख होता है जिनकी वजह से विशेष निवारक उपायों तथा निवारक उपायों की प्रगति और परिणामों को दर्ज करना आवश्यकता होता है।

(iii) कार्यान्वयन प्रबंधः

(क) कार्यान्वयन सारणी का उल्लेख होता है जिसमें समग्र परियोजना कार्यान्वयन के चरण और समन्वयन दर्शाया जाता है;

(ख) संस्थागत और संगठनात्मक प्रबंधों का उल्लेख होता है नामतः निवारक और मॉनीटरिंग उपायों को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है, पर्यावरणीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत बनाने के लिए इसमें एक या अनेक निम्नलिखित अतिरिक्त विषय शामिल किए जा सकते हैंः तकनीकी सहायता प्रोग्राम, प्रशिक्षण प्रोग्राम, पर्यावरणीय प्रबंधन और मॉनीटरिंग से संबंधित उपकरण और सामग्री की खरीद, तथा संगठनात्मक परिवर्तन; और

(ग) पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के लिए पूंजीगत तथा आवर्ती लागत का आकलन किया जाता है और धनराशि के स्रोतों का उल्लेख किया जाता है।

(iv) कार्यान्वयन संकेतक : यथासंभव सीमा तक प्रत्याशित घटनाओं के वांछित परिणामों का उल्लेख होता है जैसे निश्चित समय अवधि के लिए निर्धारित किए जाने वाले कार्यनिष्पादन संकेतक, लक्ष्य या स्वीकृति मापदंड।

## ञ. निष्कर्ष और सिफारिश

इस खंड में मूल्यांकन से ग्रहण किए गए निष्कर्षों और सिफारिशों का उल्लेख होता है।

# सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 2 : अस्वैच्छिक पुनर्वास

## क. प्रस्तावना

1. एडीबी के अनुभव से ज्ञात होता है कि विकास परियोजना के तहत यदि अस्वैच्छिक पुनर्वास की ओर ध्यान न दिया गया तो गंभीर आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण जोखिमों का कारण बन सकता हैः उत्पादन प्रणालियाँ ठप्प हो जाती हैं; उत्पादक परिसंपत्तियां या आय स्रोत समाप्त होने से लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ता है; लोगों को ऐसे परिवेशों में बसाया जाता है जहां उनके उत्पादक कौशल कम होते हैं, तथा संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा अधिक होती है; सामुदायिक संस्थान तथा सामाजिक नेटवर्क कमजोर पड़ जाते हैं; संगे संबंधी बिछुड़ जाते हैं; सांस्कृतिक पहचान, परम्परागत अधिकार और परस्पर सहायता की संभावना लुप्त या नष्ट हो जाती है। अतः एडीबी जहां तक संभव हो परियोजना और डिजाइन विकल्प खोजकर अस्वैच्छिक पुनर्वास को न्यूनतम रखने; सभी विस्थापित लोगों की आजीविकाओं को परियोजना से पहले के सापेक्ष स्तरों तक बढ़ाने या कम से कम बहाल रखने; तथा प्रभावित गरीबों और अन्य कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास करता है।

2. सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 2 में उन अपेक्षाओं की रूपरेखा है जो कर्जदार/ग्राहकों को एशियाई विकास बैंक (एडिबी) द्वारा सहायता प्रदत्त परियोजना के अस्वैच्छिक पुनर्वास सुरक्षा उपायों को सफल बनाने के लिए पूरे करना आवश्यक हैं। इसमें उद्देश्य, उपयोग के दायरे पर चर्चा की जाती है तथा सामाजिक संघात मूल्यांकन करने तथा पुनर्वास नियोजन प्रक्रिया, सामाजिक संघात मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना और पुनर्वास नियोजन दस्तावेज तैयार करना, समझौते के अनुसार भूमि अधिग्रहण, सूचना प्रकट करने तथा परामर्शों में जुटने, शिकायत निवारण तंत्र तथा पुनर्वास मॉनीटरिंग तथा रिपोर्टिंग की स्थापना को रेखांकित किया गया है।

## ख. उद्देश्य

3. जहां तक हो सके परियोजना तथा डिजाइन विकल्प तलाश करके अस्वैच्छिक पुनर्वास से बचना; अस्वैच्छिक पुनर्वास को कम करना; सभी विस्थापित[1] लोगों की आजीविकाओं को सही अर्थों में परियोजना से पूर्व स्तरों तक बढ़ाना या बहाल रखना; तथा विस्थापित गरीबों और अन्य कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार करना।

## ग. प्रयोग का दायरा

4. यह अपेक्षाएं सभी एडीबी सहायता प्रदत्त तथा/अथवा एडीबी प्रशासित सोवरेन तथा गैरसोवरेन परियोजनाओं और उनके घटकों पर लागू होती हैं भले ही वित्त प्रबंध का स्रोत कोई भी हो, परियोजना निवेश किसी ऋण; तथा/अथवा अनुदान; तथा/अथवा अन्य उपायों जैसे इक्विटी तथा/अथवा गारंटी (इसे इसके बाद मौटे तौर पर परियोजना कहा गया है)। इन अपेक्षाओं में कर्जदार/ग्राहक द्वारा एडीबी सहायता की प्रत्याशा में किए गए अस्वैच्छिक पुनर्वास कार्य भी शामिल हैं।

5. अस्वैच्छिक पुनर्वास अपेक्षाएं (i) भूमि के अस्वैच्छिक अधिग्रहण, या (ii) भूमि पर अस्वैच्छिक प्रतिबंध या कानूनी तौर पर पार्क तथा सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में निर्धारित भूमि के उपयोग पर प्रतिबंधों के फलस्वरूप पूर्ण या आंशिक, स्थायी या अस्थायी भौतिक विस्थापन (दूसरे स्थान पर बसना, रिहाशयी भूमि का जाना अथवा आश्रय स्थल का नुकसान) और आर्थिक विस्थापन (भूमि, परिसंपत्तियों पर अधिकार, आय स्रोतों अथवा आजीविका साधनों का नुकसान) पर लागू होंगी। पुनर्वास को तब अस्वैच्छिक माना जाता है विस्थापित व्यक्तियों अथवा समुदायों को विस्थापन के फलस्वरूप भूमि अधिग्रहण से इन्कार करने का अधिकार नहीं होता। ऐसा उन्हीं मामलों में होता है जहां (i) ज्ञात अधिकार क्षेत्र के आधार पर संपत्तिहरण के जरिए भूमि का

[1] अस्वैच्छिक पुनर्वास के संदर्भ में विस्थापित व्यक्ति वे होते हैं जिन्हें (i) भूमि के अस्वैच्छिक अधिग्रहण, (ii) भूउपयोग अथवा कानूनी तौर पर पार्क और सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में निर्धारित भूमि के इस्तेमाल पर अस्वैच्छिक प्रतिबंधों के फलस्वरूप भौतिक रूप से विस्थापित किया जाता है (दूसरे स्थान पर बसाना, रिहायशी भूमि या आश्रय का विनाश) तथा/अथवा आर्थिक विस्थापित (भूमि परिसंपत्तियों का विनाश, परिसंपत्तियों, आय स्रोतों और आजीविका साधनों का उपयोग करने के अधिकार का प्रतिकार; भूमि का अस्वैच्छिक अधिग्रहण)।

अधिग्रहण होता है; तथा (ii) समझौता असफल होने पर यदि संपत्तिहरण की प्रक्रिया की जाती है तो समझौता वार्तालाप द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है।

6. यदि भूमि अधिग्रहण (भूमि उपयोग पर अस्वैच्छिक प्रतिबंधों या पार्क या सुरक्षा के क्षेत्रों में कानूनी रूप से निर्धारित क्षेत्रों के इस्तेमाल पर प्रतिबंधों सहित) के अलावा परियोजना कार्यों से होने वाले प्रतिकूल आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरणीय संघातों का पता चलता है जैसे भूमि उपयोग या परिसंपत्तियों या संसाधनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, तो पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रतिक्रिया द्वारा इनसे बचाव किया जाएगा या उन्हें न्यूनतम स्तर तक रखा जाएगा या उनके लिए मुआवजा दिया जाएगा। यदि ये परियोजना की किसी भी अवस्था में बहुत प्रतिकूल पाए गए तो कर्जदार/ग्राहक को प्रभावित लोगों की आजीविका को कम से कम प्राजेक्ट्स से पहले के स्तर या बेहतर स्तर तक बहाल करने के लिए एक प्रबंधन योजना बनानी और कार्यान्वित करनी होगी।

## घ. अपेक्षाएं

### 1. विस्थापित लोगों के लिए मुआवजा, सहायता तथा लाभ

7. किसी परियोजना क्षेत्र में विस्थापित लोगों की तीन श्रेणियां हो सकती हैंः (i) वे लोग जिनके औपचारिक भू–अधिकार पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त हो गए हों; (ii) वे लोग जिनकी पूरी या आंशिक भूमि चली गई हो, जिनके पास उस भूमि पर कोई औपचारिक कानूनी अधिकार न रह गए हों लेकिन जिनके पास राष्ट्रीय कानूनों के तहत मान्य अथवा मान्यताप्राप्त भूमि पर दावा हो; और (iii) वे लोग जिनकी पूरी या आंशिक भूमि चली गई हो, जिनके पास न औपचारिक रूप से कानूनी अधिकार हों और न ही ऐसी भूमि पर कोई मान्य या मान्यताप्राप्त दावा हो। विस्थापित सभी लोगों की सभी तीनों श्रेणियों में अस्वैच्छिक पुनर्वास अपेक्षाएं लागू होंगी।

8. कर्जदार/ग्राहक पैरा 7(i) और 7(ii) में उल्लिखित व्यक्तियों को उनके पुनर्वास से पहले भूमि और मकानों के बदले समुचित भूमि या भूमि और मकानों की लागत का नकद मुआवजा, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए समुचित मुआवजा तथा यदि लागू हो तो पुनर्वास सहायता प्रदान करेगा। पैरा 7(iii) में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए कर्जदार/ग्राहक भूमि के अलावा कोई खोई गई अन्य संपत्तियों जैसे मकानों के लिए मुआवजा देगा और पूरी लागत पर जमीन का अन्य सुधार भी करवाएगा। पैरा 7(iii) में उल्लिखित व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किए जाते हैं बशर्ते कि पुनर्वास सहायता की पात्रता के लिए निर्धारित तारीख से पहले जमीन या मकानों पर उनका कब्जा रहा हो।

9. विस्थापित लोगों के लिए भूमि आधारित पुनर्वास रणनीतियों में उन्हीं विस्थापित लोगों को वरीयता दी जाएगी जिनकी आजीविकाएं भूमि आधारित रही हो। इन रणनीतियों में पुनर्वास के लिए अधिग्रहित या खरीदी गई सरकारी भूमि या निजी भूमि पर पुनर्वास शामिल है। जब भूमि के बदले भूमि का प्रस्ताव किया जाता है तो विस्थापित लोगों को भूमि मुहैया कराई जाती है जिसके लिए उत्पादन की संभावना, स्थानीय लाभ तथा अन्य कारक मिलकर अधिग्रहित भूमि के लाभों के कम से कम बराबर हों। यदि भूमि को विस्थापित लोग उचित विकल्प न मानते हों या भूमि उचित मूल्य पर उपलब्ध न हो तो भूमि तथा अन्य संपदाओं के लिए नकद मुआवजे के अलावा गैर–भूमि आधारित विकल्पों पर आधारित रोजगार या स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराए जाने चाहिए। भूमि के अभाव को एडीबी की संतुष्टि के अनुसार प्रदर्शित तथा लेखबद्ध किया जाएगा।

10. अधिग्रहित आवास, भूमि तथा अन्य संपदाओं के लिए मुआवजा दर की गणना पूरी प्रतिस्थापन लागत के आधार पर की जाएगी। पूरी प्रतिस्थापन लागत की गणना निम्नलिखित तत्वों पर आधारित होगीः (i) उचित बाजार मूल्य; (ii) लेनदेन लागत; (iii) उन पर देय ब्याज; (iv) परिवहन तथा जीर्णोद्धार लागत; और (v) अन्य लागू भुगतान, यदि कोई हों। जहां बाजार परिस्थितियों का अभाव हो या प्रारंभिक अवस्था में हों तो कर्जदार/ग्राहक हाल ही में हुए भूमि के सौदों, श्रेणी, भूअधिकार, भूमि उपयोग, फसल की पद्धति तथा फसल उत्पाद, परियोजना क्षेत्र और प्रदेश में भूमि की उपलब्धता और अन्य संबद्ध सूचनाएं प्राप्त करने के लिए विस्थापित लोगों के साथ परामर्श करेगा। कर्जदार/ग्राहक आवास श्रेणी तथा निर्माण सामग्री के संबंध में

भी आधारभूत जानकारी जुटाएगा। अधिग्रहित परिसंपत्तियों का मूल्य योग्य तथा अनुभवी विशेषज्ञ तय करेंगे। इन मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करते समय ढांचों और परिसंत्तियों का ह्रास मूल्य नहीं लिया जाना चाहिए।

11. भौतिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में कर्जदार/ग्राहक (i) पुनर्वास सहायता, पुनर्वास भूमि का सुरक्षित भू–अधिकार, पुनर्वास स्थलों पर बेहतर आवास के साथ–साथ रोजगार और उत्पादन अवसरों के लिए समतुल्य सुविधाओं और नागरिक अवस्थापना तथा आवश्यकतानुसार सामुदायिक सेवाओं; (ii) भूमि विकास, उधार सुविधाओं, प्रशिक्षण या रोजगार अवसरों जैसी ट्रांजिशनल सहायता और विकास सहायता; तथा (iii) परियोजना से समुचित लाभ प्राप्त करने के अवसरों का प्रावधान करेगा।

12. आर्थिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में, भले ही उनका भौतिक रूप से विस्थापन हुआ हो या नहीं, कर्जदार/ग्राहक आय अथवा आजीविका स्रोतों के नुकसान के लिए पूर्ण प्रतिस्थापन लागत पर तुरंत मुआवजा देगा। कर्जदार/ग्राहक उधार सुविधाओं, प्रशिक्षण रोजगार अवसरों की व्यवस्था करने के लिए भी सहायता मुहैया कराएगा ताकि वे कम से कम विस्थापन पूर्ण स्तरों तक अपनी आय अर्जन क्षमता, उत्पादन स्तर तथा जीवन स्तर में सुधार कर सकें या उन्हें बहाल कर सकें। कर्जदार/ग्राहक विस्थापित लोगों को परियोजनाओं से समुचित विकास लाभ प्राप्त करने के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। कर्जदार/ग्राहक आर्थिक रूप से विस्थापित लोगों को पैरा 7(iii) के तहत फसल सिंचाई सुविधाओं तथा भूमि में किए गए अन्य सुधारों (भूमि को छोड़कर) के लिए पूर्ण प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजा देगा। उन मामलों में जहां भूमि अधिग्रहण का प्रभाव वाणिज्यिक ढांचों पर पड़ता हो, प्रभावित व्यापारियों को (i) वाणिज्यिक कार्य को दूसरे स्थान पर पुनः स्थापित करने की लागत; (ii) संक्रमण काल के दौरान आय में हुए विशुद्ध घाटे; (iii) संयंत्र, मशीनरी या अन्य उपकरणों के स्थानांतरण और पुनःस्थापना की लागत का भी अधिकार होगा। भूमि पर कानूनी अधिकार या मान्यताप्राप्त दावे वाले व्यापारियों को पूरी प्रतिस्थापन लागत के बराबर या अधिक मूल्य पर नकद मुआवजे का अधिकार होगा।

13. अस्वैच्छिक पुनर्वास की योजना और कार्यान्वयन विकास परियोजना या प्रोग्राम के अंग के रूप में की जानी चाहिए। इस बारे में सर्वोत्तम रणनीति मुआवजा और पुनर्वास सहायता मुहैया करने के अलावा विस्थापित लोगों को परियोजना लाभों में हिस्सेदारी करने के अवसर उपलब्ध कराना है। ऐसे अवसरों की बदौलत प्रभावित लोगों में गरीबी की रोकथाम करने और विकास हस्तक्षेपों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए नैतिक मांग को पूरा करने में भी मदद मिलती है। अतः कर्जदारों/ग्राहकों को प्रभावित लोगों के साथ परियोजना के लाभार्थियों के रूप में वार्तालाप करने के लिए विशेष अवसर तय करने और इस विषय पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि ऐसे अवसरों का पुनर्वास योजना में प्रभावित लोगों के बीच यथा संभव कैसे अधिक से अधिक प्रचार किया जाए।

14. कर्जदार/ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी भौतिक या आर्थिक विस्थापन तब तक न हो जब तक कि (i) परियोजना घटक के प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को पूरी प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजे का भुगतान न कर दिया जाए या निर्मित किए जाने वाले खंड तैयार न हो जाएं; (ii) पुनर्वास योजना में सूचीबद्ध अन्य हक विस्थापित लोगों को मुहैया न करा दिए जाएं; और (iii) विस्थापित लोगों की आय और आजीविका में सुधार करने अथवा उन्हें बरकरार रखने के लिए पर्याप्त बजट सहायता के साथ व्यापक आय और आजीविका पुनर्वास प्रोग्राम लागू न किया जाए। हालांकि विस्थापन से पहले मुआवजे का भुगतान किया जाना अपेक्षित है लेकिन पुनर्वास योजना के पूर्व कार्यान्वयन में अधिक समय लग सकता है। यदि परियोजना कार्यकलापों की वजह से भूमि उपयोग या कानूनी तौर पर निर्धारित पार्क तथा सुरक्षित क्षेत्रों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो ऐसे प्रतिबंध कर्जदार/ग्राहक तथा एडीबी के बीच सम्पन्न पुनर्वास योजना में उल्लिखित समय–सीमा के अनुसार लागू किए जाएंगे।

## 2. सामाजिक संघात मूल्यांकन

15. परियोजना द्वारा विस्थापित होने वाले सभी लोगों की पहचान करने और उनके ऊपर परियोजना के सामाजिक आर्थिक संघातों का मूल्यांकन करने के लिए कर्जदार/ग्राहक समुचित सामाजिक आर्थिक बेसलाइन डाटा की सहायता से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण तथा मतगणना कराएगा। इस प्रयोजन के लिए मेजबान सरकार की प्रक्रिया द्वारा साधारणतः एक

निर्धारित तारीख तय की जाएगी। ऐसी प्रक्रिया के अभाव में कर्जदार/ग्राहक पात्रता के लिए एक निर्धारित तारीख तय करेगा। निर्धारित तारीख से संबंधित जानकारी को लेखबद्ध करके पूरे परियोजना क्षेत्र में प्रचारित किया जाएगा। सामाजिक संघात मूल्यांकन (एसआईए) रिपोर्ट में (i) विगत, वर्तमान तथा भविष्य के लिए निर्धारित संभावित सामाजिक संघातों, (ii) विस्थापित लोगों[2] की सूची और उनकी परिसंपत्तियां[3] (iii) उनकी आय और आजीविकाओं के मूल्यांकन, और विस्थापित लोगों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से संबंधित लिंग औसत में विसंगति संबंधी जानकारियां शामिल होंगी। परियोजना संभावित सामाजिक संघातों और जोखिमों का मूल्यांकन इस दस्तावेज में पेश की गई अपेक्षाएं लागू विनियमों और कानूनों के क्षेत्राधिकार के हिसाब से की जाएगी जहां परियोजना चलती हैं, जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत मेजबान देश के दायित्वों सहित अस्वैच्छिक पुनर्वास मामलों से है।

16. सामाजिक संघात मूल्यांकन के अंग के रूप में कर्जदार/ग्राहक उन व्यक्तियों और समूहों की पहचान करेगा जो अपनी उपेक्षित या कमजोर स्थिति की वजह से परियोजना द्वारा असमान रूप से प्रभावित होते हैं। जहां ऐसे व्यक्तियों तथा समूहों की पहचान की जाती है वहां कर्जदार/ग्राहक लक्षित उपायों का प्रस्ताव और कार्यान्वयन करेगा ताकि उन पर असमान रूप से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और विकास के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभों तथा अवसरों के उपयोग को लेकर वे घाटे में रहें।

## 3. पुनर्वास नियोजन

17. यदि प्रस्तावित परियोजना में अस्वैच्छिक पुनर्वास प्रभाव शामिल हैं तो कर्जदार/ग्राहक पुनर्वास योजना तैयार करेगा। पुनर्वास योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है की विस्थापित लोगों की आजीविकाओं और जीवन स्तर में सुधार हो या वे परियोजनाओं से पहले के (भौतिक तथा/आर्थिक) स्तरों पर कायम रहें और समुचित आवास, सुरक्षित भू–स्वामित्व तथा आय और आजीविका के स्थिर स्रोत मुहैया कराकर विस्थापित गरीबों तथा अन्य कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को न केवल बहाल किया जाए बल्कि उनमें सुधार किया जाए। पुनर्वास योजना में सुरक्षा अपेक्षा 2 में उल्लिखित सभी प्रासंगिक अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा तथा पुनर्वास योजना के ब्यौरे और व्यापकता का स्तर अस्वैच्छिक पुनर्वास संघातों के अनुरूप होगा। पुनर्वास की रूपरेखा इस परिशिष्ट के साथ संलग्न अनुलग्नक में दी गई है।

18. पुनर्वास योजना सामाजिक संघात मूल्यांकन और प्रभावित लोगों के साथ सार्थक परामर्श पर आधारित होगी। पुनर्वास योजना में यह सुनिश्चित करने के उपाय शामिल होंगे कि विस्थापित लोगों को (i) मुआवजे, पुनर्वास, पुनर्वास से संबंधित अपने विकल्पों तथा अधिकारों की जानकारी हो; (ii) पुनर्वास विकल्पों और पसंद को लेकर उनसे परामर्श किया जाए; तथा (iii) पुनर्वास विकल्प मुहैया कराए जाएं। पुनर्वास प्रभावों और पुनर्वास नियोजन तथा विकल्पों की पहचान के दौरान कर्जदार/ग्राहक महिला प्रधान परिवारों, स्त्री–पुरूष परामर्श, सूचना प्रकटीकरण और शिकायत निवारण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष उपायों सहित लिंग संबंधी परेशानियों की ओर समुचित ध्यान देगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरूष–स्त्री दोनों को अपनी खोई हुई संपत्ति के लिए पर्याप्त या समुचित मुआवजे के लिए पुनर्वास सहायता, यदि आवश्यक हो, उनकी आय और जीवन स्तर की बहाली और सुधार करने के लिए सहायता प्राप्त हो।

19. कर्जदार/ग्राहक पुनर्वास योजना में भूमि अधिग्रहण, मुआवजे के भुगतान तथा प्रभावित लोगों के दूसरे स्थानों पर बसाव संबंधी राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों का विश्लेषण करेगा और उनका सारांश पेश करेगा। कर्जदार/ग्राहक एडीबी के अस्वैच्छिक पुनर्वास नीतिगत सिद्धांतों और अपेक्षाओं के साथ ऐसे कानूनों और विनियमों का मिलान और तुलना करेगा। यदि दोनों में कोई अंतर पाया गया तो कर्जदार/ग्राहक एडीबी के परामर्श से पुनर्वास योजना में उस अंतर को पाटने के लिए समुचित रणनीति का प्रस्ताव करेगा।

---

[2] जनगणना के आधार पर सभी विस्थापित लोगों के निवास संबंधी जनसंख्या रिकार्ड। यदि परियोजना मूल्यांकन से पहले जनगणना न की गई हो तथा नमूना सर्वेक्षण के आधार पर पुनर्वास योजना बनाई गई हो तो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले विस्तृत माप सर्वेक्षण पूरा करने के बाद विस्थापित लोगों की जनगणना के आधार पर एक अद्यतन पुनर्वास योजना तैयार की जाएगी।

[3] संपदा माल सूची परिवार, उद्योग या समुदाय स्तर पर प्रभावित या खोई हुई संपत्तियों पर प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करता है।

20. मुआवजे, पुनर्वास और आजीविका पुनर्वास की समस्त लागत को परियोजना लागत माना जाएगा। अपेक्षित संसाधनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास लागत को एडीबी वित्त प्रबंधन में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो पुनर्वास खर्च एडीबी के सुरक्षा नीति कथन के अनुपालन में और पुनर्वास नियोजन दस्तावेजों के एडीबी द्वारा अनुमोदन से एडीबी वित्त प्रबंधन के लिए पात्र होता है। यदि एडीबी के फंड का प्रयोग पुनर्वास लागत के लिए किया जाता है तो पुनर्वास योजना में ऐसी व्यय मदों को स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाएगा।

21. कर्जदार/ग्राहक विस्थापित लोगों की आय और आजीविका की बहाली तथा सुधार के लिए अपनाए गए विस्तृत उपायों को पुनर्वास योजना में शामिल करेगा। परियोजना कार्यकलापों द्वारा प्रभावित आय स्रोतों और आजीविकाओं को परियोजना पूर्व स्तरों पर बहाल किया जाएगा तथा कर्जदार/ग्राहक विस्थापित लोगों की आय में सुधार करने का भरसक प्रयास करेगा ताकि उन्हें परियोजना का लाभ प्राप्त हो सके। प्रभावित कमजोर वर्गों और परिवारों के लिए पुनर्वास योजना में अतिरिक्त सहायता मुहैया कराने के प्रयास शामिल किए जाएंगे ताकि वे अपनी आय में परियोजना पूर्व स्तरों की तुलना में सुधार कर सकें। पुनर्वास योजना में आय तथा आजीविका बहाली रणनीति, संस्थागत प्रबंध, मॉनीटरिंग तथा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बजट और समयबद्ध कार्यान्वयन समय सारणी का उल्लेख होगा।

22. पुनर्वास योजना में उल्लिखित सूचना प्रभावित लोगों की जनगणना होने तक अस्थायी हो सकती है। इंजीनियरिंग डिजाइन पूरे होने के बाद कर्जदार/ग्राहक जनगणना तथा नुकसान की माल सूची पूरी करके पुनर्वास सूचना को अंतिम रूप देगा। उस अवस्था में पुनर्वास योजना में किए गए परिवर्तन विस्थापित लोगों की संख्या, अर्जित भूमि की सीमा, पुनर्वास बजट तथा पुनर्वास योजना लागू करने के लिए समय तालिका में संशोधन का रूप लेंगे। इस अवस्था में प्रासंगिक परिवर्तनों को दर्शाने के लिए पुनर्वास योजना के अधिकार सूचकांक को अपडेट किया जा सकता है लेकिन पुनर्वास योजना में संशोधन करते तथा उसे अंतिम रूप देते समय मूल अधिकार सूचकांक में उल्लिखित मानकों में कमी नहीं की जा सकती। कर्जदार/ग्राहक सुनिश्चित करेगा कि अंतिम पुनर्वास योजना में (i) परियोजना से जुड़े सभी अस्वैच्छिक पुनर्वास मुद्दों का समुचित ढंग से समाधान किया जाए; (ii) मुद्दों को हल करने के लिए किए जाने वाले विशेष निवारक उपायों की चर्चा की जाए; और (iii) इन मुद्दों के संतोषजनक रूप से समाधान के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

23. बहुत अधिक अस्वैच्छिक पुनर्वास संघातों वाली परियोजनाओं में परियोजना कार्यान्वयन के दौरान पता लगाए गए अस्वैच्छिक पुनर्वास संघातों का समाधान करने के लिए समुचित आकस्मिक धनराशि की आवश्यकता होगी। कर्जदार/ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी धनराशि तत्काल उपलब्ध हो। इसके लिए, कर्जदार/ग्राहक पुनर्वास योजना के प्रतिपादन के बाद पहचान किए गए विस्थापित लोगों के साथ परामर्श करेगा और उन्हें उनके अधिकारों तथा पुनर्वास विकल्पों से अवगत कराएगा। कर्जदार/ग्राहक अनुपूरक पुनर्वास योजना या संशोधित पुनर्वास योजना तैयार करेगा तथा ठेके आवार्ड करने से पहले इसे समीक्षा के लिए एडीबी को भेजेगा।

24. सामाजिक संघात मूल्यांकन तथा पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए कर्जदार/ग्राहक योग्य तथा अनुभवी विशेषज्ञों की सेवाओं का इस्तेमाल करेगा। अधिक जटिल और संवेदनशील परियोजना के लिए परियोजना की तैयारी और कार्यान्वयन के दौरान स्वतंत्र विशेषज्ञों के सलाहकार पेनल का प्रयोग किया जाएगा जो परियोजना के साथ संबद्ध न हों।

### 4. समझौतागत भूमि अधिग्रहण

25. सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 2 समझौतागत निपटानों पर लागू नहीं होती बशर्ते कि समझौतों के नाकाम होने पर संपत्तिहरण न किया जाए। समझौतागत निपटान से संपत्तिहरण की नौबत नहीं आएगी तथा लोगों को बलपूर्वक हटाने के लिए सरकारी तंत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। कर्जदार/ग्राहक को जहां तक संभव हो समझौतागत संपत्तियों पर कानूनी अधिकार न रखने वाले लोगों सहित प्रभावित लोगों के साथ सार्थक परामर्श के आधार पर समझौतेगत निपटान द्वारा भूमि तथा अन्य परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समझौतागत निपटान से भूमि तथा/अथवा परिसंपत्तियों का पर्याप्त और उचित मूल्य मिलेगा। कर्जदार/ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि विस्थापित लोगों के साथ किसी भी समझौते में ऐसे लेनदेन में शामिल पक्षों की सूचनाओं की विसंगति तथा मोल भाव करने की क्षमता के जोखिमों का स्पष्ट

तौर पर समाधान किया जाए। इस प्रयोजन के लिए कर्जदार/ग्राहक समझौते और निपटान प्रक्रियाओं को लेखबद्ध करने के लिए किसी स्वतंत्र बाह्य पक्ष की सेवाएं लेगा। कर्जदार/ग्राहक परामर्श प्रक्रियाओं तथा ऐसे लेनदेन पर लागू कानूनों; तीसरे पक्ष की मान्यता; प्रभावित भूमि और अन्य परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना लागत की गणना करने के तंत्र और प्रभावित अन्य संपत्तियों तथा रिकार्ड रखने संबंधी अपेक्षाओं पर एडीबी के साथ समझौता करेगा।

## 5. सूचना डिसक्लोज़र

26. कर्जदार/ग्राहक निम्नलिखित दस्तावेज एडीबी की वेबसाइट पर दर्शाने के लिए एडीबी को प्रस्तुत करेगाः

(i) परियोजना मूल्यांकन से पहले पहले कर्जदार/ग्राहक द्वारा पृष्ठांकित प्रारूप पुनर्वास योजना तथा/अथवा पुनर्वास फ्रेमवर्क;
(ii) प्रभावित लोगों की जनगणना पूरी करने के बाद कर्जदार/ग्राहक द्वारा पृष्ठांकित अंतिम पुनर्वास योजना;
(iii) नई पुनर्वास योजना या अद्यतन पुनर्वास योजना और परियोजना कार्यान्वयन के दौरान तैयार की गई सुधारात्मक कार्य योजना, यदि कोई हो; तथा
(iv) पुनर्वास मॉनीटरिंग रिपोर्टें।

27. कर्जदार/ग्राहक प्रभावित तथा अन्य स्टेकहोल्ड्र्स को प्रासंगिक सूचनाएं, जिनमें दस्तावेज के पैरा 26 में उल्लिखित सूचनाएं शामिल हैं, समयोचित ढंग, सुगम स्थान तथा रूप और समझने में आने वाली भाषा में उपलब्ध कराएगा। अनपढ़ लोगों के लिए संचार की अन्य समुचित पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा।

## 6. परामर्श और भागीदारी

28. कर्जदार/ग्राहक प्रभावित लोगों तथा अन्य संबंधित स्टेकहोल्ड्र्स जिनमें नागरिक समाज शामिल है, के साथ सार्थक परामर्श करेगा और उनकी भागीदारी को सुगम बनाएगा। सार्थक परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जो : (i) परियोजना को तैयार करने की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभ होती है और पूरे परियोजनाकाल में अनवरत आधार पर जारी रहती है; (ii) प्रभावित लोगों को आसानी से समझ में आने वाली और तत्काल सुलभ प्रासंगिक तथा पर्याप्त सूचनाओं को समय पर उपलब्ध कराती है; (iii) जो भय या उत्पीड़न मुक्त माहौल में सम्पन्न की जाती है; (iv) जिसमें स्त्री और पुरूष दोनों शामिल हों और उनके प्रति जवाबदेह हों और उपेक्षित तथा कमजोर वर्गों की जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई हो; और (v) जो प्रभावित लोगों तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स के सभी प्रासंगिक विचारों को परियोजना डिजाइन, निवारक उपायों, विकास संबंधी लाभों और अवसरों के आदान–प्रदान तथा कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों जैसी निर्णय प्रक्रियाओं में शामिल करने में सहायक हो। परामर्श प्रभावित समुदाय पर हुए प्रभावों के अनुरूप किया जाएगा। परामर्श प्रक्रिया और उनके परिणामों को लेखबद्ध किया जाएगा और पर्यावरणीय मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्शाया जाएगा। कर्जदार/ग्राहक उपेक्षित तथा कमजोर वर्गों, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों, भूमिहीनों, बुजुर्गों, महिला प्रधान परिवारों, महिलाओं और बच्चों, देशज़ लोगों और भूमि पर कानूनी अधिकार न रखने वाले लोगों की ओर विशेष ध्यान देगा।

## 7. शिकायत निवारण तंत्र

29. कर्जदार/ग्राहक सामाजिक और पर्यावरणीय निष्पादन के बारे में प्रभावित लोगों की परेशानियों को परियोजना स्तर पर प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करेगा। शिकायत निवारण तंत्र में परियोजना के जोखिम और संघातों का अन्दाजा लगाया जाएगा। इसमें आसानी से समझ में आने वाली भाषा में और पारदर्शी प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए प्रभावित लोगों की परेशानियों और शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाएगा। इस प्रक्रिया में स्त्री और पुरूष दोनों की परेशानियों का जवाब दिया जाएगा, यह सांस्कृतिक रूप से उचित होगी और प्रभावित लोगों के सभी वर्गों के लिए सहज सुलभ होगी और इसमें कोई खर्चा नहीं होगा और न ही किसी दंड का प्रावधान होगा। यह तंत्र देश के न्यायिक या प्रशासनिक उपायों का प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं डालेगा। प्रभावित लोगों को इस तंत्र के बारे में समुचित जानकारी दी जाएगी।

## 8. मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग

30. कर्जदार/ग्राहक पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करेगा। मॉनीटरिंग कार्यों की सीमा परियोजना के जोखिमों और प्रभावों के अनुरूप होगी। इसके अलावा, सूचाओं को दर्ज करने से लेकर प्रगति पर निगाह रखने तक कर्जदार/ग्राहक ईएमपी के कार्यान्वयन और अपेक्षित परिणामों की ओर प्रगति का सत्यापन करने निरीक्षण करेगा। जिन परियोजनाओं का पर्यावरण पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो उनके लिए कर्जदार/ग्राहक सूचनाओं की मॉनीटरिंग हेतु योग्य तथा अनुभवी बाह्य विशेषज्ञों या योग्य एनजीओ की सेवाएं लेगा। कर्जदार/ग्राहक मॉनीटरिंग परिणामों को दर्ज करेगा, आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई तय करेगा तथा उन्हें सुधारात्मक योजना में दर्शाएगा। कर्जदार/ग्राहक इन सुधारात्मक कार्यों की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कार्यान्वित करेगा और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगा। कर्जदार/ग्राहक समय–समय पर मॉनीटरिंग रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें ईएमपी तथा अनुपालन मुद्दों और सुधारात्मक कार्यों, यदि कोई हों, के कार्यान्वयन की प्रगति का उल्लेख होगा।

31. कर्जदार/ग्राहक बहुत प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव की संभावना वाली परियोजनाओं के निर्माण के दौरान कम से कम अर्धवार्षिक मॉनीटरिंग रिपोर्ट और अत्यंत जटिल तथा संवेदनशील परियोजनाओं के लिए तिमाही मॉनीटरिंग रिपोर्ट पेश करेगा। जिन परियोजनाओं का प्रचालन के दौरान प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव होने की संभावना हो उनकी रिपोर्टिंग कम से कम वार्षिक आधार पर जारी रहेगी। ऐसी सावधिक रिपोर्टों को सुगम स्थान पर जनता के लिए पोस्ट किया जाएगा। परियोजना बजट में मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की लागत दर्शाई जाएगी।

## 9. अप्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव

32. यदि परियोजना कार्यान्वयन के दौरान अप्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव दिखाई दें तो कर्जदार/ग्राहक संभावित प्रभाव का अनुमान लगाने, विकल्पों का मूल्यांकन करने तथा निवारक उपायों की व्यवस्था करने और उन प्रभावों का समाधान करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन और ईएमपी को अपडेट करेगा या नया पर्यावरण मूल्यांकन तथा ईएमपी बनाएगा।

## 10. देशज़ लोगों के लिए विशेष आधार

33. कर्जदार/ग्राहक यथासंभव सीमा तक देशज़ लोगों के भौतिक पुनर्वास, जिसकी वजह से उनकी पहचान, संस्कृति और परम्परागत आजीविका साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, से बचने के लिए वैकल्पिक परियोजना डिजाइन खोजेगा। यदि बचाव असंभव हुआ तो एडीबी के परामर्श से एक संयुक्त देशज़ जनयोजना तथा पुनर्वास योजना तैयार की जाएगी जिसमें अस्वैच्छिक पुनवार्स और देशज़ जनों से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाएगा। ऐसी संयुक्त योजना से सुरक्षा अपेक्षा 3 में उल्लिखित सभी प्रासंगिक अपेक्षाएं पूरी होंगी।

## पुनर्वास योजना की रूपरेखा

यह रूपरेखा सुरक्षा अपेक्षा 2 का भाग है। अस्वैच्छिक पुनर्वास संघात वाली सभी परियोजनाओं के लिए पुनर्वास योजना की आवश्यकता पड़ती है। इसके ब्यौरे और व्यापकता का स्तर अस्वैच्छिक पुनर्वास प्रभावों और जोखिमों के अनुरूप होता है। इस रूपरेखा के स्थायी पहुलओं से पुनर्वास योजनाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी हालांकि इसका दर्शाए गए क्रम में होना आवश्यक नहीं है।

### क. कार्यकारी सारांश

इस खंड में परियोजना दायरे, प्रमुख सर्वेक्षण निष्कर्ष, अधिकार तथा अनुशंसित कार्यों के संक्षिप्त कथन का वर्णन होता है।

### ख. परियोजना विवरण

इस खंड में परियोजना का सामान्य विवरण होता है, भूमि अधिग्रहण, अस्वैच्छिक पुनर्वास अथवा दोनों के कारण मूलक परियोजना घटकों पर चर्चा होती है और परियोजना क्षेत्र की पहचान की जाती है। इसमें पुनर्वास से बचने या उसे न्यूनतम रखने के लिए वैकल्पकों पर भी चर्चा की जाती है। इसमें निर्धारित डाटा की एक तालिका होती है तथा अंतिम निर्णय के औचित्य का उल्लेख होता है।

### ग. भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास का दायरा

इस खंड में :

(i) परियोजना के संभावित संघातों पर चर्चा होती है तथा परियोजना घटकों या कार्यकलापों के क्षेत्र या जोन के नक्शों को शामिल किया जाता है;
(ii) भूमि अधिग्रहण की संभावना का उल्लेख होता है (नक्शे उपलब्ध कराए जाते हैं) और यह स्पष्टीकरण किया जाता है कि मुख्य निवेश परियोजना के लिए यह क्यों आवश्यक है;
(iii) अधिग्रहीत परिसंपत्तियों तथा विस्थापित लोगों के संदर्भ में मुख्य प्रभावों का सारांश होता है; और
(iv) अपेक्षित संयुक्त संपत्ति संसाधनों के ब्यौरे दिए होते हैं।

### घ. सामाजिक आर्थिक सूचना और प्रोफाइल

इस खंड में लिंग, कमजोरी तथा अन्य सामाजिक समूहों, जिनमें निम्नलिखित सूचनाएं शामिल हैं द्वारा जुटाई गई सूचनाओं तथा/अथवा डाटा की सहायता से किए गए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, संख्या सर्वेक्षण और अन्य अध्ययनों के परिणामों की रूपरेखा होती है:

(i) प्रभावित होने वाले लोगों और समुदायों की परिभाषा, पहचान और संख्या निर्धारण;
(ii) सामाजिक, सांस्कृति तथा आर्थिक पैमानों को ध्यान में रखते हुए प्रभावित लोगों और समुदायों पर भूमि तथा संपत्ति अधिग्रहण के संभावित प्रभावों का उल्लेख होता है;
(iii) गरीब, देशज़ तथा/अथवा जातिगत अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों पर परियोजना के संघात की चर्चा होती है; और
(iv) लिंग तथा पुनर्वास प्रभावों, तथा सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति, संघात, महिलाओं की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को तय करना।

## ड. सूचना प्रकटीकरण, परामर्श और भागीदारी

इस खंड में:

(i) प्राथमिक स्टेकहोल्ड्र्स सहित परियोजना के स्टेकहोल्ड्र्स की पहचान की जाती है;

(ii) परियोजना अवधि की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान प्रयुक्त होने वाले परामर्श तथा भागीदारी तंत्रों का वर्णन होता है;

(iii) स्टेकहोल्ड्र्स को शामिल करने के लिए परियोजना डिजाइन और तैयारी के दौरान परियोजना तथा पुनर्वास सूचनाओं को प्रचारित करने के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख होता है;

(iv) प्रभावित लोगों (मेजबान समुदायों सहित) के साथ परामर्श के परिणामों का सारांश होता है और चर्चा की जाती है कि व्यक्त परेशानियों और की गई सिफारिशों का पुनर्वास योजना में कैसे समाधान किया गया है;

(v) प्रभावित लोगों को प्रारूप पुनर्वास योजना के डिसक्लोज़र की पुष्टि की जाती है जिसमें आगामी योजनाओं को डिसक्लोज़ करने के प्रबंधों का समावेश होता है; और

(vi) नियोजित सूचना प्रकटीकरण उपायों (प्रचालित की जाने वाली सूचना की श्रेणी और प्रचार पद्धति सहित) तथा परियोजना कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित लोगों के साथ परामर्श की प्रक्रिया का उल्लेख होता है।

## च. शिकायत निवारण तंत्र

इस खंड में प्रभावित लोगों की चिन्ताओं और शिकायतों को प्राप्त करने तथा उनके समाधान को सुगम बनाने के लिए तंत्रों का उल्लेख होता है। इसमें यह स्पष्टीकरण किया जाता है कि प्रभावित लोगों तथा लिंग के प्रति संवेदनशील लोगों को प्रक्रियाएं कैसे सुलभ होंगी।

## छ. कानूनी फ्रेमवर्क

इस खंड में :

(i) उन राष्ट्रीय तथा स्थानीय कानूनों तथा विनियमों का उल्लेख होता है जो परियोजना पर लागू होते है तथा स्थानीय कानूनों तथा एडीबी की नीतिगत अपेक्षाओं के बीच के अंतरों की पहचान की जाती है; और यह चर्चा की जाती है कि इन अंतरों का कैसे समाधान किया जाएगा;

(ii) विस्थापित लोगों की सभी श्रेणियों के लिए निष्पादन एजेंसी की कानूनी तथा नीतिगत अपेक्षाओं का उल्लेख होता है;

(iii) परिसंपत्तियों, आय तथा आजीविकाओं के लिए प्रतिस्थापन लागत पर मूल्यांकन और मुआवजा दर निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त सिद्धांतों और पद्धतियों का उल्लेख होता है; और मुआवजा तथा सहायता पात्रता मापदंड का उल्लेख करते हुए यह बताया जाता है कि मुआवजा और सहायता कब और कैसे मुहैया कराई जाएगी; और

(iv) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है तथा प्रक्रियागत मुख्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समय सारणी तैयार की जाती है।

## ज. अधिकार, सहायता तथा लाभ

इस खंड में :

(i) विस्थापित व्यक्तियों के अधिकारों तथा पात्रता को परिभाषित किया जाता है और सभी पुनर्वास सहायता उपायों, (अधिकार सूचकांक सहित) का उल्लेख किया जाता है;

(ii) महिलाओं सहित कमजोर वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों को दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता का उल्लेख किया जाता है; और

(iii) परियोजना से समुचित विकास लाभ प्राप्त करने के लिए प्रभावित लोगों के लिए अवसरों का उल्लेख होता है।

## झ. मकानों और बस्तियों का पुनर्वास

इस खंड में :

(i) आवास तथा अन्य ढांचों को अन्यत्र बसाने के विकल्पों का स्पष्टीकरण किया जाता है, जिसमें मकान के बदले मकान, मकान के बदले नकद मुआवजा तथा/अथवा स्वयं चयन शामिल है (सुनिश्चित करें कि स्त्री और पुरूष की दोनों की समस्याओं का समाधान किया जाए तथा कमजोर वर्गों को दी जाने वाली सहायता की पहचान की जाए);

(ii) विचार किए गए वैकल्पिक पुनर्वास स्थलों; सामुदायिक परामर्शों; तथा चयनित स्थलों के औचित्य का उल्लेख होता है जिनमें स्थान पर्यावरणीय मूल्यांकन तथा विकासगत आवश्यकताओं के ब्यौरे शामिल हैं;

(iii) स्थल को तैयार करने और आंतरिक करने के लिए समय–सीमा का प्रावधान होता है;

(iv) भूस्वामित्व को नियमित करने तथा पुनर्वासित लोगों को स्वामित्व का अंतरण करने के लिए कानूनी प्रबंधों का उल्लेख होता है;

(v) विस्थापित लोगों को नए स्थानों पर स्थानांतरित करने और बसाने के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख होता है;

(vi) नागरिक अवस्थापना सुविधाएं मुहैया करने की योजनाओं का उल्लेख होता है; और

(vii) यह स्पष्टीकरण किया जाता है कि मेजबान आबादी के साथ कैसे एकीकरण स्थापित किया जाएगा।

## ञ. आय बहाली और पुनर्वास

इस खंड में :

(i) जनसांख्यिकीय डाटा तथा आजीविका स्रोतों पर आधारित आजीविका जोखिमों की पहचान की जाती है और असंगत तालिकाएं तैयार करना;

(ii) सभी प्रकार की आजीविकाओं की बहाली के लिए अनेक विकल्पों सहित आय बहाली कार्यक्रमों का उल्लेख किया जाता है (उदाहरणों में परियोजना लाभ बंटवारा, राजस्व बंटवारा प्रबंध, भूमि जैसे इक्विटी अंशदानों के लिए संयुक्त स्टॉक, स्थायित्व और सुरक्षा नेट पर चर्चा शामिल है);

(iii) सामाजिक बीमा तथा/अथवा परियोजना विशेष कोषों के जरिए सामाजिक सुरक्षा नेट संबंधी व्यवस्थाओं के लिए उपायों का उल्लेख होता है;

(iv) कमजोर वर्गों को सहायता देने के लिए विशेष उपायों का वर्णन किया जाता है;

(v) लिंग आधारों का स्पष्टीकरण होता है; और

(vi) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उल्लेख होता है।

## ट. पुनर्वास बजट और वित्त प्रबंधन योजना

इस खंड में :

(i) पुनर्वास इकाई, स्टाफ प्रशिक्षण, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन और ऋण कार्यान्वयन के दौरान पुनर्वास योजनाएं तैयार करने सहित सभी पुनर्वास कार्यों के लिए मदवार बजट का प्रावधान होता है;

(ii) धनराशि के प्रवाह का स्पष्टीकरण किया जाता है (वार्षिक पुनर्वास बजट में प्रमुख मदों के बजट–अनुसूचित व्यय दर्शाए जाने चाहिए);

(iii) मुआवजा दरों तथा अन्य लागत अनुमानों की गणना में किए गए सभी अनुमानों का औचित्य बताया जाता है (भौतिक तथा लागत आकस्मिक निधि दोनों को ध्यान में रखते हुए) तथा प्रतिस्थापन लागत; और

(iv) पुनर्वास प्लान बजट के लिए फंड के स्रोत के बारे में सूचनाएं शामिल की जाती हैं।

## ठ. संस्थागत प्रबंध

इस खंड में :

(i) पुनर्वास योजना के उपायों को अन्जाम देने के लिए संस्थागत प्रबंध दायित्व और तंत्रों का उल्लेख किया जाता है;

(ii) तकनीकी सहायता, यदि आवश्यक हो, सहित संस्थागत क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उल्लेख होता है;

(iii) पुनर्वास नियोजन और प्रबंध में प्रभावित लोगों के एनजीओ (यदि शामिल हों), और संगठनों की भूमिका का उल्लेख होता है; तथा

(iv) बताया जाता है कि पुनर्वास नियोजन और प्रबंधन में महिला समूहों को कैसे जोड़ा जाएगा।

## ड. कार्यान्वयन समय सारणी

इस खंड में सभी प्रमुख पुनर्बसाव और पुनर्वास कार्यों के लिए विस्तृत, समयबद्ध, कार्यान्वयन सारणी शामिल की जाती है। कार्यान्वयन सारणी में पुनर्वास कार्यकलापों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए और उसमें सिविल निर्माण कार्य, भूमिअधिग्रहण प्रक्रिया तथा समय सीमा का उल्लेख होना चाहिए।

## ढ़. मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग

इस खंड में पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए परियोजना के अनुरूप तंत्रों और उपलब्धियों का उल्लेख होता है। इसमें मॉनीटरिंग प्रक्रिया में प्रभावित लोगों की भागीदारी के लिए प्रबंधों का उल्लेख किया जाता है। इस खंड में रिपोर्टिंग प्रक्रिया का भी उल्लेख किया जाएगा।

# सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 3 : देशज़ जन

## क. प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा द्वारा सितम्बर, 2007 में देशज़ जनों के अधिकारों संबंधी घोषणा को अंगीकृत किया गया था। एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के कई देशों ने इस गैर–बाध्यकारी घोषणा के पक्ष में वोट दिया था। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) देशज़ लोगों के अपने खुद के विकास को संचालित करने के लिए देशज़ जन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। देशज़ लोगों को विकास के लाभ स्वतः ही मिल जाते, इन्हें प्रायः मुख्य धारा या प्रधान आबादी वाले देश, जहां वे रहते हैं, के लोगों द्वारा नियोजित और कार्यान्वियत किया जाता है। देशज़ जनों को प्रभावित करने वाले विकास कार्यक्रमों, जो उनकी विशेष आवश्यकताओं और आकांशाओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, के नियोजन में शामिल करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है। जैसे–जैसे विकास कार्यक्रमों की उन क्षेत्रों में जहां उनका परम्परागत स्वामित्व, उपयोग है अथवा उनके पैतृक क्षेत्र माने जाते हैं, घुसपैठ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे देशज़ लोगों को खतरा बढ़ता जा रहा है।

2. सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 3 में उन अपेक्षाओं का उल्लेख है जो कर्जदारों/ग्राहकों को एडीबी द्वारा सहायता प्रदत्त परियोजनाओं के देशज़ जन सुरक्षा प्रावधानों का पालन करने के लिए पूरी करनी होती हैं। इसमें (i) सामाजिक संघात मूल्यांकन और नियोजन प्रक्रिया को शुरू करने; (ii) सामाजिक संघात मूल्यांकन रिपोर्ट तथा नियोजन दस्तावेज तैयार करने; (iii) सूचनाएं देने और चुनिंदा परियोजना कार्यों में प्रभावित देशज़ लोगों के समुदाय की सहमति प्राप्त करने सहित परामर्श लेने; (iv) शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने; तथा (v) मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग से जुड़ी अपेक्षाओं के उपयोग के उद्देश्य और दायरे का उल्लेख किया गया है। नीति अपेक्षाओं के इस सेट में देशज़ लोगों की सांस्कृतिक पहचान, पद्धतियों तथा पर्यावासों को बनाए रखा और इनका संरक्षण किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें प्रभावित करने वाली परियोजनाओं में इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

## ख. उद्देश्य

3. उद्देश्य परियोजनाओं को इस ढंग से बनाना और कार्यान्वित करना है जिससे देशज़ लोगों द्वारा स्वयं परिभाषित उनकी पहचान, गरिमा, मानव अधिकार, आजीविका तंत्र तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को पूर्ण सम्मान मिल सके ताकि उन्हें (i) सांस्कृतिक दृष्टि से समुचित सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकें, (ii) परियोजनाओं के फलस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव न सहन करने पडें, और (iii) परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी करने का मौका मिल सके।

## ग. उपयोग का दायरा

4. ये अपेक्षाएं एडीबी सहायता प्रदत्त तथा/अथवा एडीबी प्रशासित सभी सोवरेन तथा नॉनसोवरेन परियोजनाओं तथा उनके घटकों पर लागू होती हैं भले ही परियोजनाओं का वित्त प्रबंधन ऋण; तथा/अथवा अनुदान; तथा/अथवा अन्य साधन, जैसे इक्विटी तथा/अथवा गारंटी (जिन्हें इसके बाद मोटे तौर पर परियोजनाएं कहा गया है) सहित वित्त का स्रोत कोई भी हो। इन अपेक्षाओं में एडीबी परियोजनाओं की प्रत्याक्षा में कर्जदार/ग्राहक द्वारा किए गए कार्य भी शामिल हैं।

5. एशिया तथा प्रशांत के भीतर अलग अलग देशज़ समुदायों में उनकी संस्कृतियों, इतिहास तथा वर्तमान परिस्थितियों को लेकर बहुत विविधता देखने को मिलती है। जिन संदर्भों ये लोग जीवनयापन करते हैं वे भिन्न–भिन्न और परिवर्तनशील हैं इसलिए देशज़ लोगों की कोई सार्वभौमिक स्तर पर स्वीकार्य परिभाषा मौजूद नहीं है। देशज़ लोगों को अलग–अलग देशों में देशज़ जातीय अल्पसंख्यक, देशज़ सांस्कृतिक समुदाय, विदेशी, पहाड़ी आदिवासियों, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय नागरिकों, अनुसूचित जातियों या जनजातिय समूहों के रूप में जाना जाता है। ऐसे समूहों को प्रचालनात्मक उद्देश्यों के लिए देशज़ लोग माना जा सकता है जब उनमें पैरा. 6 में उल्लिखित विशेषताएं पाई जाती हों।

6. प्रचालन उद्देश्यों के लिए देशज़ जन शब्द का प्रयोग किसी विशेष, कमजोर, सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों का उल्लेख करने के लिए जातिय अर्थ में किया जाता है जिनमें कमोवेश निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हों:

(i) एक पृथक देशज़ सांस्कृतिक समूह के सदस्यों के रूप में स्वयं की पहचान तथा अन्य लोगों द्वारा इस पहचान को मान्यता देना;
(ii) परियोजना क्षेत्र में भौगोलिक रूप से पृथक पर्यावासों या पैतृक प्रदेशों तथा इन पर्यावासों और प्रदेशों में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों के साथ सामूहिक लगाव;
(iii) परम्परागत सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक संस्थान जो उन्हें प्रबुद्ध समाज और संस्कृति से अलग पहचान प्रदान करती हैं; और
(iv) एक विशेष भाषा जो प्रायः देश या प्रदेश की राजभाषा से अलग प्रकार की होती है।

7. इस विशेषताओं पर विचार करते हुए संबंधित देश के राष्ट्रीय कानून, परम्परागत कानून तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाचारों को ध्यान में रखा जाएगा।

8. जिस समूह का बलपूर्वक विच्छेन की वजह से परियोजना क्षेत्र में स्थित भौगोलिक दृष्टि से विशिष्ट पर्यावासों या पैतृक प्रदेशों के साथ सामूहिक लगाव समाप्त हो जाता है वे इस नीति के तहत लाभ के लिए पात्र होते हैं।

9. देशज़ लोगों के सुरक्षा प्रावधानों का मूल कारण तभी उत्पन्न होता है जब परियोजना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देशज़ लोगों की गरिमा, मानव अधिकारों, आजीविका तंत्र या संस्कृति को प्रभावित करती हो या उन प्रदेशों या प्राकृतिक या सांस्कृतिक संसाधनों को प्रभावित करती हो जिन पर देशज़ लोगों का पैतृक स्वामित्व के रूप में अधिकार, प्रयोग या दावा हो।

## घ. सामान्य अपेक्षाएं

### 1. परामर्श और भागीदारी

10. कर्जदार/ग्राहक प्रभावित देशज़ जनों के साथ सार्थक परामर्श करेगा ताकि उन पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों की (i) डिजायनिंग, कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग में तथा जहां बचाव कर पाना असंभव हो, वहां निवारक उपाय करने और मुआवजा देने; और (ii) सांस्कृतिक ढ़ंग व सही तरीके से उनके लिए परियोजना लाभों का प्रावधान करने में उनकी सजग सहमति सुनिश्चित की जा सके। सार्थक परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है (i) जो परियोजना की तैयारी अवस्था में प्रारंभ होती है और पूरे परियोजना काल में अनवरत आधार पर सम्पन्न होती है; (ii) प्रभावित लोगों को आसानी से समझ में आने वाली और तत्काल सुलभ प्रासंगिक तथा पर्याप्त सूचनाओं को समय पर उपलब्ध करायी जाती हो; (iii) जो भय या उत्पीड़न मुक्त माहौल में सम्पन्न की जाती हो; (iv) जिसमें स्त्री और पुरूष दोनों शामिल हों और उनके प्रति जवाबदेह हों और उपेक्षित तथा कमजोर वर्गों की जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई हो; और (v) जो प्रभावित लोगों तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स के सभी प्रासंगिक विचारों को परियोजना डिजाइन, निवारक उपायों, विकास संबंधी लाभों और अवसरों के आदान प्रदान तथा कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों जैसी निर्णय प्रक्रियाओं में शामिल करने में सहायक हों।

11. प्रभावित देशज़ लोगों के साथ सार्थक परामर्श करने के लिए कर्जदार/ग्राहक को सही देशज़ लोगों के प्रतिनिधियों की पहचान तथा प्रभावित देशज़ लोगों के समुदायों के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ समुचित परामर्श पद्धतियों की अवधारणा सहित समाहित और सहभागी परामर्श के लिए संदर्भ विशेष रणनीति तैयार करनी होगी। कर्जदार/ग्राहक देशज़ महिलाओं और युवाओं की परेशानियों की ओर विशेष ध्यान देगा।

12. जब कर्जदार/ग्राहक तथा प्रभावित देशज़ लोगों के बीच परियोजनाओं, उसके घटकों या आईपीपी को लेकर गंभीर मतभेद और असहमति हो तो कर्जदार/ग्राहक को उन मतभेदों और असहमतियों का समाधान करने के लिए सद्भावना के साथ बातचीत करनी होगी।

## 2. सामाजिक संघात मूल्यांकन

13. जब एडीबी की जाँच से देशज़ लोगों पर संभावित संघातों की पुष्टि हो जाती है तो कर्जदार/ग्राहक पूरा सामाजिक संघात मूल्यांकन (एसआईए) कराने के लिए योग्य तथा अनुभवी विशेषज्ञों की सेवाएं लेगा और यदि देशज़ जनों पर होने वाले संघात का पता चल जाता है तो कर्जदार/ग्राहक व्यवहार्यता अध्यन के अनुरुप आईपीपी तैयार करेगा। परियोजना के संभावित सामाजिक संघातों तथा जोखिमों का मूल्यांकन इस दस्तावेज में उल्लिखित अपेक्षाओं और परियोजना के कार्यक्षेत्र में लागू अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मेजबान देश सहित देशज़ लोगों से संबंधित प्रचलित कानूनों तथा विनियमनों के आधार पर किया जाएगा।

14. जांच के आधार पर व्यवहार्यता अध्ययन के अंग के रूप में या किसी एकल गतिविधि के रूप में फील्ड आधारित एसआईए का आयोजन किया जाएगा। स्त्री और पुरूष दोनों के प्रति समान जवाबदेही ढंग से एसआईए में देशज़ लोगों के समुदायों के साथ परामर्श किया जाएगा, परियोजनाओं से प्रभावित देशज़ लोगों और उन पर प्रस्तावित परियोजनाओं के संभावित संघातों की पहचान की जाएगी। एसआईए में परियोजना क्षेत्र तथा परियोजना प्रभाव जोन में रहने वाले देशज़ समूहों के आधारभूत सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल प्राप्त होंगे; उन्हें उपलब्ध बुनियादी सामाजिक आर्थिक सेवाओं और उनका उपयोग करने के अवसरों का आकलन किया जाएगा; प्रत्येक समूह के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्तर पर प्रोजेक्ट अल्प तथा दीर्घकालिक, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष, सकारात्मक और नकारात्मक संघातों का मूल्यांकन किया जाएगा; उन देशज़ समूहों का अन्दाजा लगाया जाएगा जो देशज़ जन नीति के सिद्धांतों को मानते हैं तथा उन्हें प्रभावित करने वाली परियोजनाओं की विभिन्न परेशानियों और मुद्दों के समाधान के लिए आगामी अवधारणाओं और संसाधन संबंधी अपेक्षाओं का आकलन किया जाएगा।

15. एसआईए के ब्यौरे और व्यापकता स्तर प्रस्तावित परियोजना के देशज़ लोगों पर संभावित प्रभावों, चाहे सकारात्मक हों या नकारात्मक, की प्रकृति और पैमाने के अनुरूप प्रस्तावित परियोजना की जटिलता के अनुपात में होगा।

## 3. देशज़ जन नियोजन

16. यदि जांच और एसआईए से पता चलता हो कि देशज़ लोगों पर प्रस्तावित परियोजनाओं के सकारात्मक तथा/अथवा नकारात्मक संघात होंगे तो कर्जदार/ग्राहक एसआईए के संदर्भ में तथा प्रभावित देशज़ जन समुदाय के साथ सार्थक परामर्श द्वारा आईपीपी तैयार करेगा। आईपीपी में उन उपायों का उल्लेख होगा जिनके द्वारा कर्जदार/ग्राहक सुनिश्चित करेगा कि (i) प्रभावित देशज़ लोगों को सांस्कृतिक दृष्टि से समुचित सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हों; और देशज़ लोगों पर जब संभावित प्रतिकूल प्रभावों का पता चले तो उनसे बचने के लिए अधिकतम संभव सीमा तक प्रयास किए जाएंगे। जब यह बचाव असंभव सिद्ध हो जाए तब आईपीपी में देशज़ समुदायों के साथ सार्थक परामर्श के आधार पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने, निवारण तथा भरपाई करने के लिए उपायों का उल्लेख किया जाएगा। आईपीपी (इस परिशिष्ट के अनुलग्नक) के ब्यौरे और व्यापकता का स्तर परियोजना की विशेषता तथा समाधान किए जाने वाले संघातों की प्रकृति के आधार पर भिन्न–भिन्न होगा। कर्जदार/ग्राहक आईपीपी के तत्वों को परियोजना के डिजाइन में समाहित करेगा।

17. यदि देशज़ लोग या उनका बहुसंख्यक समाज प्रत्यक्ष परियोजना लाभार्थी[1] हों और केवल सकारात्मक संघातों की ही पहचान होती हो तो आईपीपी के तत्वों में पृथक आईपीपी तैयार करने के बदले समग्र परियोजना डिजाइन को शामिल किया जा सकता है। ऐसे मामलों में परियोजना दस्तावेज में एक सारांश शामिल किया जाएगा कि परियोजना देशज़ लोगों के सुरक्षा प्रावधानों का कैसे अनुपालन करेगी। विशेष रूप से इसमें यह स्पष्टीकरण किया जाएगा कि सार्थक परामर्श से जुड़ी अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जाएगा और होने वाले लाभों को परियोजना डिजाइन में कैसे समाहित किया गया है।

[1] ऐसा कुछ विकासशील देशों में हो सकता है यथा प्रशान्त देशों में

18. कर्जदार/ग्राहक विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तथा विस्तृत माप सर्वेक्षण पूरे होने के बाद आईपीपी को अपडेट करेगा। अपडेट की गई आईपीपी में प्रत्येक परियोजना घटक या सब–परियोजना के करार पैकेज अवार्ड और कार्यान्वयन की समय–सारणी का बारीकी से अनुसरण किया जाएगा। देशज़ लोगों पर प्रतिकूल संघातों की रोकथाम करने और सांस्कृतिक दृष्टि से विकास के लाभों में बढ़ोतरी करने के लिए निवारक उपायों में समायोजन किया जाएगा लेकिन प्रारूप आईपीपी में यथाउल्लिखित समझौता परिणामों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यदि फाइनल आईपीपी को एडीबी को प्रस्तुत करने से पहले देशज़ जनों के नए समूहों का पता चलता है तो उनके साथ भी सार्थक परामर्श किया जाएगा।

19. सामाजिक संघात मूल्यांकन और आईपीपी तैयार करने के लिए कर्जदार/ग्राहक योग्य तथा अनुभवी विशेषज्ञों की सेवाओं का प्रयोग करेगा। अधिक जटिल तथा संवेदनशील परियोजनाओं के लिए परियोजना तैयार करने और कार्यान्वयन के दौरान विशेषज्ञों के स्वतंत्र सलाहकार पेनल का सेवाओं का प्रयोग किया जाएगा जो परियोजना के साथ संबद्ध न हों। जो बहुत जटिल तथा संवेदनशील परियोजनाएं देशज़ लोगों को प्रभावित करती हैं उनके लिए सलाहकार पेनल में देशज़ लोगों से संबंधित विशेषज्ञ होने चाहिएं।

## 4. सूचनाओं का प्रकटीकरण

20. कर्जदार/ग्राहक निम्नलिखित दस्तावेज एडीबी की वेबसाइट पर दर्शाने के लिए एडीबी को पेश करेगाः

(i) मूल्यांकन से पहले कर्जदार/ग्राहक द्वारा पृष्ठांकित सामाजिक संघात मूल्यांकन सहित प्रारूप आईपीपी तथा/अथवा देशज़ जन नियोजन फ्रेमवर्क;
(ii) पूरा होने पर फाइनल आईपीपी;
(iii) कार्यान्वयन के दौरान तैयार की गई कोई नई अथवा अपडेट की गई आईपीपी और सुधारात्मक कार्य योजना , यदि कोई हो; और
(iv) मॉनीटरिंग रिपोर्टें।

21. कर्जदार/ग्राहक प्रभावित देशज़ लोगों तथा अन्य स्टेकहोल्ड्र्स को प्रासंगिक सूचनाएं जिनमें उपर्युक्त दस्तावेजों में उल्लिखित सूचनाएं शामिल हैं, समयोचित ढंग, सुगम स्थान तथा रूप और समझ में आने वाली भाषा में उपलब्ध कराएगा। यदि देशज़ लोग अनपढ़ हैं तो संचार की अन्य समुचित पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा।

### 5. शिकायत निवारण तंत्र

22. कर्जदार/ग्राहक सामाजिक और पर्यावरणीय निष्पादन के बारे में प्रभावित देशज़ लोगों के समुदायों की परेशानियों को परियोजना स्तर पर प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करेगा। शिकायत निवारण तंत्र में परियोजना के जोखिम और संघातों का अन्दाजा लगाया जाएगा। इसमें आसानी से समझ में आने वाली और पारदर्शी प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए प्रभावित लोगों की परेशानियों और शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाएगा। इस प्रक्रिया में स्त्री और पुरूष दोनों की परेशानियों का जवाब दिया जाएगा, यह सांस्कृतिक रूप से उचित होगी और प्रभावित लोगों के सभी वर्गों के लिए सहज सुलभ होगी और इसमें कोई खर्चा नहीं होगा और न ही किसी दंड का प्रावधान होगा। यह तंत्र देश के न्यायिक या प्रशासनिक उपायों का प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं डालेगा। प्रभावित लोगों को इस तंत्र के बारे में समुचित जानकारी दी जाएगी।

### 6. मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग

23. कर्जदार/ग्राहक आईपीपी के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करेगा। मॉनीटरिंग कार्यों की सीमा परियोजना के जोखिमों और प्रभावों के अनुरूप होगी। इसके अलावा, सूचनाओं को दर्ज करने से लेकर प्रगति तक टोह रखने के लिए कर्जदार/ग्राहक आईपीपी के कार्यान्वयन और अपेक्षित परिणामों की ओर प्रगति का सत्यापन करके निरीक्षण करेगा। जिन परियोजनाओं का पर्यावरण पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो उनके लिए कर्जदार/ग्राहक सूचनाओं की मॉनीटरिंग हेतु योग्य तथा अनुभवी बाह्य विशेषज्ञों या योग्य एनजीओ की सेवाएं लेगा। कर्जदार/ग्राहक मॉनीटरिंग परिणामों को दर्ज करेगा, आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई तय करेगा तथा उन्हें सुधारात्मक योजना में दर्शाएगा। कर्जदार/ग्राहक इन सुधारात्मक कार्यों की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कार्यान्वित करेगा और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

24. कर्जदार/ग्राहक समय–समय पर मॉनीटरिंग रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें आईपीपी तथा अनुपालन मुद्दों और सुधारात्मक कार्यों, यदि कोई हों, के कार्यान्वयन की प्रगति का उल्लेख होगा। कर्जदार/ग्राहक बहुत प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव की संभावना वाली परियोजनाओं के निर्माण के दौरान कम से कम अर्ध वार्षिक मॉनीटरिंग रिपोर्ट और अत्यंत जटिल तथा संवेदनशील परियोजनाओं के लिए तिमाही मॉनीटरिंग रिपोर्ट पेश करेगा। परियोजना बजट में मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की लागत दर्शाई जाएगी।

### 7. अप्रत्याशित संघात

25. यदि परियोजना कार्यान्वयन के दौरान देशज़ लोगों पर कोई अप्रत्याशित प्रभाव दिखाई दे तो कर्जदार/ग्राहक संभावित प्रभाव का अनुमान लगाने, विकल्पों का मूल्यांकन करने तथा निवारक उपायों की व्यवस्था करने और उन प्रभावों का समाधान करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए सामाजिक संघात मूल्यांकन और आईपीपी को अपडेट करेगा या नया आईपीपी बनाएगा।

## ड. विशेष अपेक्षाएं

### 1. पैतृक प्रदेश भूमि तथा संबद्ध प्राकृतिक संसाधन

26. देशज़ लोगों का भूमि, वनों, जल, वन्य जीवन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों से गहन संबंध होता है, इसलिए यदि इन संबंधों पर परियोजना का असर होता है तो विशेष आधार लागू होते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक संघात मूल्यांकन करते समय और आईपीपी तैयार करते समय कर्जदार/ग्राहक को निम्नलिखित की ओर विशेष ध्यान देना होगाः

(i) पैतृक प्रदेशों जमीन या प्रांतों जहां पर उनका परम्परागत स्वागत, उपयोग या कब्जा हो तथा जहां उनकी

संस्कृतियों और आजीविका तंत्र के भरण पोषण के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि अनिवार्य हो, पर देशज़ लोगों के व्यक्तिगत तथा सामूहिक परम्परागत अधिकार;

(ii) ऐसे पैतृक क्षेत्रों, भूमि और संसाधनों की घुसपैठ या अतिक्रमण से रक्षा करने की आवश्यकता;

(iii) ऐसी भूमि और संसाधनों के प्रति देशज़ लोगों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य;

(iv) देशज़ लोगों की प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की पद्धतियां तथा इन पद्धतियों की दीर्घकालिक स्थिरता; और

(v) जिन देशज़ लोगों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया है उनके आजीविका तंत्रों के पुनर्वास की आवश्यकता।

27. यदि परियोजना में ऐसे कार्यकलाप शामिल हैं जो देशज़ लोगों के परम्परागत स्वामित्व या प्रयोग अथवा कब्जे वाले क्षेत्र के आसपास कर्जदार/ग्राहक को ऐसी भूमि प्रदेश तथा पैतृक क्षेत्रों पर परम्परागत अधिकारों की कानूनी मान्यता के लिए आईपीपी में एक कार्य योजना शामिल करनी होगी। कार्य योजना सामान्यतः परियोजना कार्यान्वयन से पहले बनाई जाती है, लेकिन कुछ मामलों में इसे परियोजना के साथ–साथ ही तैयार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी कानूनी मान्यता के निम्नलिखित स्वरूप हो सकते हैं:

(i) देशज़ लोगों की वर्तमान परम्परागत भू–स्वामित्व प्रणालियों को पूर्ण कानूनी मान्यता, या

(ii) परम्परागत अधिकारों को समुदायिक तथा/अथवा व्यक्तिगत स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करना।

28. यदि राष्ट्रीय कानून के तहत कोई भी विकल्प उपलब्ध हो तो आईपीपी में स्थायी या दीर्घकालिक नवीकरणीय परिरक्षण या प्रयोक्ता अधिकारों को कानूनी मान्यता के लिए एक कार्य योजना शामिल की जाएगी।

29. इसके अलावा, देशज़ लोगों पर संभावित संघात वाली परियोजनाओं के लिए कर्जदार/ग्राहक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले मामले , जैसे प्रस्तावित निवारण उपायों, परियोजना के लाभ और अवसरों के बंटवारे तथा कार्यान्वयन प्रबंधों में उनके साथ सार्थक परामर्श किया जाए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

## 2. प्रभावित देशज़ जन समुदायों की सहमति

30. जब परियोजना कार्यों में (i) देशज़ लोगों के सांस्कृतिक संसाधनों और ज्ञान का वाणिज्यिक विकास; (ii) परम्परागत भूमि से भौतिक विस्थापन; तथा (iii) उनके अधिकार क्षेत्र वाली परम्परागत भूमि के भीतर स्थित प्राकृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक विकास, जिससे उनकी आजीविका अथवा सांस्कृतिक, समारोह या आधात्मिक इस्तेमाल प्रभावित होते हों जो देशज़ लोगों की पहचान और समुदाय को परिभाषित करते हों, की बात आती है तो देशज़ लोग विशेष रूप से कमजोर हो सकते हैं। ऐसे परियोजना कार्यों वाली परियोजना को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, इस बारे में निर्णय करने के लिए कर्जदार/ग्राहक को प्रभावित देशज़ जन समुदायों से सहमति लेनी होगी।

31. नीति को लागू करने के प्रयोजन से प्रभावित देशज़ जन समुदायों की सहमति का अर्थ प्रभावित जन समुदायों द्वारा व्यक्तिगत तथा/अथवा उनके मान्यताप्राप्त प्रतिनिधियों के माध्यम से पैरा. 30 में सूचीबद्ध परियोजना कार्यों के लिए व्यापक सामाजिक समर्थन के लिए सामूहिक अभिव्यक्ति से है। यदि कुछ व्यक्तियों अथवा समूहों को परियोजना कार्यों को लेकर कुछ आपत्ति हो तो भी ऐसे व्यापक सामाजिक समर्थन जुटाए जा सकते हैं।

32. यदि व्यापक सामाजिक समर्थन सुनिश्चित कर लिया गया हो तो कर्जदार/ग्राहक देशज़ लोगों और देशज़ जन संगठनों के साथ हुए परामर्श की प्रक्रिया और परिणामों के ब्यौरेयुक्त दस्तावेज मुहैया कराएगा, जिसमें (i) एसआईए के निष्कर्ष; (ii) प्रभावित देशज जन समुदायों के साथ सार्थक परामर्श की प्रक्रिया; (iii) देशज़ लोगों पर होने वाले प्रतिकूल संघात के समाधान के लिए तथा उन्हें सांस्कृतिक दृष्टि से समुचित परियोजना लाभ मुहैया कराने के लिए अपेक्षित परियोजना डिजाइन में रूपांतरण सहित अतिरिक्त उपाय; (iv) परियोजना कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के दौरान देशज़ जन

समुदायों के सार्थक परामर्श और भागीदारी के लिए सिफारिशें; और देशज़ जन समुदायों तथा/अथवा देशज़ जन संगठनों के साथ संपन्न औपचारिक समझौतों की विषय–सामग्री शामिल होगी। कर्जदार/ग्राहक कार्य प्रक्रिया समीक्षा के दस्तावेज समीक्षा के लिए एडीबी को और एडीबी की स्वयं पड़ताल के लिए प्रस्तुत करेगा ताकि वह आश्वस्त हो सके कि परियोजना कार्यों के लिए समाज का व्यापक समर्थन हासिल है। यदि यह समर्थन नहीं होगा तो एडीबी परियोजना के लिए वित्त प्रबंध नहीं करेगा।

33. यदि कर्जदार/ग्राहक तथा प्रभावित देशज़ लोगों के बीच देशज़ लोगों के सांस्कृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक विकास, भौतिक विस्थापन तथा/अथवा प्राकृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक विकास से संबंधित कार्यकलापों के डिजाइन, आईपीपी या कार्यान्वयन को लेकर भारी मतभेद हों तो कर्जदार/ग्राहक उन मतभेदों और असहमत्तियों को दूर करने के लिए सद्भाव वार्तालाप प्रतिक्रिया अपनाएगा।

34. **सांस्कृतिक संसाधनों का वाणिज्यिक विकास :** यदि परियोजना में देशज़ जनों के सांस्कृतिक संसाधनों और ज्ञान का वाणिज्यिक विकास शामिल हो तो कर्जदार/ग्राहक सुनिश्चित करेगा कि प्रभावित समुदायों को (i) सांविधिक तथा परम्परागत कानून के तहत ऐसे संसाधनों पर उनके अधिकार; (ii) प्रस्तावित वाणिज्यिक विकास और उससे जुड़े इच्छुक या सम्मिलित पक्षों; और (iii) देशज़ लोगों की आजीविकाओं, पर्यावरण तथा इन संसाधनों पर ऐसे विकास के संभावित प्रभावों के बारे में अवगत कराया जाए। आईपीपी में समझौते की प्रकृति और विषयवस्तु को दर्शाया जाएगा तथा इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध किए जाएंगे कि देशज़ लोगों को ऐसे वाणिज्यिक विकास से होने वाले लाभ सांस्कृतिक रूप से एवं समुचित ढंग से समान अंश में प्राप्त हों।

35. **देशज़ लोगों का भौतिक विस्थापन :** कर्जदार/ग्राहक देशज़ लोगों के भौतिक विस्थापन जिसकी वजह से उनकी पहचान, संस्कृति तथा परम्परागत आजीविकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे, से बचने के लिए यथासंभव अधिकतम सीमा तक वैकल्पिक परियोजना डिजाइन की तलाश करेगा। अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में जब बचाव असंभव हो तो कर्जदार/ग्राहक एक आईपीपी तैयार करेगा जिसे पुनर्वास योजना से जोड़ा जा सकता है। ऐसी संयुक्त योजना देशज़ लोगों की सांस्कृतिक वरीयताओं के अनुकूल होनी चाहिए और उसमें भूमि आधारित पुनर्वास रणनीति को शामिल किया जाएगा। यदि उनके पुनर्वास का कोई कारण मौजूद न हुआ तो, जहां संभव होगा, योजना में प्रभावित देशज़ लोगों को उनके परम्परागत उपयोग या कब्जे वाली जमीन तथा प्रदेशों में लौटने की अनुमति होगी। योजना में ऐसी भूमि के आवश्यकता अनुसार पुनर्वास के प्रावधान शामिल होने चाहिएं।

36. **प्राकृतिक संसाधनों का वाणिज्यिक विकास :** यदि परियोजना में देशज़ लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली परम्परागत भूमि के भीतर आने वाले प्राकृतिक संसाधनों (जैसे खनिज, हाइड्रोकार्बन, वन, जल अथवा शिकार या मत्स्य पालन) तो कर्जदार/ग्राहक सुनिश्चित करेगा कि प्रभावित समुदायों को (i) सांविधिक तथा परम्परागत कानून के तहत ऐसे संसाधनों पर उनके अधिकार; (ii) प्रस्तावित वाणिज्यिक विकास और उससे जुड़े इच्छुक पक्षों का दायरा और प्रकृति; और (iii) देशज़ लोगों की आजीविकाओं, पर्यावरण तथा इन संसाधनों पर ऐसे विकास के संभावित प्रभावों के बारे में अवगत कराया जाए। आईपीपी में समझौते की प्रकृति और विषयवस्तु को दर्शाया जाएगा तथा इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध किए जाएंगे कि देशज़ लोगों को ऐसे वाणिज्यिक विकास से होने वाले लाभ सांस्कृतिक रूप से समुचित ढंग से कम से कम समान अंश में या किसी अन्य प्रभावित भूस्वामियों की अपेक्षा अधिक प्राप्त हों।

### 3. देशज़ जन और विकास

37. देशज़ लोगों को लाभांवित करने के उद्देश्यों की पूर्ति में विकासशील सदस्य देश एडीबी को अपनी विकास नियोजन और गरीबी कम करने वाली रणनीतियों में विभिन्न प्रयासों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह कर सकते हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) देशज़ लोगों की परम्परागत भूस्वामित्व प्रणालियों की कानूनी मान्यता स्थापित करने के लिए स्थानीय कानूनों को मजबूत बनाना;

(ii) विकास कार्यक्रमों तथा गरीबी कम करने वाली रणनीतियों के डिजाइन में देशज़ लोगों के परिदृश्यों को शामिल करके विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ाना तथा उन्हें नीतिगत तथा कानूनी सुधारों, क्षमता निर्माण और सार्थक परामर्श, भागीदारी तथा सशक्तिकरण के जरिए विकास कार्यक्रमों से अधिक लाभ प्राप्त करने के अवसर मुहैया कराना;

(iii) देशज़ लोगों के साथ सहयोग में सरकार द्वारा विकसित प्रोग्राम्स के द्वारा देशज़ लोगों की विकास प्राथमिकताओं का समर्थन करना;

(iv) अनेक देशज़ लोगों में पाए जाने वाले लिंग तथा अंतर पीढ़ीगत मुद्दों का समाधान करना जिनमें देशज़ महिलाओं, युवाओं और बच्चों की विशेष आवश्यकताएं शामिल हैं;

(v) देशज़ लोगों की सांस्कृतिक, जनसांख्यिकीय ढांचे, लिंग और अंतर पीढ़ीगत रिश्तों तथा सामाजिक संगठनों, संस्थानों, उत्पादन प्रणालियों, धार्मिक मान्यताओं और संसाधनों के प्रयोग की पद्धति को लेखबद्ध करने के लिए सहभागी प्रोफाइल तैयार करना;

(vi) विकास कार्यक्रमों को तैयार करने, कार्यान्वित करने, मॉनीटर और मूल्यांकन के लिए देशज़ समुदायों और देशज़ जन संगठनों की क्षमता को मजबूत करना;

(vii) देशज़ लोगों को विकास सेवाएं मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों की क्षमता को मजबूत करना;

(viii) बौद्धिक संपत्ति अधिकारों को मजबूत बनाने सहित देशज़ ज्ञान का संरक्षण और सम्मान करना; और

(ix) देशज़ जन विकास कार्यक्रमों का संवर्धन करने के लिए सरकार, देशज़ जन संगठनों, सिविल नागरिक संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को सुगम बनाना।

# देशज़ जन योजना की रूपरेखा

यह रूपरेखा सुरक्षा अपेक्षा 3 का भाग है। देशज़ लोगों पर संघात वाली सभी परियोजनाओं के लिए देशज़ जन योजना (आईपीपी) की आवश्यकता पड़ती है। इसके ब्यौरे और व्यापकता का स्तर देशज लोगों पर संभावित संघातों के अनुरूप होता है। इस रूपरेखा के स्थायी पहुलओं से आईपीपी को तैयार करने में मदद मिलेगी, हालांकि इसका दर्शाए गए क्रम में होना आवश्यक नहीं है।

## क. देशज़ जन योजना का कार्यकारी सारांश

इस खंड में परियोजना दायरे, प्रमुख सर्वेक्षण निष्कर्ष, अधिकार तथा अनुशंसित कार्यों के संक्षिप्त कथन का वर्णन होता है।

## ख. परियोजना विवरण

इस खंड में परियोजना का सामान्य विवरण होता है; देशज़ लोगों पर प्रभाव डालने वाली परियोजना में घटकों तथा कार्यों पर चर्चा की जाती है; और परियोजना क्षेत्र की पहचान की जाती है।

## ग. सामाजिक संघात मूल्यांकन

इस खंड में :

(i) देशज़ लोगों पर लागू कानूनी तथा संस्थागत फ्रेमवर्क की परियोजना के संदर्भ में समीक्षा की जाती है।

(ii) प्रभावित देशज़ समुदायों की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक विशेषताओं से संबंधित आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है; देशज़ समाज के परम्परागत स्वामित्व, उपयोग अथवा कब्जे वाली भूमि तथा प्रदेशों और प्राकृतिक संसाधनों का उल्लेख होता है जिस पर वे निर्भर करते हैं।

(iii) मुख्य परियोजना स्टेकहोल्ड्र्स की पहचान की जाती है आधारभूत जानकारी की समीक्षा करते और उसे ध्यान में रखते हुए देशज़ लोगों के साथ सार्थक परामर्श के लिए सांस्कृतिक रूप से समुचित तथा स्त्रीपुरूष दोनों के प्रति जवाबदेह प्रक्रिया का स्पष्टीकरण किया जाता है।

(iv) प्रभावित देशज़ जन समुदायों के साथ सार्थक परामर्श के आधार पर परियोजना के संभावित प्रतिकूल और सकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है। विशेष परिस्थितियों तथा भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के साथ गहन लगाव, समुदायों, प्रदेशों या राष्ट्रीय समाजों, जहां वे जीवनयापन करते हैं, अन्य सामाजिक संगठनों को उपलब्ध सापेक्ष अवसरों की सुलभता के अभाव में प्रभावित देशज़ लोगों की कमजोरी और जोखिम के निर्धारण में लिंग संबंधी संवेदनशीलता का विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है।

(v) परियोजना को लेकर प्रभावित देशज़ लोगों के लिंग संवेदी मूल्यांकन और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर पर उनके प्रभाव को शामिल किया जाता है।

(vi) प्रभावित देशज़ लोगों के साथ सार्थक परामर्श के आधार पर विपरीत प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक उपायों की पहचान करना या यदि ऐसे उपाय संभव न हों तो इन प्रभावों में कमी लाने, निवारण करने तथा/अथवा उनकी भरपाई करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के उपायों की पहचान की जाए कि देशज़ लोगों को परियोजना के तहत सांस्कृतिक दृष्टि से समुचित लाभ मिलें।

## घ. सूचना प्रकटीकरण, परामर्श और भागीदारी

इस खंड में :

(i) परियोजना की तैयारी के दौरान प्रभावित देशज़ लोगों के साथ सूचना प्रकटीकरण, परामर्श और भागीदारी प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है;

(ii) सामाजिक संघात मूल्यांकन के परिणामों पर अपनी टिप्पणियों के सार पेश किए जाते हैं तथा परामर्श के दौरान उठाए गए मुद्दों की पहचान करके यह बताया जाता है कि परियोजना डिजाइन में उनका कैसे समाधान किया जाएगा;

(iii) ऐसे परियोजना कार्यों के मामले में, जहां व्यापक सामाजिक समर्थन की आवश्यकता होती है, प्रभावित देशज़ जन समुदायों के साथ परामर्श की प्रक्रिया और परिणामों को तथा परियोजना के लिए इन परामर्शों के फलस्वरूप होने वाले किसी समझौते को लेखबद्ध करना;

(iv) कार्यान्वयन में देशज़ लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले परामर्श और भागीदारी तंत्र का उल्लेख किया जाता है; और

(v) प्रभावित देशज़ जन समुदायों का प्रारूप तथा अंतिम आईपीपी को प्रकट करने की पुष्टि की जाती है।

### ड. लाभकारी उपाय

इस खंड में यह सुनिश्चित करने के लिए उपायों का उल्लेख किया जाता है कि देशज़ लोगों को सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हों जो सांस्कृतिक दृष्टि से समुचित तथा स्त्री और पुरूष दोनों के प्रति जवाबदेह हों।

### च. निवारक उपाय

इस खंड में देशज़ लोगों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से बचाव के लिए उपायों का उल्लेख किया जाता है तथा जहां बचाव असंभव हो, वहां प्रत्येक प्रभावित देशज़ जन समूह के लिए अपरिहार्य माने जाने वाले प्रतिकूल प्रभावों की रोकथाम, निवारण और भरपाई करने के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख किया जाता है।

### छ. क्षमता निर्माण

इस खंड में परियोजना क्षेत्र में (क) देशज़ जन मुद्दों के समाधान के लिए सरकारी संस्थानों; तथा (ख) देशज़ जन समुदायों सामाजिक, विधायी तथा तकनीकी क्षमताओं को मजबूत बनाने के उपायों का प्रावधान किया जाता है ताकि वे प्रभावित देशज़ लोगों का अधिक कारगरता के साथ प्रतिनिधित्व कर सकें।

### ज. शिकायत निवारण तंत्र

इस खंड में प्रभावित देशज़ जन समुदायों द्वारा शिकायतों के निवारण के लिए प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। इसमें यह भी स्पष्टीकरण किया जाता है कि प्रक्रियाएं देशज़ लोगों के लिए कैसे सुलभ और सांस्कृतिक दृष्टि से समुचित हैं।

### झ. मॉनीटरिंग, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन

इस खंड में परियोजना की मॉनीटरिंग के लिए और आईपीपी के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए समुचित तंत्रों और उपलब्धियों का उल्लेख किया जाता है। इसमें मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन रिपोर्टें तैयार करने और प्रमाणित करने में प्रभावित देशज़ लोगों की भागीदारी के लिए विशेष प्रबंधों का भी उल्लेख किया जाता है।

### ञ. संस्थागत प्रबंध

इस खंड में आईपीपी के विभिन्न उपायों को सम्पन्न करने के लिए संस्थागत प्रबंध, दायित्वों और तंत्रों का उल्लेख किया जाता है। इसमें आईपीपी के उपायों को सफल बनाने के लिए प्रासंगिक स्थानीय संगठनों तथा गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख है।

## ट. बजट और वित्त प्रबंध

इस खंड में आईपीपी में उल्लिखित मदवार बजट का प्रावधान है।

# सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 4: विभिन्न वित्त प्रबंध औपचारिकताओं के लिए विशेष अपेक्षाएं

## क. प्रस्तावना

1. एडीबी के विकासशील सदस्य देशों में समाहित वृद्धि तथा टिकाऊ विकास का संवर्धन करने के लिए एडीबी के लिए विभिन्न ऋण प्रदायक औपचारिकताएं और वित्तीय उत्पाद महत्वपूर्ण साधन हैं। मानक परियोजना ऋण के अलावा, एडीबी प्रोग्राम ऋण, सेक्टर वित्त, मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग सुविधाएं (एमएफएफ), आपातकालीन सहायता ऋण, वित्तीय मध्यस्थ और कारपोरेट वित्त प्रबंध सहित कई किस्म के निवेश ऋण प्रदान करता है। सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 4 में उन विभिन्न वित्त औपचारिकताओं के लिए विशेष अपेक्षाओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें कर्जदारों/ग्राहकों को पूरा करना होता हैं।

## ख. प्रोग्राम ऋण

2. कर्जदार/ग्राहक को देशज़ लोगों पर संभावित प्रत्यक्ष या परोक्ष पर्यावरणीय या अस्वैच्छिक पुनर्वास प्रभावों के साथ-साथ प्रोग्राम ऋण द्वारा समर्थित कार्यों का मूल्यांकन करेगा, इन संघातों का समाधान करने के लिए समुचित निवारक उपायों की पहचान करेगा तथा प्रोग्राम के डिजाइन में निवारक उपायों का समावेश करेगा। प्रत्येक नीतिगत कार्य के संभावित प्रभाव सूचकांक के साथ-साथ समुचित निवारक उपायों को तैयार किया जाएगा तथा प्रत्येक प्रभाव के संभावित आकार के गुणात्मक संकेत तैयार किए जाएंगे और फैसले के लिए संक्षिप्त कारण बताए जाएंगे। रणनीतिक पर्यावरणीय मूल्यांकन (एसईए) को यथोचित लागू किया जाएगा।

## ग. सेक्टर ऋण

3. संभावित पर्यावरणीय अथवा अस्वैच्छिक पुनर्वास संघातों अथवा देशज़ लोगों पर प्रतिकूल प्रभावों में सेक्टरगत निवेश के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा परियोजना के अनुमोदन से पहले कर्जदार/ग्राहक को पर्यावरणीय मूल्यांकन तथा समीक्षा फ्रेमवर्क, पुनर्वास फ्रेमवर्क या देशज़ जन नियोजन फ्रेमवर्क पर एडीबी के साथ सहमत होना होगा।

4. पर्यावरणीय मूल्यांकन तथा समीक्षा फ्रेमवर्क, पुनर्वास फ्रेमवर्क और आईपीपीएफ में (i) परियोजना तथा उसके सब-परियोजना तथा/अथवा घटकों का उल्लेख होगा; (ii) प्रस्तावित परियोजना के तहत वित्त प्रदान किए जाने वाले घटकों या सब परियोजनाओं के साधारण प्रत्याशित पर्यावरणीय तथा/अथवा सामाजिक संघात का स्पष्टीकरण किया जाएगा; (iii) उन अपेक्षाओं का उल्लेख किया जाएगा जिनका अनुपालन प्रभावित लोगों तथा अन्य स्टेकहोल्ड्र्स के साथ सार्थक परामर्श के लिए प्रबंधों सहित सूचना प्रकटीकरण अपेक्षाओं और जहां लागू हों, सब-परियोजना तथा/अथवा घटकों के चयन में इस्तेमाल किए जाने वाले सुरक्षा मापदंड सहित सब-परियोजना की जांच और वर्गीकरण, मूल्यांकन और नियोजन के संबंध में अनुपालन किए जाने वाली अपेक्षाओं का उल्लेख करें; (iv) राष्ट्रीय कानूनों तथा एडीबी की अपेक्षाओं को लागू करने के लिए कर्जदार/ग्राहक की क्षमता की पर्याप्तता का आकलन करना तथा क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं को पहचानना; (v) बजट, संस्थागत प्रबंधों और क्षमता विकास अवस्थापनाओं सहित कार्यान्वयन प्रक्रिया का उल्लेख करना; (vi) मॉनीटरिंग तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का उल्लेख करना; और (vii) सब परियोजना सुरक्षा दस्तोवजों की तैयारी कार्यान्वयन और प्रगति समीक्षा के संबंध में कर्जदार/ग्राहक और एडीबी के दायित्वों का वर्णन करना शामिल है।

5. पैरा 4 में सूचीबद्ध तत्वों के अलावा पुनर्वास फ्रेमवर्क में सामाजिक संघात मूल्यांकन और जनगणना पद्धतियों की रूपरेखा दी गई है। आईपीपीएफ में परियोजना कार्यों के लिए सुरक्षा अपेक्षा 3 के खंड ड.(2) में उल्लिखित परियोजना कार्यों के लिए प्रभावित समुदायों से व्यापक समर्थन करने के लिए प्रक्रिया और दस्तावेज अपेक्षाओं का उल्लेख किया जाएगा। इस परिशिष्ट के अनुलग्नक 1, 2 और 3 में पर्यावरण मूल्यांकन तथा समीक्षा फ्रेमवर्क, पुनर्वास फ्रेमवर्क और आईपीपीएफ से संबंधित अनुशंसित विषयवस्तु की रूपरेखा का उल्लेख किया गया है। ध्यान दें कि अनुशंसित विषय सामग्री रिपोर्टिंग के लिए

मार्गदर्शन का काम करती है। प्रयास स्तर, विश्लेषण मात्रा, व्यापकता तथा ब्यौरे का स्तर परियोजना की प्रकृति और संभावित संघात और जोखिमों की मात्रा पर निर्भर करेगा।

6. सेक्टर निवेश परियोजना के अनुमोदन से पहले एक या अधिक उपपरियोजना नमूनों की पहचान की जाएगी और उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इन उपपरियोजनाओं के लिए कर्जदार/ग्राहक को पर्यावरणीय तथा सामाजिक संघात रिपोर्टों, पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं, पुनर्वास योजनाओं और देशज़ जन योजनाओं सहित संबद्ध दस्तावेज तैयार करेगा।

7. सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 1–3 में उल्लिखित अपेक्षाएं परियोजना कार्यान्वयन के दौरान निर्धारित सभी उपपरियोजनाओं और घटकों पर लागू होंगी।

8. यदि क्षेत्र निवेश में सेक्टरगत नीतियों, योजनाओं और प्रोग्रामों, जिनका देशज़ लोगों पर बहुत अधिक पर्यावरणीय तथा अस्वैच्छिक पुनर्वास संघात या प्रभाव होने की संभावना हो, का विकास या उनमें बदलाव लाया जाना शामिल हो तो पैरा 2 में उल्लिखित अपेक्षाएं लागू होंगी।

## घ. मल्टीट्रैंच वित्त प्रबंधन सुविधाएं

9. देशज़ लोगों पर संभावित पर्यावरणीय या अस्वैच्छिक पुनर्वास संघात या देशज़ लोगों पर संघात की संभावना वाले एमएफएफ के लिए कर्जदार/ग्राहक को एडीबी द्वारा एमएफएफ का अनुमोदन किए जाने से पहले पर्यावरणीय मूल्यांकन तथा समीक्षा फ्रेमवर्क, पुनर्वास फ्रेमवर्क या आईपीपीएफ के संदर्भ में एडीबी के साथ सहमत होना होगा। इन फ्रेमवर्क में सुरक्षा सिद्धांतों तथा जांच और वर्गीकरण, सामाजिक तथा पर्यावरणीय मूल्यांकन पर लागू होने वाली अपेक्षाओं तथा एमएफएफ के अनुमोदन के बाद तैयार किए जाने वाले घटकों, परियोजनाओं और उपपरियोजनाओं की सुरक्षा योजनाओं की तैयार और कार्यान्वयन का स्पष्टीकरण किया जाएगा। इन फ्रेमवर्क को पैरा 4 और 5 में उल्लिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाएगा।

10. सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 1–3 में उल्लिखित एडीबी अपेक्षाएं एमएफएफ की तैयारी और कार्यान्वयन के दौरान पहचान किए गए सभी घटकों, परियोजना तथा उपपरियोजनाओं पर होती हैं।

## ङ. आपातकालीन सहायता ऋण

11. आपातकालीन सहायता ऋणों के लिए बोर्ड के अनुमोदन से पहले मानक पर्यावरणीय मूल्यांकन, पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाएं, पुनर्वास योजनाएं तथा देशज़ लोगों की योजनाएं पूरी होना संभव नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में पैरा 4 और 5 में यथाउल्लिखित पर्यावरण मूल्यांकन तथा समीक्षा फ्रेमवर्क, पुनर्वास फ्रेमवर्क और आईपीपीएफ तैयार की जाएगी। परियोजना कार्यान्वयन के दौरान निर्धारित घटकों और उपपरियोजनाओं के लिए सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 1–3 में उल्लिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा। आपदाग्रस्त क्षेत्रों, जहां मानक पर्यावरण मूल्यांकनों, पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं, पुनर्वास योजनाओं और आईपीपी का बोर्ड के अनुमोदन से पहले पूरा होना संभव नहीं है, वहां सुरक्षा फ्रेमवर्क को लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है।

## च. वर्तमान सुविधाएं

12. जिन परियोजनाओं में पहले से वर्तमान या निर्माणाधीन सुविधाओं तथा/अथवा व्यापार कार्यकलाप शामिल हैं, उनके लिए कर्जदार/ग्राहक पर्यावरण, अस्वैच्छिक पुनर्वास तथा देशज़ लोगों पर प्रभावों से जुड़े विगत या वर्तमान मुद्दों की पहचान करने के लिए स्थलगत मूल्यांकन सहित पर्यावरण तथा/अथवा सामाजिक अनुपालन जांच करवाएगा। अनुपालन जांच का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि कर्जदारों/ग्राहकों के लिए तथा बकाया अनुपालन मुद्दों का समाधान करने के लिए समुचित उपायों की पहचान करने के लिए एडीबी के सुरक्षा सिद्धांतों और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्रवाई की गई है या नहीं। जहां

गैर–अनुपालन पाया जाता है वहां एडीबी तथा कर्जदार/ग्राहक द्वारा समझौते के अनुसार सुधारात्मक कार्य योजना तैयार की जाएगी। योजना में आवश्यक सुधारात्मक कार्यों, उनके लिए बजट तथा गैर–अनुपान का समाधान करने के लिए समय–सीमा का उल्लेख होगा। जांच रिपोर्ट (सुधारात्मक कार्य योजना सहित, यदि कोई हो) सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 1–3 की सूचना प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुपालन में जनता को उपलब्ध कराई जाएगी। पर्यावरण श्रेणी 'क' परियोजनाओं, जिनमें पहले से मौजूद या निर्माणाधीन सुविधाएं और/अथवा व्यापार कार्यकलाप शामिल हैं, उनके लिए कर्जदार/ग्राहक जांच रिपोर्ट एडीबी बोर्ड के अनुमोदन से कम से कम 120 दिन पहले एडीबी की वेबसाइट पर दर्शाने के लिए एडीबी को भेजेगा। यदि इसी परियोजना में उन वर्तमान सुविधाओं को अपग्रेड करना या विस्तार करना शामिल हो जिनका पर्यावरण, अस्वैच्छिक पुनर्वास तथा/अथवा देशज़ लोगों पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो, उन पर अनुपालन जांच के अलावा सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 1–3 में उल्लिखित पर्यावरण, अस्वैच्छिक पुनर्वास तथा सामाजिक मूल्यांकन और नियोजन संबंधी अपेक्षाएं लागू होंगी।

## छ. वित्तीय मध्यस्थ

13. जहां वित्तीय मध्यस्थों का निवेश न्यूनतम हो या प्रतिकूल सामाजिक अथवा पर्यावरण जोखिम न हो, तो एफआई परियोजना को श्रेणी 'ग' परियोजना समझा जाएगा और उन पर कोई अन्य विशेष अपेक्षाएं लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी अन्य एफआई को राष्ट्रीय कानूनों तथा/अथवा एफआई परियोजनाओं के लिए एडीबी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी समग्र प्रबंधन प्रणाली के अंग के रूप में एक समुचित पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) लागू या स्थापित करनी होगी। ईएसएमएस में निम्नलिखित तत्वों का समावेश होगाः (i) पर्यावरणीय तथा सामाजिक योजनाएं; (ii) जांच वर्गीकरण तथा समीक्षा कार्य विधि; (iii) पर्यावरणीय तथा सामाजिक क्षेत्रों में कौशल और दक्षता सहित संगठनात्मक ढांचा और स्टाफ; (iv) प्रशिक्षण अपेक्षाएं; और (v) मॉनीटरिंग तथा रिपोर्टिंग। ईएसएमएस को लेखबद्ध किया जाएगा और एडीबी तथा एफआई द्वारा उस पर सहमति व्यक्त की जाएगी।

14. ईएसएमएस के तहत निर्धारित जांच कार्य विधि से यह सुनिश्चित हो पाएगा कि सभी उपपरियोजनाओं की जांच निषिद्ध निवेश कार्यसूची (अनुलग्नक 5) के हिसाब से की जाती है। निषिद्ध निवेश कार्यसूची में शामिल व्यापार कार्यों से जुड़ी उपपरियोजना एफआई सहायता के लिए पात्र नहीं होंगी तथा उन पर एडीबी फंड का प्रयोग करने को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। एफआई के आकार तथा व्यापार कार्यों के आधार पर एफआई को ईएसएमएस के प्रतिदिन कार्यान्वयन के लिए अपना प्रबंधन सदस्य या एक या अधिक स्टाफ नियुक्त करना चाहिए ताकि पर्यावरणीय तथा सामाजिक मामलों के लिए समग्र दायित्व सुनिश्चित हो सके।

15. जहां एफआई की उपपरियोजनाओं में एडीबी द्वारा क्रेडिट लाइन, अन्य ऋणों, इक्विटी, गारंटी या अन्य वित्त प्रबंध तरीकों से की जानी है और जिनमें बहुत अधिक पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव होने की संभावना है, उनके लिए एफआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी उपपरियोजनाएं एडीबी की सुरक्षा नीति अपेक्षाओं पर खरी उतरें जिनमें सूचना के डिसक्लोजर सहित सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 1–3 में उल्लिखित शर्तें शामिल हैं। ऐसे मामलों में एफआई इन परियोजनाओं को अपनी निवेश पूर्व मूल्यांलन प्रक्रिया के प्रारंभ में ही एडीबी को भेज देगा। एडीबी इन उपपरियोजनाओं के मूल्यांकन में एफआई की सहायता करेगा। एफआई द्वारा एकत्र निवेश पूर्व मूल्यांकन जानकारी की एडीबी समीक्षा करेगा, आवश्यक अतिरिक्त सहायता, यदि कोई हो, तय करेगा, समुचित निवारण उपाय निर्धारित करने में सहायता करेगा और परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए शर्तें निर्धारित करेगा। ऐसी उपपरियोजनाओं के लिए मंजूरी से पहले कर्जदार/ग्राहक ईआईए, पुनर्वास योजना तथा/अथवा आईपीपी एडीबी को पेश करेगा। एफआई के पोर्टफोलियो तथा मेजबान देश की सुरक्षा प्रणालियों के आधार पर एडीबी एफआई की गतिविधियों के लिए अतिरिक्त शर्तें भी तय कर सकता है। एडीबी अपनी पर्यावरण तथा सामाजिक प्रबंधन प्रणाली के आधार पर एफआई के कार्यनिष्पादन पर निगाह रखेगा।

16. उन एफआई को छोड़कर, जिनके उपपरियोजनाओं का कोई प्रतिकूल पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभाव या जोखिम नहीं है, एफआई ईएसएमएस के कार्यान्वयन की स्थिति पर कम से कम अर्ध–वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके भेजेगी। यदि रिपोर्ट या एडीबी की समीक्षाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि ईएसएमएस कार्य नहीं कर रही है तो एफआई एक सुधारात्मक कार्य योजना तैयार करके प्रस्तुत करेगी और उसे कार्यान्वित करेगी।

## ज. साधारण कारपोरेट वित्त

17. यदि अनेक कार्यों वाले ग्राहक एडीबी से साधारण कारपोरेट वित्त[1], कार्य पूंजी या इक्विटी वित्त प्रबंध की मांग करते हों तो कर्जदार/ग्राहक अपनी वर्तमान ईएसएमएस, कंपनी के गत और वर्तमान कार्य निष्पादन की एडीबी की सुरक्षा नीति कथन के उद्देश्यों, सिद्धांतों और अपेक्षाओं के हिसाब से कारपोरेट जांच करने के लिए योग्य तथा अनुभवी विशेषज्ञों को कमीशन देगा। ऑडिट में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(i) ग्राहक की अपने व्यापार और कार्यों विशेष कर सुरक्षा अपेक्षाओं 1–3 में निर्धारित मुद्दों के सभी प्रासंगिक सामाजिक तथा पर्यावरणीय जोखिम और प्रभावों का प्रबंधन करने और उनका समाधान करने की क्षमता का मूल्यांकन;

(ii) जहां परियोजनाएं चलती हैं वहां प्रचलित कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने की ग्राहक का अनुपालन रिकार्ड, जिसका ताल्लुक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मेजबाज देश के दायित्वों पर लागू होने वाले कानूनों सहित पर्यावरण तथा सामाजिक मामलों से होता है; और

(iii) कंपनी के मुख्य स्टेकहोल्ड्र्स समूह की पहचान तथा वर्तमान स्टेकहोल्ड्र्स व्यवसाय कार्य।

18. कारपोरेट ऑडिट के यथार्थ दायरे पर एडीबी के साथ मामला–दर–मामला आधार पर सहमति होगी।

19. सुधारात्मक कार्य योजना में कारपोरेट ऑडिट के दौरान निर्धारित किसी भी मुद्दे का एडीबी के सुरक्षा नीति कथन के उद्देश्यों, सिद्धांतों और अपेक्षाओं का उचित समय सीमा के भीतर अनुपालन करवाने के लिए समयबद्ध उपायों का उल्लेख करते हुए समाधान किया जाएगा। इस कार्य योजना का ग्राहक के कारपोरेट ईएसएमएस में समावेश किया जाएगा।

20. यदि निवेश में वर्तमान सुविधाओं का पुनर्वास, आधुनिकीकरण या विस्तार शामिल हो तो पैरा 12 में उल्लिखित वर्तमान कार्यों के लिए अपेक्षाएं लागू होंगी।

[1] इन अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए साधारण कारपोरेट वित्त का अर्थ किसी कारपोरेट संस्था को दिए गए ऋण तथा/अथवा में किए गए निवेश से है, जो विशेष सबपरियोजना को कार्यान्वित करने के लिए चिह्नित नहीं है। विशेष सबपरियोजना के कार्यान्वयन से जुड़े कारपोरेट वित्त के लिए ईएसएमएस की स्थापना और संचालन के अलावा सुरक्षा अपेक्षा 1–3 लागू होंगी।

# पर्यावरणी संघात तथा समीक्षा फ्रेमवर्क की रूपरेखा

## क. प्रस्तावना

इस खंड में परियोजना, उसकी उपपरियोजनाओं तथा/अथवा उसके घटकों का उल्लेख है और यह स्पष्टीकरण किया गया है कि कुछ उपपरियोजनाओं तथा/अथवा घटकों की पर्यावरणीय मूल्यांकन और योजनाएं अनुमोदन से पहले क्यों नहीं तैयार की जा सकतीं।

## ख. कानूनी फ्रेमवर्क तथा संस्थागत क्षमता का मूल्यांकन

इस खंड में लागू अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों सहित पर्यावरणीय मूल्यांकन तथा प्रबंधन से संबंधित प्रचलित राष्ट्रीय तथा स्थानीय कानूनों और मानकों की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया जाता है। इस खंड में उपपरियोजनाओं तथा/अथवा घटकों की तैयार और कार्यान्वयन पर लागू होने वाले उद्देश्यों और प्रासंगिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया जाता है। इस खंड में राष्ट्रीय कानूनों और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की अपेक्षाओं को लागू करने में कर्जदार/ग्राहक की संस्थागत क्षमता की पर्याप्तता का भी मूल्यांकन किया जाता है और क्षमता विकास आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है।

## ग. प्रत्याशित पर्यावरणीय संघात

इस खंड में सहायता दी जाने वाली परियोजना कार्यों तथा पर्यावरण पर उनके प्रत्याशित प्रभाव से संबंधित सूचनाओं का उल्लेख होता है।

## घ. उपपरियोजनाओं तथा/अथवा घटकों के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन

इस खंड में उप परियोजनाओं तथा/अथवा घटकों के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन और नियोजन तैयार करने के लिए एक योजना का उल्लेख है जिसमें निम्नलिखित अपेक्षाएं और सारणियां शामिल हों (i) जांच और वर्गीकरण; और (ii) पर्यावरणीय मूल्यांकन और पर्यावरणीय प्रबंध योजनाएं तैयार करना (परिशिष्ट 1 का अनुलग्नक देखें)। इस खंड में उपपरियोजनाओं के चयन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पर्यावरणीय मापदंड का भी उल्लेख हो सकता है, उदाहरण के लिए, खरीदने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों या नकारात्मक सूचियों में से नाम हटाना।

## ड. परामर्श, सूचना प्रकटीकरण और शिकायत निवारण तंत्र

इस खंड में परियोजना की तैयारी और कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित लोगों के साथ सार्थक परामर्श सुनिश्चित करने के लिए एक फ्रेमवर्क की स्थापना की गई है। इसमें उपपरियोजनाओं के प्रकटीकरण सहित सूचना प्रकटीकरण प्रबंध, इस फ्रेमवर्क के तहत तैयार की गई जाने वाली ईआईए पर चर्चा की गई। इस खंड में शिकायतों के निवारण के लिए प्रबंधों पर भी चर्चा की गई।

## च. संसाधन प्रबंध तथा दायित्व

इस खंड में उपपरियोजनाओं तथा/अथवा घटकों की पर्यावरणीय मूल्यांकन रिपोर्टों को तैयार करने, प्रस्तुत करने, समीक्षा करने और मंजूरी प्रदान करने के संबंध में कर्जदार/ग्राहक, एडीबी तथा सरकारी एजेंसियों के दायित्वों और अधिकारों का उल्लेख किया गया। इस खंड में स्टाफ की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है और आवश्यकता के अनुसार क्षमता विकास प्रोग्राम की सिफारिश की जाती है। इसमें पर्यावरणीय मूल्यांकन को लागू करने तथा समीक्षा फ्रेमवर्क और बजट अपेक्षाओं के लिए लागत अनुमानों का भी उल्लेख होता है।

## छ. मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग

इस खंड में परियोजना के अनुरूप एडीबी को प्रस्तुत किए जाने वाले तंत्रों और रिपोर्ट सहित मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग प्रबंधों का स्पष्टीकरण किया जाता है।

# पुनर्वास फ्रेमवर्क की रूपरेखा

## क. प्रस्तावना

इस खंड में परियोजना, उपपरियोजनाओं, तथा/अथवा उसके घटकों और प्रस्तावित परियोजनाओं के तहत वित्त प्रदान किए जाने वाले उपपरियोजनाओं तथा/अथवा घटकों के परिणामस्वरूप किसी भी प्रत्याशित अस्वैच्छिक पुनर्वास का संक्षिप्त उल्लेख होता है; और स्पष्टीकरण किया जाता है कि परियोजना के मूल्यांकन से पहले कुछ उपपरियोजनाओं की पुनर्वास योजनाओं को क्यों तैयार नहीं किया जा सकता।

## ख. उद्देश्य, नीतिगत फ्रेमवर्क तथा अधिकार

इस खंड में :

(i) एशियाई विकास बैंक की नीतिगत अपेक्षाओं के अनुकूल पुनर्वास योजना की तैयारी और कार्यान्वयन पर लागू होने वाले सिद्धांतों और उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है; तथा राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों तथा सुरक्षा नीति कथन की तुलना की जाती है और उनमें पाए जाने वाली खामियों, यदि कोई हों, को पूरा करने के लिए उपायों का उल्लेख होता है;

(ii) उपपरियोजनाओं तथा/अथवा घटकों की जांच और चयन के लिए मापदंड का उल्लेख होता है, जिनमें अस्वैच्छिक पुनर्वास से बचने तथा रोकने के उपाय शामिल हैं;

(iii) प्रभावित व्यक्तियों की संख्या और भौतिक और आर्थिक दृष्टि से विस्थापित लोगों की संभावित श्रेणियों का अनुमान लगाया जाता है; और

(iv) तीन प्रकार के विस्थापित व्यक्तियों को परिभाषित करने के लिए पात्रता मापदंड का उल्लेख होता है।

## ग. सामाजिक–आर्थिक सूचनाएं

इस खंड में :

(i) सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षणों, जनगणनाओं, घाटे की माल सूचियों तथा भूमि के नुकसान के आकलनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली कार्य पद्धतियों का उल्लेख होता है;

(ii) प्रभावित संपत्तियों का मूल्य निर्धारित करने के तरीकों का स्पष्टीकरण किया जाता है; और

(iii) अर्जित संपत्तियों की प्रतिस्थापना लागत का निर्धारण करने के तरीकों का उल्लेख किया जाता है।

## घ. परामर्श, भागीदारी और डिसक्लोज़र

इस खंड में :

(i) प्रभावित लोगों के साथ सार्थक परामर्श करने और पुनर्वास योजाओं की तैयारी, कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग में उनकी सजग भागीदारी के लिए अपनाए जाने वाले तंत्र की रूपरेखा का वर्णन किया जाता है;

(ii) संस्थागत दायित्वों का उल्लेख होता है; और

(iii) डिसक्लोज़र प्रबंधकों का उल्लेख किया जाता है, जैसे प्रचारित की जाने वाली सूचना तथा प्रचार पद्धति।

## ड. मुआवजा, आय बहाली तथा पुनर्वास

इस खंड में :

(i) आय बहाली के लिए प्रस्तावित उपायों, जिनमें कमजोर परिवारों को अपने जीवन स्तर में सुधार करने में सहायता के लिए मुआवजा तथा विशेष उपाय शामिल हैं, का उल्लेख किया जाता है;
(ii) जमीन के बदले जमीन, यदि ऐसी योजना हो तो, मुहैया कराने के लिए उपायों का स्पष्टीकरण किया जाता है; और
(iii) मेजबान आबादी को मुहैया कराई जाने वाली सहायता का उल्लेख होता है।

## च. शिकायत निवारण तंत्र

इस खंड में स्थानीय स्तर पर शिकायत निवारण तंत्रों की स्थापना करने के उपायों पर चर्चा की जाती है; और तंत्र की संरचना, अधिकार क्षेत्रों, परामर्श प्रबंधों, रिकार्ड कीपिंग तथा सूचनाओं की प्रचार पद्धतियों की रूपरेखा दी जाती है।

## छ. संस्थागत प्रबंध तथा कार्यान्वयन

इस खंड में :

(i) संस्थागत क्षमता का व्यापक मूल्यांकन करने तथा पुनर्वास कार्यों को तैयार करने, कार्यान्वित करने और मॉनीटरिंग करने के लिए संसाधन क्षमता का उल्लेख किया जाता है तथा संस्थागत क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपाय (उनकी लागत सहित) किए जाते हैं;
(ii) अधिकार प्रदान करने के लिए संगठनात्मक प्रक्रिया का उल्लेख होता है; और
(iii) कार्यान्वयन प्रक्रिया का उल्लेख होता है जिसमें यह बताया जाता है कि पुनर्वास कार्यों की तैयारी, अनुमोदन और कार्यान्वयन परियोजना के सिविल कार्यों के ठेके देने और उनकी शुरूआत करने के साथ कैसे जोड़ा जाएगा।

## ज. बजट और वित्त प्रबंध

इस खंड में फंड के प्रवाह सहित प्रतीकात्मक बजट का प्रावधान होता है, आकस्मिक प्रबंधों सहित धनराशि के नियतन, मंजूरी और अदायगी के लिए फंड स्रोतों और दायित्वों की पहचान की जाती है।

## झ. मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग

इस खंड में पुनर्वास की आंतरिक और बाह्य मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन तय करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की पहचान की जाती है; तथा आंतरिक तथा बाह्य मॉनीटरिंग के लिए मॉनीटरिंग प्रतीकों का प्रावधान किया जाता है।

# देशज़ जन नियोजन फ्रेमवर्क की रूपरेखा

## क. प्रस्तावना

इस खंड में परियोजना, उसके उपपरियोजनाओं तथा/अथवा उसके घटकों का उल्लेख है और यह स्पष्टीकरण किया गया है कि कुछ उपपरियोजनाओं तथा/अथवा घटकों की देशज़ जन योजनाएं अनुमोदन से पहले क्यों नहीं तैयार की जा सकती।

## ख. उद्देयश्य तथा नीतिगत फ्रेमवर्क

इस खंड में :

(i) देशज जन योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन पर लागू होने वाले सिद्धांतों और उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है और यह दर्शाया जाता है कि एशियाई विकास बैंक की अपेक्षाओं के साथ कैसे मेल खाते हैं;
(ii) राष्ट्रीय कानूनों तथा विनियमनों और सुरक्षित नीति कथन की तुलना की जाती है तथा पाए जाने वाले अंतरालों, यदि कोई हों, को भरने के लिए उपायों का उल्लेख किया जाता है; और
(iii) घटकों, परियोजनाओं तथा/अथवा उपपरियोजनाओं की जांच और चयन के मापदंडों का उल्लेख किया जाता है।

## ग. प्रभावित देशज़ लोगों की पहचान

इस खंड में :

(i) यह उल्लेख किया जाता है कि जिन लोगों को देशज़ जन माना जाता है उन समूहों की पहचान करने के लिए एडीबी के एसपीएस के मापदंड को परियोजना में कैसे लागू किया जाएगा;
(ii) उन देशज़ लोगों से संबंधित सूचनाएं मुहैया कराई जाती हैं जिनके परियोजना या उपपरियोजना से प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना हो; और
(iii) देशज़ लोगों पर परियोजना या उपपरियोजनाओं के संभावित सकारात्मक और प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख होता है।

## घ. उपपरियोजनाओं तथा/अथवा घटकों के लिए सामाजिक संघात मूल्यांकन और आईपीपी

इस खंड में उपपरियोजनाओं तथा/अथवा घटकों के लिए सामाजिक संघात मूल्यांकन करवाने की योजना का उल्लेख है (परिशिष्ट 3 के अनुलग्नक का खंड 'ग' देखें) तथा आईपीपी की (i) जांच और वर्गीकरण; और (ii) तैयारी के लिए जुड़ी अपेक्षाओं तथा अनुसूचियों का उल्लेख होता है।

## ड. परामर्श और भागीदारी

इस खंड में उपपरियोजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन की प्रत्येक अवस्था में प्रभावित लोगों के साथ के दौरान सार्थक परामर्श सुनिश्चित करने के लिए तंत्रों और रणनीति का उल्लेख किया गया है। जिन परियोजना कार्यों के लिए व्यापक सामुदायिक समर्थन की आवश्यकता होती है उनके लिए भी इस खंड में परामर्श प्रक्रिया के दस्तावेजीकरण के लिए तंत्र और प्रक्रिया का उल्लेख किया जाएगा ताकि प्रभावित देशज़ जन समुदायों का व्यापक समर्थन सुनिश्चित किया जा सके।

### च. डिसक्लोज़र

इस खंड में प्रभावित देशज़ लोगों और जनता दोनों के लिए प्रचारित किए जाने वाली सूचना तथा प्रचार पद्धति और स्वरूप जैसे प्रबंधों का स्पष्टीकरण किया जाता है।

### छ. शिकायत निवारण तंत्र

इस खंड में प्रभावित देशज़ लोगों के लिए सांस्कृतिक दृष्टि से समुचित लिंग–संवेदी शिकायत निवारण तंत्रों की स्थापना के उपायों पर चर्चा की जाती है।

### ज. संस्थागत तथा कार्यान्वयन प्रबंध

इस खंड में आईपीपी की तैयारी के लिए जांच तथा वर्गीकरण, सामाजिक संघात मूल्यांकन और मॉनीटरिंग के लिए, जहां आवश्यक हो, क्षमता निर्माण सहित संस्थागत प्रबंधकों का उल्लेख किया जाता है।

### झ. मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग प्रबंध

इस खंड में मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए तंत्र तथा उपलब्धियों का निर्धारण करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की पहचान की जाती है।

### ञ. बजट और वित्त प्रबंधन

इस खंड में प्रतीकात्मक बजट का प्रावधान किया जाता है तथा आकस्मिक प्रबंधों सहित धनराशि के नियतन, मंजूरी और अदायगी के लिए फंड स्रोतों और दायित्वों की पहचान की जाती है।

# एडीबी प्रतिबंधित निवेश कार्यों की सूची

निम्नलिखित कार्य एशियाई विकास बैंक के वित्त प्रबंधन के लिए पात्र नहीं हैं :

(i) ऐसे उत्पादन या कार्य जिनमें बलात श्रम[1] या बाल श्रम[2] का हानिकारक या शोषक स्वरूप शामिल हो;

(ii) मेजबान देश के कानून या विनियमों या अंतर्राष्ट्रीय न्यायाचारों या समझौतों के तहत या अंतर्राष्ट्रीय निषिद्ध अथवा प्रतिबंधों के अनुसार (क) फार्मास्यूटिकल्स[3], कीटनाशकों तथा शाकनाशकों[4], (ख) ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों[5], (ग) पोलिक्लोरीनेटिड बाईफिनाइल्स[6] तथा अन्य खतरनाक रसायनों[7], (घ) वन्य जीव और वनस्पति की संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी न्यायाचार के तहत विनियमित वन्य जीवों या वनस्पतियों[8], और (ड.) कचरा या कचरा उत्पादों[9] का सीमा पार व्यापार के तहत गैरकानूनी समझे जाने वाले उत्पाद के उत्पादन या कार्यों में लेनदेन।

(iii) अर्ध–सैनिक बल साम्रगी सहित हथियारों और असलों का उत्पादन या व्यापार;

(iv) बीयर और शराब को छोड़कर अल्कोहलिक पेय पदार्थों[10] का उपादन या व्यापार;

(v) तम्बाकू का उत्पादन या व्यापार;[10]

(vi) सट्टेबाजी, जुआ खेलना तथा समकक्ष उद्योग;[10]

(vii) न्यूक्लियर रिएक्टरों और उसके घटकों सहित रेडिया एक्टिव सामग्री[11] का उत्पादन या व्यापार;

(viii) अगठित एसबेस्टोज़ फाइबर्स[12] का उत्पादन, व्यापार या प्रयोग;

(ix) प्राथमिक ऊष्णकटिबंधीय नमीयुक्त जंगलों या पुराने जंगलों में व्यापारिक लोगिंग कार्यों या लोगिंग उपकरणों की खरीद; और

(x) बड़ी संख्या में कमजोर तथा संरक्षित प्रजातियों के लिए नुकसानदायक बड़े पैमाने पर बेलापवर्ती जाल से मछली पकड़ने तथा बारीक जाली के नेट से मछली पकड़ने जैसी समुद्रीय और तटवर्तीय मछली पकड़ने के कार्य जो समुद्रीय जैवविविधता तथा पर्यावासों के लिए नुकसानदायक हैं।

---

[1] बलात श्रम का अर्थ उन सभी कार्यों तथा सेवाओं से है जो स्वैच्छिक रूप से नहीं किए जाते अर्थात् व्यक्तियों से बल या दंड के तहत करवाए जाते हैं।

[2] बाल श्रम का अर्थ ऐसे बच्चों को रोजगार पर रखने से है जिनकी आयु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के न्यायाचार संख्या 138 'न्यूनतम आयु न्यायाचार'' का उल्लंघन करते हुए मेजबान देश के बच्चों के रोजगार की सांविधिक न्यूनतम आयु से कम हो। (www.ilo.org)

[3] निषिद्ध या प्रतिबंधों के तहत आने वाले फार्मास्यूटिकल उत्पादों की सूची http://www.who.int पर उपलब्ध है।

[4] निषिद्ध या प्रतिबंधों के तहत आने वाले कीटनाशकों और शाकनाशकों की सूची http://www.pic.int पर उपलब्ध है।

[5] रसायनिक योगिकों, जो स्ट्रेटोस्फेरिक जोन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं जिसके फलस्वरूप बहुचर्चित ओजोन क्षेत्र पैदा होते हैं, की सूची मोंट्रियल प्रोटोकॉल में दी गई है, उसके साथ उत्पादन में कमी के लक्ष्य और निषिद्ध तारीखों का उल्लेख है। यह सूचना http://www.unep.org/ozone/montreal.shtml पर उपलब्ध है।

[6] अत्यंत खतरनाक रसायनों का समूह, पोलिकोलिक्लोरोनेटिड बाईफिनाइल्स 1950 से 1985 के बीच बनने वाले ऑयल से भरे विद्युत ट्रांसफार्मरों, कैपेसीटर्स या स्विच गियर्स में पाए जाता है।

[7] खतरनाक रसायनों की सूची http://www.pic.int पर उपलब्ध है।

[8] सूची पर http://www.cites.org उपलब्ध है।

[9] बसेल सम्मेलन द्वारा यथापरिभाषित देखें http://www.basel.int

[10] यह उन परियोजना प्रायोजकों पर लागू नहीं होता जो इन कार्यों में बहुत अधिक लिप्त नहीं हैं। अधिक लिप्त नहीं है इसका तात्पर्य है कि संबंधित कार्य परियोजना प्रायोजक के प्राथमिक कार्यों में सहायक है।

[11] यह चिकित्सा उपकरण, गुणवता (माप) नियंत्रण यंत्र, तथा कोई अन्य उपकरण जिसे एडीबी रेडियो एक्टिव का मामूली तथा पर्याप्त रूप से सुरक्षित स्रोत मानता है पर लागू नहीं होता।

[12] यह गठित एस्बसटॉस सीमेंट सीटों की खरीद और उपयोग पर लागू नहीं होता जहां एस्बसटॉस सीमेंट की मात्रा 20 प्रतिशत से कम होती है।

# पर्यावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए देश के सुरक्षा तंत्रों को मजबूत बनाना और उपयोग करना

## क. प्रस्तावना

1. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की सुरक्षा नीति सामाजिक तथा पर्यावरणीय स्थिरता परियोजनाओं और गरीबी कम करने के उद्देश्यों को हासिल करने का अभिन्न अंग है जो एडीबी के मुख्य विकास लक्ष्य हैं। एडीबी मानता है कि उसके विकासशील सदस्य देशों के पास सुरक्षा उपायों के लिए उनके अपने कानूनी फ्रेमवर्क, संस्थागत प्रबंध और प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं तथा सरकारों, परियोजना प्रायोजकों, निष्पादन एजेंसियों तथा अन्य स्टेकहोल्ड्र्स की क्षमता का विकास करना और रिकार्ड पर निगाह रखना ऐसी नीतियों तथा फ्रेमवर्क को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक है। एडीबी यह भी मानता है कि ऐसे कंट्री सेफगार्ड सिस्टम्स (सीएसएस) का आगे विकास करने से एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

## ख. शब्दावली और औचित्य

2. **परिभाषा :** कंट्री सेफगार्ड सिस्टम का तात्पर्य किसी देश के राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय या सैक्टरगत कार्यान्वयन संस्थानों और संबद्ध कानूनों, नियमों तथा प्रक्रियाओं से बना हुआ कोई कानूनी या संस्थागत फ्रेमवर्क जिसका संबंध पर्यावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा[1] के नीतिगत के क्षेत्रों से हो।

3. **औचित्य :** एडीबी तथा अन्य विकास एजेंसियों दोनों के प्रचालन अनुभव, मूल्यांकनों और अध्ययनों से ज्ञात होता है कि विकास एजेंसी की सुरक्षा संबंधी नीतियों की प्रभावशीलता मुख्यतः उस डिग्री पर निर्भर करती है जहां तक सुरक्षा नीति सिद्धांत और अपेक्षाएं विकासशील सदस्य देशों की निर्णय प्रक्रिया के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आर्थिक संदर्भ में कितनी गहरी जड़े जमाए हुए हैं। उनसे यह भी पता चलता है कि विकास एजेंसियों को यदि विकासशील सदस्य देशों के विधायी फ्रेमवर्क, नीतियों और संस्थानों, जो पहले से लागू हैं, को मजबूत बनाने के प्रयासों का समर्थन मिले और उनके साथ प्रत्यक्ष रूप से अधिक कार्य करें तो अपनी विकास सहायता के प्रभावों में वृद्धि कर सकती है।

4. गत दशक में कई विकासशील सदस्य देशों ने पर्यावरणीय मूल्यांकन, अस्वैच्छिक पुनर्वास तथा देशज़ लोगों से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों, कानूनों तथा कार्यपद्धतियों में सुधार किया है तथा/अथवा नई नीतियां अंगीकृत की है। कुछ विकासशील सदस्य देशों में कानूनी फ्रेमवर्क और प्रक्रियाएं एडीबी के सुरक्षा सिद्धांतों और अपेक्षाओं के समकक्ष हो सकती हैं। अन्य विकासशील सदस्य देशों में कानूनी फ्रेमवर्क और संस्थागत क्षमताएं कमजोर हैं और उनमें काफी सुधार तथा क्षमता विकास प्रयास की आवश्यकता है। सीएसएस को मजबूत बनाने और उपयोग करने के लिए विकासशील सदस्य देशों के साथ साझेदारी स्थापित करने से उनकी सुरक्षा के स्वामित्व और विकास प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। समुचित क्षमता विकास उपायों का सहारा मिलने से सीएसएस के प्रयोग के चलते परियोजना कार्यान्वयन की गुणवत्ता और समायोचितता में सुधार होने से जोखिम में कमी आ सकती है।

5. प्रचालन मूल्यांकन विभाग द्वारा एडीबी की तीन सुरक्षा नीतियों के विशेष मूल्यांकन अध्ययनों से पता चला है कि एडीबी की सुरक्षा नीतियों और कार्यान्वयन पद्धतियों में सभी के लिए समान अवधारणा (वन–साइज़–फिट्स–ऑल एप्रोच) का पालन किया जाता है तथा विकासशील सदस्यों देशों की विभिन्न कानूनी तथा संस्थागत फ्रेमवर्क, कार्यान्वयन क्षमताओं और ट्रैक रिकार्ड्स के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। विभाग ने सिफारिश की थी कि पर्यावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए सीएसएस की क्षमता में वृद्धि करने और उन पर निर्भरता बढ़ाने की रणनीतिक अवधारणा तैयार करने के अवसरों को अपडेट किया जाए।

[1] यह परिभाषा विश्व बैंक की पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा के लिए कंट्री सिस्टम्स की परिभाषा से कमोबेश मेल खाती है।

6. विश्व बैंक तथा इंटर–अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक सीएसएस[2] का प्रयोग करने की दिशा में पहले ही प्रयास कर चुके हैं। सीएसएस का आकलन करने के लिए एडीबी की रणनीतिक अवधारणा और पद्धति का विकास होने से उसके विकास साझेदारों के साथ सामंजस्य स्थापित करने, निवेश सेवाओं में सुधार करने के लिए कार्य पद्धतियों को सरल बनाने और तेजी लाने तथा लेनदेन लागत में कमी करने में मदद मिलेगी क्योंकि कर्जदारों/ग्राहकों को परियोजना के लिए सामानांतर प्रक्रियाएं चलाने या दोहरे कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

7. **सीएसएस के मूल्यांकन और प्रयोग के साथ एडीबी का अनुभव :** एडीबी विकासशील सदस्य देशों की कानूनी अपेक्षाओं और संस्थागत क्षमता को कठोर ढंग से नहीं बल्कि परियोजना प्रोसेसिंग के संदर्भ में मूल्यांकन करता रहा है। उदाहरण के लिए, सामान्य परियोजना तैयार करना तथा समीक्षा प्रक्रियाएं। एडीबी विकासशील सदस्य देशों और एडीबी की सुरक्षा अपेक्षाओं के बीच व्याप्त अंतरालों की पहचान करने तथा सामाजिक तथा पर्यावरणीय योजनाएं, प्रारूप ऋण समझौते तैयार करने और लक्षित क्षमता निर्माण उपाय तैयार करने के लिए निष्पादन एजेंसियों की कार्यान्वयन क्षमताओं का मूल्यांकन करता हैं। तथापि, ऐसे मूल्यांकन सामान्यतः प्रोजेक्ट स्तर तक ही सीमित होते हैं और उनमें प्रायः सीएसएस का व्यवस्थित तथा गहन विश्लेषण का अभाव होता है।

8. हालांकि, परियोजना स्तर पर इस अवधारणा से विकासशील सदस्य देशों और एडीबी के लिए उपयोगी अनुभव प्राप्त हो सकते हैं लेकिन इसका संचालन अनौपचारिक तथा असंगत ढंग से किया गया है। जिन क्षेत्रों में विकासशील सदस्य देशों में तेजी से अपने स्वयं के पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा तंत्र स्थापित किए हैं तथा उन्हें अधिक मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं, वहां की वर्तमान गतिविधियों का जवाब देने के लिए एडीबी को सीएसएस का मूल्यांकन करने और सीएसएस को मजबूत बनाने और उसका अधिक व्यवस्थित रूप से प्रयोग करने के लिए एक रणनीतिक अवधारणा तैयार करने के लिए सशक्त और पारदर्शी पद्धतियां तैयार करनी होगी।

## ग. एडीबी सहायता प्रदत्त कार्यों में सीएसएस को मजबूत बनाने और उपयोग करने के लिए समग्र अवधारणा

9. एडीबी विकासशील सदस्य देशों की सीएसएस को मजबूत बनाने और उसका प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने के प्रति वचनबद्ध है इसका ध्यान कर्जदारों की क्षमता विकास पर केंद्रित है। साथ ही एडीबी को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि एडीबी परियोजनाओं में सीएसएस के प्रयोग से एडीबी के नीतिगत उद्देश्यों और सिद्धांतों को प्राप्त करने में कोई कमी न आए। सामाजिक तथा पर्यावरणीय संघातों की पहचान और प्रबंधन तथा राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय, सेक्टर या एजेंसी स्तर पर एडीबी सहायता प्रदत्त परियोजनाओं के साथ जुड़े जोखिमों की पहचाान करने के लिए एडीबी कर्जदार की सीएसएस का प्रयोग करने पर विचार कर सकता है बशर्ते कि (i) सीएसएस एडीबी के सीएसएस के समकक्ष हो; तथा (ii) कर्जदार में प्रचलित कानूनों, विनियमों, नियम तथा कार्य पद्धतियों को लागू करने की स्वीकार्य क्षमता और वचनबद्धता हो।

**10. समता और स्वीकार्यता :** समता और स्वीकार्यता सीएसएस के प्रयोग के बारे में निर्णय करने की दो पूर्व शर्तें हैं। एडीबी उस ग्राहक की सीएसएस को एडीबी की सीएसएस के समतुल्य मानेगा बशर्ते कि ग्राहक का तंत्र एडीबी के सुरक्षा नीति कथन (पृष्ठ 16–18) में उल्लिखित नीतिगत दायरे, मूलक कारणों तथा लागू सिद्धांतों के अनुरूप उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा उनका अनुपालन करने के लिए डिजाइन किया गया हो। ग्राहक के तंत्र का उपयोग करने संबंधी निर्णय लेने से पहले एडीबी ग्राहक की कार्यान्वयन पद्धति, ट्रैक रिकार्ड और क्षमता की स्वीकार्यता का भी मूल्यांकन करता है। निम्नलिखित मूल्यांकन अवधारणा को अपनाया जाएगा :

(i) **राष्ट्रीय/उपराष्ट्रीय/सेक्टर/एजेंसी स्तरीय मूल्यांकन :** एडीबी सीएसएस के मूल्यांकन और निर्धारण के लिए कर्जदार की राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय, सेक्टर या एजेंसी स्तर पर कार्यान्वयन क्षमता की समरूपकता का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है यदि मूल्यांकनों से पता चलता हो कि अंतराल का युक्ति संगत ढंग से समाधान करना संभव है

[2] 2004 में विश्व बैंक ने 14 देशों में 20 परियोजनाओं के लिए सीएसएस के प्रयोग पर एक दो वर्षीय प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किया था। दिसम्बर, 2007 में विश्व बैंक ने इस कार्यक्रम की मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की और उसे आगामी 3 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया। 2006 में इंटरअमेरिकन बैंक ने अपनी पर्यावरण तथा सुरक्षा अनुपालन नीति को मंजूरी दी जिसमें अंतर्देशीय प्रणालियों के प्रयोग पर विचार करने का प्रावधान है।

तो एडीबी और कर्जदार कार्य योजना में शामिल किए जाने वाले अंतराल निवारक उपायों पर सहमत हो सकते हैं। अन्य विकास साझेदारों द्वारा आवश्यकता के अनुसार अपडेट किए गए हाल के विश्लेषण कार्य और मूल्यांकनों का प्रयोग सीएसएस मूल्यांकनों के लिए किया जा सकता है। अन्य विकास साझेदारों के साथ संयुक्त मूल्यांकन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस चरण के दौरान एडीबी अपनी सहायता प्रदत्त किसी विशेष परियोजना पर सीएसएस को लागू करने पर विचार नहीं करेगा और एडीबी के सुरक्षा नीति कथन (एसपीएस) में उल्लिखित सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं लागू होंगी।

(ii) **परियोजना स्तरीय मूल्यांकन :** एक बार एडीबी जब यह निर्णय ले लेता है कि सीएसएस एडीबी के सीएसएस के समतुल्य है और ग्राहक की कार्यान्वयन पद्धति और क्षमता राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय, सेक्टर या एजेंसी स्तर पर स्वीकार्य है तो एजेंसी द्वारा प्रायोजित कंट्री, उप–क्षेत्र, सेक्टर या परियोजना में सीएसएस के प्रयोग पर विचार कर सकता है। प्रत्येक परियोजना के लिए एडीबी भी परियोजना में सीएसएस का वास्तविक रूप से प्रयोग प्रारंभ करने से पहले स्वीकार्यता मूल्यांकन (निष्पादक और कार्यान्वयन एजेंसियों की क्षमता, ट्रैक रिकार्ड तथा पद्धतियों सहित) करता है। यह मूल्यांकन परियोजना तैयार करते समय परियोजना डिजाइन के अंग के रूप में किया जाएगा। एडीबी ग्राहक को क्षमता निर्माण के लिए प्रोग्राम तैयार करने में और उसे आवश्यकता के अनुसार परियोजना डिजाइन में शामिल करने के लिए भी मदद देगा। स्वीकार्यता मूल्यांकन के परिणामों को एडीबी की रिपोर्ट में लेखबद्ध किया जाएगा और अध्यक्ष की सिफारिशों में दर्शाया जाएगा।

11. **सीएसएस को मजबूत बनाने के लिए अंतरालों को पाटना :** जहां कर्जदार को एडीबी के एसपीएस (पृष्ठ 16–18) में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति तथा लागू सिद्धांतों, नीतिगत दायरे/मूलक कारणों का अनुपालन करने के लिए अपने सीएसएस को मजबूत बनाना पड़ता है और ऐसा करने के प्रति वचनबद्ध होता है तो एडीबी समतुल्य का निर्धारण करते समय सीएसएस को मजबूत बनाने के उपायों को ध्यान में रख सकता है। इसी प्रकार, यदि कर्जदार को अपनी कार्यान्वयन पद्धति और क्षमता को मजबूत करना हो और सुरक्षा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध हो तो एडीबी स्वीकार्यता का निर्धारण करते समय कर्जदार की कार्यान्वयन क्षमता को मजबूत बनाने के उपायों को ध्यान में रख सकता है। ऐसे प्रयास कर्जदार द्वारा संगत परियोजना कार्यों का कार्यान्वयन करने से पहले किए जाएंगे और उनमें एडीबी समर्थित प्रयास शामिल होंगे। कर्जदार एडीबी तथा अन्य साझेदारों की सहायता से सहमति के अनुसार समय–सीमा में ऐसे उपायों सहित कार्य योजनाएं तैयार करेगा। समतुल्यता संबंधी कार्य योजना में इस बात पर बल दिया जाएगा कि कानूनी तथा नियामक फ्रेमवर्क में आवश्यक सुधार करते हुए एडीबी की सुरक्षा नीति उद्देश्यों, दायरे, मूलक कारणों और सिद्धांतों के साथ सीएसएस का तालमेल कैसे बिठाया जाए। क्षमता निर्माण संबंधी कार्य योजना में कर्जदार तथा प्रमुख संस्थानों से संबंधित विकास मुद्दों पर क्षमता निर्माण का समाधान किया जाएगा।

12. **सीएसएस के स्तर :** एडीबी राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय, सेक्टर या एजेंसी जैसे विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए सीएसएस को लागू करने पर विचार कर सकता है (i) विशेष सीएसएस, विकासशील सदस्यों देशों में एडीबी की कंट्री, सेक्टर या एजेंसी के संदर्भ में और प्रत्याशित कार्यों के संबंध में एडीबी के वर्तमान ज्ञान पर कर्जदार के साथ परिचर्चा और वार्तालाप; (ii) समतुल्यता और स्वीकार्यता के परिणाम; और (iii) अंतराल निवारक कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए कर्जदार की वचनबद्धता।

13. **सीएसएस के प्रयोग का दायरा :** चूंकि समतुल्यता और स्वीकार्यता विशेष सुरक्षा से ताल्लुक रखती हैं, देश, सेक्टर या एजेंसी सीएसएस मूल्यांकनों के परिणामों के आधार पर एक, दो या सभी तीनों सुरक्षा क्षेत्रों (पर्यावरणीय, अस्वैच्छिक पुनर्वास तथा देशज़ जन) के लिए सीएसएस अवधारणा की अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।

14. **डिसक्लोज़र तथा परामर्श :** जहां तक संभव, होगा सीएसएस को मजबूत बनाने और उपयोग करने संबंधी प्रस्ताव के साथ–साथ उसके क्षेत्राधिकार को कंट्री पार्टनरशिप रणनीति या कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी प्रोग्रेस रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा[3]। कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी को एडीबी की *सार्वजनिक संचार नीति* (2005) के अनुरूप प्रकट किया जाता है। सम्पन्न होने पर राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय क्षेत्र या एजेंसी स्तर पर प्रारूप समतुल्यता और स्वीकार्यता मूल्यांकन लेखबद्ध किए जाएंगे और

[3] उदाहरणस्वरूप – कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी, कंट्री ऑफ आपरेशन बिजनेस प्लांस तथा अंतरिम सुरक्षा रिपोर्टें।

सार्वजनिक टिप्पणी के लिए एडीबी की वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा। एडीबी सरकारों तथा एनजीओ सहित स्टेकहोल्ड्र्स से टिप्पणी या प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अंतर्देशीय परामर्श कार्यशालाएं आयोजित करेगा। अंतिम समतुल्यता और स्वीकार्यता रिपोर्टें पूरी होने पर एडीबी की वेबसाइट पर लगाई जाएंगी। सीएसएस में परिवर्तनों, यदि कोई हों, को दर्शाने के लिए अपडेट किए गए मूल्यांकन को पूरा होने पर एडीबी की वेबसाइट पर भी प्रकट किया जाएगा। परियोजना तैयार करने के लिए परियोजना स्तर पर अपनाए गए स्वीकार्यता संबंधी मुद्दे सामान्य सुरक्षा डिसक्लोज़र तथा परामर्श प्रक्रिया का तत्व होगा।

15. **सीएसएस के अपवाद :** अत्यंत जटिल तथा संवेदनशील परियोजना पर सीएसएस लागू नहीं होता। इस प्रकार की परियोजना पर एडीबी की सामान्य परियोजना प्रोसेसिंग अपेक्षाओं के तहत विचार किया जाएगा।

16. **चरणबद्ध अवधारणा :** सीएसएस के प्रयोग में नीति के लागू होने के बाद प्रथम तीन वर्षों के दौरान उपराष्ट्रीय, सेक्टर या एजेंसी स्तर पर फोकस वाले देशों की सीमित संख्या को शामिल किया जाएगा। नीति के लागू होने के 3 वर्षों बाद प्रारंभ किए गए सीएसएस के उपयोग की प्रभावशीलता की अंतरिम समीक्षा की जाएगी।

17. **सीएसएस में परिवर्तन :** यदि सीएसएस के उपयोग के दौरान लागू कानूनों, विनियमनों, नियमों या कार्य पद्धतियों में कोई परिवर्तन होते हैं तो एडीबी उन परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है तथा ग्राहक के साथ उन पर चर्चा करता है। यदि एडीबी की राय में इन परिवर्तनों से सीएसएस में अधिक सुधार दिखाई देते हों और यदि ग्राहक उसके लिए अनुरोध करे तो एडीबी (i) इन सुधारों को दर्शाने तथा आवश्यकता के अनुसार कानूनी समझौते में संशोधन करने के लिए कानूनी समझौते में संशोधन करने; और (ii) समतुल्यता और स्वीकार्यता मूल्यांकनों को अपडेट करने पर सहमत हो सकता है। प्रबंधन ऐसे समझौतों में होने वाले परिवर्तनों को लेखबद्ध करता है, उनका स्पष्टीकरण करता है और औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुमोदन हेतु बोर्ड को प्रस्तुत करता है (सामान्यतः अनापत्ति आधार पर)। यदि कर्जदार और एडीबी के बीच सम्पन्न कानूनी समझौते से असंगत ढंग में सीएसएस में बदलाव किया जाता है तो एडीबी के संविदात्मक उपाय लागू होंगे।

## घ. एडीबी का दायित्व और जवाबदेही

18. **समतुल्यता तथा स्वीकार्यता मूल्यांकन** एडीबी सीएसएस की समतुल्यता का मूल्यांकन और निर्धारण तथा कर्जदार की कार्यान्वयन पद्धति और क्षमता की स्वीकार्यता के लिए जिम्मेदार होगा। एडीबी निम्नलिखित कार्य करेगा :

(i) सीएसएस की समतुल्यता का एडीबी की सुरक्षा नीति, उद्देश्यों, दायरे, मूलक कारणों और सिद्धांतों तथा कर्जदार की कार्यान्वयन पद्धति तथा क्षमता की स्वीकार्यता का मूल्यांकन करना (जिसमें कर्जदार के सहयोग से सीएसएस को मजबूत बनाने के लिए अपेक्षित उपायों और कार्यों की पहचान करना शामिल है)।

(ii) मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर कर्जदार की कार्य योजना तैयार करना और सीएसएस का इस्तेमाल करने के लिए कार्य योजना के प्रावधानों को कानूनी समझौतों में समाहित करना। कानूनी समझौते की वजह से एडीबी को सीएसएस के प्रयोग को निलंबित करने तथा अपने स्वयं के सीएसएस का प्रयोग करने की सुविधा मिलेगी बशर्ते कि कर्जदार कार्य योजना को लागू करना बंद कर दे।

(iii) विकासशील देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर स्टेकहोल्ड्र्स के साथ परामर्श करना तथा समतुल्यता मूल्यांकनों के निष्कर्ष को परिमाणित करना और कार्य योजना में उल्लिखित प्रस्तावित उपायों पर सहमति जुटाना।

(iv) प्रोग्राम ऋण तथा तकनीकी सहायता द्वारा कार्य योजना विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराना और कार्य योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना।

19. **परियोजना स्तर के दस्तावेजों की समीक्षा और पर्यवेक्षण :** सीएसएस का प्रयोग करने से प्रस्तावित परियोजना के बोर्ड द्वारा अनुमोदन से पहले सुरक्षा समीक्षा में एडीबी के दायित्व की आवश्यकता नहीं रहेगी। अंतर केवल इतना है कि समीक्षा सीएसएस के तहत और कार्य योजना पर हुए समझौते के अनुसार अपेक्षाओं पर आधारित होगी। बोर्ड द्वारा सीएसएस के प्रयोग

वाली परियोजना का अनुमोदन करने के बाद एडीबी के पर्यवेक्षण में किसी अन्य निवेश परियोजना के लिए निर्धारित कार्य पद्धतियों का ही अनुसरण किया जाएगा।

20 **जवाबदेही तंत्र :** सीएसएस के प्रयोग की बदौलत एडीबी के विशेष परियोजना सूत्रधार कार्यालय और अनुपालन समीक्षा पेनल की भूमिका एडीबी के विशेष परियोजना सूत्रधार के कार्यालय सहित एडीबी के जवाबदेही तंत्र की भूमिका तथा कार्य में कोई बदलाव नहीं आएगा। किसी दावे की स्थिति में अनुपालन समीक्षा पेनल एडीबी के नीतिगत दायरे, मूलक कारणों तथा लागू सिद्धांतों और सीएसएस के बीच एसपीएस के उद्देश्यों तथा एडीबी के परियोजना पर्यवेक्षण को प्राप्त करने में समतुल्यता का एडीबी मूल्यांकन कर सकता है। सीएसएस का इस्तेमाल करने से एडीबी के स्वतंत्र मूल्यांकन विभाग की भूमिका में कोई बदलाव नहीं आएगा।

## ड. कर्जदार का दायित्व

21. **सीएसएस मूल्यांकन तथा कार्य योजना का निर्माण :** कर्जदार समतुल्यता और स्वीकार्यता मूल्यांकनों का समर्थन करेगा और उनमें भाग लेगा। कर्जदार/ग्राहक :

(i) एडीबी की मूल्यांकन टीम के साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेज, डाटा और जानकारी के आदान–प्रदान को सुगम बनाएगा और आवश्यकता के अनुसार सेमीनार तथा/अथवा कार्यशालाओं का आयोजन करेगा;
(ii) मूल्यांकनों के निष्कर्षों पर विचार करने और उन्हें परिमाणित करने के लिए स्टेकहोल्ड्र्स के साथ परामर्श आयोजित करेगा; और
(iii) आवश्यक परिवर्तनों का समाधान करने के लिए उपाय सुझाते हुए कार्य योजनाएं बनाएगा।

22. **कार्यान्वयन** कर्जदार कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन सहित एडीबी के मूल्यांकन के अनुसार समतुल्यता हासिल करने और स्वीकार्य कार्यान्वयन पद्धतियां, ट्रैक रिकार्ड तथा क्षमता विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। सीएसएस के प्रयोग वाली प्रत्येक परियोजना के लिए कर्जदार सीएसएस के उन प्रावधानों की पहचान कर सकता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि इस एसपीएस में उल्लिखित नीतिगत सिद्धांतों का पालन किया जाता है। सीएसएस की संरचना तथा कार्यों की श्रेणी के आधार पर यह प्रावधान परियोजना–दर–परियोजना अलग अलग हो सकते हैं। सभी मामलों में यह प्रावधान तथा कोई अन्य प्रावधान जो कर्जदार को समतुल्यता और स्वीकार्य कार्यान्वयन प्राप्त करने के लिए पूरे करने होते हैं, एडीबी के सामान्य संविदात्मक उपायों के संविदात्मक दायित्व का हिस्सा बन जाते हैं।

## च. संसाधनों के निहितार्थ

23. हालांकि सीएसएस को मजबूत बनाने और उपयोग करने में शामिल सभी प्रक्रियाओं में बहुत संसाधनों की आवश्यकता होती है[4], राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय या सेक्टर स्तरीय मूल्यांकनों तथा परियोजना को तैयार करने के दौरान मध्यम तथा दीर्घकाल में लागत में कमी होने की संभावना रहती है। इसका कारण यह है कि लंबे समय में समतुल्यता और स्वीकार्यता मूल्यांकनों में वृद्धि होने की संभावना रहती है। एडीबी परियोजनाओं में सीएसएस का प्रयोग करने से (i) मूल्यांकन के बाद किए जाने वाले परामर्श सहित समतुल्यता और स्वीकार्यता मूल्यांकन करने; (ii) सीएसएस को मजबूत बनाने के लिए किए जाने वाले मध्यम से दीर्घकालिक क्षमता विकास कार्य; (iii) एडीबी स्टाफ को प्रशिक्षण; तथा (iv) सीएसएस पोर्टफोलियो का मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण पर होने वाला खर्चा शामिल होगा।

24. मध्यावधि में, सीएसएस के साथ वृद्धिशील लागत जुड़ी होगी। मांग के आधार पर सीएसएस के समतुल्यता मूल्यांकन कराने के लिए प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यावसायिक स्टाफ सप्ताह की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें प्रत्येक समतुल्यता मूल्यांकन के लिए

[4] विश्व बैंक के अनुभव से पता चलता है कि मूल्यांकन और पब्लिक परामर्श करने तथा मूल्यांकन रिपोर्टें तैयार करने में कर्मचारियों की अधिक सहायता तथा परामर्शदाताओं के समय की आवश्यकता होती है।

5 से 12 स्टाफ सप्ताह और स्वीकार्यता मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त स्टाफ सप्ताहों की आवश्यकता शामिल की जा सकती है। संसाधनों की आवश्यकता में संभावित वृद्धि को आवश्यकता के आधार पर कर्मचारियों का परामर्श लेकर आंशिक रूप से पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा, सीएसएस के लिए कार्य पद्धतियां विकसित और लागू करने में विश्व बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और इस क्षेत्र में संयुक्त कार्य में रूचि ले रहा है। विश्व बैंक जैसे कार्यकारी साझेदार संस्थानों से भी प्रभावशीलता में सुधार होगा और अतिरिक्त संसाधन कार्य क्षमता सुनिश्चित होगी।

## अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों का अनुभव

1. गत लगभग 5 वर्षों में कई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों ने अपनी पर्यावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा नीतियों में संशोधन या सुधार किए गए हैं। नीति में संशोधन के औचित्य, अवधारणा और परिणामों की एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की सुरक्षा नीति अपडेट (एसपीयू) में समीक्षा की गई है। विश्व बैंक तथा उसके निजी क्षेत्र के ऋण सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के अनुभव तथा यूरोपीयन बैंक फॉर रिकंस्ट्रेक्शन एंड डेवलपमेंट (ईबीआरडी) तथा इक्विटर प्रिंसीपल्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अनुभवों पर नीचे चर्चा की गई है।

### क. विश्व बैंक

2. विश्व बैंक की 10 पर्यावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा नीतियां[1] और सीएसएस का प्रयोग करने के लिए एक पृथक नीतिगत फ्रेमवर्क है। इन नीतियों के अनुपूरक में एक सूचना प्रकटीकरण नीति (2002) है, जिसमें सुरक्षा नियोजन दस्तावेजों के प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं का उल्लेख है।

3. विश्व बैंक ने 1998 में अपनी देशज़ जन नीति को अपडेट किया तथा इसी प्रक्रिया में नीति को स्पष्ट, सरल और मजबूत बनाते हुए उसे अधिक लचीला बनाया। देशज़ लोगों से संबंधित संशोधित प्रचालन नीति (2005) में (i) सामाजिक संघात मूल्यांकन, जांच तथा दायरे से जुड़ी कुछ अस्पष्टताओं का स्पष्टीकरण किया; (ii) परियोजनाएं प्रोसेसिंग अपेक्षाओं को सरल बनाया; (iii) परियोजना के लिए वार्षिक निवेश कार्यक्रम और कई उप परियोजना तैयार करने और लागू करने की बजाय अनुपातकता और नियोजन फ्रेमवर्क का सिद्धांत प्रारंभ किया; और (iv) विश्व बैंक के लिए केवल उन्हीं प्रोजेक्ट के लिए वित्त व्यवस्था करना आवश्यक बनाया जिनमें निःशुल्क, पूर्व, उनके सांस्कृतिक संसाधनों और ज्ञान[2] के वाणिज्यिक विकास में सार्थक परामर्श के आधार पर प्रभावित लोगों का व्यापक जन समर्थन हो।

4. 2006 में विश्व बैंक ने अपनी भौतिक सांस्कृतिक संसाधन नीति को अपडेट किया। यह नीति में मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक विरासत स्थलों (पुरातत्व, पैलियोंटोलॉजिकल, इतिहास तथा दुलर्भ) और भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों के प्रबंध या संरक्षण को समर्थन देने के लिए तैयार की गई परियोजनाओं पर लागू होती है। इसमें प्रभावित समूहों, सरकारी प्राधिकरणों तथा गैर–सरकारी संगठनों के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

5. जब उपर्युक्त नीतियों में अपडेशन किया गया तब विश्व बैंक ने अपने प्रचालनों में सीएसएस के प्रयोग का भी मूल्यांकन किया। विकास की प्रभावशीलता और सीएसएस के अधिक प्रयोग के बीच बदलते रिश्तों को मान्यता देते हुए विश्व बैंक ने पर्यावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा मुद्दों के समाधान में कर्जदार की प्रणालियों का अधिक उपयोग करने की संभावनाओं को उजागर किया। 2005 में इसके कार्यकारी निदेशक मंडल ने इस प्रयोजन के लिए एक–दो वर्षीय पायलट प्रोग्राम और उस पर लागू होने वाले नीतिगत फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। इस नीति में सीएसएस फ्रेमवर्क का मूल्यांकन करने तथा कर्जदार और विश्व बैंक की भूमिकाओं को परिभाषित करने, दस्तावेज तैयार करने तथा डिसक्लोज़र अपेक्षाओं के लिए एक अवधारणा का उल्लेख है। नीति में एक संयुक्त नीति कथन तथा एक तालिका दी गई है जिसमें विश्व बैंक की वर्तमान सुरक्षा नीतियों (ओपी 4.00, तालिका ए1), लिए गए आठ सुरक्षा क्षेत्रों, प्रत्येक क्षेत्र और कथित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यों तथा संबद्ध प्रचालन सिद्धांतों का उल्लेख है।

6. जनवरी, 2008 में विश्व बैंक ने अपने दो–वर्षीय पायलट प्रोग्राम का मूल्यांकन करते हुए एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार कर्जदार क्षमता में व्यवस्थित तथा स्थायी सुधार करने के लिए विश्व बैंक को पायलट प्रोग्राम में अपनाई गई

---

[1] 10 नीतियों का ताल्लुक (i) पर्यावरण मूल्यांकन (ओपी/बीपी 4.01), (ii) प्राकृतिक पर्यावास (ओपी/बीपी 4.04), (iii) कीट प्रबंधन (ओपी 4.09), (iv) अस्वैच्छिक पुनर्वास (ओपी/बीपी 4.12), (v) देशज़ लोग (ओपी/बीपी 4.10), (vi) वन (ओपी 4.36), (vii) भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों (ओपी 4.11), (viii) बांधों की सुरक्षा (ओपी/बीपी 4. 37), (ix) राष्ट्रीय जल मार्गों से संबंधित परियोजना (ओपी/बीपी 7.50), और (x) निवादास्पद क्षेत्रों की परियोजना (ओपी/बीपी 7.60) से है। अंतिम दो नीतियों का ताल्लुक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से है। अतः उन्हें पैरा 5 और 6 में विचार किए गए पायलट प्रोग्राम (ओपी 4.00) में शामिल नहीं किया गया था।

[2] विश्व बैंक की देशज़ लोगों की वेबसाइट http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTINDPEOPLE/0,,menuPK:407808~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:407802,00.html पर है।

परियोजना आधारित अवधारण से आगे निकलना होगा। रिपोर्ट में प्रस्ताव किया गया था कि कर्जदार तथा अन्य साझेदारों को व्यापक स्तर के सुरक्षा उपाय लागू करने में शामिल करने के लिए पहले को परियोजना स्तर से लेकर कंट्री लेबल तक बढ़ाया जाना चाहिए जिससे परियोजना लेबल पर जितना व्यवहारिक रूप से संभव है उससे कई अधिक अनवरत आधार पर कर्जदार की क्षमता में सुधार होगा। रिपोर्ट के अन्य मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार थे : (i) सीएसएस के प्रयोग से विश्व बैंक के नीतिगत उद्देश्यों विशेष तौर पर पर्यावरणीय तथा भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों को प्राप्त करने में मदद मिली है; (ii) प्राकृतिक पर्यावास, वनों, कीट प्रबंधन तथा बांधों की सुरक्षा के लिए सीएसएस के साथ अनुभव और अंतरालों को दूर करने संबंधी उपायों से उत्साहवर्धक स्थिति सामने आई है; (iii) तथापि अस्वैच्छिक पुनर्वास सुरक्षा के लिए विश्व बैंक तथा सीएसएस की अपेक्षाओं के बीच अंतर इतने गहरे हैं कि अधिकांश मामलों में विशेष परियोजनाओं द्वारा उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता; (iv) हालांकि देशज़ लोगों से संबंधित अपेक्षाओं को परखा नहीं गया है लेकिन कई देशों ने इस मुद्दे के लिए अपने नीतिगत तथा नीतिगत फ्रेमवर्क में सुधार किया है भले ही उन्होंने अस्वैच्छिक पुनर्वास के लिए ऐसा न किया हो; (v) विश्व बैंक ने पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए सीएसएस के बढ़ते हुए व्यापक प्रयोग को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबक लिए हैं लेकिन वे सब सबक विश्व बैंक लैंडिंग में ऐसे पूरे तंत्र को अपनाने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पाए हैं।

7. दीर्घकाल में विश्व बैंक आईएफसी तथा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) सुरक्षा नीतियों के उपयोग से प्राप्त शिक्षा का मूल्यांकन करने के बाद कुछ कार्यों के लिए सुरक्षा करने के लिए सिद्धांत आधारित अवधारणा के संभावित उपयोग के पृथक मूल्यांकन पर विचार कर रहा है।

8. संकटों और आपातकालीन परिस्थितियों (ओपी/बीपी 8.00) में शीघ्र प्रतिक्रिया देने की अपनी नीति को दर्शाने के लिए विश्व बैंक की पर्यावरण मूल्यांकन संबंधी प्रचालन नीति (ओपी 4.01) को मार्च, 2007 में अपडेट किया गया था।

## ख. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम

9. विश्व बैंक की नीति से 1998 में आईएफसी की सुरक्षा नीतियों को अंगीकृत किया गया था जिसमें इसके निजी क्षेत्र कार्यों को प्रदर्शित करते हुए रूपांतरण किया गया था। 2003 में आईएफसी ने अपने अनुपालन सलाहकार लोकपाल तथा आईएफसी के आंतरिक मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के परिणामों का अनुपालन करते हुए अपनी सुरक्षा नीतियों को अपडेट किया। इस अपडेशन के कई कारण थे (i) स्पष्ट, सरल तथा उपयोग करने में आसान अपेक्षाएं अपनाना; (ii) नीतिगत अंतरालों को पूरा करना; (iii) विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियों के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करते हुए निजी क्षेत्र पर विचार करने पर बल देना; और (iv) आईएफसी नीतियों में स्थायित्व की अवधारणा को समाहित करना

10. आईएफसी के नए स्थायित्व नीतिगत फ्रेमवर्क, जिसे 2006 में मंजूरी मिली थी, जिसमें आईएफसी तथा उसके ग्राहकों की जिम्मेदारियों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया था। निम्नलिखित से संबंधित नीतियों में आईएफसी अपेक्षाओं का उल्लेख किया गया है : (i) सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता, (ii) डिसक्लोज़र[3], और (iii) पर्यावरणीय तथा सामाजिक समीक्षा कार्य विधि। ग्राहकों के लिए अपेक्षाओं का कार्यनिष्पादन मानकों में उल्लेख किया गया है[4]। इसके अलावा, मार्गदर्शन टिप्पणियों (कार्यनिष्पादन के साथ संलग्न दस्तावेज) शब्दावली तथा पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और सुरक्षा निर्देशिकाओं[5] में आईएफसी ग्राहक और कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शन का प्रावधान है।

---

[3] आईएफसी डिसक्लोज़र नीति में यह अपेक्षा है कि पर्यावरणीय तथा सामाजिक समीक्षा सारांश को प्रकट करने के लिए श्रेणी क परियोजनाओं के लिए बोर्ड द्वारा विचार करने से अधिकतम 60 दिन पहले और श्रेणी बी परियोजना के लिए 30 दिन पहले आईएफसी समीक्षा निष्कर्ष और सिफारिशें प्रकट की जाएंगी। निष्पादक मानकों में आईएफसी ग्राहकों के लिए डिसक्लोज़र अपेक्षाओं का उल्लेख है। निष्पादक मानक 1 (सामाजिक तथा पर्यावरण मूल्यांकन प्रबंधन प्रणाली) में आईएफसी से अपेक्षा की गई है कि परियोजना का निर्माण प्रारंभ करने से पहले प्रतिकूल संघात वाली परियोजना के मूल्यांकन दस्तावेज प्रकट किए जाएं। पुनर्वास योजनाओं या पुनर्वास फ्रेमवर्क तथा देशज़ जन विकास योजनाओं या समुदायिक विकास योजनाओं के डिसक्लोज़र की समय–सीमा का संबद्ध निष्पादन मानकों में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

[4] आठ निष्पादन मानकों में निम्नलिखित शामिल हैं – (i) सामाजिक तथा पर्यावरण मूल्यांकन प्रबंधन प्रणाली; (ii) श्रम तथा कार्य परिस्थितियां; (iii) प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम; (iv) समुदाय स्वास्थ्य हिफाजत और सुरक्षा; (v) भूमि अधिग्रहण तथा अस्वैच्छिक पुनर्वास; (vi) जैवविविधता संरक्षण और स्थायी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन; (vii) देशज़ लोग; और (viii) सांस्कृतिक विरासत।

[5] देखें : http://www.ifc.org/ifcext/policyreview.nsf/Content/S_FAQs

11. नए नीतिगत फ्रेमवर्क में सामाजिक तथा पर्यावरण मूल्यांकन को पूरी तरह समाहित किया गया है; निःशुल्क पूर्व तथा सक्रिय परामर्श द्वारा समाज को जोड़ने की अवधारणा का प्रावधान है जिससे व्यापक सामुदायिक समर्थन मिलता है; तथा श्रम मानकों तथा कार्यकारी परिस्थिति नीति, और सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक नए कार्यनिष्पादन मानक को प्रारंभ किया गया है; तथा अन्य बातों के साथ–साथ ग्राहकों द्वारा सामाजिक और पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना और रखरखाव की अपेक्षा की गई है। पहले से चली आ रही है कीट प्रबंध, बांधों, वन तथा अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों की सुरक्षा जैसी एकाकी नीतियों को आठ नए कार्यनिष्पादन मानकों[6] में शामिल किया गया था। नवम्बर, 2007 में आईएफसी प्रबंध की ओर से बोर्ड को यह बताया जाना था कि आईएफसी के ग्राहकों की निष्पादन मानकों के प्रति क्या सोच है।

## ग. इंटरअमरेकन डेवलपमेंट बैंक

12. आईडीबी के सुरक्षा नीति फ्रेमवर्क का उसकी कई सेक्टरगत नीतियों में उल्लेख किया गया है जिनमें पर्यावरण तथा सुरक्षा अनुपालन (2006), आपदा जोखिम प्रबंधन (2007), देशज़ लोग (2006) तथा अस्वैच्छिक पुनर्वास (1998) शामिल हैं। डिसक्लोज़र अपेक्षाओं का सूचना डिसक्लोज़र नीति (2006) में उल्लेख किया गया है[7]।

13. पर्यावरण तथा सुरक्षा अनुपालन नीति जो पर्यावरण नीति (1979) का स्थान लेगी, में आईडीबी की पर्यावरण रणनीति (2003) को कार्यान्वित किया जाएगा। परिणामस्वरूप इसमें पर्यावरण, सरलीकरण तथा सुरक्षा[8] दोनों के नीतिगत निर्देश शामिल हैं। अन्य बातों के अलावा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशों में नाजुक प्राकृतिक पर्यावासों और सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा, खतरनाक सामग्री से बचाव तथा प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम जो शामिल किया गया है। इसके अलावा, अधिक सुरक्षा जोखिम कार्यों के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया में स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबद्ध मुद्दों का समाधाान किया गया है। सहवित्त प्रबंधन कार्यों के लिए नीति में एकल पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया तथा संयुक्त दस्तावेज अपनाने में कर्जदारों तथा अन्य ऋणदाताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। अंत में, अंतर्देशीय सुरक्षा तंत्रों के लिए नीति में विश्व बैंक के समान एक अवधारणा का उल्लेख किया गया है। कंट्री सिस्टम का तभी उपयोग किया जाएगा जब आईडीबी यह निर्णय कर ले कि कर्जदाता का तंत्र आईडीबी के तंत्र के समान या उससे बेहतर है। 2009 में आईडीबी प्रबंधन कंट्री सिस्टम के प्रयोग को लेकर अपने अनुभव की रिपोर्ट बोर्ड को भेजेगा[9]।

14. आपदा जोखिम प्रबंधन नीति (2007), जो प्राकृतिक तथा अप्रत्याशित आपदा नीति (1999) का स्थान लेगी, में (i) आपदाओं की रोकथाम और निवारण, और (ii) आपदा उपरांत जवाबी कार्रवाई के प्रति एक व्यापक अवधारणा की अपेक्षा की गई है। नई नीति में परियोजना टीम से सामाजिक पर्यावरण जांच तथा वर्गीकरण के जरिए परियोजनाओं से होने वाले प्राकृतिक नुकसान अथवा उनके संभावित जोखिम का पता लगाने; प्राकृतिक खतरों और अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं के प्राकृतिक जोखिम का आकलन करने; रोकथाम और निवारक उपायों का वैकल्पिक विश्लेषण करने; तथा परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन में समुचित ढ़ांचागत तथा गैरढांचागत निवारक उपायों को शामिल करने की अपेक्षा की गई है।

15. आईडीबी की देशज़ लोगों के विकास से संबंधित प्रचालन नीति तथा कार्य रणनीति (2006) में देशज़ लोगों के विकास और इन लोगों तथा इनके अधिकारों की विपरीत प्रभाव तथा आईडीबी द्वारा वित्तपोषित प्रोजेक्ट से वंजित करने की रक्षा करने का प्रयास किया गया है। इस नई अवधारणा में देशज़ लोगों पर आईडीबी परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों से बचने या उनका निवारण करने के आईडीबी के पूर्ववर्ती फोकस पर बल दिया गया है। संभावित प्रभाव और जोखिम वाली परियोजना में देशज़ लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आईडीबी में यह अपेक्षा की गई है कि परियोजना प्रस्तावक को प्रभावित देशज़ लोगों या समूहों के साथ सद्भावनापूर्वक वार्तालाप के जरिए परियोजना तथा निवारक उपायों के बारे में सहमति जुटानी पड़ेगी

---

[6] आईएफसी. 2005. *पर्फॉर्मेंस स्ट्रेंड्स. व्हाट इज़ न्यू एंड डिफ़रेंट*

[7] आईडीबी की डिसक्लोज़र नीति में प्रावधान है कि जिन कार्यों के लिए पर्यावरण संघात मूल्यांकन या अन्य संबद्ध पर्यावरणीय विश्लेषणों की आवश्यकता होती है, ये विश्लेषण कर्जदार देश और आईडीबी मुख्यालयों में सरकारी क्षेत्र के कर्जदारों के मामले में आईडीबी द्वारा विश्लेषण मिशन अथवा निजी क्षेत्र के कर्जदारों के मामले में ड्यू डिलिजेन्स मिशन पूरा करने से पहले जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। आवश्यकता के अनुसार आईडीबी पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रबंधन रिपोर्ट भी तैयार करता है जो कार्यकारी उपाध्यक्ष द्वारा ऋण या गारंटी प्रस्ताव को मंजूर करके कार्यकारी निदेशक मंडल के पास वितरण के लिए भेजने के समय तक जनता को उपलब्ध कराई जाती है।

[8] पर्यावरणीय सुरक्षा के तहत नीति में पर्यावणीय तथा सामाजिक संघातों जो संबद्ध सुविधाओं सहित प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रादेशिक संचयी आधार पर आधारित एकीकृत तथा वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। एडीबी एकल परियोजना वर्गीकरण प्रणाली को अपनाता है।

[9] आईडीबी. 2006. एन्वायरन्मेंट एंड सेफगार्ड्स कम्पलाइंस पॉलिसी. वाशिंगटन, डीसी।

और यह सत्यापित करना पड़ेगा कि उसने यह कार्य कर दिया है। देशज़ लोगों की नीति में देशज़ लोगों से उनकी अपवादात्मक प्रकृति तथा पूर्व परामर्श और सद्भावना वार्ता तंत्र को लागू करने की विशेष कमजोरी तथा असंभावना के मध्यनज़र देशज़ लोगों से संपर्क स्थापित न होने के मुद्दे का भी समाधान किया गया है। इसमें यह अपेक्षा की गई है कि आईडीबी केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिए पैसा देगा जो अज्ञात देशज़ जनों के अधिकारों का सम्मान करते हैं तथा अपनी संस्कृति के अनुसार स्वतन्त्र रूप से रहते हैं।

16. अस्वैच्छिक पुनर्वास नीति केवल आईडीबी परियोजना द्वारा किए गए अस्वैच्छिक भौतिक रूप से विस्थापित लोगों पर ही लागू होगी। नीति का उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विस्थापन की आवश्यकता को कम करके या बचाकर आजीविकाओं में विविधान को रोकना है और यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को तभी विस्थापित किया जाए जब उनके साथ समानता का व्यवहार हो और जहां तक संभव हो उन्हें उस परियोजना के लाभों में हिस्सा मिल सके जिससे उनका पुनर्वास करना पड़ रहा है। जहां देशज़ लोगों को विस्थापित किया जाएगा, एडीबी केवल उन कार्यों को तभी समर्थन देगा जब वह यह निर्णय कर ले कि पुनर्वास घटक से इन लोगों को अपनी पूर्व स्थिति के सापेक्ष प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होंगे, परम्परागत अधिकारों को पूर्ण मान्यता मिलेगी और उचित मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजे के विकल्पों को भूमि आधारित पुनर्वास में शामिल किया जाएगा तथा प्रभावित देशज़ लोगों ने पुनर्वास तथा मुआवजा उपायों को लेकर अपनी सजग सहमति प्रदान कर दी हो[10]।

## घ. यूरोपीयन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट

17. मई, 2008 में ईबीआरडी ने अपनी पर्यावरण तथा सामाजिक नीति को 10 कार्यनिष्पादक अपेक्षाओं के साथ अंगीकृत किया जो 2003 पर्यावरणीय नीति का स्थान लेगी और 12 नवम्बर, 2008 के बाद मूल्यांकित सभी नई परियोजनाओं पर लागू होगी। पर्यावरणीय तथा सामाजिक नीति में उल्लेख है कि 2003 की नीति में उल्लिखित रणनीतिक दिशानिर्देश अनवरत विकास के सामाजिक आयामों को अधिक ढांचागत और व्यापक ढंग से पूरा करेगी। सामाजिक आयामों का ताल्लुक (i) श्रम मानकों और कार्य परिस्थितियों; (ii) अस्वैच्छिक पुनर्वास; (iii) सामुदायिक स्वास्थ्य, रक्षा और सुरक्षा; (iv) देशज़ लोगों; और (v) सांस्कृति विरासत से है।

ईबीआरडी की नीति यूरोपीय पर्यावरणीय सिद्धांतों, जिस पर ईबीआरडी ने हस्ताक्षर किए हैं, के तहत ईबीआरडी के कार्य क्षेत्र तथा उसकी विशेषताओं तथा प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए आईएफसी अवधारणा पर आधारित है। तथापि, ईबीआरडी के पास दो अतिरिक्त कार्यनिष्पादक मानक हैं जो (i) वित्तीय मध्यस्थों के लिए; तथा (ii) सूचना प्रकटीकरण और स्टेकहोल्ड्र्स के साथ संबंध।

19. अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों की भांति, ईबीआरडी की एक सार्वजनिक सूचना नीति है। जिसे पर्यावरण तथा सामाजिक नीति के साथ 12 मई, 2008 को अपडेट और मंजूर किया गया था। नई सूचना नीति में उल्लेख है कि ईबीआरडी सूचनाओं को कैसे डिसक्लोज़ करता है तथा अपनी रणनीतियों, नीतियों तथा कार्यों के बारे में स्टेकहोल्ड्र्स को बेहतर जानकारी और समझ देने के लिए कैसे परामर्श देता है। साथ ही इस नीति में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई सूचनाओं को गोपनीय सूचनाओं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती, से अलग करने के लिए स्पष्ट विभाजन रेखा खींची गई है। सार्वजनिक नीति में पर्यावरण तथा सामाजिक संघात मूल्यांकन वाली डिसक्लोज़र अपेक्षाओं को शामिल किया गया है[11]।

## ड. इक्विटर प्रिंसिपल्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन

20. इक्विटर प्रिंसिपल्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वे संस्थाएं हैं जिन्होंने परियोजना वित्त प्रबंधन में पर्यावरणीय तथा

[10] आईडीबी. 1998 ऑपरेशनल पॉलिसी ऑन इन्वोलेंटरी रिसेटलमेंट. वांशिगटन, डीसी।

[11] ईबीआरडी श्रेणी "क" परियोजनाओं पर निजी क्षेत्र के परियोजनाओं के मामले में बोर्ड द्वारा परियोजनाओं पर विचार करने से कम से कम 60 दिन पहले तथा सरकारी सेक्टर के प्रोजेक्टस के मामले में बोर्ड द्वारा विचार करने से 120 दिन पहले पर्यावरणीय तथा सामाजिक संघात मूल्यांकन अपने बिजनेस इन्फारमेंशन सेंटर, लंदन तथा संबद्ध ईबीआरडी रेजीडेंस ऑफिस में उपलब्ध कराएगा।

सामाजिक जोखिमों का समाधान करने के लिए एक वित्तीय उद्योग फ्रेमवर्क, इक्विेटर प्रिंसिपल्स को अपनाया है। 2003 में विश्व के 10 अग्रणी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंगीकृत इक्विेटर प्रिंसिपल्स वैश्विक स्तर पर तथा सभी औद्योगिक क्षेत्रों में लागू की जाने वाले संयुक्त तथा सुसंगत पर्यावरणीय तथा सामाजिक नीतियों और दिशानिर्देशों को विकसित करने की बैंकों की इच्छा का ऑफसूट है। प्रत्येक वित्तीय संस्थान घोषणा करता है कि उसने इक्विेटर सिद्धांतों के अनुरूप नीतियां और व्यापारिक प्रतिक्रियाएं अपनाली हैं या अपनाएंगे। उनका वायदा है कि ऐसी परियोजनाओं में पैसा नहीं लगाएंगे जो अपनी सामाजिक तथा पर्यावरणीय अपेक्षाओं के अनुरूप न हों या उनका अनुपालन न कर सकती हों।

21. इक्विेटर सिद्धांतों में सामाजिक तथा पर्यावरणीय स्थिरता के लिए आईएफसी के निष्पादन मानकों को उजागर करने तथा उनके अनुरूप बनने, जिन पर मूल इक्विेटर प्रिंसिपल्स आधारित थे; तथा (ii) विभिन्न प्रकार के स्टेकहोल्ड्र्स से प्राप्त शिक्षा और टिप्पणियों को शामिल करने के लिए जुलाई, 2006 में संशोधन किया गया था। नए इक्विेटर सिद्धांत 10 मिलियन या अधिक[12] डॉलर की पूंजीगत लागत की वित्तीय सहायता वाली सभी परियोजनाओं पर लागू होंगे। पर्यावरण तथा सामाजिक कारपोरेट जिम्मेदारी असली व्यापार की सही पहचान होती है, इस तर्क से प्रभावित होकर 100 से अधिक देशों में कार्यरत तथा 24 देशों की 60 से अधिक वित्तीय संस्थानों ने अगस्त, 2008 तक नए इक्विेटर सिद्धांतों[13] को अंगीकृत कर लिया था।

[12] मूल सीमा 50 मिलियन अमरीकी डालर थी। इस परिवर्तन के वर्णन के लिए तथा इक्विेटर प्रिंसिपल संबंधी अन्य जानकारियों के लिए : http://www.equator-principles.com/faq.shtml देखें।

[13] http://www.equator-principles.com/join.shtml देखें।

## मध्यावधिक कार्य योजना (2010–2012)

| परिणाम | निष्पादक प्रतीक | कार्य | जिम्मेदार साझेदार | संसाधनों की आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|
| **समग्र उद्देश्य**<br>सभी एडीबी सहायता प्रदत्त परियोजनाओं के लिए एडीबी के सुरक्षा उद्देश्यों, सिद्धांतों और अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है | | | | |
| ***कार्य क्षेत्र (i)***<br>***सुरक्षा उपायों के लिए कर्जदारों/ग्राहकों का सहायता क्षमता विकास*** | | | | |
| सुरक्षा अपेक्षाओं को लागू करने के लिए कर्जदार/ग्राहकों की संस्थागत क्षमता को मजबूत बनाना | एसपीएस के लागू होने की तारीख से पहले तथा अनवरत आधार पर नई नीति पर विभिन्न स्तरों पर कर्जदारों/ग्राहकों का प्रशिक्षण | ▪ विकासशील सदस्य देशों के कर्जदारों के लिए बैंकवार जानकारी देना (एक कार्यशाला लागू होने की तारीख से पहले तथा बाद में 1–2 बार प्रतिवर्ष)<br>▪ सरकारी तथा निजी क्षेत्र के कर्जदारों/ग्राहकों को अंतर्देशीय प्रशिक्षण प्रदान करना | आरडी/आरएसडीडी<br>आरडी/पीएसओडी/आरएसडीडी | ▪ घरेलू स्टाफ संसाधन जुटाना<br>▪ आवश्यकता के आधार पर तकनीकी सहायता या समर्पित कोष (80–100 मिलियन अमरीकी डालर)<br>▪ स्टाफ परामर्श<br>▪ अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों द्वारा सहयोगी प्रयास |
| | परियोजना तैयार करने के दौरान परियोजना स्तर पर समयोचित तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन दिया गया था | ▪ प्रत्येक ग्राहक/कर्जदार को नई नीति की प्रतियां वितरित करना और नए प्रावधानों की जानकारी देना<br>▪ कर्जदार/ग्राहक की क्षमता का अन्दाजा लगाना तथा प्रोजेक्ट डिजाइन में समुचित क्षमता निर्माण घटकों का समावेश करना<br>▪ सामजिक तथा पर्यावरण मूल्यांकन, ईएमपी, आरपी, आईपीपी करने के लिए सहायता | आरडी/पीएसओडी<br>आरडी/पीएसओडी<br>आरडी/पीएसओडी | |
| | परियोजना लागू करने के दौरान परियोजना स्तर पर समयोचित तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन दिया था | ▪ परियोजना कार्यान्वयन के दौरान अप्रत्याशित मुद्दों का समाधान करने के लिए आवश्यक सहायता देना | पीडी/पीएसओडी | |
| | तैयार किए गए सीएसएस समतुल्यता तथा स्वीकार्यता मूल्यांकनों की | ▪ 3 से 5 सीएसएस समतुल्यता और स्वीकार्यता मूल्यांकन | ओजीसी/आरएसडीडी/आरडी | |

| परिणाम | निष्पादक प्रतीक | कार्य | जिम्मेदार साझेदार | संसाधनों की आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या और गुणवत्ता<br>एडीबी तथा कर्जदारों/ग्राहकों के बीच तय और कर्जदारों/ग्राहकों द्वारा सही ढंग से लागू की गई अंतराल पूर्ति कार्य योजनाओं की संख्या | तैयार करना तथा उपराष्ट्रीय सेक्टरगत/एजेंसी स्तर पर अंतराल पूर्ति कार्य योजनाएं तैयार करना। | | |
| ***कार्य क्षेत्र (ii)***<br>***कार्यान्वयन नीति में सहायता के लिए औजार और यंत्र विकसित करना*** | | | | |
| एडीबी स्टाफ, कर्जदार/ग्राहक तथा अन्य स्टेकहोल्ड्र्स एडीबी की सुरक्षा अपेक्षाओं को भली भांति समझते हैं और आवश्यक ज्ञान रखते हैं | मार्गदर्शन तथा हैंडबुक, जिनमें अधिक तकनीकी मार्गदर्शन और उत्तम पद्धतियों का उल्लेख है, एसपीएस के लागू होने की तारीख से पहले उपलब्ध | ▪ पर्यावरणीय मूल्यांकन दिशानिर्देशों को अपडेट करना<br>▪ अस्वैच्छिक पुनर्वास की हैंडबुक को अपडेट करना<br>▪ देशज़ जन समुदायों की सहमति प्राप्त करने से संबंधित दिशानिर्देशों सहित देशज़ जन पर हैंडबुक तैयार करना | आरएसडीडी<br>आरएसडीडी<br>आरएसडीडी | ▪ घरेलू स्टाफ संसाधन जुटाना<br>▪ स्टाफ परामर्श<br>▪ अनुवाद मुद्रण और प्रचार के लिए एकमुश्त लागत |
| | नीतिगत दस्तावेज (एसपीएस तथा सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं 1–4) तथा मार्गदर्शन और हैंडबुक्स का अनुवाद समयोचित आधार पर किया जाता है और कर्जदारों/ग्राहकों तथा अन्य स्टेकहोल्ड्र्स को परिचालित की जाती हैं | ▪ आवश्यकता के आधार पर एसपीएस, सुरक्षा अपेक्षाओं 1–4 तथा दिशानिर्देशों और हैंडबुक का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने वाली भाषाओं तथा आवश्यकता के अनुसार अन्य स्थानीय भाषा में अनुवाद, मुद्रण तथा संबद्ध स्टेकहोल्ड्र्स को प्रचार | आरएसडीडी/आरडी/पीएसओडी | |
| ***कार्य क्षेत्र (iii)***<br>***नीति कार्यान्वयन के लिए एडीबी की संगठनात्मक क्षमता और संसाधन सुनिश्चित करना*** | | | | |
| अपडेट की गई सामाजिक तथा पर्यावरणीय सुरक्षा | समुचित ढंग तथा अनवरत आधार पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की | ▪ सभी मुख्यालयों तथा रेजिडेंट मिशनों के सुरक्षा विशेषज्ञों और | आरएसडीडी | ▪ घरेलू स्टाफ संसाधन जुटाना<br>▪ तकनीकी सहायता |

| परिणाम | निष्पादक प्रतीक | कार्य | जिम्मेदार साझेदार | संसाधनों की आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|
| अपेक्षाओं पर कर्मचारियों का ज्ञान<br><br>नीति के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत क्षमता में मजबूती आई | संख्या | टीम लीडर्स को (लागू होने की तारीख से पहले दो कार्यशालाएं तथा बाद में प्रति वर्ष 2–3 बार) बैंकवार ढांचा घरेलू स्टाफ प्रशिक्षण | | ▪ अतिरिक्त आंतरिक प्रशासनिक खर्च बजट |
| | कर्मचारियों के पदों में वृद्धि तथा स्टाफ संसाधनों के नियतन में अनुकूलता | ▪ आरडी तथा में अतिरिक्त व्यावसायिक विशेषज्ञों तथा 3 वर्ष की मध्यावधि में रेजिडेंट मिशनों में राष्ट्रीय अधिकारियों की नियुक्ति करना | बीपीएचआर / आरडी<br><br>आरएसडीडी / आरडी / पीएसओडी | |
| | अंतर्विभागीय ज्ञान के आदान प्रदान के लिए नेटवर्क बनाए गए | ▪ ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान पर सेमिनार / कार्यशालाएं आयोजित करना | | |
| ***कार्य क्षेत्र (iv)***<br>***एडीबी के आंतरिक समीक्षा और अनुपालन मॉनीटरिंग सिस्टम में सुधार और रखरखाव करना*** | | | | |
| एडीबी का आंतरिक समीक्षा और अनुपालन मॉनीटरिंग सिस्टम कारगार और सही ढंग से कार्य करता है | एसपीएस की प्रभावी तारीख से पहले स्थापित एसपीएस के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन पद्धतियों को मंजूरी देना | ▪ परियोजना अवधि की प्रत्येक अवस्था में एडीबी की आंतरिक सुरक्षा समीक्षा, मॉनीटरिंग तथा रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के लिए तैयार किए गए संकलित ऑपरेशन मैनुअल | आरएसडीडी | ▪ घरेलू स्टाफ संसाधन जुटाना |
| | परियोजना जांच और वर्गीकरण | ▪ प्रत्येक परियोजना की समयोजित तथा समुचित ढंग से जांच और वर्गीकरण | आरएसडीडी / आरडी / पीएसओडी | |
| | डिसक्लोज़र | ▪ सभी पर्यावरण श्रेणी "क" परियोजनाओं के लिए एडीबी की वेबसाइट पर बोर्ड के अनुमोदन से 120 दिन पहले पोस्ट करना, परियोजना मूल्यांकन | आरडी / पीएसओडी | |

| परिणाम | निष्पादक प्रतीक | कार्य | जिम्मेदार साझेदार | संसाधनों की आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|
| | | से पहले ईएआरएफ पोस्ट करना, श्रेणी "क" की सभी आईआर के लिए आरपी/आरएफ पोस्ट करना तथा श्रेणी "ख" परियोजना के मूल्यांकन से पहले सभी आईपीपी/आईपीएफ पोस्ट करना | | |
| | परामर्श | ▪ सभी पर्यावरणीय आईआर तथा आईपी प्रभावों वाली सभी परियोजनाओं के लिए परामर्श में भाग लेना, परामर्श परिणामों को लेखबद्ध करना और उन्हें परियोजना डिजाइन में शामिल करना | आरडी/पीएसओडी | |
| | सभी संगत सुरक्षा दस्तावेज नियमित रूप से पेश किए गए तथा योजना तैयारी समय पुनः निरीक्षण | ▪ सभी संगत सुरक्षा दस्तावेजों की नीति के सिद्धांतों तथा एसआर 1–4 की अपेक्षाओं के हिसाब से समीक्षा करना, सुरक्षा दस्तावेज तैयार करने के लिए कर्जदारों/ग्राहकों को सलाह देना ताकि एडीबी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके | आरडी/पीएसओडी /आरएसडीडी | |
| | समयोचित ढंग से पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग मिशन चलाए गए, समुचित मार्गदर्शन दिया गया तथा परियोजना कार्यान्वयन के दौरान परिणामों को लेखबद्ध किया गया | ▪ सभी पर्यावरणीय, आईआर तथा आईपी श्रेणी क योजनाओं के लिए सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा फील्ड सर्वेक्षण और मॉनीटरिंग सर्वेक्षण– आवश्यकता के अनुसार सुधारात्मक योजना | आरडी/पीएसओडी /आरएसडीडी | |

| परिणाम | निष्पादक प्रतीक | कार्य | जिम्मेदार साझेदार | संसाधनों की आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|
| | बैंकबार अनुपालन स्थिति और निष्पादन को समय पर लेखबद्ध किया गया और प्रबंधन को रिपोर्ट भेजी गई। | तैयार करने के लिए कर्जदार/ग्राहक के साथ सहमति जुटाना<br>▪ बैंकबार निष्पादन पर वार्षिक रिपोर्ट करना तथा प्रबंध को प्रस्तुत करना | आरएसडीडी | |

एडीबी = एशियाई विकास बैंक, बीपीएचआर = मानव संसाधन प्रभाग, सीएसएस = कंट्री सेफगार्ड सिस्टम्स, डीएमसी = विकासशील सदस्य देश, ईएआरएफ = पर्यावरणीय मूल्यांकन तथा समीक्षा फ्रेमवर्क, ईआईए = पर्यावरणीय संघात मूल्यांकन, ईएमपी = पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, एचक्यू = मुख्यालय, आईपीएफ = देशज़ जन फ्रेमवर्क, आईपीपी = देशज़ योजना, आईआर = अस्वैच्छिक पुनर्वास, ओडी = प्रचालन विभाग, ओजीसी = महाधिवक्ता का कार्यालय, ओएम = प्रचालन मैनुअल, पीएसओडी = निजी क्षेत्र के प्रचालन विभाग, आरडी = क्षेत्रीय विभाग, आरएफ = पुनर्वास फ्रेमवर्क, आरएम = रेजिडेंट मिशन, आरपी = पुनर्वास योजना, आरएसडीडी = क्षेत्रीय तथा स्थायी विकास विभाग, एसपीएस = सुरक्षा नीति कथन, एसआर = सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं।